दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

दिसंबर भाग-1

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **7**

- स्वास्थ्य व्यय पर NHA रिपोर्ट 7
- स्ट्रीट वेंडर्स का कौशल संवर्द्धन 9
- उज्ज्वला योजना 10
- CBI जाँच के लिये राज्यों की सहमति 12
- नगालैंड राज्य स्थापना दिवस 13
- उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2021 15
- लोक लेखा समिति 16
- संसद सदस्यों द्वारा प्रश्न स्वीकार करने के नियम 18
- निजी सदस्य विधेयक 19
- देशद्रोह कानून 20
- बाँध सुरक्षा विधेयक, 2019 22
- भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण 25
- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 27
- डिफॉल्ट बेल 29
- एनडीपीएस (संशोधन) विधेयक, 2021 31
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 33
- वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 35
- भारत में सड़क दुर्घटनाएँ 37

नोट :

- राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक, 2021 39
- समिट फॉर डेमोक्रेसी 40
- हुनर हाट 43
- बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना 44
- विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की भूमिका 46
- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2021 48

आर्थिक घटनाक्रम 51

- कपास पर आयात शुल्क घटाने की मांग 51
- नेचुरल फार्मिंग 52
- लॉकडाउन (वर्ष 2020) के दौरान रोज़गार का नुकसान 55
- पीएम मित्र' पार्क 56
- वेतन दर सूचकांक (WRI) 58
- शिप एक्वीज़ीशन, फाइनेंसिंग एंड लीज़िंग: IFSCA रिपोर्ट 59
- कृषि क्षेत्र के लिये ARCs 60
- हथकरघा क्षेत्र में सुधार 63
- मौद्रिक नीति रिपोर्ट : भारतीय रिज़र्व बैंक 64
- संशोधित कोयला भंडारण मानदंड 66
- बैंक-NBFC सह-उधार 68
- बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम 69
- काला धन 70

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 74

- बारबाडोस: दुनिया का सबसे नया गणराज्य 74
- ग्लोबल गेटवे प्लान: ईयू 75

नोट :

- G20 'ट्रोइका' में शामिल हुआ भारत 76
- श्रीलंका संकट पर चार सूत्री रणनीति 78
- रूस-यूक्रेन संघर्ष 79
- भारत-रूस शिखर सम्मेलन 81
- SCO- क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना (RATS) 83
- बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन 85
- चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंध की समाप्ति 87
- संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय 88
- संरक्षणवाद बनाम वैश्वीकरण 89

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 92

- सितारों में लिथियम की प्रचुरता 92
- परमाणु ऊर्जा और जलवायु 93
- फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी 95
- गगनयान मिशन 96
- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 97

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 99

- प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना 99
- पश्चिमी घाट पर कस्तूरीरंगन समिति 100
- चक्रवात प्रबंधन ढाँचा 101
- केन-बेतवा इंटर-लिंकिंग परियोजना 103
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा: संयुक्त राष्ट्र 105
- जल में रेडियोधर्मी प्रदूषण 107
- भारत में वन्यजीव संरक्षण 109

नोट :

- बुक्सा टाइगर रिज़र्व: पश्चिम बंगाल 110
- जलवायु परिवर्तन और संक्रामक रोग 112
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) 112

इतिहास 115

- पाइका विद्रोह: 1817 115
- छत्रपति शिवाजी महाराज 116
- 65वाँ महापरिनिर्वाण दिवस 118
- भारत-पाक युद्ध: 1971 119
- 1857 का विद्रोह 120
- गुरु तेग बहादुर 123
- सी. राजगोपालाचारी 125

सामाजिक न्याय 127

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना 127
- विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 128
- विश्व मानवाधिकार दिवस 130
- मानव अधिकारों का उल्लंघन 132
- मैं भी डिजिटल 3.0' अभियान 134
- व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021 135
- स्माइल योजना 138

आंतरिक सुरक्षा 140

- ग्रेटर टिपरालैंड: त्रिपुरा 140
- Log4Shell' सुभेद्यता 141

नोट :

चर्चा में **144**

- विश्व एड्स दिवस 2021 144
- Kyhytysuka Sachicarum: नई समुद्री सरीसृप 145
- कला संस्कृति विकास योजना 146
- अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 146
- इस्सी सानेक : नई डायनासोर प्रजाति 147
- भारतीय नौसेना दिवस 148
- सैन्य अभ्यास 'एकुवेरिन' 149
- माउंट सेमरू ज्वालामुखी 149
- वैश्विक शस्त्र व्यापार रिपोर्ट: SIPRI 150
- विश्व मृदा दिवस 151
- वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (VL-SRSAM) : DRDO 151
- पैनेक्स-21 152
- रामानुजन पुरस्कार 153
- संपन्न परियोजना 154
- अर्थ ब्लैक बॉक्स 155
- नासा का IXPE मिशन 155
- नासा की नई संचार प्रणाली: LCRD 156
- काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 157
- आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना 158
- सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो 158
- पिनाका एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम 159

विविध **161**

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

स्वास्थ्य व्यय पर NHA रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) ने बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य पर खर्च में वृद्धि की है, जिससे आउट-ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर (OOPE) वर्ष 2017-18 में घटकर 48.8% हो गया, जो वर्ष 2013-14 में 64.2% था।

- यह रिपोर्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र द्वारा तैयार की गई थी, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) तकनीकी सचिवालय के रूप मंन नामित किया गया था।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वास्थ्य खातों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रणाली 2011 के आधार पर एक लेखा ढाँचे का उपयोग कर NHA अनुमान तैयार किये जाते हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र:

- यह 2006-07 में भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत तकनीकी सहायता के लिये एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करने हेतु स्थापित किया गया था।
- इसका अधिदेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के लिये राज्यों को तकनीकी सहायता के प्रावधान करने और क्षमता निर्माण हेतु नीति एवं रणनीति बनाने में सहायता करना है।

प्रमुख बिंदु

- कुल सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी हिस्सेदारी में वृद्धि:
  - 2017-18 के लिये देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय के हिस्से में वृद्धि हुई थी।
  - यह वर्ष 2013-14 के 1.15% से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 1.35% हो गया है।
- प्रति व्यक्ति बढ़ा हुआ सरकारी खर्च:
  - वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 के बीच प्रति व्यक्ति के हिसाब से सरकारी स्वास्थ्य खर्च 1,042 रुपए से बढ़कर 1,753 रुपए हो गया है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा:
  - वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का हिस्सा 2013-14 के 51.1% से बढ़कर 2017-18 में 54.7% हो गया है।
  - प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय के 80% से अधिक के लिये ज़िम्मेदार है।
- स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय:
  - स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय का हिस्सा, जिसमें सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ और सरकारी कर्मचारियों को की गई चिकित्सा प्रतिपूर्ति शामिल है, में वृद्धि हुई है।
- जेब खर्च में कमी:
  - स्वास्थ्य देखभाल पर सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी खर्च का हिस्सा बढ़कर 40.8 फीसदी हो गया और 2017-18 के लिये जेब खर्च में 48.8% की गिरावट आई।
    - OOPE में गिरावट सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ते उपयोग और इन सुविधाओं एवं सेवाओं की लागत में कमी के कारण है।

नोट :

स्वास्थ्य क्षेत्र के मुद्दे:

- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का अभाव: देश में मौजूदा सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मॉडल का दायरा सीमित है।
  - जहाँ तक एक अच्छी तरह से काम करने वाले सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात है तो वहाँ केवल गर्भावस्था देखभाल, सीमित चाइल्डकेयर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित कुछ सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- आपूर्ति-पक्ष की कमियाँ: बदतर स्वास्थ्य प्रबंधन कौशल और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिये उचित प्रशिक्षण एवं सहायक पर्यवेक्षण की कमी स्वास्थ्य सेवाओं की वांछित गुणवत्ता के वितरण को अवरुद्ध करती है।
  - वर्ष 2019 में जॉन्स हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रत्येक 100 में से लगभग एक बच्चे की मृत्यु दस्त या निमोनिया के कारण पाँच वर्ष की आयु से पहले ही हो जाती है।
  - स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुँच का प्रत्यक्ष संबंध डायरिया, पोलियो और मलेरिया जैसी बीमारियों से है।
- अपर्याप्त वित्तपोषण: भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण पर व्यय लगातार कम हो रहा है (जीडीपी का लगभग 1.3%)। भारत का कुल 'आउट-ऑफ-पॉकेट' व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.3% है।
  - यह आवंटन 'आर्थिक सहयोग और विकास संगठन' (OECD) देशों के औसत (7.6%) और ब्रिक्स (BRICS) देशों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर किये जाने वाले औसत खर्च (3.6%) की तुलना में काफी कम है।
- अतिव्यापी क्षेत्राधिकार: सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु उत्तरदायी कोई एक विशिष्ट प्राधिकरण नहीं है, जो कानूनी रूप से दिशा-निर्देश जारी करने एवं स्वास्थ्य मानकों के अनुपालन को लागू करने हेतु अधिकृत है।
- उप-इष्टतम सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली: इसके कारण उन ग़ैर-संचारी रोगों से निपटना चुनौतीपूर्ण है जहाँ रोकथाम और रोग की आरंभिक पहचान सबसे महत्त्वपूर्ण होती है।
  - यह कोविड-19 महामारी जैसे नए और उभरते खतरों के लिये पूर्व-तैयारी और प्रभावी प्रबंधन की क्षमता को सीमित करती है।
- आवश्यकता से कम डॉक्टर:
  - भारत में वर्तमान में WHO के 1:1000 के मानदंड के मुकाबले 1,445 की आबादी पर एक ही डॉक्टर मौजूद है।

संबंधित सरकारी पहलें:

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)।
- नि:शुल्क दवाओं और नि:शुल्क निदान सेवा पहलों का कार्यान्वयन।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम।
- आयुष्मान भारत।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)

आगे की राह:

- लागत को कम करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु मेडिकल कॉलेजों में निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- अन्य नैदानिक प्रक्रियाओं और अस्पतालों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) पर ज़ोर देना तथा लक्ष्य की त्वरित प्राप्ति के लिये टीकाकरण अभियान में निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ उठाना।
- नई दवाओं के विकास में अधिक निवेश का समर्थन करने और जीवन रक्षक व आवश्यक दवाओं पर 'वस्तु एवं सेवा कर' को कम करने के लिये अतिरिक्त कर कटौती द्वारा अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहित करना।
- लोगों को प्रस्तावित स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु मौजूदा स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों को तैयार करने के लिये उनके प्रशिक्षण, पुन: कौशल और ज्ञान उन्नयन पर ध्यान देना आवश्यक है।

नोट :

स्ट्रीट वेंडर्स का कौशल संवर्द्धन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 3.0 के रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL) घटक के तहत दिल्ली में 2,500 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को प्रशिक्षित करने के लिये एक पायलट परियोजना की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह परियोजना पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र कौशल परिषद (THSSC) तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी
  - पंजीकृत स्ट्रीट फूड वेंडर्स चार-पाँच दिनों के परामर्श सत्रों से गुज़रेंगे, जहाँ वे अपनी दक्षता, योग्यता, रुचियों, अवसरों और यात्रा कार्यक्रम की संरचना के बारे में स्पष्टता प्राप्त करेंगे।
  - विक्रेताओं को स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों, कोविड -19 प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा प्रावधानों, कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ प्रभावी संचार तकनीक, नए जमाने के कौशल जैसे डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल भुगतान व ई-सेलिंग के क्षेत्र में शिक्षित किया जाएगा।
  - मुद्रा योजना के तहत वेंडरों को भी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  - यह विक्रेताओं को ई-कार्ट लाइसेंस के लिये योग्य बनाएगा, उन्हें भोजन तैयार करने और वेंडिंग के सौंदर्यशास्त्र में स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना सिखाया जाएगा। साथ ही चार दिन के प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपए दिये जाएंगे।
- उद्देश्य:
  - इसका उद्देश्य स्ट्रीट फूड वेंडर्स को प्रासंगिक कौशल प्रदान करना है, जिससे उपभोक्ताओं के लिये बेहतर सेवाएँ, राजस्व सृजन के अधिक अवसर और नागरिक नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- महत्त्व:
  - भारत में लगभग 5.5 मिलियन स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लगभग 14% का योगदान करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में उनका कौशल महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
  - यह निश्चित रूप से कार्यबल की कामकाजी और जीविका की स्थिति को ऊपर उठाने में मदद करेगा।
  - यह पूर्वी दिल्ली में 4,000 विक्रेताओं और राष्ट्रीय स्तर पर 25 लाख स्ट्रीट वेंडरों को सामाजिक सुरक्षा और बचाव प्रदान करेगा।
- खाद्य विक्रेताओं से संबंधित अन्य योजनाएँ:
  - पीएम स्वानिधि योजना
  - मैं भी डिजिटल (me too digital)
  - स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) अधिनियम, 2014
  - प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना
  - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में:
  - PMKVY को 2015 में स्किल इंडिया मिशन (Skill India Mission) के तहत लॉन्च किया गया था।
  - इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित करना है।
  - इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को समाज में बेहतर आजीविका और सम्मान के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण व प्रमाणन प्रदान करना है।

नोट :

- PMKVY-1.0:
  - प्रारंभ: भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाणन योजना 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' 15 जुलाई, 2015 (विश्व युवा कौशल दिवस) को शुरू की गई थी।
  - उद्देश्य: युवाओं को मुफ्त लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना एवं मौद्रिक पुरस्कार के माध्यम से कौशल विकास को प्रोत्साहित करना।
  - कार्यान्वयन: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा PMKVY का कार्यान्वयन किया गया है।
  - मुख्य घटक: लघु अवधि का प्रशिक्षण, विशेष परियोजनाएँ, पूर्व शिक्षण को मान्यता, कौशल और रोज़गार मेला आदि
- PMKVY 2.0 (2016-20):
  - क्षेत्रक (Sector) और भूगोल (Geography) दोनों के संदर्भ में तथा भारत सरकार के अन्य मिशनों जैसे- मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत आदि के साथ अधिक संरेखण द्वारा शुरू किया गया।
  - PMKVY 1.0 और PMKVY 2.0 के तहत देश में एक बेहतर मानकीकृत कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से 1.2 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।
- PMKVY 3.0:
  - इसे 28 राज्यों/आठ केंद्रशासित प्रदेशों के 717 ज़िलों में लॉन्च किया गया, PMKVY 3.0 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  - यह योजना 948.90 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-2021 की योजना अवधि में आठ लाख उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना करती है।
  - वर्तमान युग और उद्योग 4.0 ने कौशल विकास को बढ़ावा देकर मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने पर ध्यान केंद्रित किया है।

RPL कार्यक्रम:

- इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य कौशल विकास कार्यक्रमों की बेहतर योजना और कार्यान्वयन हेतु विकेंद्रीकरण एवं स्थानीय शासन को बढ़ावा देना है।
- यह एक औपचारिक व्यवस्था के बाहर रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग है और व्यक्ति को उसके कौशल हेतु सरकारी प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

उज्ज्वला योजना

चर्चा में क्यों ?

'सूचना का अधिकार' के तहत प्राप्त सूचना के मुताबिक, वर्ष 2019 के आम चुनाव से ठीक पहले 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के अंतर्गत नए वितरण में तेज़ी देखी गई।

- योजना के तहत वर्ष 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य था। यह लक्ष्य मार्च 2020 की समय-सीमा से सात महीने पूर्व ही अगस्त 2019 में हासिल कर लिया गया था।
- अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री ने 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) के दूसरे चरण या 'उज्ज्वला 2.0 योजना' का शुभारंभ किया था।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - PMUY-I:
    - इसे गरीब परिवारों को 'तरलीकृत पेट्रोलियम गैस' (LPG) कनेक्शन प्रदान करने के लिये मई 2016 में शुरू किया गया।

नोट :

- PMUY-II:
  - इसका उद्देश्य उन प्रवासियों को अधिकतम लाभ प्रदान करना है जो दूसरे राज्यों में रहते हैं और अपने पते का प्रमाण प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है।
  - अब उन्हें इसका लाभ उठाने के लिये केवल "सेल्फ डिक्लेरेशन" देना होगा।

- उद्देश्य:
  - महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना।
  - भारत में अशुद्ध खाना पकाने के ईंधन के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करना।
  - घर के अंदर जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण के कारण छोटे बच्चों को होने वाली श्वास संबंधी गंभीर बीमारियों से बचाना।
- विशेषताएँ:
  - इस योजना में बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिये 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - एक जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहली रिफिल और एक हॉटप्लेट नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा।
- लक्ष्य:
  - उज्ज्वला 1.0 के तहत मार्च 2020 तक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों की 50 मिलियन महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य था। हालाँकि अगस्त 2018 में सात अन्य श्रेणियों की महिलाओं को योजना के दायरे में लाया गया था, इनमें शामिल हैं:
    - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थी, वनवासी, सबसे पिछड़े वर्ग, चाय बागान और द्वीप समूह।
  - उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे।
    - सरकार ने 50 ज़िलों के 21 लाख घरों में पाइप से गैस पहुँचाने का भी लक्ष्य रखा है।
- नोडल मंत्रालय:
  - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG)।
- उपलब्धियाँ:
  - PMUY के पहले चरण में दलित और आदिवासी समुदायों सहित 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिये गए।
  - देश में रसोई गैस के बुनियादी ढाँचे का कई गुना विस्तार हुआ है। पिछले छह वर्षों में देश भर में 11,000 से अधिक नए एलपीजी वितरण केंद्र खोले गए हैं।
- चुनौतियाँ:
  - रिफिल की कम खपत:
    - एलपीजी के निरंतर उपयोग को प्रोत्साहित करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और रिफिल की कम खपत ने योजना के तहत वितरित बकाया ऋण की वसूली में बाधा उत्पन्न की।
    - 31 दिसंबर, 2018 को वार्षिक औसत प्रति उपभोक्ता सिर्फ 3.21 रिफिल था।
  - प्रणाली से संबंधित विसंगतियाँ:
    - अनपेक्षित लाभार्थियों को कनेक्शन जारी करने जैसी कमियाँ तथा राज्य संचालित तेल विपणन कंपनियों के सॉफ्टवेयर के साथ समस्याएँ देखी गई हैं, जो कि लाभार्थियों की पहचान करने के लिये डिडुप्लीकेशन प्रक्रिया में अपर्याप्तता को दर्शाता है।

आगे की राह

- इस योजना को शहरी और अर्द्ध-शहरी स्लम क्षेत्रों के गरीब परिवारों तक विस्तारित किया जाना चाहिये।
- जिन घरों में एलपीजी नहीं है, उन्हें कनेक्शन प्रदान करके अधिक जनसंख्या तक उच्च एलपीजी कवरेज की आवश्यकता है।
- अपात्र लाभार्थियों को कनेक्शन देने से प्रतिबंधित करने के लिये वितरकों के सॉफ्टवेयर में डिडुप्लीकेशन (Deduplication) के प्रभावी और उचित उपाय करने हेतु मौजूदा एवं नए लाभार्थियों के परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार नंबर दर्ज करना।

नोट :

CBI जाँच के लिये राज्यों की सहमति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने एक मामले को संदर्भित किया है, जिसमें केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) ने कई राज्यों द्वारा CBI को दी जाने वाली 'सामान्य सहमति' वापस लेने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचारार्थ एक हलफनामा दायर किया।

केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI)

- CBI की स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
  - अब CBI कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training-DoPT) के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।
- भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति (1962-1964) द्वारा CBI की स्थापना की सिफारिश की गई थी।
- CBI एक वैधानिक निकाय नहीं है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) केंद्र सरकार की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है।
  - यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करता है।
  - यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जाँच का समन्वय करती है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
  - सहमति वापस लेना: आठ राज्यों ने अपने क्षेत्र में जाँच शुरू करने के लिये CBI से सहमति वापस ले ली है।
    - आठ राज्य- पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम ने अपने क्षेत्र में जाँच शुरू करने के लिये CBI की सहमति वापस ले ली है।
  - CBI का तर्क: CBI के अनुसार, सहमति की इतनी व्यापक वापसी विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और उपक्रमों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के संबंध में इसे बेमानी बना रही है।
    - जबकि राज्यों की प्रतिक्रियाएँ मुख्य रूप से केंद्र सरकार की अपनी एजेंसियों को नियोजित करने की राजनीति के खिलाफ राजनीतिक-कानूनी रिंग-फेंसिंग का एक कार्य था, कई राज्यों द्वारा सामान्य सहमति को वापस लेने से CBI विकृत हो गई है।
- राज्य सरकार द्वारा दी गई सहमति के बारे में:
  - कानूनी और संवैधानिक आधार: दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार, जिसके तहत CBI कार्य करती है, केंद्रशासित प्रदेशों से परे CBI जाँच का विस्तार करने के लिये राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है।
    - CBI की कानूनी नींव को संघ सूची की प्रविष्टि 80 पर आधारित माना गया है जो एक राज्य से संबंधित पुलिस बल की शक्तियों को दूसरे राज्य के किसी भी क्षेत्र में विस्तारित करने का प्रावधान करती है, लेकिन इसकी अनुमति के बिना नहीं।
    - "पुलिस" संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्टि 2 है।
  - सहमति के प्रकार:
    - CBI द्वारा जाँच के लिये दो प्रकार की सहमति लेनी होती है।
    - सामान्य सहमति: जब कोई राज्य किसी मामले की जाँच के लिये CBI को एक सामान्य सहमति (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6) देता है, तो एजेंसी को जाँच के संबंध में या उस राज्य में प्रवेश करने पर हर बार केस के लिये नई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
    - भ्रष्टाचार या हिंसा के मामले में उस निर्बाध जाँच को सुगम बनाने के लिये एक सामान्य सहमति दी जाती है।
    - विशिष्ट सहमति: जब एक सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है, तो CBI को संबंधित राज्य सरकार से जाँच हेतु हर केस के लिये सहमति लेने की आवश्यकता होती है।
    - यदि विशिष्ट सहमति नहीं दी जाती है, तो CBI अधिकारियों के पास उस राज्य में प्रवेश करने पर पुलिस की शक्ति नहीं होगी।
    - यह CBI द्वारा निर्बाध जाँच में बाधा डालती है।

नोट :

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:
  - एडवांस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामला, 1970 (Advance Insurance Co. Ltd case, 1970) में एक संविधान पीठ ने कहा कि 'राज्य' की परिभाषा में केंद्रशासित प्रदेश भी शामिल हैं।
  - इसलिये CBI दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत मान्यता प्राप्त केंद्रशासित प्रदेशों के लिये गठित एक बल होने के नाते केवल उनकी सहमति से राज्यों क्षेत्रों में जाँच कर सकती है।
- लंबित जाँच पर प्रभाव:
  - सामान्य सहमति को वापस लेने से लंबित जाँच (काजी लेंधुप दोरजी बनाम CBI, 1994) या किसी अन्य राज्य में दर्ज मामले प्रभावित नहीं होते हैं, इस संबंध में जाँच उसके राज्य क्षेत्र में होती है, जिसने सामान्य सहमति वापस ले ली है तथा न ही यह CBI जाँच का आदेश देने के क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करती है।

आगे की राह:

- मौलिक बाधा कानून में निहित है जो CBI को एक संघीय पुलिस बल के रूप में स्पष्ट रूप से परिकल्पित नहीं करता है।
- भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्त्ता है, को सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिये कड़े निष्पक्ष कदम उठाने की आवश्यकता है।
- कई राज्यों द्वारा सहमति वापस लेने की स्थिति में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री द्वारा गठित समिति CBI प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया को जारी रखते हुए प्रकट शक्तियों और स्वायत्तता के साथ एक संघीय एजेंसी बनाने के विधायी कदम का कारण बन सकती है।
  - ऐसे कानून के मामले में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 एक स्पष्ट कानूनी प्रावधान का मार्ग प्रशस्त कर सकती है जो निष्पक्ष जाँच और अभियोजन की गारंटी देता है।

नगालैंड राज्य स्थापना दिवस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नगालैंड ने 1 दिसंबर, 2021 को अपना 59वाँ स्थापना दिवस मनाया।

- 1 दिसंबर, 1963 को नगालैंड को औपचारिक रूप से एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी, कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया था।
- 'नगालैंड राज्य अधिनियम, 1962' नगालैंड को राज्य का दर्जा देने के लिये संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।

नगालैंड:

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
  - वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद 'नगा' क्षेत्र प्रारंभ में असम का हिस्सा बना रहा। हालाँकि एक मज़बूत राष्ट्रवादी आंदोलन ने नगा जनजातियों के राजनीतिक संघ की मांग करना शुरू कर दिया और कुछ चरमपंथियों ने भारतीय संघ से पूरी तरह से अलग होने की मांग की।
  - वर्ष 1957 में असम के 'नगा हिल्स क्षेत्र' और उत्तर-पूर्व में 'तुएनसांग फ्रंटियर' डिवीज़न को भारत सरकार द्वारा सीधे प्रशासित एक इकाई के तहत एक साथ लाया गया था।
  - वर्ष 1960 में यह तय किया गया कि नगालैंड को भारतीय संघ का एक घटक राज्य बनना चाहिये। नगालैंड ने वर्ष 1963 में राज्य का दर्जा हासिल किया और वर्ष 1964 में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार ने सत्ता संभाली।
- भौगोलिक अवस्थिति:
  - यह पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर एवं पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में असम और पूर्व में म्याँमार (बर्मा) से घिरा है। राज्य की राजधानी 'कोहिमा' है, जो नगालैंड के दक्षिणी भाग में स्थित है।

नोट :

- नगालैंड की जलवायु 'मानसूनी' (आर्द्र और शुष्क) है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 70 से 100 इंच के बीच है और यह दक्षिण-पश्चिम मानसून (मई से सितंबर) के महीनों पर केंद्रित होती है।

- जैव विविधता:
  - वनस्पति: नगालैंड के लगभग एक-छठे हिस्से में वन हैं। 4,000 फीट से नीचे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मौजूद हैं, जिनमें ताड़, रतन और बाँस के साथ-साथ मूल्यवान लकड़ी प्रजातियाँ शामिल हैं। शंकुधारी वन अधिक ऊँचाई पर पाए जाते हैं। 'झूम' खेती (स्थानांतरण खेती) हेतु साफ किये गए क्षेत्रों में घास, नरकट और झाड़ीदार जंगल भी पाए जाते हैं।
  - जीव: हाथी, बाघ, तेंदुए, भालू, कई प्रकार के बंदर, सांभर, हिरण, भैंस, जंगली बैल और गैंडा निचली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। राज्य में साही, पैंगोलिन, जंगली कुत्ते, लोमड़ी, सिवेट बिल्लियाँ और नेवले भी पाए जाते हैं।
    - मिथुन (ग्याल) नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है।
    - 'बेलीथ का ट्रैगोपन' नागालैंड का राज्य पक्षी है।

- जनजाति:
  - 'कोन्याक' सबसे बड़ी जनजाति हैं, इसके बाद आओस, तांगखुल, सेमास और अंगमी आते हैं।
  - अन्य जनजातियों में लोथा, संगतम, फॉम, चांग, खिम हंगामा, यिमचुंगर, ज़ेलिआंग, चाखेसांग (चोकरी) और रेंगमा शामिल हैं।

- अर्थव्यवस्था:
  - कृषि क्षेत्र, राज्य की आबादी के लगभग नौवें-दसवें हिस्से को रोज़गार देता है। चावल, मक्का, छोटी बाजरा, दालें (फलियाँ), तिलहन, फाइबर, गन्ना, आलू और तंबाकू प्रमुख फसलें हैं।
  - हालाँकि नगालैंड को अभी भी पड़ोसी राज्यों से भोजन के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।

- नगालैंड में संरक्षित क्षेत्र:
  - इन्तानकी राष्ट्रीय उद्यान
  - सिंगफन वन्यजीव अभयारण्य
  - पुलीबद्ज़े वन्यजीव अभ्यारण्य
  - फकीम वन्यजीव अभयारण्य

- प्रमुख महोत्सव:
  - 'हॉर्नबिल महोत्सव' प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक नगालैंड में आयोजित होने वाला उत्सव है।
  - इस त्योहार का महत्त्व इस तथ्य में निहित है कि यह एक प्राचीन त्योहार नहीं है और इसे वर्ष 2000 में नगालैंड को पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु शुरू किया गया था।

नगा:

- नगा पहाड़ी नृजातीय समुदाय हैं जिनकी आबादी लगभग 2.5 मिलियन (नगालैंड में 1.8 मिलियन, मणिपुर में 0.6 मिलियन और अरुणाचल में 0.1 मिलियन) है और ये भारतीय राज्य असम एवं बर्मा (म्याँमार) के मध्य सुदूर व पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं।
  - बर्मा (म्याँमार) में भी नगा समूह मौजूद हैं।
- नगा एक जनजाति नहीं है, बल्कि एक जातीय समुदाय है, जिसमें कई जनजातियाँ शामिल हैं, जो नगालैंड और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में निवास करती हैं।
- नगा समुदाय में कुल 19 जनजातियाँ शामिल हैं- एओस, अंगामिस, चांग्स, चकेसांग, कबूइस, कचारिस, खैन-मंगस, कोन्याक्स, कुकिस, लोथस (लोथास), माओस, मिकीर्स, फोम्स, रेंगमास, संगतामास, सेमस, टैंकहुल्स, यामचुमगर और ज़ीलियांग।

नोट :

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 'लोकसभा में पेश किया गया था।

- यह विधेयक 'उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954' और 'उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958' में संशोधन करना चाहता है।

प्रमुख बिंदु

- विधेयक के विषय में:
- विधेयक यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर कब पेंशन या पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा पाने के हकदार होते हैं।
- विधेयक स्पष्ट करता है कि एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीशों की पेंशन में वृद्धि उस महीने के पहले दिन से लागू की जाएगी जिसमें वे निर्दिष्ट आयु पूरी करते हैं, न कि उनके द्वारा निर्दिष्ट आयु में प्रवेश करने के पहले दिन से।
- मौजूदा प्रावधान:
  - उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 तथा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 उच्च न्यायालयों एवं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा की शर्तों को विनियमित करते हैं।
  - उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2009 के माध्यम से क्रमशः धारा 16B और धारा 17B को शामिल किया गया (1954 के अधिनियम और 1958 के अधिनियम में)।
    - वर्ष 2009 के अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उसकी मृत्यु के बाद उसका परिवार निर्दिष्ट पैमाने के अनुसार अतिरिक्त पेंशन या पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार होगा।
  - तद्नुसार, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष और 100 वर्ष, जैसा भी मामला हो, की आयु पूरी करने पर पेंशन की अतिरिक्त राशि प्रदान की जा जाती है।
    - अतिरिक्त मात्रा आयु के साथ बढ़ती है (पेंशन या पारिवारिक पेंशन के 20% से 100% तक)।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश:

- संविधान का अनुच्छेद 217: यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
  - मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।
  - उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।
- परामर्श प्रक्रिया: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है जिसमें CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
  - यह प्रस्ताव दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है।
  - सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो केंद्रीय कानून मंत्री को इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजने की सलाह देता है।
  - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस नीति के आधार पर की जाती है कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य से बाहर का होगा।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश:

- संविधान का अनुच्छेद 124:
  - भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत की जाती है।

नोट :

- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर सेवानिवृत्त होते हैं।
- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालयों के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार-विमर्श करने के पश्चात् ही राष्ट्रपति को परामर्श देगा।
- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा CJI और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद की जाती है जिन्हें वह आवश्यक समझता है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है।
  - सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता CJI द्वारा की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।

- 1950 से 1973 तक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति:
  - सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की परंपरा रही है। वर्ष 1973 में इस परंपरा का उल्लंघन किया गया था जब तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर ए.एन. रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1977 में इसका पुन: उल्लंघन किया गया जब तत्कालीन 10 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को छोड़कर एम.यू. बेग को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
  - सरकार की इस स्वायत्तता को सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) में रद्द कर दिया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिये।

लोक लेखा समिति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'लोक लेखा समिति' (PAC) ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिये हैं।

- 'लोक लेखा समिति' तीन वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है; अन्य दो समितियाँ हैं- प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति।
- संसदीय समितियाँ अनुच्छेद-105 (संसद सदस्यों के विशेषाधिकार) और अनुच्छेद-118 (संसद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन को विनियमित करने हेतु नियम बनाने के अधिकार) से शक्तियाँ प्राप्त करती हैं।

प्रमुख बिंदु

- लोक लेखा समिति:
  - स्थापना:
    - लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में 'भारत सरकार अधिनियम, 1919' के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे 'मोंटफोर्ड सुधार' भी कहा जाता है।
    - लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष 'लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम' के नियम 308 के तहत किया जाता है।
  - नियुक्ति:
    - समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
    - गौरतलब है कि चूँकि यह समिति कार्यकारी निकाय नहीं है, अत: यह केवल ऐसे निर्णय ले सकती है जो सलाहकार प्रकृति के हों।
  - सदस्य:
    - इसमें वर्तमान में केवल एक वर्ष की अवधि के साथ 22 सदस्य (लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए 15 सदस्य और राज्यसभा के सभापति द्वारा चुने गए 7 सदस्य) शामिल होते हैं।
  - उद्देश्य:
    - इसे यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था कि संसद द्वारा सरकार को दिया गया धन विशिष्ट और निश्चित मद पर ही खर्च किया जाए। केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री को इस समिति में सदस्य के तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता है।

नोट :

- कार्य:
  - सरकार के वार्षिक वित्त लेखों और व्यय को पूरा करने के लिये सदन द्वारा दी गई राशि के विनियोग को दर्शाने वाले लेखों की जाँच करना।
  - सदन के समक्ष रखे गए ऐसे अन्य लेखे, जिन्हें समिति ठीक समझे, सिवाय ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित, जो सार्वजनिक उपक्रम समिति को आवंटित किये गए हैं।
  - सरकार के विनियोग लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के प्रतिवेदनों के अलावा समिति राजस्व प्राप्तियों, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा व्यय और स्वायत्त निकायों के लेखों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच करना।
  - यह समिति, सरकार द्वारा अत्यधिक खर्च के साथ-साथ गलत आकलन या प्रक्रिया में अन्य दोषों के कारण हुई बचत की भी जाँच करती है।

- संसदीय समितियों का महत्त्व:
  - मंच प्रदान करना:
    - चूँकि संसद जटिल मामलों पर विचार करती है, इसलिये ऐसे मामलों को बेहतर ढंग से समझने के लिये तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
    - ये समितियाँ एक ऐसा मंच प्रदान करने में मदद करती हैं जहाँ सदस्य मामलों के अध्ययन के दौरान विविध क्षेत्र/विषय विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों के साथ जुड़ सकते हैं।
  - राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाना:
    - समितियाँ राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने के लिये भी एक मंच प्रदान करती हैं।
    - सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही को टीवी पर प्रसारित किया जाता है और अधिकांश मामलों में सांसदों के अपने पार्टी के पदों पर बने रहने की संभावना होती है।
    - ये समितियाँ परोक्ष रूप से भी मीटिंग करती हैं जिससे उन्हें स्वतंत्र रूप से सवाल करने और मुद्दों पर चर्चा करने तथा आम सहमति पर पहुँचने में मदद मिलती है।
  - नीतिगत मुद्दों की जाँच करना:
    - समितियाँ अपने मंत्रालयों से संबंधित नीतिगत मुद्दों की भी जाँच करती हैं तथा सरकार को सुझाव देती हैं।
    - इन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है या नहीं, इस पर सरकार को रिपोर्ट देनी होती है।
    - इसके आधार पर समितियाँ एक कार्रवाई रिपोर्ट पेश करती हैं, जो प्रत्येक सिफारिश पर सरकार की कार्रवाई की स्थिति दर्शाती है।

- समितियों को शामिल न करने से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ:
  - संसदीय प्रणाली की सरकार का कमज़ोर होना:
    - एक संसदीय लोकतंत्र संसद और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के विलय के सिद्धांत (Doctrine of Fusion of Powers) पर कार्य करता है, लेकिन संसद को सरकार की निगरानी एवं अपनी शक्ति को नियंत्रण में रखना चाहिये।
    - इस प्रकार किसी महत्त्वपूर्ण कानून को पारित करने में संसदीय समितियों को दरकिनार करने से लोकतंत्र के कमज़ोर होने का खतरा होता है।
  - बहुमत को लागू करना:
    - भारतीय व्यवस्था में विधेयकों को समितियों के पास भेजना अनिवार्य नहीं है। यह अध्यक्ष (लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में अध्यक्ष) के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
    - अध्यक्ष को विवेकाधीन शक्ति देकर लोकसभा में व्यवस्था को विशेष रूप से कमज़ोर कर दिया गया है जहाँ सत्ताधारी दल के पास बहुमत होता है।

आगे की राह

- हमारे लोकतंत्र में सरकार के काम की जाँच करने वाले प्रतिनिधि निकाय के रूप में संसद की भूमिका केंद्रीय है। इसके संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिये यह अनिवार्य है कि संसद प्रभावी ढंग से कार्य करे।

नोट :

- इसके साथ ही बिलों की उचित जाँच गुणवत्ता विधान की एक अनिवार्य आवश्यकता है। विधान पारित करते समय संसदीय समितियों को अलग रखना लोकतंत्र की भावना को कमज़ोर करता है।

संसद सदस्यों द्वारा प्रश्न स्वीकार करने के नियम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक संसद सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न को "राष्ट्रीय हित को देखते हुए" अस्वीकार कर दिया गया था।

- इसके अलावा पिछले कुछ सत्रों में संसद सदस्यों द्वारा प्राय: यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उनके प्रश्नों को अस्वीकार कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदुसमिति

- प्रश्न पूछने का अधिकार:
  - दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों को तारांकित प्रश्नों, अतारांकित प्रश्नों, अल्प सूचना प्रश्नों और निजी सदस्य के प्रश्नों के रूप में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।
    - प्रत्येक बैठक का पहला घंटा आमतौर पर दोनों सदनों में प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिये समर्पित होता है तथा इसे 'प्रश्नकाल' कहा जाता है।
  - राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के पास यह तय करने का अधिकार है कि कोई प्रश्न या भाग सदन के मानदंडों के तहत स्वीकार्य है या नहीं और वह किसी भी प्रश्न या प्रश्न के किसी भाग को अस्वीकार कर सकता है।
- प्रश्न स्वीकार करने के नियम:
  - राज्यसभा में:
    - राज्यसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता राज्यों की परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 47-50 द्वारा शासित होती है।
    - विभिन्न मानदंडों के बीच प्रश्न "केवल एक मुद्दे पर इंगित, विशिष्ट और सीमित होना चाहिये"।
  - लोकसभा:
    - लोकसभा में प्रश्नों के लिये नोटिस प्राप्त होने के बाद मतपत्र द्वारा प्राथमिकता निर्धारित की जाती है।
    - लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 41-44 के तहत स्वीकार्यता के लिये प्रश्नों की जाँच की जाती है।
    - लोकसभा में जिन प्रश्नों को स्वीकार नहीं किया जाता है उनमें शामिल हैं:
    - वे जो दोहराए जाते हैं या जिनका उत्तर पहले दिया जा चुका है;
    - ऐसे मामले जो किसी न्यायालय या संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन निर्णय के लिये लंबित हैं।
- प्रश्नों की श्रेणी:
  - तारांकित प्रश्न (तारांकन द्वारा प्रतिष्ठित):
    - तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं।
  - अतारांकित प्रश्न:
    - अतारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, इसलिये इनके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।
  - अल्प सूचना के प्रश्न:
    - ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम-से-कम 10 दिन का पूर्व नोटिस देकर पूछा जाता है। इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है।
  - निजी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न:
    - ऐसे प्रश्न उन सदस्यों से पूछे जाते हैं, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते, किंतु किसी विधेयक, संकल्प या सदन के किसी विशेष कार्य के लिये उत्तरदायी होते है।

नोट :

आगे की राह

- संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत संसद में प्रश्न पूछना सदन के सदस्य का संवैधानिक अधिकार है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो संसद में प्रश्नकाल एक अलग स्तर पर होता है।
- एक प्रकार से प्रत्येक प्रश्नकाल इस अर्थ में प्रचालन में प्रत्यक्ष प्रकार के लोकतंत्र की अभिव्यक्ति है कि लोगों का प्रतिनिधित्व शासन के मामलों पर सरकार से सीधे सवाल करना है और सरकार सदन में सवालों के जवाब देने के लिये बाध्य है।
- संबंधित अधिकारियों को भी एक सही कारण बताना चाहिये कि किसी प्रश्न को अस्वीकार क्यों किया जाना चाहिए। सदन के विशेषाधिकार के कारण RTI के माध्यम से भी इस कारण तक नहीं पहुँचा जा सकता है और इसे अदालत में भी ले जाना मुश्किल है।

निजी सदस्य विधेयक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्यसभा ने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने के लिये एक निजी सदस्य विधेयक (Private Member's Bill) पेश करने की अनुमति देने का अपना निर्णय सुरक्षित रखा।

- विधेयक प्रस्तावना में दिये गए शब्दों "स्थिति और अवसर की समानता" (EQUALITY of status and of opportunity) को "स्थिति और पैदा होने, पोषण प्राप्त करने, शिक्षित होने, नौकरी पाने के अवसर की समानता और सम्मान के साथ व्यवहार..." (EQUALITY of status and of opportunity to be born, to be fed, to be educated, to get a job and to be treated with dignity) से प्रतिस्थापित करने की मांग करता है।

प्रस्तावना की संशोधनीयता

- संविधान के एक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में तो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना की मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
  - केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है।
- संविधान की संरचना प्रस्तावना के मूल तत्त्वों पर आधारित है। अभी तक 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है।
  - इसमें तीन नए शब्द जोड़े गए- समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - संसद के ऐसे सदस्य जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री (Member of Parliament-MP) नहीं हैं, को एक निजी सदस्य के रूप में जाना जाता है।
  - इसका प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित सदस्य की होती है। सदन में इसे पेश करने के लिये एक महीने के नोटिस की आवश्यकता होती है।
  - सरकारी विधेयक/सार्वजनिक विधेयकों को किसी भी दिन पेश किया जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती है, निजी सदस्यों के विधेयकों को केवल शुक्रवार को पेश किया जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती है।
    - कई विधेयकों के मामले में एक मतपत्र प्रणाली का उपयोग विधेयकों को पेश करने के क्रम को तय करने के लिये किया जाता है।
    - निजी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों पर संसदीय समिति ऐसे सभी विधेयकों को देखती है और उनकी तात्कालिकता एवं महत्त्व के आधार पर उनका वर्गीकरण करती है।
  - सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति का सरकार में संसदीय विश्वास या उसके इस्तीफे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
  - चर्चा के समापन पर विधेयक का संचालन करने वाला सदस्य या तो संबंधित मंत्री के अनुरोध पर इसे वापस ले सकता है या वह इसके पारित होने के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुन सकता है।

नोट :

- पूर्ववर्ती निजी विधेयक:
  - पिछली बार दोनों सदनों द्वारा एक निजी सदस्य विधेयक 1970 में पारित किया गया था।
    - यह 'सर्वोच्च न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) विधेयक, 1968' था।
  - 14 निजी सदस्य विधेयक- जिनमें से पाँच राज्यसभा में पेश किये गए, अब कानून बन गए हैं। कुछ अन्य निजी जो कानून बन गए हैं, उनमें शामिल हैं-
    - लोकसभा कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) विधेयक, 1956।
    - संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1964, लोकसभा में पेश किया गया।
    - भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967 राज्यसभा में पेश किया गया।
- महत्त्व:
  - निजी सदस्य विधेयक का उद्देश्य सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना है, जो कि सांसदों (मंत्रियों के अतिरिक्त) के मुताबिक, एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है और जिसे विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
    - इस प्रकार यह सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के रुख को दर्शाता है।

सरकारी विधेयक बनाम निजी विधेयक

सरकारी विधेयक	निजी विधेयक
इसे संसद में एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।	यह मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है।	यह विपक्ष की नीतियों को प्रदर्शित करता है।
संसद में इसके पारित होने की संभावना अधिक होती है।	संसद में इसके पारित होने के संभावना कम होती है।
संसद द्वारा सरकारी विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है।	इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
सरकारी विधेयक को संसद में पेश होने के लिये सात दिनों का नोटिस होना चाहिये।	इस विधेयक को संसद में पेश करने के लिये एक महीने का नोटिस होना चाहिये
इसे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है।	इसे संबंधित सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है।

देशद्रोह कानून

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में असम पुलिस द्वारा असम के असमिया और बंगाली भाषी लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिये एक पत्रकार पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था।

प्रमुख बिंदु

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  - राजद्रोह कानून को 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अधिनियमित किया गया था, उस समय विधि निर्माताओं का मानना था कि सरकार के प्रति अच्छी राय रखने वाले विचारों को ही केवल अस्तित्व में या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिये, क्योंकि गलत राय सरकार और राजशाही दोनों के लिये नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी।
  - इस कानून का मसौदा मूल रूप से वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन वर्ष 1860 में भारतीय दंड सहिता (IPC) लागू करने के दौरान इस कानून को IPC में शामिल नहीं किया गया।

नोट :

- वर्तमान में राजद्रोह कानून की स्थिति: भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है।

- वर्तमान में राजद्रोह कानून
  - IPC की धारा 124A
    - यह कानून राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें 'किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित (शब्दों द्वारा), संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है।
    - विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की सभी भावनाएँ शामिल होती हैं। हालाँकि इस खंड के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश किये बिना की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है।
  - राजद्रोह के अपराध हेतु दंड
    - राजद्रोह गैर-जमानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
    - इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है।
    - आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना ज़रूरी है।

- राजद्रोह कानून का महत्त्व:
  - उचित प्रतिबंध::
    - भारत का संविधान उचित प्रतिबंध (अनुच्छेद 19(2) के तहत) निर्धारित करता है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति ज़िम्मेदार अभ्यास को सुनिश्चित करता है साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि यह सभी नागरिकों के लिये समान रूप से उपलब्ध है।
  - एकता और अखंडता बनाए रखना:
    - राजद्रोह कानून सरकार को राष्ट्र-विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों का मुकाबला करने में मदद करता है।
  - राज्य की स्थिरता को बनाए रखना:
    - यह चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाने में मदद करता है। कानून द्वारा स्थापित सरकार का निरंतर अस्तित्व राज्य की स्थिरता के लिये एक अनिवार्य शर्त है।

- राजद्रोह कानून से संबंधित मुद्दे:
  - औपनिवेशिक युग का अवशेष:
    - औपनिवेशिक प्रशासकों ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों को रोकने के लिये राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया।
    - लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह आदि जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दिग्गजों को ब्रिटिश शासन के तहत उनके "राजद्रोही" भाषणों, लेखन और गतिविधियों के लिये दोषी ठहराया गया था।
    - इस प्रकार राजद्रोह कानून का इतना व्यापक उपयोग औपनिवेशिक युग की याद दिलाता है।
  - संविधान सभा का रूख:
    - संविधान सभा संविधान में राजद्रोह को शामिल करने के लिये सहमत नहीं थी। सदस्यों का तर्क था कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करेगा।
    - उन्होंने तर्क दिया कि लोगों के विरोध के वैध और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार को दबाने के लिये राजद्रोह कानून को एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की अवहेलना:
    - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1962 में केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में धारा 124A की संवैधानिकता पर अपना निर्णय दिया। इसने देशद्रोह की संवैधानिकता को बरकरार रखा लेकिन इसे अव्यवस्था पैदा करने का इरादा, कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी तथा हिंसा के लिये उकसाने की गतिविधियों तक सीमित कर दिया।
    - इस प्रकार, शिक्षाविदों, वकीलों, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं और छात्रों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।

नोट :

- लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन:
  - भारत को तेजी उभरते एक निर्वाचित निरंकुश राज्य के रूप में वर्णित किया जा रहा है, मुख्य रूप से राजद्रोह कानून के कठोर और गणनात्मक उपयोग के कारण।
- हालिया विकास:
  - फरवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने एक राजनीतिक नेता और छह वरिष्ठ पत्रकारों को उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह के कई मामलो में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है।
  - जून 2021 में, सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दो तेलुगु (भाषा) समाचार चैनलों को जबरदस्ती कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करते हुए राजद्रोह की सीमा को परिभाषित करने पर ज़ोर दिया।
  - जुलाई 2021 में, सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें देशद्रोह कानून पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी।
    - न्यायालय ने कहा, "सरकार के प्रति असंतोष" की असंवैधानिक रूप से अस्पष्ट परिभाषाओं के आधार पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अपराधीकरण करने वाला कोई भी कानून अनुच्छेद 19 (1) (अ) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध है और संवैधानिक रूप से अनुमेय भाषण पर 'द्रुतशीतन प्रभाव' (Chilling Effect) का कारण बनता है।

आगे की राह:

- IPC की धारा 124A की उपयोगिता राष्ट्रविरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों से निपटने में है। हालाँकि, सरकार के निर्णयों से असहमति और आलोचना एक जीवंत लोकतंत्र में मज़बूत सार्वजनिक बहस का आवश्यक तत्त्व हैं। इन्हें देशद्रोह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये।
- उच्च न्यायपालिका को अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों का उपयोग मजिस्ट्रेट और पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु करना चाहिये।
- राजद्रोह की परिभाषा को केवल भारत की क्षेत्रीय अखंडता के साथ-साथ देश की संप्रभुता से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के संदर्भ में संकुचित किया जाना चाहिये।
- देशद्रोह कानून के मनमाने इस्तेमाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नागरिक समाज को पहल करनी चाहिये।
- भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है जो अभिव्यक्ति या विचार उस समय की सरकार की नीति के अनुरूप नहीं हो उसे देशद्रोह नहीं माना जाना चाहिये।
- देशद्रोह' शब्द अत्यंत संवेदनशील है और इसे सावधानी के साथ लागू करने की आवश्यकता है।

बाँध सुरक्षा विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संसद ने देश भर में सभी निर्दिष्ट बाँधों की निगरानी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव के लिये बाँध सुरक्षा विधेयक, 2019 को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:
  - राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समिति: विधेयक राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समिति की स्थापना का प्रावधान करता है। समिति की अध्यक्षता केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।
    - समिति के कार्यों में बाँध सुरक्षा मानदंडों से संबंधित नीतियाँ एवं विनियम बनाना तथा बाँधों को क्षतिग्रस्त होने से रोकना एवं बड़े बाँधों के टूटने के कारणों का विश्लेषण करना एवं बाँध सुरक्षा प्रणालियों में बदलाव का सुझाव देना शामिल होगा।

नोट :

- राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण: विधेयक एक राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण (National Dam Safety Authority -NDSA) की स्थापना का प्रावधान करता है। इस प्राधिकरण का प्रमुख एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे के स्तर का अधिकारी नहीं होगा एवं इसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
  - राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण के मुख्य कार्य में राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समिति द्वारा निर्मित नीतियों को लागू करना शामिल है। राज्य बाँध सुरक्षा संगठनों (SDSOs) के बीच और SDSOs एवं उस राज्य के किसी बाँध मालिक के बीच विवादों को सुलझाना, बाँधों के निरीक्षण और जाँच के लिये विनियम को निर्दिष्ट करना।
  - NDSA बाँधों के निर्माण, डिज़ाइन तथा उनमें परिवर्तन पर काम करने वाली एजेंसियों को मान्यता (Accreditation) देगी।
- राज्य बाँध सुरक्षा संगठन: प्रस्तावित कानून में राज्य सरकारों द्वारा राज्य बाँध सुरक्षा संगठनों (State Dam Safety Organisation- SDSOs) की स्थापना की जाएगी जिसका कार्य बाँधों की निरंतर चौकसी एवं निरीक्षण करना तथा उनके परिचालन एवं रखरखाव पर निगरानी रखना, सभी बाँधों का डेटाबेस रखना और बाँध मालिकों को सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना होगा।
- बाँध मालिकों की दायित्व: विधेयक में निर्दिष्ट बाँध मालिकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे प्रत्येक बाँध के लिये एक सुरक्षा इकाई स्थापित करे। यह इकाई मानसून सत्र से पहले और बाद में एवं प्रत्येक भूकंप, बाढ़, या किसी अन्य आपदा या संकट के संकेत के दौरान और बाद में बाँधों का निरीक्षण करेगी।
  - बाँध मालिकों से एक आपातकालीन कार्ययोजना तैयार करने और प्रत्येक बाँध के लिये निर्दिष्ट अंतराल पर नियमित जोखिम आकलन करने की अपेक्षा की जाएगी।
  - बाँध मालिकों द्वारा नियमित अंतराल पर एक विशेषज्ञ पैनल के जरिये प्रत्येक बाँध का व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन किया जाएगा।
- सज़ा: विधेयक में दो प्रकार के अपराधों का उल्लेख है- किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना और प्रस्तावित कानून के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुपालन से इनकार करना।
  - अपराधियों को एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर अपराध के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है तो कारावास की अवधि दो वर्ष हो सकती है।
  - अपराध संज्ञेय तभी होंगे जब शिकायत सरकार द्वारा या विधेयक के अंतर्गत गठित किसी प्राधिकरण द्वारा की जाए।

- आवश्यकता
  - बाँधों का कालिक क्षय:
    - बाँधों की संख्या के मामलें में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। देश में 5,745 जलाशय हैं जिनमें से 293 जलाशय 100 साल से अधिक पुराने हैं। बाँध सुरक्षा के लिये कई चुनौतियाँ हैं और कुछ मुख्य रूप से बाँधों की लंबी उम्र के कारण हैं।
    - जैसे-जैसे बाँध पुराने होते जाते हैं, उनका डिजाइन, जल विज्ञान और बाकी सब कुछ नवीनतम समझ और प्रथाओं के अनुरूप नहीं रहता है।
    - बाँधों में भारी गाद जमा होती जाती है जिससे इनकी जल धारण क्षमता कम होती जा रही है।
  - बाँध प्रबंधकों पर निर्भरता:
    - बाँधों का विनियमन पूरी तरह से व्यक्तिगत बाँध प्रबंधकों पर निर्भर है। डाउनस्ट्रीम जल की आवश्यकता या पहले से मौजूद प्रवाह के प्रकार के संदर्भ में कोई व्यवस्थितकरण और कोई वास्तविक समझ नहीं है।
  - विभिन्न कारकों पर विचार नहीं किया जाना:
    - बाँध सुरक्षा कई कारकों पर निर्भर है जैसे कि भूदृश्य, भूमि उपयोग परिवर्तन, वर्षा के पैटर्न, संरचनात्मक विशेषताएँ आदि। बाँध की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार द्वारा सभी कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया है।
  - बाँधों की विफलताएँ:
    - उचित बाँध सुरक्षा संस्थागत ढाँचे के अभाव में बाँधों की जाँच, डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव में विभिन्न प्रकार की कमियाँ शामिल हो सकती हैं। इस तरह की कमियों से गंभीर घटनाएँ होती हैं और कभी-कभी बाँध टूट जाता है।

नोट :

- वर्ष 1917 में तिगरा बाँध (मध्य प्रदेश) की विफलता के साथ बाँधों की विफलताओं की शुरुआत हुई और अब तक लगभग 40 बड़े बाँधों के विफल होने की सूचना है। नवंबर 2021 में अन्नामय्या बाँध (आंध्र प्रदेश) की विफलता का सबसे हालिया मामला 20 लोगों की मौत का कारण बना है।
- सामूहिक रूप से इन विफलताओं के चलते हज़ारों मौतें और विशाल आर्थिक नुकसान देखने को मिला है।

- महत्त्व:
  - एकरूपता लाना:
    - सरकार चाहती है कि एक विशेष प्रकार के बड़े बाँधों के लिये सभी बाँध मालिकों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं में एकरूपता हो।
  - सख्त दिशा-निर्देश प्रदान करता है:
    - पानी, राज्य का विषय है और यह विधेयक किसी भी तरह से राज्य के अधिकार को नहीं छीनता है। विधेयक दिशा-निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र प्रदान करता है।
    - इसमें बाँध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये प्री व पोस्ट-मानसून निरीक्षण सहित कई प्रोटोकॉल हैं। हालाँकि अब तक ये प्रोटोकॉल कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं हैं और संबंधित एजेंसियों (केंद्रीय एवं राज्य बाँध सुरक्षा संगठनों सहित) के पास इन्हें लागू करने की कोई शक्ति नहीं है।
  - गुणवत्ता सुनिश्चित करना:
    - अब तक विभिन्न ठेकेदारों, डिज़ाइनरों और योजनाकारों की व्यावसायिक दक्षता का मूल्यांकन कभी नहीं किया गया है और यही कारण है कि आज भारत के बाँधों में डिज़ाइन की समस्या है। विधेयक एक ऐसा तंत्र प्रदान करता है जहाँ निर्माण और रखरखाव में भाग लेने वाले लोगों को ध्यान में रखा जाना चाहिये।
  - सुरक्षा:
    - बाँधों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा हमेशा बना रहता है और इसलिए उनकी सुरक्षा बहुत महत्त्वपूर्ण है। विधेयक में बाँध सुरक्षा मानकों के निर्माण का प्रावधान है।
- चिंता:
  - विसंगत:
    - केंद्रीय जल आयोग सभी बाँध परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिये ज़िम्मेदार होगा। इसे उसी परियोजना (यदि परियोजना विफल हो जाती है) का ऑडिट करने का भी अधिकार है।
    - यह अपने मामले में स्वयं न्यायाधीश के रूप में कार्य करने जैसा है।
  - क्षतिपूर्ति पर निरुत्तर:
    - बाँध परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति के लिये भुगतान पर विधेयक निरुत्तर है।
  - संघीय ढाँचे में हस्तक्षेप:
    - राज्यों ने आरोप लगाया कि यह असंवैधानिक है इसलिये इसकी जाँच की जानी चाहिये क्योंकि और राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है। विधेयक के कुछ प्रावधान संघीय ढाँचे में हस्तक्षेप करते हैं।

विधेयक की संवैधानिक वैधता

- हालाँकि जल को राज्य सूची की प्रविष्टि-17 में रखा गया है, केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची की प्रविष्टि 56 और प्रविष्टि 97 के साथ कानून प्रस्तुत किया है।
  - राज्य सूची, प्रविष्टि 17: जल, अर्थात् जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी एवं तटबंध, जल भंडारण व जल शक्ति सूची I की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन है।
  - सूची I की प्रविष्टि, 56 संसद को अंतर-राज्यीय नदियों व नदी घाटियों के नियमन पर कानून बनाने की अनुमति देती है जो इस तरह के विनियमन को सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित करती है।

नोट :

- अनुच्छेद 246 संसद को संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची की सूची I में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है।
- प्रविष्टि 97 संसद को सूची II या सूची III में सूचीबद्ध किसी भी अन्य मामले पर कानून बनाने की अनुमति देता है, जिसमें कर सहित उन सूचियों में से किसी में भी उल्लेख नहीं किया गया है।

आगे की राह

- चूँकि बाँध की सुरक्षा कई बाहरी कारकों पर निर्भर है, इसलिये पर्यावरणविदों और पर्यावरण के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना चाहिये। बदलती जलवायु के साथ पानी के मुद्दे पर सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से विचार करना आवश्यक है।
- राज्य के सिंचाई विभाग और केंद्रीय जल आयोग को मज़बूत करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि बाँधों का निरीक्षण संबंधित राज्य की सरकार करे।
- बाँधों के मामले में विफलताओं से बचने के लिये एक निवारक तंत्र आवश्यक है क्योंकि यदि बाँध निर्माण के उद्देश्यों में विफलता प्राप्त होती है तो कितनी बड़ी सज़ा क्यों न दी जाए वह जीवन के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती है।

भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (National Judicial Infrastructure Authority of India- NJIAI) के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (NJIAI):
  - राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण के बारे में:
    - प्रस्तावित NJIAI एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) मॉडल की तरह प्रत्येक राज्य का अपना राज्य न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण होगा।
    - NALSA का गठन समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने के लिये किया गया था।
    - देश में अधीनस्थ न्यायालयों के बजट और बुनियादी ढाँचे के विकास का नियंत्रण NJIAI के अंतर्गत होगा।
    - NALSA (नालसा) जो कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा सेवित है के विपरीत प्रस्तावित NJIAI को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रखा जाना जाएगा।
    - यह किसी बड़े नीतिगत बदलाव का सुझाव नहीं देगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अदालतों को मज़बूती प्रदान करने हेतु चल रही परियोजनाओं में सर्वोच्च न्यायालय को साथ आने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करेगा।
  - सदस्य:
    - NJIAI में कुछ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा कुछ केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल होंगे क्योंकि केंद्र को यह भी मालूम होना चाहिये कि धन का उपयोग कहाँ किया जा रहा है।
    - इसी प्रकार राज्य न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त एक मनोनीत न्यायाधीश, चार से पाँच ज़िला न्यायालय के न्यायाधीश तथा राज्य सरकार के अधिकारी सदस्य शामिल होंगे।
- NJIAI की आवश्यकता:
  - निधियों का प्रबंधन करने के लिये:
    - न्यायालयों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के तहत वर्ष 2019-20 में स्वीकृत कुल 981.98 करोड़ रुपए में से केवल 84.9 करोड़ रुपए ही पाँच राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से उपयोग में लाए गए, शेष 91.36% धन अप्रयुक्त रहा।

नोट :

- भारतीय न्यायपालिका के साथ लगभग तीन दशकों (जब 1993-94 में CSS को पेश किया गया था) से यह मुद्दा बना हुआ है।

◆ मुकदमों की बढ़ती संख्या को प्रबंधित करने के लिये:
- भारतीय न्यायपालिका का बुनियादी ढाँचा हर साल दायर होने वाले मुकदमों की बड़ी संख्या के साथ तालमेल नहीं रखता है।
- इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि देश में न्यायिक अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या 24,280 है, लेकिन उपलब्ध न्यायालय कक्षों की संख्या केवल 20,143 है, जिसमें 620 किराए के हॉल शामिल हैं।

◆ बृहत्तर स्वायत्तता के लिये:
- न्यायिक बुनियादी ढाँचे का सुधार और रख-रखाव अभी भी तदर्थ और अनियोजित तरीके से किया जा रहा है।
- इस हेतु "न्यायपालिका की वित्तीय स्वायत्तता" और NJIAI (जो एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में स्वायत्तता के साथ काम करेगी) के निर्माण की आवश्यकता है।

- अवसंरचनात्मक रूप से पीछे रहने के कारण:

◆ वित्त की कमी:
- न्यायिक बुनियादी ढाँचे को विकसित करने के लिये, केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा न्यायपालिका के बुनियादी ढाँचे संबंधी विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना, जिसकी शुरुआत वर्ष 1993 में हुई और जुलाई 2021 में अगले पाँच वर्षों के लिये बढ़ा दिया गया था।
- हालाँकि राज्य अपने हिस्से का धन उपलब्ध नहीं कराते हैं जिसके परिणामस्वरूप, उनके द्वारा योजना के तहत आवंटित धन का व्यय नहीं हो पाता है और यह व्यपगत हो जाता है।

◆ गैर-न्यायिक उद्देश्यों के लिये निधियों का उपयोग:
- कुछ मामलों में, राज्यों द्वारा यह दावा किया गया है कि उन्होंने गैर-न्यायिक उद्देश्यों के लिये फंड का हिस्सा भी स्थानांतरित किया है।
- यहाँ तक कि न्यायपालिका, विशेष रूप से निचली अदालतों में, कोई भी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।

भारत में न्यायपालिका से संबद्ध मुद्दे

- देश में न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात बहुत प्रशंसनीय नहीं है।
  ◆ जबकि अन्य देशों में, यह अनुपात लगभग 50-70 न्यायाधीश प्रति मिलियन व्यक्ति है, भारत में यह अनुपात 20 न्यायाधीश प्रति मिलियन व्यक्ति है।
- महामारी के बाद से ही न्यायालयी कार्यवाही भी वस्तुत: होने लगी है, पहले न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी की भूमिका ज़्यादा बड़ी नहीं थी।
- न्यायपालिका में पदों को आवश्यकतानुसार शीघ्रता से नहीं भरा जाता है।
  ◆ उच्च न्यायपालिका के लिये कॉलेजियम द्वारा की जाने वाली सिफारिशों मं। देरी के कारण न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी होती है।
  ◆ निचली अदालतों के लिये राज्य आयोग/उच्च न्यायालयों द्वारा भर्ती में होने वाली देरी भी खराब न्यायिक व्यवस्था का एक कारण है।
- अदालतों द्वारा अधिवक्ताओं को बार-बार स्थगन दिया जाता है जिससे न्याय में अनावश्यक देरी होती है।

आगे की राह

- भारत में न्यायालयों द्वारा बार-बार व्यक्तियों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता को बरकरार रखा गया है और ये व्यक्तियों या समाज के साथ उस स्थिति में भी खड़ी रही हैं जब कार्यपालिका द्वारा लिये गए फैसलों का दुष्प्रभाव उन पर पड़ा हो।
- यदि हम न्यायिक प्रणाली से भिन्न परिणाम चाहते हैं, तो हम इन परिस्थितियों में काम करना जारी नहीं रख सकते।
- आज़ादी के इस 75 वें वर्ष में अपनी जनता और अपने देश कोअत्याधुनिक न्यायिक अवसंरचना के सृजन और उसे आगे बढ़ाने हेतु तंत्र/प्रक्रियाओं को संस्थागत बनाना सबसे अच्छा उपहार हो सकता है।
- CSS योजना पूरे देश में ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिये सुसज्जित कोर्ट हॉल और आवास की उपलब्धता में वृद्धि करेगी।
- डिजिटल कंप्यूटर रूम की स्थापना से डिजिटल क्षमताओं में भी सुधार होगा और भारत के डिजिटल इंडिया विज़न के एक हिस्से के रूप में डिजिटलीकरण की पहल को बढ़ावा मिलेगा।

नोट :

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस (14 दिसंबर) के अवसर पर विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों को 31 वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (NECA) से सम्मानित किया।

- एक नए पुरस्कार - राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार (NEEIA) को भी संस्थागत रूप दिया गया है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो(BEE), विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- यह भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊर्जा आधिक्य को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ विकासशील नीतियों और रणनीतियों विकसित करने में सहायता करता है।
- BEE अपने कार्यों को करने में मौजूदा संसाधनों एवं बुनियादी ढाँचे की पहचान तथा उपयोग करने के लिये नामित उपभोक्ताओं, एजेंसियों व अन्य संगठनों के साथ समन्वय करता है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 1991 में एक योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य ऐसे उद्योगों और प्रतिष्ठानों को पुरस्कृत कर राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करना था, जिन्होंने अपने उत्पादन को बनाए रखते हुए ऊर्जा की खपत को कम करने के लिये विशेष प्रयास किये हैं।
    - राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार पहली बार 14 दिसंबर, 1991 को दिया गया था, तभी से 14 दिसंबर को 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस' के रूप में घोषित किया गया है।
  - यह पुरस्कार उद्योगों, प्रतिष्ठानों और संस्थानों में कुल 56 उप-क्षेत्रों के तहत ऊर्जा दक्षता उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करता है।
- भारत में ऊर्जा दक्षता:
  - ऊर्जा दक्षता का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिये कम ऊर्जा का उपयोग करना अर्थात् ऊर्जा की बर्बादी को समाप्त करना। ऊर्जा दक्षता कई तरह के लाभ प्रदान करती है जैसे- ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करना, ऊर्जा आयात की मांग को कम करना और घरेलू तथा अर्थव्यवस्था-व्यापी स्तर पर लागत को कम करना।
  - भारत का ऊर्जा क्षेत्र सरकार की हाल की विकासात्मक महत्त्वाकांक्षाओं के साथ परिवर्तन के लिये तैयार है, उदाहरण के लिये:
    - वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 175 गीगावाट, सभी के लिये 24X7 बिजली, वर्ष 2022 तक सभी के लिये आवास, 100 स्मार्ट सिटी मिशन, ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देना, रेलवे क्षेत्र का विद्युतीकरण, घरों का 100% विद्युतीकरण, कृषि पंप सेटों का सौरीकरण (Solarisation) और स्वच्छ भोजन पकाने की स्थितियों को बढ़ावा देना।
  - भारत महत्त्वाकांक्षी ऊर्जा दक्षता नीतियों के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2040 तक बिजली उत्पादन हेतु 300 गीगावाट के नए निर्माण से बच सकता है।
  - ऊर्जा दक्षता उपायों के सफल कार्यान्वयन ने वर्ष 2017-18 के दौरान देश की कुल बिजली खपत में 7.14% की बिजली बचत और 108.28 मिलियन टन CO_2 के उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान दिया।
- ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण से संबंधित पहलें:
  - भारतीय पहलें:
    - ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001:
    - यह अधिनियम ऊर्जा संरक्षण हेतु कई कार्यों के लिये नियामकीय अधिदेश प्रदान करता है जैसे: उपकरणों के मानक निर्धारण और उनकी लेबलिंग; वाणिज्यिक भवनों के लिये ऊर्जा संरक्षण भवन कोड; ऊर्जा गहन उद्योगों के लिये ऊर्जा की खपत के मानदंड।

नोट :

- प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना:
- प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (Perform, Acheive and Trade-PAT) के तहत ऊर्जा बचत के प्रमाणीकरण के माध्यम से ऊर्जा गहन उद्योगों की ऊर्जा दक्षता सुधार में लागत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये एक संबद्ध बाज़ार आधारित तंत्र के साथ व्यापार किया जा सकता है।
- मानक और लेबलिंग:
- यह योजना वर्ष 2006 में लॉन्च की गई थी और वर्तमान में रूम एयर कंडीशनर (फिक्स्ड/वेरिएबल स्पीड), सीलिंग फैन, रंगीन टेलीविज़न, कंप्यूटर, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर आदि उपकरणों पर लागू होती है।
- ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ECBC):
- इसे वर्ष 2007 में नए वाणिज्यिक भवनों के लिये विकसित किया गया था।
- यह 100kW (किलोवाट) के कनेक्टेड लोड या 120 KVA (किलोवोल्ट-एम्पीयर) और उससे अधिक की अनुबंध मांग वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिये न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करता है।
- मांग पक्ष प्रबंधन (DSM):
- DSM आशय इलेक्ट्रिक मीटर की मांग या ग्राहक-पक्ष को प्रभावित करने वाले उपायों के चयन, नियोजन और उनके कार्यान्वयन से है।

◆ वैश्विक पहलें:

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA):
- IEA एक सुरक्षित और स्थायी भविष्य के लिये ऊर्जा नीतियों को आकार एवं दिशा प्रदान करने हेतु विश्व भर के देशों के साथ काम करती है।
- सस्टेनेबल एनर्जी फॉर आल (SEforALL):
- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जलवायु पर पेरिस समझौते के अनुरूप सतत विकास लक्ष्य-7 की उपलब्धि की दिशा में तेज़ी से कार्रवाई करने के लिये संयुक्त राष्ट्र और सरकार के नेताओं , निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों और नागरिक समाज के साथ साझेदारी में काम करता है।
- पेरिस समझौता (Paris Agreement):
- यह जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका लक्ष्य पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम, अधिमानत: 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है।
- मिशन इनोवेशन (Mission Innovation-MI):
- यह स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेज़ी लाने के लिये 24 देशों और यूरोपीय आयोग (यूरोपीय संघ की ओर से) की एक वैश्विक पहल है।

● ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिये सुझाव:

◆ ऊर्जा उपयोग व्यवहार में परिवर्तन:

- जीवन को आसान बनाने वाले उपकरणों के साथ आरामदायक वातानुकूलित स्थानों में रहने और काम करने की नागरिकों की उच्च महत्त्वाकांक्षाओं से ऊर्जा खपत में कई गुना वृद्धि होगी।
- भविष्य में ऊर्जा की मांग को रोकने के लिये ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के माध्यम से ऊर्जा उपयोग व्यवहार के तरीकों को बदलने हेतु एक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

◆ शून्य ऊर्जा भवन कार्यक्रम पर अधिक ध्यानाकर्षण:

- भारत के लिये निर्माण क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में लगभग शून्य ऊर्जा भवन (NZEB) कार्यक्रम के विस्तार पर ज़ोर देना महत्त्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक भवनों के लिये प्रति इकाई क्षेत्र में कम ऊर्जा उपयोग प्राप्त करने हेतु एक ढाँचा विकसित करना है।

नोट :

- विद्युत अधिनियम में संशोधन:
  - इसके अलावा भारत के विद्युत् क्षेत्र में विद्युत् अधिनियम के संशोधन के माध्यम से कई नीतिगत स्तर के बदलाव के साथ सुधार की उम्मीद है।
- स्मार्ट मीटर की स्थापना:
  - कम बिलिंग क्षमता के कारण राजस्व हानि, भारी संचरण और वितरण हानि, विद्युत् खपत की निगरानी आदि जैसे मुद्दों के समाधान के रूप में प्रमुख पहलों में से एक स्मार्ट मीटर की स्थापना है।
  - तेज़ गति से स्मार्ट मीटरों की स्थापना से भारत को बड़े पैमाने पर ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेपों को सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सकती है।
- ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेप:
  - ऊर्जा दक्ष जीवनशैली अपनाने से भारत की ऊर्जा प्रणाली में बेहतरी के लिये परिवर्तन की दिशा में सकारात्मक प्रोत्साहन मिलेगा। कम कार्बन संक्रमण प्राप्त करने हेतु ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेप सबसे अधिक लागत प्रभावी साधनों में से एक है।

डिफॉल्ट बेल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency-NIA) ने बॉम्बे सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई है जिसमे वकील-कार्यकर्त्ता सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट/वैधानिक जमानत (Statutory Bail) दी गई थी।

- जमानत कानूनी हिरासत में रखे गए व्यक्ति की सशर्त/अनंतिम रिहाई है (ऐसे मामलों में जिन पर अभी न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाना बाकि हो) जिसमें उस व्यक्ति द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अदालत में पेश होने का वादा किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- डिफॉल्ट बेल के बारे में:
  - कानूनी स्रोत: यह ज़मानत का अधिकार है जो तब प्राप्त होता है जब पुलिस न्यायिक हिरासत में लिये किसी व्यक्ति के संबंध में एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर जाँच पूरी करने में विफल रहती है।
    - इसे वैधानिक जमानत के रूप में भी जाना जाता है।
    - यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) में निहित है।
  - सर्वोच्च न्यायालय का फैसला: वर्ष 2020 में बिक्रमजीत सिंह मामले , में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा गया कि आरोपी को 'डिफ़ॉल्ट जमानत' का एक अपरिहार्य अधिकार प्राप्त है, यदि उसके द्वारा किसी अपराध की जांच के लिये अधिकतम अवधि समाप्त होने के बाद और चार्जशीट दायर करने से पहले आवेदन किया करता है।
    - CrPC की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार, न केवल एक वैधानिक अधिकार, बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा भी है।
  - अंतर्निहित सिद्धांत: सामान्य तौर पर, जाँच एजेंसी की चूक पर जमानत के अधिकार को 'अपरिहार्य अधिकार' माना जाता है, लेकिन उचित समय पर इसका लाभ उठाया जाना चाहिये।
    - डिफॉल्ट बेल एक अधिकार है जिसमें अपराध की प्रकृति को बेल का आधार न माना जाता है।
    - इसकी निर्धारित अवधि जिसके भीतर आरोप पत्र दायर किया जाना है, उस दिन से शुरू होती है तथा जब आरोपी को पहली बार रिमांड पर लिया जाता है तब तक होती है।
    - CrPC की धारा 173 के तहत, पुलिस अधिकारी किसी अपराध की आवश्यक जाँच पूरी होने के बाद रिपोर्ट दर्ज़ करने के लिये बाध्य है। इस रिपोर्ट को आम बोलचाल की भाषा में चार्जशीट (Charge Sheet) कहा जाता है।
  - समय अवधि: डिफ़ॉल्ट बेल/जमानत का मुद्दा वहाँ उठता है जहाँ पुलिस के लिये 24 घंटे में जाँच पूरी करना संभव नहीं है, पुलिस संदिग्ध को अदालत में पेश करती है और पुलिस न्यायिक हिरासत के लिये आदेश माँगती है।

नोट :

- अधिकांश अपराधों के लिये, पुलिस के पास जाँच पूरी करने और न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने हेतु 60 दिनों का समय होता है।
- हालाँकि जहाँ अपराध में मौत की सजा या आजीवन कारावास, या कम से कम 10 साल की जेल की सजा होती है, वहाँ यह अवधि 90 दिन है।
- दूसरे शब्दों में एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति की न्यायिक रिमांड के लिये 60-या 90-दिन की सीमा से अधिक अधिकृत नहीं कर सकता है।
- इस अवधि के अंत में, यदि जाँच पूरी नहीं होती है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को रिहा कर देगी "यदि वह जमानत देने के लिय तैयार है और स्वयं को प्रस्तुत करता है"।

◆ विशेष मामले: 60 या 90 दिन की सीमा केवल सामान्य दंड कानून के लिये है। विशेष अधिनियम (Special Enactments) पुलिस को जाँच पूरी करने में अधिक छूट देते हैं।

- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में, यह अवधि 180 दिन है, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1967 में, डिफ़ॉल्ट सीमा केवल 90 दिन है, जिसे और 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
- इसका विस्तार केवल लोक अभियोजक (Public Prosecutor) द्वारा एक रिपोर्ट के आधार पर किया सकता है जिसमें जांच में की गई प्रगति का संकेत दिया गया हो और आरोपी को निरंतर हिरासत में रखने के कारण बताए गए हों।
- इन प्रावधानों से पता चलता है कि डिफॉल्ट बेल की अवधि का विस्तार नहीं किया जा सकता है बल्कि इसके लिये न्यायिक आदेश की आवश्यकता होती है।

भारत में अन्य प्रकार की ज़मानत:

- अग्रिम जमानत: यह न्यायालय (देश के भीतर किसी भी न्यायालय) द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को रिहा करने का निर्देश है जो पहले से ही गिरफ्तार किया गया है और पुलिस हिरासत में रखा गया है। ऐसी जमानत के लिये व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत आवेदन कर सकता है।
- अंतरिम जमानत: न्यायालय द्वारा एक अस्थायी और छोटी अवधि के लिये ज़मानत दी जाती है जब तक कि अग्रिम ज़मानत या नियमित ज़मानत की मांग करने वाला आवेदन न्यायालय के समक्ष लंबित न हो।
- अग्रिम जमानत: किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किये जाने से पहले ही जमानत पर रिहा करने का निर्देश जारी किया जाता है। ऐसे में गिरफ्तारी की आशंका बनी रहती है और जमानत मिलने से पहले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है।
  - ◆ ऐसी जमानत के लिये कोई व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 438 के तहत आवेदन दाखिल कर सकता है। यह केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है।

गिरफ्तारी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत (निरोध) में लिये गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। निरोध दो प्रकार का होता है- दंडात्मक और निवारक।
  - ◆ दंडात्मक निरोध का आशय किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किये गए अपराध के लिये अदालत में मुकदमे और दोषसिद्धि के बाद दंडित करने से है।
  - ◆ वहीं दूसरी ओर, निवारक निरोध का अर्थ किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और अदालत द्वारा दोषसिद्धि के हिरासत में लेने से है।
- अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं- पहला भाग साधारण कानून के मामलों से संबंधित है और दूसरा भाग निवारक निरोध कानून के मामलों से संबंधित है।

नोट :

दंडात्मक निरोध के तहत दिये गए अधिकार	निवारक निरोध के तहत दिये गए अधिकार
• गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का अधिकार।	• किसी व्यक्ति की नज़रबंदी तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड विस्तारित नज़रबंदी हेतु पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं करता है।
• बोर्ड में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं।	
• एक विधि पेशेवर से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार।	• नज़रबंदी के आधारों के बारे में नज़रबंद व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिये।
• तथापि जनहित के विरुद्ध माने जाने वाले तथ्यों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।	
• यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार।	• बंदी को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिये।
• 24 घंटे के बाद रिहा होने का अधिकार जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत के लिये अधिकृत नहीं करता।	
• ये सुरक्षा उपाय किसी विदेशी शत्रु के लिये उपलब्ध नहीं हैं।	• यह सुरक्षा नागरिकों के साथ-साथ बाह्य व्यक्ति दोनों के लिये उपलब्ध है।

एनडीपीएस (संशोधन) विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस' (NDPS) संशोधन विधेयक, 2021 लोकसभा में पेश किया गया।

- यह विधेयक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम,1985 (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) में संशोधन करेगा।

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985

- यह अधिनियम मादक औषधि और मनोदैहिक पदार्थों से संबंधित निर्माण, परिवहन और खपत जैसे कार्यों को नियंत्रित करता है।
- अधिनियम के तहत, कुछ अवैध गतिविधियों का वित्तपोषण जैसे कि भांग की खेती, मादक औषधि का निर्माण या उनसे जुड़े व्यक्तियों को शरण देना एक प्रकार का अपराध है।
- इस अपराध के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को 10 से 20 वर्ष का कठोर और कम-से-कम 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
- यह नशीले पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित या उपयोग की गई संपत्ति को ज़ब्त करने का भी प्रावधान करता है।
- यह कुछ मामलों में मृत्युदंड का भी प्रावधान करता है जब एक व्यक्ति बार-बार अपराधी पाया जाता है।
- इस अधिनियम के तहत वर्ष 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी गठन किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- विधेयक के बारे में:
  - वर्ष 2014 के संशोधन अधिनियम में प्रारूपण त्रुटि को ठीक करने के लिये यह विधेयक इस वर्ष (2021) की शुरुआत में प्रख्यापित एक अध्यादेश का स्थान लेगा।
    - वर्ष 2014 के संशोधन से पहले, अधिनियम की धारा 2 के खंड (viii-a) में उप-खंड (i) से (v) शामिल थे, जिसमें 'अवैध यातायात' शब्द को परिभाषित किया गया था।

नोट :

- वर्ष 2014 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था और ऐसी अवैध गतिविधियों की परिभाषा के खंड संख्या को प्रतिस्थापित कर दिया गया था।
  - हालाँकि इन अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण के लिये दंड हेतु धारा (27A) में संशोधन नहीं किया गया था और परिभाषा के प्रारंभिक खंड संख्या को संदर्भित करना जारी रखा था।
- अध्यादेश द्वारा नए खंड संख्या के संदर्भ को प्रतिस्थापित करने के लिये दंड की धारा में संशोधन किया गया।
  - हाल के एक फैसले में त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने माना है कि 'जब तक एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 A में उचित रूप से संशोधन करके उचित विधायी परिवर्तन नहीं होता है, तब तक एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2 के खंड (viii-a) के उप-खंड (i) से (v) को निष्क्रिय कर दिया गया है।

NDPS अधिनियम की धारा 27A:

- धारा 27A के तहत शामिल प्रावधान के मुताबिक, धारा 2 के खंड (viiia) के उप-खंड (i) से (v) में निर्दिष्ट किसी भी गतिविधि में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कोई भी व्यक्ति अथवा उपरोक्त किसी भी गतिविधि में संलग्न किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत दंड का पात्र होगा।
- ऐसे व्यक्ति को कठोर कारावास की सज़ा दी जाएगी, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी और जिसे बीस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही उस व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो कि एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु यह दो लाख रुपए से अधिक भी नहीं होगा।
  - हालाँकि निर्णय में दिये गए कारणों के आधार पर दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

धारा 27A के निष्क्रिय होने का कारण

- इसके मुताबिक, धारा 2 (viii-a) के उप-खंड (i) से (v) के तहत उल्लिखित अपराध धारा 27A के माध्यम से दंडनीय होंगे।
- हालाँकि धारा 2 (viii-a) के उप-खंड (i) से (v), जिसे अपराधों की सूची माना जाता है, वर्ष 2014 के संशोधन के बाद मौजूद नहीं है।
- अत: यदि धारा 27A किसी रिक्त सूची या गैर-मौजूद प्रावधान को दंडनीय बनाती है, तो यह कहा जा सकता है कि यह वस्तुत: निष्क्रिय है।
- विधेयक के उद्देश्य:
  - नशे के शिकार लोगों को नशे की लत से बाहर निकालने में मदद करना।
  - मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के निर्माण, परिवहन और खपत आदि को विनियमित करते हुए व्यक्तिगत उपयोग के लिये सीमित मात्रा में दवाओं के प्रयोग को अपराध की श्रेणी से हटाना।
- विधेयक से संबंधित चिंताएँ:
  - नया प्रावधान 01 मई, 2014 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा।
  - यह विधेयक अनुच्छेद-20 के तहत शामिल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसके तहत किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिये दंडित किया जा सकता है जिसके लिये अपराध किये जाने के समय कोई कानून मौजूद नहीं था।
    - अनुच्छेद-20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार दिये गए व्यक्ति, चाहे वह देश का नागरिक हो या या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो; को अपराध के लिये तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि ऐसे किसी कृत्य के समय, (जो व्यक्ति अपराध के रूप में आरोपित है) किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो।

नशीली दवाओं की लत से निपटने की संबंधी पहल

- नार्को-समन्वय केंद्र: नार्को-समन्वय केंद्र (NCORD) का गठन नवंबर 2016 में किया गया था और 'नारकोटिक्स नियंत्रण के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता' योजना को पुनर्जीवित किया गया था।
- ज़ब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली: 'नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो' को एक नया सॉफ्टवेयर यानी 'ज़ब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली' (SIMS) विकसित करने के लिये धन उपलब्ध कराया गया है जो नशीली दवाओं के अपराध और अपराधियों का एक पूरा ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करेगा।

नोट :

- नेशनल ड्रग एब्यूज़ सर्वे: सरकार 'एम्स' के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर की मदद से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के रुझानों को मापने हेतु राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग संबंधी सर्वेक्षण भी कर रही है।
  - प्रोजेक्ट सनराइज़: इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2016 में भारत में उत्तर-पूर्वी राज्यों में बढ़ते एचआईवी प्रसार से निपटने के लिये शुरू किया गया था, खासकर ड्रग्स का इंजेक्शन लगाने वाले लोगों के बीच।
- NDPS अधिनियम: यह व्यक्ति को किसी भी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ के उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन, भंडारण और/या उपभोग करने से रोकता है।
  - NDPS अधिनियम में अब तक तीन बार 1988, 2001 और 2014 में संशोधन किया गया है।
  - यह अधिनियम पूरे भारत के साथ-साथ भारत के बाहर के सभी भारतीय नागरिकों और भारत में पंजीकृत जहाज़ो एवं विमानों पर कार्यरत सभी व्यक्तियों पर भी लागू होता है।
- नशा मुक्त भारत: सरकार ने 'नशा मुक्त भारत' या ड्रग मुक्त भारत अभियान शुरू करने की भी घोषणा की है जो सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर केंद्रित है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन

चर्चा में क्यो ?

लोकसभा में प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन' (SPMRM) ने पिछले चार वर्षों में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है।

प्रमुख बिंदु

- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन
  - यह ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी अवसंरचना को वितरित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है, जिसमें आर्थिक गतिविधियों का विकास और कौशल विकास भी शामिल है।
    - 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन' के कार्यान्वयन से पूर्व 'प्रोविज़न ऑफ अर्बन अमेनिटीज़ टू रूरल एरियाज़' (PURA) को लागू किया गया था, जिसकी घोषणा वर्ष 2003 में की गई थी।
  - इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष तौर पर आर्थिक, तकनीकी और सुविधाओं एवं सेवाओं के क्षेत्र में ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम करना है।
- पृष्ठभूमि
  - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 6 लाख से अधिक गाँव हैं जबकि लगभग 7,000 कस्बे और शहरी केंद्र मौजूद हैं। कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या 69% और शहरी जनसंख्या 31% है।
    - लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कुल श्रम शक्ति का लगभग 50% अभी भी कृषि पर निर्भर है, जो पर्याप्त उत्पादक नहीं है।
    - देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि का योगदान केवल 14% है जबकि उद्योगों और सेवा क्षेत्र के लिये यह योगदान क्रमश: 26% और 60% है।
  - देश में ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े हिस्से केवल अकेली बस्तियाँ नहीं हैं, बल्कि बस्तियों के समूह का एक हिस्सा हैं, जो अपेक्षाकृत एक दूसरे के निकट मौजूद हैं। ये क्लस्टर आमतौर पर विकास की संभावनाओं का प्रतिनिधित्त्व करते हैं और आर्थिक चालक होते हैं तथा स्थानीय प्रतिस्पर्द्धा का लाभ प्रदान कर सकते हैं।
  - एक बार विकसित हो जाने के बाद इन समूहों को 'रुर्बन' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन' की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करना है।

नोट :

- रुर्बन क्लस्टर (गैर-आदिवासी और जनजातीय):
  - इनकी पहचान देश के ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में की जाती है, जहाँ जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, गैर-कृषि रोज़गार के उच्च स्तर, बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और अन्य सामाजिक आर्थिक मानकों की उपस्थिति आदि शहरीकरण के स्थितियाँ पाई जाती हैं।
  - 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन' के प्रयोजनों हेतु 'रुर्बन क्षेत्र' लगभग 30 से 40 लाख की आबादी वाले 15-20 गाँवों के समूह को संदर्भित करता है।
  - ये क्लस्टर प्राय: भौगोलिक दृष्टि से सटे हुए ग्राम पंचायतें होती हैं, जिनकी आबादी मैदानी एवं तटीय क्षेत्रों में लगभग 25000 से 50000 और रेगिस्तानी, पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों में 5000 से 15000 होती है।
- राज्यों की भूमिका
  - राज्य सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की गई रूपरेखा के अनुसार क्लस्टरों की पहचान करती है।
  - क्लस्टरों के चयन के लिये, MoRD द्वारा क्लस्टर चयन की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है जिसमें ज़िला, उप-ज़िला और ग्राम स्तर पर जनसांख्यिकी, अर्थव्यवस्था, पर्यटन तथा तीर्थस्थल का महत्त्व एवं परिवहन गलियारे के प्रभाव का एक उद्देश्य विश्लेषण शामिल है।
- प्रगति:
  - 300 रूर्बन क्लस्टर्स में से 291 इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान (ICAP) और 282 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 27,788.44 रुपए (क्रिटिकल गैप फंड + कन्वर्जेंस फंड) के प्रस्तावित निवेश के साथ विकसित किये गए हैं।
  - कुल 76,973 अनुमानित कार्यों में से कुल 40,751 (55%) कार्य या तो पूरे हो चुके हैं या पूरा होने के करीब हैं।
- महत्त्व:
  - SPMRM ग्रोथ क्लस्टर बुनियादी ढाँचा, सुविधाएँ प्रदान करना और औद्योगीकरण को बढ़ावा देना सुनिश्चित करके शहरी प्रवास को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
  - यह भारत के ग्रामीण विकास क्षेत्र में संक्रमणकालीन/ट्रांज़िशनल विकास के मुकाबले परिवर्तनकारी विकास सुनिश्चित करने के लिये बहुत प्रासंगिक है।

'प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमेनिटीज़ इन रूलर एरिया' (PURA)

- परिचय:
  - PURA को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम द्वारा जनवरी 2003 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिये प्रस्तुत किया गया।
    - PURA 2.0 को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में वर्ष 2012 में संभावित विकास केंद्रों जैसे-शहरी जनगणना के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू किया गया था।
  - ग्रामीण एवं शहरी विभाजन को कम करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों एवं शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था।
- मिशन:
  - ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिये आजीविका के अवसर एवं शहरी सुविधाएँ प्रदान करने के लिये सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership- PPP) के माध्यम से एक ग्राम पंचायत (या ग्राम पंचायतों के एक समूह) में एक संभावित विकास केंद्र के आसपास सुगठित क्षेत्रों का समग्र और त्वरित विकास करना।
  - PURA के तहत दी जाने वाली सुविधाओं तथा आर्थिक गतिविधियों में जल एवं सीवरेज, गाँव की सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्किल डेवलपमेंट, गाँव की स्ट्रीट लाइटिंग, टेलीकॉम, बिजली उत्पादन, गाँव से जुड़े पर्यटन आदि को शामिल किया जाता है।

नोट :

वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक (Global Health Security Index) 2021 जारी किया गया है।

- भारत में नीति आयोग स्वयं का स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है।

प्रमुख बिंदु

- वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021
  - परिचय:
    - इसमें 195 देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा और संबंधित क्षमताओं का आकलन और बेंचमार्किंग की गई है।
    - इसे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव (NTI) और जॉन्स हॉपकिन्स सेंटर की साझेदारी में विकसित किया गया है।
    - NTI एक गैर-लाभकारी वैश्विक सुरक्षा संगठन है जो मानवता को खतरे में डालने वाले परमाणु एवं जैविक खतरों को कम करने पर केंद्रित है।
    - जॉन्स हॉपकिन्स सेंटर सार्वजनिक स्वास्थ्य में संचार की महत्त्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिये बनाया गया था।
- रैंकिंग के तरीके:
  - वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक छह श्रेणियों में देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा और क्षमताओं का आकलन करता है।
  - छह श्रेणियाँ इस प्रकार हैं:
    - रोकथाम: रोगजनकों के उद्भव की रोकथाम।
    - पता लगाना और रिपोर्टिंग: संभावित अंतर्राष्ट्रीय चिंता की महामारी के लिये प्रारंभिक पहचान और रिपोर्टिंग।
    - तीव्र प्रतिक्रिया: एक महामारी के प्रसार की तीव्र प्रतिक्रिया और शमन।
    - स्वास्थ्य प्रणाली: बीमारों के इलाज और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त और मज़बूत स्वास्थ्य प्रणाली।
    - अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन: राष्ट्रीय क्षमता में सुधार के लिये प्रतिबद्धता, कमियों को दूर करने हेतु वित्तीय योजनाओं और वैश्विक मानदंडों का पालन करना।
    - पर्यावरण जोखिम: समग्र पर्यावरण जोखिम और जैविक खतरों के प्रति देश की संवेदनशीलता।
  - सूचकांक 0-100 अंकों के आधार पर देशों की क्षमताओं का आकलन करता है, जिसमें 100 अंक उच्चतम स्तर की तैयारी का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा (GHS) सूचकांक की स्कोरिंग प्रणाली में तीन स्तर शामिल हैं:
    - निम्न स्कोर: 0 और 33.3 के बीच अंक प्राप्त करने वाले देश निचले स्तर पर हैं।
    - मध्यम स्कोर: 33.4 और 66.6 के बीच अंक प्राप्त करने वाले देश मध्यम स्तर पर हैं।
    - उच्च स्कोर: 66.7 और 100 के बीच स्कोर करने वाले देश उच्च या "शीर्ष" स्तर पर हैं।
- रैंकिंग:
  - भारत:
    - भारत का स्कोर 42.8 (100 में से) है और वर्ष 2019 की तुलना में इसमें 0.8 अंकों की गिरावट हुई है।
  - विश्व:
    - भारत के तीन पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ने अपने स्कोर में 1-1.2 अंकों तक का सुधार किया है।
    - GHS सूचकांक स्कोर के मामले में विश्व का समग्र प्रदर्शन वर्ष 2021 में घटकर 38.9 अंक (100 में से) हो गया है, जबकि GHS सूचकांक, 2019 में यह स्कोर 40.2 था।
    - वर्ष 2021 में किसी भी देश ने रैंकिंग के शीर्ष स्तर में अंक प्राप्त नहीं किया है और किसी भी देश ने 75.9 अंक से अधिक अंक प्राप्त नहीं किया।

नोट :

- देशों का समग्र प्रदर्शन:
  - भविष्य की महामारी
    - समग्र आय स्तर वाले देश भविष्य की एपिडेमिक और पेंडेमिक के खतरों से निपटने के लिये व्यापक रूप से तैयार नहीं हैं।
    - जिसके परिणामस्वरूप संक्रामक रोगों के कारण अगले दशक में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है।
  - अपर्याप्त स्वास्थ्य क्षमताएँ:
    - सभी देशों में स्वास्थ्य क्षमताएँ अपर्याप्त थीं।
    - एपिडेमिक और पेंडेमिक की तैयारी के लिये 195 देशों की क्षमता को मापने वाले सूचकांक के अनुसार, इस अपर्याप्तता ने विश्व को भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रति गंभीर रूप से सुभेद्य बना दिया।
  - राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल:
    - मूल्यांकन किये गए देशों में से 65% ने महामारी या महामारी वाले रोगों के लिये एक व्यापक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना को प्रकाशित और कार्यान्वित नहीं किया।
  - चिकित्सा प्रत्युपाय/प्रतिवाद:
    - 73% देशों के पास सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान, टीके और एंटीवायरल दवाओं जैसे चिकित्सा प्रतिवादों हेतु शीघ्र अनुमोदन प्रदान नहीं हुआ।
    - इस प्रकार, विश्व भविष्य में स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रति गंभीर रूप से सुभेद्य है।
  - वित्तीय निवेश की कमी:
    - उच्च आय वाले देशों सहित अधिकांश देशों ने महामारी या महामारी की तैयारियों को मज़बूत करने के लिये समर्पित वित्तीय निवेश नहीं किया है।
    - मूल्यांकन में शामिल 195 देशों में से लगभग 79% ने महामारी के खतरों से निपटने के लिये अपनी क्षमता में सुधार करने हेतु पिछले तीन वर्षों के भीतर राष्ट्रीय धन आवंटित नहीं किया था।
  - सरकारों में जनता का विश्वास:
    - 82% देशों में सरकार के प्रति जनता का विश्वास निम्न से मध्यम स्तर पर है।
    - स्वास्थ्य आपात स्थिति प्रभावी शासन के साथ एक मज़बूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे की मांग करती है। लेकिन सरकार पर भरोसा, जो कि कोविड-19 के प्रति देशों की प्रतिक्रियाओं की सफलता से जुड़ा एक प्रमुख कारक रहा है, कम हुआ है तथा इसमें निरंतरता बनी हुई है।
- सिफारिशें:
  - स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का आवंटन:
    - देशों को राष्ट्रीय बजट में स्वास्थ्य सुरक्षा निधि आवंटित करनी चाहिये तथा अपने जोखिमों की पहचान कर अंतराल को भरने के लिये एक राष्ट्रीय योजना विकसित करने हेतु GHS 2021 सूचकांक की सहायता से आकलन करना चाहिये।
  - अतिरिक्त सहायता:
    - GHS सूचकांक का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता वाले देशों की पहचान करने हेतु किया जाना चाहिये।
  - निजी क्षेत्र की भागीदारी:
    - निजी क्षेत्र को सरकारों के साथ साझेदारी करने के अवसर तलाशने हेतु भी 'वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक' का उपयोग करना चाहिये।
  - नई वित्त व्यवस्था:
    - सामाजिक कार्यों हेतु वित्तपोषण प्रदान करने वाले समूहों को नए वित्तपोषण तंत्र विकसित करने चाहिये और संसाधनों को प्राथमिकता देने के लिये इस सूचकांक का उपयोग करना चाहिये।

नोट :

भारत की स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति

- पर्याप्त सुविधाओं का अभाव:
  - वर्ष 2009 से राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में देखे जा रहे 'इन्फ्लूएंज़ा-ए (H1N1) प्रकोप ने रोग की पहचान, लक्षणों के बारे में जागरूकता और क्वारंटाइन की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
  - कोविड-19 महामारी ने स्वयं भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव को हिला दिया है।
- कम व्यय:
  - भारत में सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर किये जाने वाला व्यय 'सकल घरेलू उत्पाद' के 1.35% से भी कम है, जो एक मध्यम आय वाले देश के लिये काफी कम है।
- स्वास्थ्य पेशेवरों की उपलब्धता:
  - मौजूदा आँकड़ों की मानें तो देश की वर्तमान जनसंख्या (135 करोड़) के अनुरूप प्रत्येक 1,445 भारतीयों पर एक डॉक्टर मौजूद है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा प्रस्तावित 1,000 लोगों के लिये एक डॉक्टर के निर्धारित मानदंड से कम है।
- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:
  - जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से भारत की स्वास्थ्य स्थिति खराब होती जा रही है।
  - जलवायु संवेदनशीलता सूचकांक के अनुसार, 80% से अधिक भारतीय जलवायु संवेदनशील ज़िलों में रहते हैं।

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (Minister of Road Transport and Highways) ने लोकसभा को एक लिखित उत्तर में भारत में सड़क दुर्घटना के कारण मौत की जानकारी साझा की है।

- मंत्री द्वारा जानकारी दी गई है कि मंत्रालय ने स्वतंत्र सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों को शामिल करके सभी चरणों (डिजाइन चरण, निर्माण चरण और संचालन और प्रबंधन चरण) पर सड़क सुरक्षा ऑडिट के माध्यम से सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु दिशानिर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- सड़क दुर्घटनाएँ:
  - संबंधित डेटा:
    - वर्ष 2020 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) पर 47,984 लोग मारे गए, जिनमें एक्सप्रेसवे भी शामिल हैं तथा वर्ष 2019 में 53,872 लोग मारे गए।
    - विश्व स्तर पर, सड़क दुर्घटनाओं में 1.3 मिलियन मौतें होती हैं और 50 मिलियन लोग घायल हुए हैं। इसमें से 11% मौते भारत में हुई है।
  - प्रमुख कारण:
    - राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में वाहन का डिज़ाइन और स्थिति, सड़क इंजीनियरिंग, तेज गति से और शराब तथा नशीली दवाओं का सेवन कर वाहन चलाना, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, लाल बत्ती का उलंघन, मोबाइल फोन का उपयोग आदि शामिल थे।
- सड़क दुर्घटनाओं का प्रभाव:
  - आर्थिक:
    - वर्ष 2019 के लिये भारत की सड़क यातायात दुर्घटनाओं की सामाजिक-आर्थिक लागत 15.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 38.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मध्य थी, जो सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) का 0.55–1.35% है।

नोट :

- सामाजिक:
  - परिवारों पर भार:
  - सड़क दुर्घटना तथा इससे होने वाली मृत्यु ने व्यक्तिगत स्तर पर जहाँ आर्थिक दृष्टि से मज़बूत परिवारों के गंभीर वित्तीय बोझ में वृद्धि की है वहीं उन परिवारों को कर्ज़ लेने के लिये बाध्य किया है जो पहले से ही गरीब हैं।
  - सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु की वजह से गरीब परिवारों की लगभग सात माह की घरेलू आय कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित परिवार गरीबी और कर्ज़ के चक्र में फँस जाता है।
  - संवेदनशील सड़क उपयोगकर्त्ता (VRUs):
  - संवेदनशील सड़क उपयोगकर्त्ता (Vulnerable Road Users- VRUs) वर्ग द्वारा दुर्घटनाओं के बड़े बोझ को सहन किया जाता है। देश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और गंभीर चोटों के कुल मामलों में से आधे से अधिक हिस्सेदारी VRUs वर्ग की है।
  - VRUs वर्ग में सामान्यत: गरीब विशेष रूप से कामकाज़ी उम्र के पुरुष जिनके द्वारा सड़क का उपयोग किया जाता है, को शामिल किया जाता है।
  - अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों में आकस्मिक श्रमिकों के रूप में कार्यरत दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले श्रमिक और कर्मचारी, नियमित गतिविधियों में लगे श्रमिकों की तुलना में सड़क दुर्घटना के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
  - भारत में जहाँ VRUs को अन्य कम कमज़ोर सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ स्थान साझा करने के लिये मजबूर किया जाता है, इससे एक व्यक्ति के आय स्तर का उपयोग किये जाने वाले परिवहन के तरीके पर सीधा असर पड़ता है।
  - लिंग विशिष्ट प्रभाव:
  - पीड़ितों के परिवारों में महिलाएँ गरीब और अमीर दोनों घरों में समस्याओं का सामना करती हैं, अक्सर अतिरिक्त काम करती हैं, अधिक जिम्मेदारियां लेती हैं, और देखभाल करने वाली गतिविधियां करती हैं।
  - लगभग 50% महिलाएँ दुर्घटना के बाद अपनी घरेलू आय में गिरावट से गंभीर रूप से प्रभावित हुईं।
  - लगभग 40% महिलाओं ने दुर्घटना के बाद अपने काम करने के तरीके में बदलाव की सूचना दी, जबकि लगभग 11% ने वित्तीय संकट से निपटने के लिये अतिरिक्त काम करने की सूचना दी।
  - ग्रामीण नगरीय विभाजन:
  - कम आय वाले ग्रामीण परिवारों (56%) की आय में गिरावट निम्न-आय वाले शहरी (29.5%) और उच्च आय वाले ग्रामीण परिवारों (39.5%) की तुलना में सबसे गंभीर थी।

- संबंधित पहल:
  - विश्व:
    - सड़क सुरक्षा पर ब्राज़ीलिया घोषणा (2015):
    - ब्राज़ील में आयोजित सड़क सुरक्षा पर दूसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन में घोषणा पर हस्ताक्षर किये गए। भारत घोषणापत्र का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है।
    - देशों ने सतत् विकास लक्ष्य 3.6 यानी वर्ष 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और दुर्घटनाओं की आधी संख्या हासिल करने की योजना बनाई है।
    - संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह:
    - यह प्रत्येक दो वर्ष में मनाया जाता है, इसके पाँचवें संस्करण (6-12 मई 2019 से आयोजित) में सड़क सुरक्षा के लिये मज़बूत नेतृत्व की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
    - अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम (iRAP):
    - यह एक पंजीकृत चैरिटी है जो सुरक्षित सड़कों के माध्यम से लोगों की जान बचाने के लिये समर्पित है।
  - भारत:
    - मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019:
    - यह अधिनियम यातायात उल्लंघन, दोषपूर्ण वाहन, नाबलिकों द्वारा वाहन चलाने आदि के लिये दंड की मात्रा में वृद्धि करता है।

नोट :

- यह अधिनियम मोटर वाहन दुर्घटना हेतु निधि प्रदान करता है जो भारत में कुछ विशेष प्रकार की दुर्घटनाओं पर सभी सड़क उपयोगकर्त्ताओं को अनिवार्य बीमा कवरेज प्रदान करता है।
- अधिनियम एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड को मंज़ूरी प्रदान करता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से स्थापित किया जाना है।
- यह मदद करने वाले व्यक्तियों के संरक्षण का भी प्रावधान करता है।
- सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007:
- यह अधिनियम सामान्य माल वाहकों के विनियमन से संबंधित प्रावधान करता है, उनकी देयता को सीमित करता है और उन्हें वितरित किये गए माल के मूल्य की घोषणा करता है ताकि ऐसे सामानों के नुकसान, या क्षति के लिये उनकी देयता का निर्धारण किया जा सके, जो लापरवाही या आपराधिक कृत्यों के कारण स्वयं, उनके नौकरों या एजेंटों के कारण हुआ हो।
- राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2000:
- यह अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्गों के भीतर भूमि का नियंत्रण, रास्ते का अधिकार और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात का नियंत्रण करने संबंधी प्रावधान प्रदान करता है और साथ ही उन पर अनधिकृत कब्ज़े को हटाने का भी प्रावधान करता है।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1998:
- यह अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिये एक प्राधिकरण के गठन और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों से संबंधित प्रावधान प्रस्तुत करता है।

आगे की राह:

- सड़कों की सुरक्षा को परिवहन के मुद्दे के बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिये।
  - अब समाज में व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सड़क सुरक्षा से संबंधित चुनौती से मिशन मोड में निपटा जाना चाहिये।
- सड़कों के डिज़ाइन के बारे में किसी भी कार्रवाई से पहले पूरी तरह से ऑडिट किया जाना चाहिये।
- सड़क सुरक्षा को गतिशीलता के दृष्टिकोण से भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है; किस प्रकार एक बेहतर, तीव्र एवं सुरक्षित तरीके से माल को स्थानांतरित किया जा सकता है।
- सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए समाज की संवेदनशील आबादी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
  - सड़क की डिज़ाइनिंग इस तरह से की जानी चाहिये कि सबसे संवेदनशील उपयोगकर्त्ता भी सुरक्षित हो और अंततः लोगों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्यसभा में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2021 (NIPER) पारित किया।

- इसके माध्यम से 'राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998' में संशोधन किया जायेगा, जिसके तहत पंजाब के मोहाली में 'राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान' की स्थापना की गई और इसे राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित किया।

प्रमुख बिंदु

- विधेयक के संबंध में सामान्य तथ्य:
  - राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान की स्थिति:
    - यह अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी तथा रायबरेली में स्थित औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के छह और संस्थानों को 'राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान' का दर्जा देने का प्रयास करता है।
  - सलाहकार परिषद की स्थापना:
    - परिषद एक केंद्रीय निकाय होगी, जो फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान तथा मानकों के रखरखाव के समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिये सभी संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय करेगी।

नोट :

- परिषद के कार्यों में शामिल हैं:
- पाठ्यक्रम की अवधि से संबंधित मामलों पर सलाह देना, भर्ती के लिये नीतियाँ बनाना, संस्थानों की विकास योजनाओं की जाँच और अनुमोदन करना, केंद्र सरकार को धन आवंटन के लिये सिफारिशों हेतु संस्थानों के वार्षिक बजट अनुमानों की जाँच करना।

◆ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को युक्तिसंगत बनाना:

- यह विधेयक प्रत्येक NIPER के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को 23 से 12 सदस्यों की मौजूदा संख्या से युक्तिसंगत बनाता है और संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के दायरे और संख्या को बढ़ाता है।

- महत्त्व:
  - NIPERs, IIT की तर्ज पर प्रशासित होंगे।
  - NIPER अनुसंधान में मदद करेगा जिससे भारत में अधिक पेटेंट सृजन किया जा सकता है, जिसका अर्थ यह होगा कि राष्ट्र उच्च लागत वाली औषधि का उत्पादन कर सकता है।
- विधेयक से संबंधित मुद्दे:
  - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी अधिनियम), ओबीसी और महिलाओं के साथ राज्य सरकारों को NIPERs की शीर्ष परिषद में शामिल नहीं किया गया है।
  - स्वायत्तता और सत्ता के अति-केंद्रीकरण जैसे मुद्दे भी चिंतनीय है।
    - विधेयक में कहा गया है कि प्रस्तावित परिषद को इन संस्थानों के वित्तीय, प्रशासनिक और प्रबंधकीय मामलों के संबंध में अत्यधिक शक्तियों के साथ अधिकार दिया गया है, जिसे बहुत सावधानी से संचालित किया जाना है।
    - विधेयक संभावित रूप से संस्थानों की स्वायत्तता से समझौता करता है क्योंकि परिषद ज़्यादातर केंद्र सरकार के नौकरशाहों और कुछ सांसदों से मिलकर निर्मित होगी, जिसमें कोई निर्णय किसी विशेष संस्थान के सर्वोत्तम हित हो प्रभावित कर सकता है।

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (NIPERs)

- NIPER, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers) के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अधीन राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान है।
  - राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान एक ऐसा स्वायत्त निकाय/संस्थान है जिसके पास परीक्षा आयोजित करने और शैक्षिक प्रमाण पत्र/डिग्री प्रदान करने की शक्ति होती है।
    - उन्हें केंद्र सरकार से वित्त सहायता प्राप्त होती है।
- इस संस्थान में न केवल देश के भीतर बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया एवं अफ्रीकी देशों में भी औषधि विज्ञान एवं संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्त्व प्रदान करने की क्षमता है।
- NIPER, मोहाली 'एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़' एवं 'एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़' का सदस्य है।
  - वर्ष 1925 में इंटर-यूनिवर्सिटी बोर्ड (Inter-University Board- IUB) के रूप में गठित एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (Association of Indian Universities- AIU), भारत के सभी विश्वविद्यालयों का एक संघ है। यह सक्रिय रूप से उच्च शिक्षा के विकास और विकास में संलग्न है।
  - राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालयों का संघ राष्ट्रमंडल के 50 से अधिक देशों में उच्च शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिये समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।

समिट फॉर डेमोक्रेसी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'लोकतंत्र को नवीनीकृत करने और निरंकुशता का सामना करने के लिये' संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 'समिट फॉर डेमोक्रेसी' का आयोजन किया गया।

नोट :

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने 'प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूअल' की स्थापना संबंधी घोषणा की जो विदेशी सहायता पहल प्रदान करेगी।
- इस पहल को 424.4 मिलियन डॉलर की प्रारंभिक पूँजी के माध्यम से संचालित किया जाएगा और इसका उद्देश्य 'मुक्त एवं स्वतंत्र मीडिया' का समर्थन करना, भ्रष्टाचार से लड़ना, लोकतांत्रिक सुधारों को मज़बूत करना, लोकतंत्र के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय
  - इसका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि किस प्रकार स्वतंत्र और अधिकारों का सम्मान करने वाले समाज वर्तमान समय की चुनौतियों जैसे कि कोविड-19 महामारी, जलवायु संकट और असमानता से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये मिलकर काम कर सकते हैं।
  - यह सम्मेलन तीन प्रमुख विषयों पर केंद्रित था:
    - सत्तावाद से बचाव
    - भ्रष्टाचार का संबोधन
    - मानवाधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ाना
- भारत का पक्ष
  - लोकतंत्रों को संयुक्त रूप से सोशल मीडिया और क्रिप्टो से संबंधित मुद्दों से निपटना चाहिये, ताकि उनका उपयोग कमज़ोर करने के बजाय लोकतंत्र को सशक्त बनाने हेतु किया जा सके।
  - भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी 2,500 साल पुरानी लोकतांत्रिक परंपराएँ हैं और डिजिटल समाधानों के माध्यम से भारत लोकतांत्रिक अनुभव को साझा कर सकता है।
    - भारत में लिच्छवियों और अन्य लोगों के तहत प्राचीन शहर राज्यों में लोकतंत्र की सभ्यतागत परंपरा का उल्लेख मिलता है, जो वैदिक और बौद्ध काल के अंत में भारत में विकसित हुआ तथा प्रारंभिक मध्ययुगीन काल तक जारी रहा।
  - लोकतंत्र ने दुनिया भर में विभिन्न रूप ले लिये हैं और ऐसे में लोकतांत्रिक प्रथाओं में कार्यप्रणाली में एकरूपता लाने की आवश्यकता है।
  - लोकतांत्रिक प्रथाओं और प्रणालियों में लगातार सुधार करने और समावेश, पारदर्शिता, मानवीय गरिमा, उत्तरदायी शिकायत निवारण तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है।

लोकतंत्र

- अर्थ
  - लोकतंत्र सरकार की एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें नागरिक सीधे सत्ता का प्रयोग करते हैं या एक शासी निकाय जैसे कि संसद बनाने के लिये आपस में प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।
  - इसे 'बहुमत का शासन' भी कहा जाता है। इसमें सत्ता विरासत में नहीं मिलती। जनता अपना नेता स्वयं चुनती है।
  - प्रतिनिधि चुनाव में हिस्सा लेते हैं और नागरिक अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं। सबसे अधिक मतों वाले प्रतिनिधि को शक्ति प्राप्त होती है।
- संक्षिप्त इतिहास
  - भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत वर्ष 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया। इसके बाद भारत के नागरिकों को वोट देने और अपने नेताओं को चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ।
- लोकतंत्र को मज़बूत करने में भारत की भूमिका:
  - दुनिया भर में:
    - क्षमता निर्माण
    - स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में चुनाव आयोग के उल्लेखनीय रिकॉर्ड के अलावा, भारत ने कई दशकों तक एशिया, अफ्रीका और दुनिया के अन्य क्षेत्रों के हज़ारों चुनावी अधिकारियों को चुनाव प्रबंधन तथा संसदीय मामलों में प्रशिक्षण दिया है।

नोट :

- विकासात्मक भागीदारी प्रशासन (DPA):
- भारत ने भौगोलिक क्षेत्रों में कई विकासशील और नए लोकतंत्रों के लिये महत्त्वपूर्ण विकास सहायता परियोजनाओं की पेशकश करने के लिये विदेश मंत्रालय (MEA) के भीतर एक 'विकासात्मक भागीदारी प्रशासन' (DPA) का निर्माण किया है।
- इसमें अफगान संसद का निर्माण और म्याँमार को अपनी प्रशासनिक एवं न्यायिक क्षमताओं के उन्नयन के लिये सहायता प्रदान करना शामिल है।
- लोकतंत्र की निगरानी के लिये अनुदान:
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र का समर्थन करने हेतु 'संयुक्त राष्ट्र डेमोक्रेसी फंड' (UNDEP) और 'कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेसी' के निर्माण में भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- संयोग से, भारत UNDEF के सबसे बड़े योगदानकर्त्ताओं में से एक है, जो दक्षिण एशिया में 66 गैर-सरकारी संगठनों के नेतृत्व वाली परियोजनाओं का समर्थन करता है।
- संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कॉकस:
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र डेमोक्रेसी कॉकस बनाने में भी मदद की, जो कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर साझा मूल्यों के आधार पर लोकतांत्रिक राज्यों को बुलाने वाला एकमात्र निकाय है।

◆ भारत में:

- नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना:
- भारत में एक दलित महिला को उच्च पद (मुख्यमंत्री के रूप में) तक पहुँचने के लिये प्रतिनिधित्व दिया गया।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:
- इस अधिनियम ने पूरी तरह से नागरिक समाज संचालित जमीनी आंदोलन को आम नागरिकों के लिये सूचना को सही मायने में लोकतांत्रिक बना दिया है।
- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण:
- वर्ष 1992 में दो संवैधानिक संशोधन (73वें और 74वें) द्वारा जिस त्रि-स्तरीय प्रशासन (ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय) की स्थापना की गई उसने पिछले तीन दशकों में गहरा प्रभाव स्थापित किया है।
- 30 लाख प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न स्तरों (ग्राम सभा, पंचायत समिति जिला परिषद) पर ,यह अब तक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था है।

● लोकतंत्र से संबंधित चिंताएँ:

◆ वैश्विक:

- राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता में गिरावट:
- दुनिया भर के लोकतंत्र नए स्थापित - कई प्रमुख मापदंडों पर गंभीर संकटों से जूझ रहे हैं।
- लोकतंत्र की निगरानी करने वाली संस्थाओं की रिपोर्टों के अनुसार, लोकतंत्र में खतरनाक गिरावट देखी जा रही है।
- डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के अनुसार, विश्व की बहुत कम 9% आबादी 'पूर्ण' लोकतंत्र में रहती है।
- म्यांमार, ट्यूनीशिया और सूडान में हालिया सैन्य तख्तापलट लोकतंत्र विरोधी ताकतों के निरंतर उदय का प्रमाण है तथा इसकी बारंबारता वैश्विक लोकतंत्र समर्थकों की सामूहिक विफलता को दिखाती है।
- बढ़ती सत्तावादिता:
- सत्तावादी शक्तियों, विशेषकर चीन के निरंतर उदय से उत्पन्न बढ़ता खतरा एक प्रमुख चिंता का विषय है।
- ऐसे समय में जब पश्चिम, विशेष रूप से अमेरिका और समृद्ध यूरोपीय देशों ने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता को काफी हद तक समाप्त कर दिया है, चीन ने वैश्विक मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मानदंडों को फिर से परिभाषित करने पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं।
- उदाहरण:
- चीन ने ताइवान को धमकाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया है, विवादित दक्षिण चीन सागर में अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूर किया है, लाखों उइगर मुसलमानों को नजरबंदी शिविरों में डाल दिया है, हॉन्गकॉन्ग में राजनीतिक स्वतंत्रता को नियंत्रित किया है और कई भौगोलिक क्षेत्रों में अपने प्रभाव को मज़बूत करने के लिये अभियान शुरू किया है।

नोट :

- भारत:
  - फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021' रिपोर्ट में भारत की स्थिति को 'स्वतंत्र' से 'आंशिक रूप से स्वतंत्र' कर दिया है। वी-डेम रिपोर्ट ने इसे एक कदम ओर आगे बढ़ते हुए "चुनावी निरंकुशता" करार दिया है।
  - ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, ' 'बैकस्लाइडिंग के कुछ सबसे चिंताजनक उदाहरणों'' के साथ भारत 10 सबसे पीछे खिसकने वाले लोकतंत्रों में से एक था।

आगे की राह

- संवैधानिक लोकतंत्र के संस्थागतकरण ने भारत के लोगों को लोकतंत्र के महत्त्व को समझने और उनमें लोकतांत्रिक संवेदनाओं को विकसित करने में मदद की है।
- साथ ही, यह महत्त्वपूर्ण है कि सरकार के सभी अंग देश के लोगों के विश्वास को बनाए रखने हेतु सद्भाव से कार्य करें और वास्तविक लोकतंत्र के उद्देश्यों को सुनिश्चित करें।
- सरकार को आलोचना को सिरे से खारिज करने के बजाय सुनना चाहिये। लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करने के सुझावों पर एक विचारशील और सम्मानजनक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
- प्रेस और न्यायपालिका, जिन्हें भारत के लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, को कार्यपालिका के कार्यों कीऑडिटिंग को सक्षम करने हेतु किसी भी कार्यकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है।

हुनर हाट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने गुजरात में हुनर हाट के 34वें संस्करण का आयोजन किया है जिसमें 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के कारीगरों ने भाग लिया है।

प्रमुख बिंदु:

- हुनर हाट:
  - यह अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की एक प्रदर्शनी है। जिसे पहली बार वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था।
  - हुनर हाट की अवधारणा वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की कला और शिल्प की पैतृक विरासत की रक्षा और बढ़ावा देने तथा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करने के लिये की गई है।
  - हुनर हाट प्रदर्शनी में चुने गए कारीगर वे हैं जिनके पूर्वज इस तरह के पारंपरिक हस्तनिर्मित काम में शामिल थे और अभी भी इस पेशे को जारी रखे हुए हैं।
- थीम:
  - वोकल फॉर लोकल
- आयोजक:
  - हुनर हाट अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 'उस्ताद' (विकास के लिये पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन) योजना के तहत आयोजित किये जाते हैं।
    - उस्ताद योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कला एवं शिल्प की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है।.
- उद्देश्य
  - 'हुनर हाट' का उद्देश्य कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक कला विशेषज्ञों को बाज़ार में एक्सपोज़र एवं रोज़गार के अवसर प्रदान करना है।

नोट :

- यह उन शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों के कौशल को बढ़ावा देने की परिकल्पना करता है जो पहले से ही पारंपरिक पुश्तैनी काम में संलग्न हैं।

महत्त्व:

- 'हुनर हाट' कुशल कारीगरों और शिल्पकारों के लिये 'सशक्तीकरण' का एक माध्यम साबित हुआ है।
- यह कारीगरों और शिल्पकारों के लिये बेहद फायदेमंद तथा उत्साहजनक साबित हुआ है, क्योंकि लाखों लोग 'हुनर हाट' में जाते हैं और बड़े पैमाने पर कारीगरों के स्वदेशी उत्पादों को खरीदते हैं।
  - यह देश भर के लाखों कारीगरों और शिल्पकारों को रोज़गार के अवसर भी प्रदान कर रहा है।
    - वर्तमान में देश भर में लगभग 7 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हुनर हाट से जुड़े हुए हैं, उनमें से लगभग 40% महिला कारीगर हैं और अगले कुछ वर्षों में लगभग 17 लाख परिवारों के हुनर हाट में शामिल होने की उम्मीद है।

अल्पसंख्यकों से संबंधित अन्य योजनाएँ:

- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम:
  - इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिये सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी सुविधाएँ जैसे- स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, गर्ल्स हॉस्टल, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र आदि विकसित करना है।
- बेगम हज़रत महल बालिका छात्रवृत्ति:
  - इस छात्रवृत्ति योजना के तहत छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन) की मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- गरीब नवाज़ रोज़गार योजना:
  - केंद्र द्वारा अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन से जुड़े युवाओं के लिये रोज़गारपरक अल्पावधि कौशल विकास पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान इस योजना की शुरुआत की गई थी।
- सीखो और कमाओ:
  - इसका उद्देश्य मौजूदा कार्मिकों की रोज़गारपरकता को बेहतर बनाना तथा उनका स्थापन (प्लेसमेंट) सुनिश्चित करना और बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाना आदि है।
- नई मंज़िल:
  - 'नई मंजिल' औपचारिक स्कूल शिक्षा और स्कूल छोड़ चुके बच्चों के कौशल विकास की एक योजना है। इस योजना की शुरुआत अगस्त, 2015 को हुई थी।
- उस्ताद (Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts/Crafts for Development):
  - इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कला/शिल्प की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है।
- नई रोशनी:
  - अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्त्व क्षमता विकास करना।

बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना

चर्चा में क्यों ?

महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित एक संसदीय समिति ने वर्ष 2014 से 2019 तक बालिकाओं पर लक्षित कार्यक्रमों विशेष रूप से 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' (BBBP) योजना के लिये आवंटित केंद्रीय धन के कम उपयोग पर चिंता जताई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- समिति के निष्कर्ष:
  - निधि का कम उपयोग:
    - वर्ष 2014-15 में BBBP की शुरुआत के बाद से के कोविड प्रभावित वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोड़कर वर्ष 2019-20 तक इस योजना के तहत कुल बजटीय आवंटन 848 करोड़ रहा।
    - इस दौरान राशि राज्यों को 622.48 करोड़ रुपये जारी किये गए लेकिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा इस निधि की केवल 25.13% धनराशि खर्च की गई है।
  - निधियों का अनुचित व्यय:
    - फ्लैगशिप BBBP योजना के तहत मीडिया अभियानों पर 80% धनराशि खर्च की गई।
    - इस योजना के तहत प्रत्येक ज़िले के लिये छ: विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिवर्ष 50 लाख रुपए के व्यय की व्यवस्था की गई।
    - 50 लाख रुपये में से 16% फंड अंतर-क्षेत्रीय परामर्श या क्षमता निर्माण के लिये, 50% नवाचार या जागरूकता पैदा करने की गतिविधियों के लिये 6% निगरानी और मूल्यांकन के लिये, 10% स्वास्थ्य में क्षेत्रीय हस्तक्षेप के लिये, 10% शिक्षा में क्षेत्रीय हस्तक्षेप के लिये एवं 8% फ्लेक्सी फंड के रूप में होगा।
  - सिफारिशें:
    - सरकार को BBBP योजना के तहत विज्ञापनों पर खर्च पर पुनर्विचार करना चाहिये तथा शिक्षा और स्वास्थ्य में क्षेत्रीय हस्तक्षेप हेतु नियोजित व्यय आवंटन पर ध्यान देना चाहिये।
- BBBP योजना:
  - BBBP योजना के बारे में:
    - इसे जनवरी 2015 में लिंग चयनात्मक गर्भपात (Sex Selective Abortion) और गिरते बाल लिंग अनुपात (Declining Child Sex Ratio) को संबोधित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जो 2011 में प्रति 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियों पर था।.
    - यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है।
    - यह कार्यक्रम देश के 405 ज़िलों में लागू किया जा रहा है।
  - मुख्य उद्देश्य:
    - लिंग आधारित चयन पर रोकथाम।
    - बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
    - बालिकाओं के लिये शिक्षा की उचित व्यवस्था तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।
    - बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना।
  - योजना का प्रदर्शन:
    - जन्म के समय लिंग अनुपात
    - स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (Health Management Information System- HMIS) से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014-15 में जन्म के समय लिंग अनुपात 918 था जो वर्ष 2019-20 में 16 अंकों के सुधार के साथ बढ़कर 934 हो गया है।
    - महत्त्वपूर्ण उदाहरण:
    - मऊ (उत्तर प्रदेश) में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 तक लिंग अनुपात 694 से बढ़कर 951 हुआ है।
    - करनाल (हरियाणा) में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 तक यह अनुपात 758 से बढ़कर 898 हो गया है।
    - महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 तक यह 791 से बढ़कर 919 हुआ है।
    - स्वास्थ्य:
    - ANC पंजीकरण: पहली तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल (AnteNatal Care- ANC) पंजीकरण में सुधार का रुझान वर्ष 2014-15 के 61% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 71% देखा गया है।

नोट :

- संस्थागत प्रसव में सुधार का प्रतिशत वर्ष 2014-15 के 87% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 94% तक पहुँच गया है।
- शिक्षा:
- सकल नामांकन अनुपात (GER): शिक्षा के लिये एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली (UDISE) के अंतिम आँकड़ों के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं के सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio-GER) में 77.45 (वर्ष 2014-15) से 81.32 (वर्ष 2018-19) तक सुधार हुआ है।
- बालिकाओं के लिये शौचालय: बालिकाओं के लिये अलग शौचालय वाले स्कूलों का प्रतिशत वर्ष 2014-15 के 92.1% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 95.1% हो गया है।
- मनोवृत्ति परिवर्तन:
- BBBP योजना कन्या भ्रूण हत्या, बालिकाओं में शिक्षा की कमी और जीवन चक्र की निरंतरता के अधिकार से उन्हें वंचित करने जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है।
- 'बेटी जन्मोत्सव' प्रत्येक ज़िले में मनाए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।

बालिकाओं के लिये अन्य पहलें:

- उज्ज्वला (UJJAWALA): यह मानव तस्करी की समस्या से निपटने से संबंधित है जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये किये गए यौन शोषण व तस्करी के शिकार पीड़ितों और उनके बचाव, पुनर्वास तथा एकीकरण के लिये एक व्यापक योजना है।
- किशोरी स्वास्थ्य कार्ड: किशोर लड़कियों का वज़न, ऊँचाई, बॉडी मास इंडेक्स (Body Mass Index- BMI) के बारे में जानकारी दर्ज करने के उद्देश्य से इन स्वास्थ्य कार्डों को आँगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बनाया जाता है।
- किशोरियों के लिये योजना (Scheme for Adolescent Girls- SAG)।
- सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samridhi Yojana) आदि।

विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की भूमिका

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गोपीनाथ रवींद्रन को कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में फिर से नियुक्त करने को लेकर केरल में विवाद छिड़ गया है।

- यह नियुक्ति राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल के निर्णय के खिलाफ थी।
- जबकि कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य एक विशेष राज्य सरकार के तहत विश्वविद्यालयों को संचालित करने वाली विधियों में निर्धारित किये गए हैं, कुलपतियों की नियुक्ति में उनकी भूमिका ने अक्सर राजनीतिक कार्यपालिका के साथ विवाद को जन्म दिया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य विश्वविद्यालयों में राज्यपालों की भूमिका:
  - ज़्यादातर मामलों में, राज्य के राज्यपाल उस राज्य के विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं।
  - राज्यपाल के रूप में वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है, कुलाधिपति के रूप में वह स्वतंत्र रूप से मंत्रिपरिषद से कार्य करता है तथा विश्वविद्यालय के सभी मामलों पर निर्णय लेता है।
- केंद्रीय विश्वविद्यालयों का मामला:
  - केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 और अन्य विधियों के तहत, भारत के राष्ट्रपति एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।
  - दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने तक सीमित उनकी भूमिका के साथ, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति नाममात्र के प्रमुख होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा आगंतुक के रूप में नियुक्त किया जाता है।
  - कुलपति को भी केंद्र सरकार द्वारा गठित खोज और चयन समितियों द्वारा चुने गए नामों के पैनल से विज़िटर द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  - अधिनियम में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को कुलाध्यक्ष के रूप में विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पहलुओं के निरीक्षण को अधिकृत करने और पूछताछ करने का अधिकार होगा।

नोट :

- राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:
  - संविधान के मुताबिक, राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है:
    - वह राज्य के मंत्रिपरिषद (CoM) की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
    - वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।
  - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
    - राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  - अनुच्छेद 163: कुछ विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किये जाने का प्रावधान है।
  - अनुच्छेद 200: राज्यपाल, राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, अनुमति रोकता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिये विधेयक को सुरक्षित रखता है।
  - अनुच्छेद 213: राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है।
- राज्यपाल की भूमिका संबंधित विवाद
  - केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग: प्राय: केंद्र में सत्ताधारी दल के निर्देश पर राज्यपाल के पद के दुरुपयोग के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं।
    - राज्यपाल की नियुक्ति की प्रकिया को इसमें एक प्रमुख कारण माना जाता है।
  - पक्षपाती विचारधारा: कई मामलों में एक विशेष राजनीतिक विचारधारा वाले राजनेताओं और पूर्व नौकरशाहों को केंद्र सरकार द्वारा राज्यपालों के रूप में नियुक्त किया जाता है।
    - यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य तटस्थ पद के पूर्ण विरुद्ध है और यह पक्षपात को जन्म देता है, जैसा कि कर्नाटक तथा गोवा के मामलों में देखा गया।
  - कठपुतली शासक: हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
    - केंद्रीय सत्ताधारी दल के प्रति उनका समर्थन गैर-पक्षपात की भावना के विरुद्ध है जिसकी अपेक्षा संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति से की जाती है।
    - ऐसी घटनाओं के कारण ही राज्य के राज्यपाल के लिये केंद्र के एजेंट, कठपुतली और रबर स्टैम्प जैसे नकारात्मक शब्दों का उपयोग किया जाता है।
  - एक विशेष राजनीतिक दल का पक्ष लेना: चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी/गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करने की राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का प्राय: किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में दुरुपयोग किया जाता है।
  - शक्ति का अनुचित उपयोग: प्राय: यह देखा गया है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के लिये राज्यपाल की सिफारिश सदैव 'तथ्यों' पर आधारित न होकर राजनीतिक भावना और पूर्वाग्रह पर आधारित होती है।
- राज्यपाल के पद से संबंधित सिफारिशें:
  - राज्यपाल की नियुक्ति और निष्कासन के संबंध में
    - 'पुंछी आयोग' (2010) ने सिफारिश की थी कि राज्य विधायिका द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का प्रावधान संविधान में शामिल किया जाना चाहिये।
    - राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री की राय भी ली जानी चाहिये।
  - अनुच्छेद 356 के संबंध में
    - 'पुंछी आयोग' ने अनुच्छेद 355 और 356 में संशोधन करने की सिफारिश की थी।
    - 'सरकारिया आयोग' (1988) ने सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 का उपयोग बहुत ही दुर्लभ मामलों में विवेकपूर्ण तरीके से ऐसी स्थिति में किया जाना चाहिये जब राज्य में संवैधानिक तंत्र को बहाल करना अपरिहार्य हो गया हो।

नोट :

- इसके अलावा प्रशासनिक सुधार आयोग (1968), राजमन्नार समिति (1971) और न्यायमूर्ति वी. चेलैया आयोग (2002) आदि ने भी इस संबंध में सिफारिशें की हैं।

◆ अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार की बर्खास्तगी के संबंध में

- एस.आर. बोम्मई मामला (1994): इस मामले के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी को समाप्त कर दिया गया।
- निर्णय के मुताबिक, विधानसभा ही एकमात्र ऐसा मंच है, जहाँ तत्कालीन सरकार के बहुमत का परीक्षण करना चाहिये, न कि राज्यपाल की व्यक्तिपरक राय के आधार पर।

◆ विवेकाधीन शक्तियों के संबंध में

- नबाम रेबिया मामले (2016) में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग सीमित है और राज्यपाल की कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक तथ्यों के आधार पर नहीं होनी चाहिये।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2021

चर्चा में क्यों ?

'ऊर्जा दक्षता ब्यूरो' (BEE) द्वारा प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस' मनाया जाता है।

यह दिवस लोगों को 'ग्लोबल वार्मिंग' और जलवायु परिवर्तन के विषय में जागरूक करने पर केंद्रित है और ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देता है। यह ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालता है।

विद्युत मंत्रालय ने 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के तहत वर्ष 2021 में ऊर्जा संरक्षण सप्ताह (8-14 दिसंबर) मनाया जा रहा है। समारोह के हिस्से के रूप में, विद्युत मंत्रालय के तहत 'ऊर्जा दक्षता ब्यूरो' ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

प्रमुख बिंदु

- ऊर्जा संरक्षण:
  - 'ऊर्जा संरक्षण' ऐसे प्रयासों को संदर्भित करता है, जिनके माध्यम से किसी विशेष उद्देश्य के लिये कम ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा का कुशलतापूर्वक संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है- जैसे बल्ब और पंखों का यथा संभव कम उपयोग करना- या किसी विशेष सेवा के उपयोग को कम किया जाता है- जैसे कम ड्राइविंग और इसके बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, ताकि ऊर्जा संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
  - ऊर्जा संरक्षण एक सचेत, व्यक्तिगत प्रयास है और वृहद स्तर पर यह ऊर्जा दक्षता की ओर ले जाता है।
  - ऊर्जा संरक्षण का अंतिम लक्ष्य स्थायी ऊर्जा उपयोग की ओर पहुँचना है।
  - गौरतलब है कि यह 'ऊर्जा दक्षता' शब्द से अलग है, जिसके तहत ऐसी तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसमें समान कार्य करने हेतु कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001:
  - अधिनियम भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के लक्ष्य के साथ अधिनियमित किया गया था। यह निम्नलिखित के लिये विनियामक अधिदेश प्रदान करता है:
    - उपकरणों की मानक और लेबलिंग;
    - वाणिज्यिक भवनों हेतु ऊर्जा संरक्षण कोड तथा
    - ऊर्जा गहन उद्योगों के लिये ऊर्जा खपत मानदंड।
- ऊर्जा संरक्षण सप्ताह:
  - विद्युत् मंत्रालय द्वारा 8 से 14 दिसंबर 2021 तक 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है।
  - BEE और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मिलकर इस क्षेत्र के विकास को ऊर्जा-कुशल तथा पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सुनिश्चित करने के लिये कई पहल की हैं।

नोट :

- MSME क्षेत्र में विभिन्न संगठनों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिये बीईई और एमएसएमई मंत्रालय ने एक सहयोगी मंच - "समीक्षा" (लघु और मध्यम उद्यम ऊर्जा दक्षता ज्ञान साझाकरण) को भी बढ़ावा दिया है।
  - मंच का उद्देश्य ज्ञान को एकत्र करना और स्वच्छ, ऊर्जा प्रौद्योगिकियों तथा प्रथाओं को बढ़ावा देने और अपनाने के लिये विभिन्न संगठनों के प्रयासों में तालमेल बिठाना है।
- बीईई ने एमएसएमई समूहों के ऊर्जा और संसाधन मानचित्रण के परिणामों पर एक इंटरएक्टिव कार्यशाला का आयोजन किया है।

- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार:
  - ऊर्जा मंत्रालय ने अपने उत्पादन को बनाए रखते हुए ऊर्जा खपत को कम करने के लिये विशेष प्रयास करने वाले उद्योगों और प्रतिष्ठानों को पुरस्कार के माध्यम से राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने हेतु वर्ष 1991 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार शुरू किया था।
  - यह उद्योग, प्रतिष्ठानों और संस्थानों में 56 उप-क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता उपलब्धियों को मान्यता देता है।
- अन्य संबंधित पहलें:
  - राष्ट्रीय:
    - प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना (PET): यह ऊर्जा बचत के प्रमाणीकरण के माध्यम से ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिये लागत प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु एक बाज़ार आधारित तंत्र है जिसका व्यापार किया जा सकता है।
    - मानक और लेबलिंग: यह योजना 2006 में शुरू की गई थी और वर्तमान में उपकरण/उपकरणों के लिये लागू की गई है।
    - ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC): इसे 2007 में नए वाणिज्यिक भवनों के लिये विकसित किया गया था।
    - मांग पक्ष प्रबंधन: यह विद्युत मीटर की मांग या ग्राहक-पक्ष पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से उपायों का चयन, योजना और कार्यान्वयन है।
  - वैश्विक प्रयास:
    - अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी: यह सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य के लिये ऊर्जा नीतियों को आकार देने हेतु दुनिया भर के देशों के साथ कार्य करती है।
    - भारत IEA का एक सदस्य देश नहीं बल्कि एक सहयोगी सदस्य (Association Country) है। हालाँकि IEA ने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिये आमंत्रित किया है।
    - IEA और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL - Ministry of Power) ने ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था के कई लाभों को प्रदर्शित करने के लिये भारत सरकार के घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम - 'उजाला' (UJALA) पर मिलकर केस स्टडी की।
    - सस्टेनेबल एनर्जी फॉर आल (SEforALL)
    - यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जलवायु पर पेरिस समझौते के अनुरूप सतत् विकास लक्ष्य-7 (वर्ष 2030 तक सभी के सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की पहुँच) की उपलब्धि की दिशा में तेज़ी से कार्रवाई करने के लिये संयुक्त राष्ट्र और सरकार के नेताओं, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों तथा नागरिक समाज के साथ साझेदारी में काम करता है।
  - पेरिस समझौता:
    - यह जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका लक्ष्य पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम, अधिमानत: 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है।
    - पेरिस समझौते के तहत भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा तीव्रता (प्रति यूनिट जीडीपी के लिये खर्च ऊर्जा इकाई) को वर्ष 2005 की तुलना में 33-35% कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
  - मिशन इनोवेशन (MI):
    - यह स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेज़ी लाने के लिये 24 देशों और यूरोपीय आयोग (यूरोपीय संघ की ओर से) की एक वैश्विक पहल है।
    - भारत इसके सदस्य देशों में से एक है।

नोट :

- भारत में विद्युत क्षेत्र का परिदृश्य:
  - कुल क्षमता: भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश है। नवंबर 2021 तक, इसकी बिजली ग्रिड में लगभग 392 GW की कुल क्षमता जोड़ी गई है।
    - भारत की बिजली उत्पन्न करने के लिये तापीय, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) प्रणालियाँ प्रमुख स्रोत हैं।
    - तापीय, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिये स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता क्रमश: 60% (234.69 GW), 2% (6.78 GW) और 38% (150.54 GW) की हिस्सेदारी रखती है।
  - नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र: भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र विश्व स्तर पर चौथा सबसे आकर्षक नवीकरणीय ऊर्जा बाज़ार है।
    - पवन ऊर्जा स्थापना क्षमता के मामले में भारत चौथे स्थान पर था जबकि सौर ऊर्जा स्थापना क्षमता में इसे पाँचवें स्थान पर रखा गया है।
    - भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा (RI) क्षमता के 150 गीगावाट को पार करके एक मील का पत्थर हासिल किया है।
    - नवंबर 2021 में, वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट तथा वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट के महत्वाकाँक्षी लक्ष्य के मुकाबले कुल नवीकरणीय ऊर्जा (RI) स्थापित क्षमता 150.54 गीगावाट है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE):

- BEE केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- यह भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करता है।
- BEE अपने कार्यों को करने में मौजूदा संसाधनों और बुनियादी ढाँचे की पहचान तथा उपयोग करने के लिये नामित उपभोक्ताओं, एजेंसियों एवं अन्य संगठनों के साथ समन्वय करता है।

The Vision

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

कपास पर आयात शुल्क घटाने की मांग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री से कपास पर लगाए गए आयात शुल्क को हटाने हेतु संबंधित मंत्रालयों को निर्देश देने का अनुरोध किया है।

- कपड़ा उद्योग राज्य में दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार प्रदाता है तथा देश के कपड़ा उद्योग में तमिलनाडु की 1/3 हिस्सेदारी है।

प्रमुख बिंदु

- प्रमुख मांगें:
  - कपास आयात पर लगने वाले 11% आयात शुल्क को हटाना। साथ ही कपास की खरीद में सूत निर्माताओं को व्यापारियों की तुलना में प्राथमिकता देने की मांग।
  - पीक सीज़न (दिसंबर-मार्च) के दौरान कपास खरीद के लिये कताई मिलों को 5% ब्याज सबवेंशन (Interest Subvention) का विस्तार।
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (Micro, Small and Medium-sized Enterprises- MSMEs) के लिये टिकाऊ कपास की ई-नीलामी के न्यूनतम लॉट आकार को 500 गाँठ तक कम करने का भी आग्रह किया गया है।
- मांग का कारण:
  - कपास और धागे की कीमतों में उतार-चढ़ाव की गंभीर स्थिति के कारण कपड़ों की कीमतों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की वजह मांगहै।
    - वर्तमान संकट ने निर्यात ऑर्डर्स को बड़े पैमाने पर रद्द कर दिया है जिससे दीर्घकालिक निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
  - कपास की कीमतों में उतार-चढ़ाव का एक प्रमुख कारण वर्ष 2021-22 के बजट में 5% मूल सीमा शुल्क (BCD), 5% कृषि अवसंरचना विकास उपकर (AIDC) और 10% समाज कल्याण उपकर लगाया जाना है जो समग्र आयात शुल्क का 11% है।
- आयात शुल्क से संबंधित चिंताएँ
  - कच्चे कपास पर आयात शुल्क मूल्यवर्द्धित क्षेत्रों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को नष्ट कर देगा, जिनका निर्यात में लगभग 50,000 करोड़ रुपए और घरेलू बाज़ार में 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार है।
    - ये क्षेत्र लगभग 12 लाख लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं।

कपास

- परिचय:
  - यह खरीफ फसल है, जिसे तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं।
  - सूखा-प्रतिरोधी फसल के लिये शुष्क जलवायु आदर्श मानी जाती है।
  - इस फसल को विश्व की 2.1% कृषि योग्य भूमि पर उगाया जाता है तथा विश्व की 27% वस्त्र आवश्यकताओं को पूरा करती है।
  - तापमान: 21-30 डिग्री सेल्सियस के मध्य।
  - वर्षा: लगभग 50-100 सेमी.।
  - मिट्टी का प्रकार: बेहतर जल निकासी वाली काली कपासी मिट्टी (रेगुर मिट्टी) (जैसे दक्कन के पठार की मिट्टी) इसके लिये उपयुक्त मानी जाती है।

नोट :

- उत्पाद: फाइबर, तेल और पशु चारा।
- शीर्ष कपास उत्पादक देश: चीन > भारत > यूएसए
- भारत में शीर्ष कपास उत्पादक राज्य: गुजरात> महाराष्ट्र> तेलंगाना> आंध्र प्रदेश> राजस्थान।
- कपास की चार कृषिगत प्रजातियाँ: गॉसिपियम अर्बोरियम (Gossypium arboreum), जी.हर्बेसम (G.herbaceum), जी.हिरसुटम (G.hirsutum) व जी.बारबडेंस (G.barbadense)।
  - गॉसिपियम आर्बोरियम और जी.हर्बेसम को प्राचीन विश्व का कपास या एशियाई कपास के रूप में जाना जाता है।
  - जी.हिरसुटम को अमेरिकी कपास या उच्चभूमि कपास के रूप में भी जाना जाता है और जी.बारबडेंस को मिस्र के कपास के रूप में जाना जाता है। ये दोनों नए विश्व की कपास प्रजातियाँ हैं।
- संकर/हाइब्रिड कपास: इस प्रकार की कपास विभिन्न आनुवंशिक लक्षणों वाले दो मूल उपभेदों को हाइब्रिड करके बनाई गई है। जब खुले-परागण वाले पौधे अन्य संबंधित किस्मों के साथ स्वाभाविक रूप से पार-परागण करते हैं तो हाइब्रिड अक्सर प्रकृति में अनायास और निरुद्देश्य ढंग से बनाए जाते हैं।
- बीटी कपास: यह एक आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव या कपास की आनुवंशिक रूप से संशोधित कीट प्रतिरोधी किस्म है।

- भारत में कपास:
  - कपास एक महत्त्वपूर्ण फाइबर और नकदी फसल है जो भारत की औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाती है।
  - भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यह विश्व में कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।
  - कीट-प्रतिरोधी आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) बीटी कपास संकर फसलों ने वर्ष 2002 में अपनी शुरुआत के बाद से भारतीय बाज़ार (कपास के 95% से अधिक क्षेत्र को कवर) पर कब्जा कर लिया है।
  - भारत प्रत्येक वर्ष लगभग 6 मिलियन टन कपास का उत्पादन करता है जो विश्व के कपास उत्पादन का लगभग 23% है।
  - भारत विश्व के कुल जैविक कपास उत्पादन का लगभग 51% उत्पादन करता है।

नेचुरल फार्मिंग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग द्वारा प्राकृतिक खेती (Natural Farming) पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

- संपूर्ण विश्व में प्राकृतिक खेती के कई मॉडल परिचालित हैं, इनमें से ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (ZBNF) भारत में सबसे लोकप्रिय मॉडल है। यह पद्म श्री सुभाष पालेकर द्वारा विकसित व्यापक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक कृषि प्रणाली है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - इसे "रसायन मुक्त कृषि (Chemical-Free Farming) और पशुधन आधारित (livestock based)" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कृषि-पारिस्थितिकी के मानकों पर आधारित, यह एक विविध कृषि प्रणाली है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है, जिससे कार्यात्मक जैव विविधता के इष्टतम उपयोग की अनुमति मिलती है।
  - यह मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ाने तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने या न्यून करने जैसे कई अन्य लाभ प्रदान करते हुए किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है।
    - कृषि के इस दृष्टिकोण को एक जापानी किसान और दार्शनिक मासानोबू फुकुओका (Masanobu Fukuoka) ने 1975 में अपनी पुस्तक द वन-स्ट्रॉ रेवोल्यूशन में पेश किया था।
  - यह खेतों में या उसके आसपास के क्षेत्रों में मौजूद प्राकृतिक या पारिस्थितिक तंत्र पर आधारित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती को पुनर्योजी कृषि का एक रूप माना जाता है, जो ग्रह को बचाने के लिये एक प्रमुख रणनीति है।

नोट :

- इसमें भूमि प्रथाओं का प्रबंधन और मिट्टी एवं पौधों में वातावरण से कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता होती है, जिससे यह हानिकारक के बजाय वास्तव में उपयोगी है।
- भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत प्राकृतिक खेती को भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम (BPKP) के रूप में बढ़ावा दिया जाता है।
  - BPKP योजना का उद्देश्य बाहर से खरीदे जाने वाले आदानों को कम कर पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
- प्राकृतिक खेती का आशय पद्धति, प्रथाओं और उपज में वृद्धि संबंधी प्राकृतिक विज्ञान से है ताकि कम साधनों में अधिक उत्पादन किया जा सके।

- उद्देश्य:
  - लागत में कमी, कम जोखिम, समान उपज, इंटर-क्रॉपिंग से अर्जित आय द्वारा किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि करके खेती को व्यवहार्य और अनुकूल बनाना।
  - किसानों को खेत, प्राकृतिक और घरेलू संसाधनों का उपयोग कर आवश्यक जैविक आदानों को तैयार करने के लिये प्रोत्साहित करना तथा उत्पादन लागत में भारी कटौती करना।
- महत्त्व:
  - उत्पादन की न्यूनतम लागत:
    - इसे रोज़गार बढ़ाने और ग्रामीण विकास की गुंजाइश के साथ एक लागत-प्रभावी कृषि पद्धति/प्रथा माना जाता है।
  - बेहतर स्वास्थ्य की सुनिश्चित करना:
    - चूँकि प्राकृतिक खेती में किसी भी सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिये स्वास्थ्य जोखिम और खतरे समाप्त हो जाते हैं। साथ ही भोजन में उच्च पोषक तत्त्व होने से यह बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।
  - रोज़गार सृजन:
    - प्राकृतिक खेती नए उद्यमों, मूल्यवर्द्धन, स्थानीय क्षेत्रों में विपणन आदि में रोज़गार के सृजन में सहायक है। प्राकृतिक खेती से प्राप्त अधिशेष का निवेश गाँव में ही किया जा सकता है।
    - चूँकि इसमें रोज़गार सृजन की क्षमता है, जिससे ग्रामीण युवाओं का पलायन रुकेगा।
  - पर्यावरण संरक्षण:
    - यह बेहतर मृदा जीव विज्ञान, बेहतर कृषि जैव विविधता और बहुत छोटे कार्बन एवं नाइट्रोजन पदचिह्नों के साथ जल का अधिक न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करती है।
  - जल की कम खपत:
    - विभिन्न फसलों के साथ प्रतिक्रिया करके यह एक-दूसरे की मदद करते हैं और वाष्पीकरण के माध्यम से अनावश्यक जल के नुकसान को रोकने के लिये मिट्टी को कवर करते हैं, प्राकृतिक खेती 'प्रति बूँद फसल' की मात्रा को अनुकूलित करती है।
  - मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करना:
    - प्राकृतिक खेती का सबसे तात्कालिक प्रभाव मिट्टी के जीव विज्ञान- रोगाणुओं और अन्य जीवित जीवों जैसे केंचुओं पर पड़ता है। मृदा स्वास्थ्य पूरी तरह से उसमें रहने वाले जीवों पर निर्भर करता है।
  - पशुधन स्थिरता:
    - कृषि प्रणाली में पशुधन का एकीकरण प्राकृतिक खेती में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्चक्रण में मदद करता है। जीवामृत और बीजामृत जैसे इको-फ्रेंडली बायो-इनपुट गाय के गोबर और मूत्र तथा अन्य प्राकृतिक उत्पादों से तैयार किये जाते हैं।
  - लचीलापन:
    - जैविक कार्बन, कम/न्यून जुताई और पौधों की विविधता की मदद से मिट्टी की संरचना में परिवर्तन गंभीर सूखे जैसी चरम स्थितियों में भी पौधों की वृद्धि में सहायक हो सकता है एवं चक्रवात के दौरान गंभीर बाढ़ तथा वायु द्वारा होने वाली क्षति को कम किया जा सकता हैं।
    - मौसम की चरम सीमाओं के खिलाफ फसलों को लचीलापन प्रदान कर प्राकृतिक खेती किसानों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है।

नोट :

- संबंधित पहल:
  - बारानी क्षेत्र विकास (RAD): यह उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिये एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) पर केंद्रित है।
  - कृषि वानिकी पर उप-मिशन (SMAF): इसका उद्देश्य किसानों को जलवायु सुगमता और आय के अतिरिक्त स्रोतों के लिये कृषि फसलों के साथ-साथ बहुउद्देश्यीय पेड़ लगाने हेतु प्रोत्साहित करना है, साथ ही लकड़ी आधारित फीडस्टॉक और हर्बल उद्योग को बढ़ावा देना है।
  - जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने हेतु कृषि को लचीला बनाने के लिये तकनीकों का विकास, प्रदर्शन और प्रसार करने के लिये सतत् कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (NMSA) प्रारंभ किया गया।
  - उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिये मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCDNER): यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यह NMSA के तहत एक उप-मिशन है, जिसका उद्देश्य प्रमाणित जैविक उत्पादन को वैल्यू चेन मोड में विकसित करना है।
  - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): इसे वर्ष 2015 में जल संसाधनों के मुद्दों को संबोधित करने और एक स्थायी समाधान प्रदान करने के लिये शुरू किया गया था जो 'प्रति बूँद अधिक फसल' की परिकल्पना करती है।
  - हरित भारत मिशन: इसे वर्ष 2014 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC) के तहत लॉन्च किया गया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य भारत के घटते वन आवरण की रक्षा, पुनर्स्थापना और उसमें वृद्धि करना था।

प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बीच अंतर

जैविक खेती	प्राकृतिक खेती
जैविक खेती में जैविक उर्वरक और खाद जैसे- कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, गाय के गोबर की खाद आदि का उपयोग किया जाता है और बाहरी उर्वरक का खेतो में प्रयोग किया जाता है।	प्राकृतिक खेती में मिट्टी में न तो रासायनिक और न ही जैविक खाद डाली जाती है। वास्तव में बाहरी उर्वरक का प्रयोग न तो मिट्टी में और न ही पौधों में किया जाता है।
जैविक खेती के लिये अभी भी बुनियादी कृषि पद्धतियों जैसे- जुताई, गुड़ाई, खाद का मिश्रण, निराई आदि की आवश्यकता होती है।	प्राकृतिक खेती में मिट्टी की सतह पर ही रोगाणुओं और केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को प्रोत्साहित किया जाता है, इससे धीरे-धीरे मिट्टी में पोषक तत्त्वों की वृद्धि होती है।
व्यापक स्तर पर खाद की आवश्यकता के कारण जैविक खेती अभी भी महँगी है और इस पर आसपास के वातावरण व पारिस्थितिक का प्रभाव पड़ता है; जबकि प्राकृतिक कृषि एक अत्यंत कम लागत वाली कृषि पद्धति है, जो स्थानीय जैव विविधता के साथ पूरी तरह से अनुकूलित हो जाती है।	प्राकृतिक खेती में न जुताई होती है, न मिट्टी को पलटा जाता है और न ही उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है तथा किसी भी पद्धति का ठीक उसी तरह नहीं अपनाया जाता है जैसे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में होता है।

आगे की राह:

- विश्व की जनसंख्या वर्ष 2050 तक लगभग 10 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। संभावना है कि वर्ष 2013 की तुलना में कृषि मांग 50% तक बढ़ जाएगी, ऐसी स्थिति में कृषि-पारिस्थितिकी जैसे 'समग्र' दृष्टिकोण की ओर एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया, कृषि वानिकी, जलवायु-स्मार्ट कृषि और संरक्षण कृषि की आवश्यकता है।
- कृषि बाज़ार के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने और सभी राज्यों में खाद्यान्न और गैर-खाद्यान्न फसलों के लिये खरीद तंत्र का विस्तार करने की आवश्यकता है।
- चयनित फसलों के लिये प्राइस डेफिसिएंसी पेमेंट सिस्टम का कार्यान्वयन करना। 'एमएसपी पर बेचने का अधिकार' पर कानून बनाने या तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को खेती की लागत को कम करने के लिये कृषि कार्य से भी जोड़ा जाना चाहिये, जो पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ी है।

नोट :

लॉकडाउन (वर्ष 2020) के दौरान रोज़गार का नुकसान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय' ने कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020 में लागू लॉकडाउन के दौरान नौकरी छूटने के आँकड़े प्रस्तुत किये हैं।

- डेटा 'ऑल-इंडिया क्वार्टरली इस्टैब्लिशमेंट-बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे' (AQEES) पर आधारित है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - श्रम ब्यूरो द्वारा 'ऑल-इंडिया क्वार्टरली इस्टैब्लिशमेंट-बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे' को नौ चयनित क्षेत्रों के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोज़गार एवं प्रतिष्ठानों के संबंध में तिमाही आधार पर अद्यतन करने के लिये आयोजित किया जाता है।
    - 9 क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तराँ, आईटी/बीपीओ, वित्तीय सेवा गतिविधियाँ हैं।
  - घटक:
    - त्रैमासिक रोज़गार सर्वेक्षण (QES): यह 10 या उससे अधिक श्रमिकों को रोज़गार देने वाले प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण करता है।
    - संशोधित QES का आयोजन पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2021) के दौरान किया गया था।
    - पेरोल डेटा के साथ संख्या में अंतर का हवाला देते हुए वर्ष 2018 में QES के पुराने संस्करण को निलंबित कर दिया गया था।
    - 'एरिया फ्रेम इस्टैब्लिशमेंट सर्वे' (AFES): यह नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से असंगठित क्षेत्र (10 से कम श्रमिकों के साथ) को कवर करता है।
- प्रमुख निष्कर्ष:
  - विनिर्माण क्षेत्र: इसने प्री-लॉकडाउन (मार्च 2020) और पोस्ट-लॉकडाउन (जुलाई 2020) की अवधि के बीच 14.2 लाख नौकरियों का नुकसान दर्ज किया।
    - वर्ष 2020 में लागू लॉकडाउन के दौरान लगभग 7.5% नौकरियों का नुकसान हुआ।
  - वित्तीय सेवा क्षेत्र: सर्वेक्षण में इसी अवधि के दौरान आईटी/बीपीओ क्षेत्र में 0.4-1 लाख की नौकरी का नुकसान दर्ज किया गया।
  - अन्य क्षेत्र: निर्माण क्षेत्र में 1 लाख नौकरियों का नुकसान दर्ज किया गया, जबकि व्यापार और शिक्षा क्षेत्रों में क्रमश: 1.8 लाख और 2.8 लाख नौकरियों का नुकसान दर्ज किया गया।
  - महिला कामगार: नौ प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं ने 7.44% नौकरियाँ गँवाई हैं।
    - विनिर्माण क्षेत्र में महिला रोज़गार 26.7 लाख (मार्च 2020 तक) से घटकर 23.3 लाख (जुलाई 2020 तक) हो गया।
    - निर्माण क्षेत्र में महिला श्रमिकों की संख्या 1.8 लाख से घटाकर 1.5 लाख हो गई।
    - व्यापार क्षेत्र में महिला रोज़गार 4.5 लाख (मार्च 2020 तक) से घटकर 4 लाख (1 जुलाई, 2020 तक) हो गया।
  - पुरुष श्रमिक: प्री-लॉकडाउन और पोस्ट-लॉकडाउन अवधि के मध्य पुरुषों की 7.48% नौकरियों का नुकसान दर्ज किया गया।
    - इसी अवधि के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में पुरुष कामगार 98.7 लाख से घटकर 87.9 लाख हो गए।
    - निर्माण क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान पुरुष श्रमिकों की संख्या 5.8 लाख से घटाकर 5.1 लाख हो गई।
    - व्यापार क्षेत्र में पुरुष रोज़गार 16.1 लाख (मार्च 2020 तक) से घटकर 14.8 लाख (जुलाई 2020 तक) हो गया।
- नवीनतम निष्कर्ष:
  - सितंबर में जारी नए तिमाही रोज़गार सर्वेक्षण में प्रमुख नौ क्षेत्रों में रोज़गार बढ़कर अप्रैल-जून 2021 में 3.08 करोड़ हो गया, जो वर्ष 2013-14 में 2.37 करोड़ था।
    - इसके लिये आधार वर्ष छठी आर्थिक जनगणना के आधार पर चुना गया था।
  - महामारी के कारण 27% प्रतिष्ठानों में संगठित गैर-कृषि क्षेत्र में रोज़गार में कमी आई है।
    - लॉकडाउन अवधि (मार्च 2020-जून 2020) के दौरान 81% श्रमिकों को पूरा वेतन मिला, 16% को कम मज़दूरी मिली और केवल 3% श्रमिकों को कोई वेतन नहीं मिला।

नोट :

- महत्त्व:
  - इन सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी सरकार को महत्त्वपूर्ण मुद्दों को समझने और साक्ष्य-आधारित राष्ट्रीय रोज़गार नीति तैयार करने में मदद करेगी।
    - इसके अलावा मंत्रालय ने 'प्रवासी कामगारों का अखिल भारतीय सर्वेक्षण' और 'घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण' नाम से दो और सर्वेक्षण शुरू किये हैं।
- संबंधित पहलें:
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना
  - पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)
  - दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
  - 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0' के हिस्से के रूप में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

पीएम मित्र' पार्क

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने वर्ष 2027-28 तक सात वर्षों की अवधि के लिये 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड साइट्स में सात 'पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल' (PM Mega Integrated Textile Region and Apparel- PM MITRA) पार्कों की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है।

- भारत सरकार 'एकीकृत वस्त्र पार्क योजना' (Scheme for Integrated Textile Park- SITP) शुरू की है, यह योजना कपड़ा इकाइयों की स्थापना के लिये विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करती है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - 'पीएम मित्र' पार्क को सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड में एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle-SPV) के ज़रिये विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास होगा।
  - प्रत्येक 'मित्र' पार्क में एक इन्क्यूबेशन सेंटर, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस और एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट तथा अन्य टेक्सटाइल संबंधी सुविधाएँ जैसे- डिज़ाइन सेंटर एवं टेस्टिंग सेंटर होंगे।
    - इनक्यूबेशन सेंटर वह संस्था होती है जो उद्यमियों को उनके व्यवसाय को विकसित करने और इससे जुड़ी समस्याओं को हल करने में सहायता करती है, विशेष रूप से प्रारंभिक चरणों में व्यवसाय और तकनीकी सेवाओं की सारणी, प्रारंभिक सीड फंडिंग (Seed Funding), प्रयोगशाला सुविधाएँ, सलाहकार, नेटवर्क और लिंकेज प्रदान करके।
  - यह 'विशेष प्रयोजन वाहन'/मास्टर डेवलपर न केवल औद्योगिक पार्क का विकास करेगा, बल्कि रियायत अवधि के दौरान इसका रखरखाव भी करेगा।
- वित्तपोषण:
  - इस योजना के तहत केंद्र सरकार सामान्य बुनियादी अवसंरचना के विकास हेतु प्रत्येक ग्रीनफील्ड 'मित्र' पार्क के लिये 500 करोड़ रुपए और प्रत्येक ब्राउनफील्ड पार्क के लिये 200 करोड़ रुपए की विकास पूंजी सहायता प्रदान करेगी।
    - ग्रीनफील्ड का आशय एक पूर्णत: नई परियोजना से है, जिसे शून्य स्तर से शुरू किया जाना है, जबकि ब्राउनफील्ड परियोजना वह है जिस पर काम शुरू किया जा चुका है।
- प्रोत्साहन के लिये पात्रता:
  - इनमें से प्रत्येक पार्क में वस्त्र निर्माण इकाइयों की शीघ्र स्थापना के लिये प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रोत्साहन सहायता के रूप में अतिरिक्त 300 करोड़ रुपए प्रदान किये जाएंगे।

नोट :

- कम-से-कम 100 लोगों को रोज़गार देने वाले 'एंकर प्लांट' स्थापित करने वाले निवेशक तीन वर्ष तक प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए तक प्रोत्साहन पाने के लिये पात्र होंगे।

- महत्त्व:
  - रसद लागत में कमी:
    - यह रसद लागत को कम करेगा और कपड़ा क्षेत्र की मूल्य शृंखला को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनने हेतु मज़बूत करेगा।
    - कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के भारत के लक्ष्य में उच्च रसद लागत को एक प्रमुख बाधा माना जाता है।
  - रोज़गार सृजन:
    - प्रत्येक पार्क के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 1 लाख रोज़गार और परोक्ष रूप से 2 लाख रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है।
  - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि:
    - ये पार्क देश में 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' (FDI) आकर्षित करने हेतु महत्त्वपूर्ण हैं।
    - अप्रैल 2000 से सितंबर 2020 तक भारत के कपड़ा क्षेत्र को 20,468.62 करोड़ रुपए का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त हुआ था, जो इस अवधि के दौरान कुल विदेशी निवेश प्रवाह का मात्र 0.69% है।
- अन्य संबंधित पहलें:
  - 'मानव-निर्मित फाइबर खंड' (MMF) परिधान और तकनीकी वस्त्रों के दस उत्पादों के लिये पाँच वर्ष के लिये 'उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना' को मंज़ूरी दी गई है।
  - तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु 'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन' भी शुरू किया गया है।

भारत का वस्त्र क्षेत्र:

- परिचय:
  - यह भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है और पारंपरिक कौशल, विरासत तथा संस्कृति का भंडार एवं वाहक है।
  - यह भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 7%, भारत की निर्यात आय में 12% और कुल रोज़गार में 21% से अधिक का योगदान देता है।
  - भारत 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ तकनीकी वस्त्रों (Technical Textile) का छठा (विश्व में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक) बड़ा उत्पादक देश है।
    - तकनीकी वस्त्र कार्यात्मक कपड़े होते हैं जो ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा आदि सहित विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोग होते हैं।
  - भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश भी है, विश्व में हाथ से बुने हुए कपड़ों के मामले में इसकी 95% हिस्सेदारी है।
- प्रमुख पहलें:
  - संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (ATUFS)
  - एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (SITP)
  - समर्थ योजना।
  - पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्द्धन योजना (NERTPS)
  - पावर-टेक्स इंडिया
  - सिल्क समग्र योजना
  - जूट ICARE

नोट :

वेतन दर सूचकांक (WRI)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने वेतन दर सूचकांक (WRI) के लिये आधार वर्ष को संशोधित कर 2016 कर दिया है जो 1963-65 के आधार वर्ष से संबंधित पुरानी शृंखला को परिवर्तित करेगा।

- वेतन दर सूचकांक संख्या समय की अवधि में वेतन दरों में सापेक्ष परिवर्तनों को मापती है, किसी उद्योग में उच्च या निम्न वेतन दर सूचकांक अन्य उद्योगों की तुलना में उस उद्योग में उच्च या निम्न वेतन दर को इंगित नहीं करता है।
- एक आधार वर्ष एक आर्थिक या वित्तीय सूचकांक में वर्षों की शृंखला में से पहला वर्ष होता है और आमतौर पर इसे 100 के स्वैच्छिक स्तर पर निर्धारित किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने आधार वर्ष 2016 के साथ वेतन दर सूचकांक (डब्ल्यूआरआई) की एक नई शृंखला जारी की है, जिसे मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित और अनुरक्षित किया जा रहा है।
  - यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
  - WRI पर नई शृंखला मौजूदा वार्षिक शृंखला के स्थान पर अर्द्धवार्षिक आधार पर (हर वर्ष जनवरी और जुलाई में) संकलित की गई है।
  - नए WRI बास्केट में (2016=100) पुरानी WRI शृंखला (1963-65=100) की तुलना में व्यवसायों और उद्योगों के मामले में दायरे और कवरेज को बढ़ाया गया है।
  - नई शृंखला में शामिल किये गए 37 उद्योगों में कपड़ा वस्त्र, जूते और पेट्रोलियम सहित विनिर्माण क्षेत्र के 16 नए उद्योगों को जोड़ा गया है।
  - नई शृंखला में खनन क्षेत्र को तीन अलग-अलग प्रकार के खनन अर्थात् कोयला, धातु और तेल का अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु नए 'बास्केट' में अभ्रक खदान उद्योग के स्थान पर तेल खनन उद्योग को प्रतिस्थापित किया गया है।
  - कुल 3 बागान उद्योग- चाय, कॉफी और रबर को नए WRI बास्केट में जोड़ा गया है।
  - शीर्ष पाँच उद्योगों- मोटर वाहन, कोयले की खदानें, कपड़ा, लोहा और इस्पात तथा सूती वस्त्र का समग्र तौर पर 46% हिस्सा है।
- संभावित लाभ:
  - संशोधित आधार अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा और अन्य मानकों के साथ न्यूनतम मजदूरी एवं राष्ट्रीय न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
  - सरकार समय-समय पर प्रमुख आर्थिक संकेतकों के लिये आधार वर्ष में संशोधन करती है, ताकि अर्थव्यवस्था में बदलाव को प्रतिबिंबित किया जा सके और श्रमिकों के वेतन पैटर्न को सही ढंग से दर्ज किया जा सके।
  - यह मानव संसाधन रणनीति पर निर्णय लेने हेतु नियोक्ताओं को उपयोगी सुझाव प्रदान करता है।
- वेतन दर सूचकांक 2020:
  - सभी 37 उद्योगों के लिये अखिल भारतीय वेतन दर वर्ष 2020 (दूसरी छमाही) में 119.7 थी जो वर्ष 2020 (पहली छमाही) के सूचकांक की तुलना में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
  - उच्चतम वेतन दर सूचकांक:
    - दवा क्षेत्र में सर्वाधिक वेतन दर सूचकांक दर्ज किया गया, जिसके बाद चीनी, मोटर साइकिल, जूट वस्त्र और चाय बागान का स्थान रहा।
  - न्यूनतम वेतन दर सूचकांक:
    - रबर प्लांटेशन में सबसे कम वेतन दर सूचकांक दर्ज किया गया, जिसके बाद कागज़, कास्टिंग और फोर्जिंग, ऊनी वस्त्र और सिंथेटिक वस्त्र का स्थान रहा।

नोट :

शिप एक्वीज़ीशन, फाइनेंसिंग एंड लीज़िंग: IFSCA रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'जहाज़ अधिग्रहण, वित्तपोषण और पट्टे हेतु एवेन्यू के विकास के लिये गठित समिति द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण' (IFSCA) को 'शिप एक्वीज़ीशन, फाइनेंसिंग एंड लीज़िंग (SAFAL) शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रमुख बिंदु

- समिति के विषय में:
  - गठन: इसका गठन IFSCA द्वारा जून 2021 में भारत सरकार, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, उद्योग और वित्त विशेषज्ञों तथा शिक्षाविदों के प्रतिनिधियों के साथ किया गया था।
  - उद्देश्य: यह मुख्य तौर पर IFSC से स्वामित्व और पट्टे पर लिये गए जहाज़ों की शिपिंग सेवाओं के लागत प्रभावी और प्रतिस्पर्द्धी डिलीवरी को सक्षम करने और उन्हें विदेशी प्रतिस्पर्द्धियों के बराबर लाने पर फोकस करता है।
- समिति के निष्कर्ष:
  - शिपिंग सेवाओं का शुद्ध आयातक: एक व्यापक तटरेखा, बढ़ते घरेलू बाज़ार और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार, प्राचीन समुद्री परंपराओं तथा कुशल नाविकों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग क्षेत्र में भारत का हिस्सा काफी कम है, इस प्रकार यह शिपिंग का शुद्ध आयातक बन गया है।
  - आवश्यक परिवर्तन: इसने ग्रीनफील्ड उद्यम को IFSC के दायरे में लाने के लिये महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक परिवर्तन किये हैं।
    - इनमें कानूनी एवं नियामक डोमेन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित 'व्यापार सुगमता' शामिल है।
  - ब्रांड वैल्यू प्रदान करना: यह भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों को ब्रांड वैल्यू प्रदान करने का उपयुक्त समय है।
    - यह लक्ष्य वैश्विक क्रॉस ट्रेडों में हिस्सेदार बनाकर, भारत के बाज़ार के लिये लाभकारी लेन-देन हासिल कर नीले महासागरों में डीकार्बोनाइज़ेशन एवं हरियाली को बढ़ावा देने और मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 तथा उससे आगे के लिये भारत-आईएफएससी मैरीटाइम का लाभ उठाकर प्राप्त किया जा सकता है।
    - मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 समुद्री क्षेत्र के लिये दस वर्ष का ब्लूप्रिंट है, जिसे नवंबर 2020 में मैरीटाइम इंडिया समिट में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था।
    - यह 'सागरमाला पहल' का स्थान लेगा और इसका उद्देश्य जलमार्ग को बढ़ावा देना, जहाज़ निर्माण उद्योग के विस्तार तथा भारत में क्रूज़ पर्यटन को प्रोत्साहित करना है।
- भारत के लिये नौवहन क्षेत्र का महत्त्व:
  - भारत की लगभग आधी सीमा समुद्र से घिरी हुई है और देश की तटरेखा लगभग 7,517 किलोमीटर है, जिसमें 12 बड़े और 205 छोटे बंदरगाह शामिल हैं।
    - भारत रणनीतिक रूप से दुनिया के नौवहन मार्गों पर स्थित है।
  - यह अनुमान है कि भारत का लगभग 95% माल का व्यापार मात्रा के हिसाब से और 70% मूल्य के हिसाब से समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है।
  - समुद्री माल भाड़ा दर में भी भारत महत्त्वपूर्ण जोखिम का सामना कर रहा है। भारत में समुद्री माल ढुलाई प्रतिवर्ष 85 अरब डॉलर अनुमानित है।
    - वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत के निर्यात-आयात कार्गो को ले जाने में भारतीय जहाज़ों की हिस्सेदारी लगभग 6.53% थी।
    - अनुमान है कि भारत प्रतिवर्ष विदेशी शिपिंग कंपनियों को लगभग 75 बिलियन डॉलर समुद्री माल का भुगतान करता है।
    - इस प्रकार भारत शिपिंग उद्योग में अपने निवेश को बढ़ाने के लिये बेहतर स्थिति में है।

नोट :

- सरकार द्वारा किये गए संबंधित उपाय:
  - पहले इनकार के अधिकार (ROFR) के मानदंडों में संशोधन: भारत में भारतीय ध्वजांकित और जहाज़ निर्माण के तहत टन भार को बढ़ावा देने के लिये निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जहाज़ों को किराए पर लेने में पहले इनकार का अधिकार देने के मानदंड को संशोधित किया गया है, ताकि भारत में टन भार और जहाज़ निर्माण के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
  - भारतीय नौवहन कंपनियों को सब्सिडी सहायता: मंत्रालयों और CPSE द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी सहायता के रूप में पाँच वर्ष की अवधि में 1,624 करोड़ रुपए प्रदान करके भारतीय ध्वजांकित व्यापारिक जहाज़ों को बढ़ावा देने के लिये एक योजना को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है।
  - जहाज़ निर्माण वित्तीय सहायता नीति (2016-2026): भारत सरकार ने भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दिसंबर 2015 में भारतीय शिपयार्ड के लिये वित्तीय सहायता नीति को मंज़ूरी दी।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC):

- IFSC उन वित्तीय सेवाओं और निवेश को भारत में वापस लाने में सक्षम बनाते हैं जो वर्तमान में भारतीय कॉर्पोरेट संस्थाओं और विदेशी शाखाओं/वित्तीय संस्थानों की सहायक कंपनियों (जैसे बैंक, बीमा कंपनियाँ आदि) द्वारा भारत के अपतटीय वित्तीय केंद्रों में किये जाते हैं।
  - ये केंद्र व्यावसायिक और विनियामक स्थिति प्रदान कर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान की तुलना में विश्व के अन्य वित्तीय केंद्रों जैसे- लंदन और सिंगापुर में किये जाते हैं।
- IFSC का उद्देश्य भारतीय कॉरपोरेट्स को वैश्विक वित्तीय बाज़ारों तक आसान पहुँच प्रदान करना और भारत में वित्तीय बाज़ारों के विकास को बढ़ावा देना है।
- भारत में पहला IFSC गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT City) में स्थापित किया गया है।
- केंद्र सरकार ने गांधीनगर (गुजरात) में मुख्यालय के साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है।

कृषि क्षेत्र के लिये ARCs

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अग्रणी बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में खराब ऋणों की वसूली में सुधार के लिये विशेष रूप से कृषि ऋणों के संग्रह और वसूली से निपटने हेतु एक परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनी (Asset Reconstruction Company- ARC) स्थापित करने के लिये योजना/रूपरेखा प्रस्तावित की गई है।

- बैंक द्वारा NPAs की चुनौती से निपटने के लिये सरकार समर्थित ARC की स्थापना के साथ ही इस अवधारणा को उद्योग और बैंकों के बीच स्वीकार्यता मिली है।
- भारतीय बैंक संघ के कुछ सदस्य बैंकों ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को वित्तीय संपत्तियों प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और 'सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट' (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act), 2002 की तरह कुछ सीमा तक कृषि भूमि पर कानून लाने की आवश्यकता है।

प्रमुख बिंदु

- परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनी (ARC) के बारे में:
  - उद्देश्य: यह एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 'नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स' (Non Performing Assets- NPAs) खरीदता है ताकि वे अपनी बैलेंसशीट को स्वच्छ रख सकें।
    - यह बैंकों को सामान्य बैंकिंग गतिविधियों में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। बैंकों द्वारा बकाएदारों पर अपना समय और प्रयास बर्बाद करने के बजाय वे ARC को अपना NPAs पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर बेच सकते हैं।

नोट :

- विधिक आधार: सरफेसी अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act, 2002) भारत में ARCs की स्थापना के लिये कानूनी आधार प्रदान करता है।
  - सरफेसी अधिनियम न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना गैर-निष्पदनकारी संपत्ति के पुनर्निर्माण में मदद करता है। इस अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में ARCs का गठन और उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ पंजीकृत किया गया, जिसे ARCs को विनियमित करने की शक्ति मिली है।.
- फंडिंग: ARC द्वारा अपनी फंडिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, बांड, डिबेंचर और सिक्यूरिटी रिसीप्ट जारी की जा सकती हैं।
- 'नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड' (NARCL):
  - बजट 2021-22 में, ARC को राज्य के स्वामित्व वाले तथा निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें सरकार की ओर से कोई इक्विटी योगदान नहीं दिया जाएगा।
  - ARC जो कि खराब परिसंपत्तियों के प्रबंधन और बिक्री के लिये परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनी होगी, 70 बड़े खातों में 2-2.5 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करेगी।
  - इसे सरकार द्वारा स्थापित 'बैड बैंक' (Bad Bank) का संस्करण माना जा रहा है।

- कृषि ऋण के लिये ARC की आवश्यकता:
  - बैंकों के NPAs: नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2021 के अनुसार, कृषि क्षेत्र के लिये बैंकों का सकल एनपीए अनुपात 9.8% था, जबकि 2021 मार्च के अंत में उद्योग और सेवाओं के लिये यह क्रमश: 11.3% और 7.5% था।.
  - बकाया ऋण: 'ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि जोत की स्थिति का आकलन, 2019' के आँकड़ों के अनुसार, कृषि परिवारों के ऋण का प्रतिशत वर्ष 2013 के 52% से घटकर वर्ष 2019 में 50.2% हो गया है तथा औसत ऋण 57% से अधिक की वृद्धि के साथ वर्ष 2013 के 47,000 रूपए से बढकर वर्ष 2019 में 74,121 रूपए हो गया है।
    - सर्वेक्षण के आँकड़ों से पता चलता है कि कृषि परिवारों द्वारा बकाया ऋण का 69.6% संस्थागत स्रोतों जैसे बैंकों, सहकारी समितियों और अन्य सरकारी एजेंसियों से लिया गया था।
    - यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किया जाता है।
  - कृषि ऋण माफी: चुनावों के आसपास राज्यों द्वारा कृषि ऋण माफी की घोषणा से ऋण देने की पद्दति में विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं।
    - वर्ष 2014 के बाद से, कम से कम 11 राज्यों द्वारा कृषि ऋण माफी की घोषणा की गई है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
    - उत्तर प्रदेश सरकार कृषि ऋण पर रियायती ब्याज दरों, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ केंद्र के कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) के तहत कृषि बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।
    - कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (Post-Harvest Management Infrastructure) और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना है।
    - वर्ष 2021 में सात राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बैंकों के बीच यह चिंता बनी हुई है कि इसके चलते कृषि क्षेत्र में NPAs में वृद्धि हो सकती है।
    - जबकि वास्तविक कठिनाई का एक कारण ऋणों की वापसी में हुई देरी हो सकता है। सरकार द्वारा ऋणों में छूट की घोषणा भी बैंकों के समक्ष वसूली में चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है।

- चुनौतियाँ:
  - फंड की उपलब्धता: 'परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनी' की सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता 'गैर-निष्पादित संपत्ति' की व्यापक मात्रा के साथ संतुलित करने हेतु पर्याप्त धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
    - यह एक स्वागतयोग्य कदम होगा यदि सरकार अपने पूंजी आधार को मज़बूत करने हेतु सरकार एवं 'भारतीय रिज़र्व बैंक' (RBI) के इक्विटी योगदान के साथ ARC की स्थापना करती है।

नोट :

- इस प्रकार ARC के पास NPA की गंभीर समस्या से निपटने के लिये पर्याप्त धन होगा।

- एक जीवंत संकटग्रस्त ऋण बाज़ार की अनुपस्थिति: भले ही ARC के पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो, किंतु गैर-निष्पादित परिसंपत्ति को खरीदने एवं बेचने के बीच असंतुलित मूल्य और खराब संपत्तियों के स्वीकार्य मूल्यांकन पर समझौता भी ARC के लिये एक चुनौती पैदा करेगा।
  - यह भारत में एक जीवंत संकटग्रस्त ऋण बाज़ार की अनुपस्थिति है। ऐसे में गैर-निष्पादित संपत्तियों को बाज़ार में बेचना भी मुश्किल है।
- व्यावसायिक विशेषज्ञता का अभाव: एआरसी में बदलाव के लिए पेशेवर विशेषज्ञता का अभाव एक व्यापक समस्या है।
  - ARCs में शामिल होने वाले बैंकर, वकील और चार्टर्ड एकाउंटेंट जैसे पेशेवर आमतौर पर कुछ अतिरिक्त रिटर्न की उम्मीद करते हैं।
  - हालाँकि, नियामक मुद्दों के कारण यह आसान नहीं है और ARCs पेशेवरों की विशेषज्ञों की सेवा से वंचित है जो इसकी काफी मदद कर सकता है।
- परिपक्व द्वितीयक बाज़ार का अभाव: अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीदारों को ARCs द्वारा जारी सुरक्षा रसीदों (SR) हेतु परिपक्व द्वितीयक बाज़ार का अभाव है।
  - यह बैंकों को अपनी स्वयं की तनावग्रस्त संपत्तियों द्वारा समर्थित SR खरीदने के लिये प्रेरित करता है।
  - यह देखा गया है कि वर्तमान में 80% से अधिक SR केवल विक्रेता बैंकों के पास ही हैं।
- नियामक बाधाएँ: वर्तमान में सभी ARCs, नियामक यानी रिज़र्व बैंक के विनियमन के अधीन हैं और यह देखा गया है कि कुछ कड़े नियमों ने उनकी वृद्धि और व्यवहार्यता को बाधित किया है। इस प्रकार, ARCs अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं।

कृषि क्षेत्र के NPAs से निपटने हेतु वर्तमान तंत्र:

- वर्तमान में, कृषि क्षेत्र में NPAs से निपटने के लिये न तो एक एकीकृत तंत्र है और न ही एक भी कानून है।
- कृषि एक राज्य का विषय होने के कारण, वसूली कानून, जहाँ कहीं भी कृषि भूमि को संपार्श्विक के रूप में पेश किया जाता है- अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं।
- गिरवी रखी गई कृषि भूमि का विनियमन प्राय: राज्यों के राजस्व वसूली अधिनियम, ऋण की वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 तथा अन्य राज्य-विशिष्ट नियमों के माध्यम से किया जाता है।
- इनमें अक्सर समय लगता है और कुछ राज्यों में तो बैंक ऋणों को कवर करने वाले राजस्व वसूली कानून लागू भी नहीं किये गए हैं।

आगे की राह:

- बैंकों और ARCs के बीच मूल्य निर्धारण हेतु एक कठोर और यथार्थवादी दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है।
  - इसलिये NPA बिक्री, समाधान और वसूली की पूरी प्रक्रिया को तेज़ और सुचारू बनाने के लिये नियामक सहित सभी हितधारकों को एक साथ आने की तत्काल आवश्यकता है।
- कृषि क्षेत्र में कर्ज की वसूली की बात आती है तो बैंकों के हाथ बँधे होते हैं। प्रत्याशित कृषि ऋण माफी की समस्या भी काफी गंभीर है, जिससे वसूली मुश्किल हो जाती है।
- वर्तमान परिदृश्य में ARC की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका है और इसे भारतीय बैंकिंग उद्योग में व्याप्त बड़े पैमाने पर एनपीए की समस्या को हल करने के लिये मज़बूत किया जाना चाहिये।
- हालाँकि, ARC को एकमात्र विधि के रूप में नहीं देखा जा सकता है। सबसे कुशल तरीका यह होगा कि भारत की 'बैड लोन' की समस्या के विभिन्न हिस्सों के लिये समाधान तैयार किया जाए और अन्य सभी तरीकों के विफल होने पर केवल अंतिम उपाय के रूप में ARC का उपयोग किया जाए।

नोट :

हथकरघा क्षेत्र में सुधार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने हथकरघा क्षेत्र में महामारी से उत्पन्न मुद्दों को बढ़ावा देने और उनका समाधान करने के लिये कई कदम उठाए हैं।

- एक टेक्सटाइल को केवल बुनाई के लिये इस्तेमाल होने वाले धागे या उससे बने कपड़े के रूप में समझा जा सकता है।
- जबकि, हथकरघा टेक्सटाइल के निर्माण का एक भाग है, इसमें बुनाई में श्रमिक और मशीनें शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- सरकार द्वारा उठाए गए कदम:
  - अनुरोध करने वाले राज्य: वस्त्र मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अपने राज्य हथकरघा निगमों/सहकारिता/एजेंसियों से हथकरघा बुनकरों/कारीगरों के पास तैयार इन्वेंट्री की खरीद करने का अनुरोध किया है।
  - गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर बुनकरों का पंजीकरण: सरकार द्वारा गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस से बुनकरों को जोड़ने के लिये कदम उठाए गए हैं।
    - इस कदम से बुनकर अपने उत्पादों को सीधे विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों को बेचने में सक्षम होंगे।
    - अब तक लगभग 1.50 लाख बुनकरों को GeM पोर्टल से जोड़ा जा चुका है।
  - हथकरघा उत्पादक कंपनियों की स्थापना: उत्पादकता, विपणन क्षमताओं को बढ़ाने और बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न राज्यों में 128 हथकरघा उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है।
  - आसान ऋण नीति: रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना के तहत वित्तीय सहायता, ब्याज सबवेंशन/रियायत, क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाती है।
  - डिज़ाइन संसाधन केंद्र: नई दिल्ली, मुंबई आदि जैसे प्रमुख शहरों में बुनकर सेवा केंद्रों में डिज़ाइन संसाधन केंद्र (DRC) स्थापित किये गए हैं।
    - इन DRC का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में डिज़ाइन-उन्मुख उत्कृष्टता का सृजन और निर्माण करना है।
    - इसमें बुनकरों, निर्यातकों, विनिर्माताओं और डिज़ाइनरों को नमूना/उत्पाद सुधार तथा विकास के लिये डिज़ाइन रिपॉजिटरी तक पहुँच की सुविधा प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है।
  - हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद (HEPC) की स्थापना: हथकरघा उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिये हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद (Handloom Export Promotion Council- HEPC) वर्चुअल मोड में अंतर्राष्ट्रीय मेलों का आयोजन करती रही है।
    - 23 ई-कॉमर्स संस्थाओं को हथकरघा उत्पादों के ई-विपणन को बढ़ावा देने के कार्य में लगाया गया है।
  - कच्चे माल की आपूर्ति योजना: हथकरघा बुनकरों को सूत उपलब्ध कराने के लिये यह योजना पूरे देश में लागू की जा रही है।
    - योजना के तहत वस्त्र क्षेत्र में कच्चे माल के लिए प्रतिपूर्ति और मूल्य सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  - बुनकरों को शिक्षित करना: बुनकरों को उनके कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये विभिन्न हथकरघा योजनाओं का लाभ उठाने के लिये शिक्षित करने हेतु विभिन्न राज्यों में कई चौपालों का आयोजन किया गया।
- वस्त्र उद्योग का महत्त्व:
  - यह भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन का 7%, भारत की निर्यात आय में 12% और कुल रोज़गार में 21% से अधिक का योगदान देता है।
  - भारत में कच्चे माल और श्रम की प्रचुर आपूर्ति के निम्नलिखित कारण हैं:
    - कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसकी वैश्विक उत्पादन में 25% हिस्सेदारी है।
    - चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक देश है।
    - मानव निर्मित रेशों (पॉलिएस्टर और विस्कोस) का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
  - सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत में एक विस्तृत घरेलू बाज़ार उपलब्ध है।

नोट :

भारतीय वस्त्र उद्योग की चुनौतियाँ

- अत्यधिक खंडित: भारतीय वस्त्र उद्योग अत्यधिक खंडित है और इसमें मुख्य तौर पर असंगठित क्षेत्र तथा छोटे एवं मध्यम उद्योगों का प्रभुत्व देखने को मिलता है।
- पुरानी तकनीक: भारतीय वस्त्र उद्योग के समक्ष नवीनतम तकनीक तक पहुँच एक बड़ी चुनौती है (विशेषकर लघु उद्योगों में) और ऐसी स्थिति में यह अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार में वैश्विक मानकों को पूरा करने में विफल रहा है।
- कर संरचना संबंधी मुद्दे: कर संरचना जैसे- वस्तु एवं सेवा कर (GST) घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में वस्त्र उद्योग को महँगा एवं अप्रतिस्पर्द्धी बनाती है।
- स्थिर निर्यात: इस क्षेत्र का निर्यात स्थिर है और पिछले छह वर्षों से 40 अरब डॉलर के स्तर पर बना हुआ है।
- व्यापकता का अभाव: भारत में परिधान इकाइयों का औसत आकार 100 मशीनों का है जो बांग्लादेश की तुलना में बहुत कम है, जहाँ प्रति कारखाना औसतन कम-से-कम 500 मशीनें हैं।
  - विदेशी निवेश की कमी: ऊपर दी गई चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में विदेशी निवेशक वस्त्र क्षेत्र में निवेश करने के बारे में बहुत उत्साहित नहीं हैं जो कि चिंता का क्षेत्र भी है।
    - हालाँकि इस क्षेत्र में पिछले पाँच वर्षों के दौरान निवेश में तेज़ी देखी गई है, इस उद्योग ने अप्रैल 2000 से दिसंबर 2019 तक केवल 3.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित किया।

आगे की राह:

- एक संगठित क्षेत्र की ओर: भारत वस्त्र उद्योग के लिये मेगा अपैरल पार्क और सामान्य बुनियादी ढाँचे की स्थापना करके इस क्षेत्र को संगठित कर सकता है।
  - इससे उत्पादन के पैमाने में वृद्धि होगी और भारतीय खिलाड़ियों को संचालन में अधिकतम दक्षता के साथ तेज़ी से तथा कम लागत पर उत्पादन करने में मदद मिलेगी।
- उद्योग के आधुनिकीकरण को सुगम बनाना: अप्रचलित मशीनरी और प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण पर ध्यान देना चाहिये। यह वस्त्र उद्योग के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है तथा इस तरह निर्यात भी बढ़ा सकता है।
  - राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS) और एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों को सबसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिये।
- तर्कसंगत श्रम कानूनों की आवश्यकता: कई उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ पैनलों ने फर्म के आकार की सीमा संबंधी शर्तों को हटाने और 'हायरिंग एंड फायरिंग' (Hiring and Firing) प्रक्रिया में लचीलेपन की अनुमति देने की सिफारिश की है।
  - इस प्रकार ऐसे श्रम कानूनों के शीघ्र युक्तिकरण की आवश्यकता है।
- निर्यात बढ़ाना: भारत को निर्यात अवसरों को बढ़ाने के लिये विकसित देशों के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने की भी आवश्यकता है।
  - इस तरह के मुक्त व्यापार समझौते (FTA) यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और UK जैसे बड़े वस्त्र बाज़ारों में शुल्क मुक्त पहुँच हासिल करने में मदद कर सकते हैं।

मौद्रिक नीति रिपोर्ट : भारतीय रिज़र्व बैंक

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2021 के दिसंबर माह के लिये मौद्रिक नीति रिपोर्ट (Monetary Policy Report- MPR) जारी की है।

- इसने लगातार नौवीं बार नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखते हुए एक उदार रुख को बनाए रखा है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- अपरिवर्तित रेट/दर:
  - रेपो दर - 4%.
  - रिवर्स रेपो दर - 3.35%.
  - सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) - 4.25%.
  - बैंक दर- 4.25%.
- GDP आकलन:
  - वर्ष 2021-22 के लिये वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 9.5% पर बरकरार रखी गई है।
- मुद्रास्फीति:
  - RBI ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.3% पर बरकरार रखा है।
- परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (Variable Rate Reverse Repos):
  - इसने दिसंबर 2021 के अंत तक VRRR के तहत अवशोषित की जाने वाली राशि को 7.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है।
    - अगस्त 2021 में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिये RBI ने फिक्स्ड रेट ओवरनाइट रिवर्स रेपो की तुलना में अधिक यील्ड की संभावनाओं के कारण एक परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRRR) कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की।
- अनुकूल रुख:
  - RBI ने अर्थव्यवस्था में स्थायी सुधार होने तक एक उदार रुख जारी रखने का फैसला लिया है।
    - एक उदार रुख का अर्थ है कि मौद्रिक नीति समिति (MPC) या तो दरों को कम करने या उन्हें अपरिवर्तित रखने का निर्णय ले सकती है।
  - महत्त्व:
    - यह अल्पकालिक ब्याज दरों को कम करके उधार लेने के लिये धन को कम खर्चीला बनाकर उपभोक्ताओं और व्यवसायों द्वारा अधिक खर्च को प्रोत्साहित करता है।
    - जब बैंकों के माध्यम से पैसा आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है, परिणामस्वरूप व्यय में वृद्धि होती है।
    - यह राष्ट्रीय आय और धन/मुद्रा की मांग के सकारात्मक कार्य संबंध में राजकोषीय भंडार को बढ़ाने की अनुमति देता है।
    - यह राष्ट्रीय मुद्रा भंडार को सक्रिय करने में मदद करता है और आर्थिक मंदी से बचने के लिये कमज़ोर समग्र मांग को रोकता है।
    - इसलिये यह कहा जा सकता है कि एक उदार दृष्टिकोण भारत के विकास को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
- पूंजी लगाने की अनुमति नहीं:
  - RBI ने बैंकों को अपनी विदेशी शाखाओं में पूंजी डालने के साथ-साथ कुछ नियामक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के अंतर्गत अपनी पूर्व स्वीकृति के बिना मुनाफे को प्रत्यावर्तित करने की अनुमति दी।
    - वर्तमान में भारत में निगमित बैंक अपनी विदेशी शाखाओं और सहायक कंपनियों में पूंजी लगा सकते हैं, इनमें अपने लाभ को बनाए रख सकते हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से मुनाफे को प्रत्यावर्तित/स्थानांतरित कर सकते हैं।
  - बैंकों को परिचालनात्मक लचीलापन (Operational Flexibility) प्रदान करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि यदि बैंक विनियामक पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

मौद्रिक नीति रिपोर्ट

- मौद्रिक नीति रिपोर्ट को RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा प्रकाशित किया जाता है। MPC विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिये RBI अधिनियम, 1934 के तहत एक वैधानिक और संस्थागत ढाँचा है।
- MPC, 4% के मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक नीति ब्याज़ दर (रेपो दर) निर्धारित करती है, जिसमें दोनों तरफ 2% अंक होते हैं। RBI का गवर्नर MPC का पदेन अध्यक्ष है।

नोट :

प्रमुख शब्दावली

- रेपो और रिवर्स रेपो दर:
  - रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक) किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है। इस प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक प्रतिभूति खरीदता है।
  - रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर RBI देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है।
- बैंक दर:
  - यह वाणिज्यिक बैंकों को निधियों को उधार देने के लिये RBI द्वारा प्रभारित दर है।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF):
  - MSF ऐसी स्थिति में अनुसूचित बैंकों के लिये आपातकालीन स्थिति में RBI से ओवरनाइट (रातों-रात) ऋण लेने की सुविधा है जब अंतर-बैंक तरलता पूरी तरह से कम हो जाती है।
- खुला बाज़ार परिचालन:
  - ये RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद के माध्यम से बाज़ार से रुपए की तरलता की स्थिति को समायोजित करने के उद्देश्य से किये गए बाज़ार संचालन हैं।
- सरकारी प्रतिभूति:
  - सरकारी प्रतिभूतियाँ केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाने वाली एक व्यापार योग्य साधन होती हैं। ये सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करती हैं।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक:
  - यह खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किया जाता है।
  - CPI खाद्य, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में अंतर की गणना करता है, जिसे भारतीय उपभोक्ता उपभोग के लिये खरीदते हैं।

संशोधित कोयला भंडारण मानदंड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने विभिन्न संयंत्रों में कोयला स्टॉक संकट की स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों में 'कोल स्टॉकिंग मानदंडों' को संशोधित किया है।

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA), विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित एक संगठन है। इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन के लिये उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु प्रत्येक पाँच वर्ष में एक 'राष्ट्रीय बिजली योजना' तैयार करना है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि
  - अक्तूबर 2021 में भारत के 'थर्मल पावर प्लांटों' को कोयले की भारी कमी का सामना करना पड़ा था, इस संकट के तहत थर्मल स्टेशनों में कोयले का स्टॉक औसतन चार दिनों तक कम हो गया था।
  - मांग में तीव्र वृद्धि, आयातित कोयले की कीमत में वृद्धि और मानसून से पहले विद्युत स्टेशनों द्वारा कम कोयले की खरीद आदि कम स्टॉक की स्थिति हेतु उत्तरदायी कारक थे।
  - यह भारत में सबसे बड़े कोयला संकटों में से एक था, जिसने आर्थिक रिकवरी को धीमा कर दिया और कुछ व्यवसायों के उत्पादन में कमी को प्रभावित किया।
  - कम कोयला स्टॉक की स्थिति ने कई राज्यों को ऊर्जा एक्सचेंज पर बिजली खरीदने के लिये मज़बूर किया था, अक्तूबर माह में बिजली की औसत बाज़ार समाशोधन कीमत 16.4 रुपए प्रति यूनिट थी, जिसने सरकार को कोयला स्टॉकिंग मानदंडों को संशोधित करने हेतु प्रेरित किया गया था।

नोट :

- पुराने मानदंड:
  - पूर्व में कोयले के स्रोत से संयंत्र की दूरी के आधार पर 15-30 दिनों के कोयला स्टॉक को बनाए रखना अनिवार्य था।
  - इससे पहले पिट हेड स्टेशनों (Pit Head Stations) में स्थित बिजली संयंत्रों के लिये 15 दिनों के लिये कोयला स्टॉक रखना अनिवार्य था, जबकि खदानों से 200 किमी. के भीतर स्थित संयंत्रों के लिये इस आवश्यकता को बढ़ाकर 20 दिन, 1,000 किमी के भीतर वाले संयंत्रों के लिये 25 दिन और खदानों से अधिक दूर स्थित संयंत्रों के लिये 30 दिन किया गया था।
- संशोधित मानदंड:
  - यह प्रति वर्ष फरवरी से जून तक बिजली संयंत्रों द्वारा बनाए जाने वाले पिट हेड स्टेशनों (Pit Head Stations) पर 17 दिनों और नॉन-पिट हेड स्टेशनों (Non-Pit Head Stations) पर 26 दिनों के कोयले स्टॉक को बनाए रखना अनिवार्य करता है।
    - नॉन-पिट हेड प्लांट ऐसे बिजली संयंत्र हैं जो कोयले की खदान 1,500 किमी. से अधिक दूर स्थित होते हैं।
  - किसी भी दिन बिजली संयंत्र में कोयले की दैनिक आवश्यकता की गणना 85% प्लांट लोड फैक्टर (Plant Load Factor-PLF) के आधार पर की जाएगी।
    - पूर्ववर्ती मानदंडों के तहत पिछले सात दिनों में न्यूनतम 55% PLF पर संयंत्र की औसत खपत पैटर्न के अनुसार कोयला स्टॉक की मात्रा निर्धारित की गई थी।
    - PLF, संयंत्र द्वारा उत्पन्न वास्तविक ऊर्जा और अधिकतम संभव ऊर्जा के बीच का अनुपात है जो संयंत्र द्वारा उसकी निर्धारित शक्ति पर कार्य करने हेतु पूरे एक वर्ष की अवधि के लिये उत्पन्न किया जा सकता है।
  - नई कार्यप्रणाली का तात्पर्य है कि जिन बिजली संयंत्रों की उपयोगिता दर कम है, उन्हें पहले की तुलना में अधिक कोयले का स्टॉक करना होगा।
  - बिजली संयंत्रों को इन मापदंडों का सख्ती से पालन करना होगा, ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा यह एक ऐसा पहलू है जो CEA के नियमों में अब तक मौजूद नहीं था।
- महत्त्व:
  - यह ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर अंकुश लगाएगा जिसका सामना हाल ही में देश को करना पड़ा था, जब मानसून के बाद देश में 135 कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से कई महत्त्वपूर्ण कोयला स्टॉक स्तर के कम होने के कारण केवल तीन से चार दिनों की आपूर्ति को पूरा करने के लिये पर्याप्त थे।
  - कोयले के भंडारण के नियमों में ढील से उत्पादन स्टेशनों के बीच ईंधन का बेहतर वितरण होगा।
    - यह कमी को रोकेगा और देश में मांग की स्थिति के बावजूद निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
  - यह प्रत्येक बिजली संयंत्र के लिये ईंधन की आवश्यकता को भी कम करेगा और सभी स्टेशनों के बीच बेहतर वितरण को सक्षम करेगा।

कोयला

- यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में, लोहा, इस्पात, भाप इंजन जैसे उद्योगों में और बिजली पैदा करने के लिये किया जाता है। कोयले से से उत्पन्न बिजली को 'थर्मल पावर' कहते हैं।
- आज हम जिस कोयले का उपयोग कर रहे हैं वह लाखों साल पहले बना था, जब विशाल फर्न और दलदल पृथ्वी की परतों के नीचे दब गए थे। इसलिये कोयले को बरीड सनशाइन (Buried Sunshine) भी कहा जाता है।
- चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत दुनिया के प्रमुख कोयला उत्पादकों में शामिल हैं।
- भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में झारखंड का रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो शामिल हैं।
- कोयले को भी चार रैंकों में वर्गीकृत किया गया है: एन्थ्रेसाइट, बिटुमिनस, सबबिटुमिनस और लिग्नाइट। यह रैंकिंग कोयले में मौजूद कार्बन के प्रकार व मात्रा और कोयले की उष्मा ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती है।

नोट :

बैंक-NBFC सह-उधार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कई बैंकों ने पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के साथ सह-उधार 'मास्टर समझौते' किये हैं। वर्ष 2020 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक पूर्व समझौते के आधार पर सह-उधार मॉडल की अनुमति दी थी।

- हालाँकि सह-उधार से जुड़ी कुछ आलोचनाएँ भी हैं।

प्रमुख बिंदु:

- सह-उधार मॉडल:
  - पृष्ठभूमि: सितंबर 2018 में आरबीआई ने बैंकों और NBFC द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रकों को ऋण देने के लिये ऋण की सह-उधार की घोषणा की थी।
    - इस व्यवस्था में क्रेडिट का संयुक्त योगदान और ज़ोखिमों तथा पुरस्कारों को साझा करना शामिल था। सह-उधार या सह-उत्पत्ति एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ बैंक और गैर-बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिये ऋण के संयुक्त योगदान की व्यवस्था करते हैं।
    - इन दिशानिर्देशों को वर्ष 2020 में संशोधित किया गया और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों तथा मॉडल में कुछ बदलावों को शामिल करके सह-उधार मॉडल (CLM) के रूप में फिर से नाम दिया गया।
    - प्राथमिकता क्षेत्रकों के मानदंडों के तहत बैंकों को अपने फंड का एक विशेष हिस्सा समाज के कमज़ोर वर्गों, कृषि, एमएसएमई और सामाजिक बुनियादी ढाँचे जैसे निर्दिष्ट क्षेत्रों को उधार देना अनिवार्य है।
  - उद्देश्य: 'सह-उधार मॉडल' (CLM) का प्राथमिक उद्देश्य अर्थव्यवस्था के असेवित और कम सेवा वाले क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में सुधार करना है।
    - इसमें अंतिम लाभार्थी को वहनीय लागत पर धन उपलब्ध कराने की भी परिकल्पना की गई है।
  - अंतर्निहित/आधारभूत विचार: CLM एक सहयोगी प्रयास में बैंकों और NBFCs के संबंधित तुलनात्मक लाभों का बेहतर लाभ उठाने का प्रयास करता है।
    - बैंकों से धन की कम लागत।
    - NBFCs की अधिक पहुँच।
    - उदाहरण के लिये, CLM अंत तक वित्तीय संवर्द्धन के माध्यम से MSMEs के लिये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा।
  - CML का उदाहरण: देश के सबसे बड़े ऋणदाता SBI ने किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरण खरीदने में मदद करने हेतु सह-उधार देने के लिये एक बड़े कॉर्पोरेट घराने की एक छोटी NBFC अदानी कैपिटल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- सह-उधार में ज़ोखिम:
  - अधिकांश ज़िम्मेदारी बैंकों के पास: CLM के तहत, NBFCs को अपने खातों में व्यक्तिगत ऋण का कम से कम 20% हिस्सा रखना आवश्यक है।
    - इसका मतलब है कि 80% ज़ोखिम बैंकों को होगा जो डिफॉल्ट के मामलों के लिये सर्वाधिक ज़िम्मेदार होगा।
    - वास्तव में जहाँ बैंकों द्वारा ऋण का बड़ा हिस्सा वितरित किया जाता है, वहीं NBFC द्वारा उधारकर्त्ता का निर्णय किया जाता है।
  - बैंकिंग में कार्पोरेट्स: आरबीआई ने आधिकारिक तौर पर बड़े कार्पोरेट घरानों को बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी है, लेकिन NBFC ज़्यादातर कॉरपोरेट घरानों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं।
    - यह जोखिम भरा है, खासकर जब चार बड़ी निजी वित्त कंपनियाँ- IL&FS, DHFL, SREI और रिलायंस कैपिटा आरबीआई द्वारा कड़ी निगरानी के बावजूद पिछले तीन वर्षों में ध्वस्त हो गई हैं।
  - NBFC की सीमित पहुँच: जबकि आरबीआई ने "NBFC की अधिक पहुँच" का उल्लेख किया है, 100-शाखा नेटवर्क वाले छोटे NBFCs कम सेवा प्राप्त और असेवित क्षेत्रों में सेवा देने में कम हो जाएँगे।

नोट :

आगे की राह:

- निर्णय लेने की प्रक्रिया के संचालन, समीक्षा करने और निरीक्षण करने के लिये बैंक के बोर्ड को अधिक अधिकार देने की आवश्यकता है तथा इसके लिये योग्य व्यक्तियों की भर्ती की जानी चाहिये।
  - साथ ही एक अधिक मज़बूत जोखिम प्रबंधन तंत्र की आवश्यकता है।
- अब विदेशी बाजारों को देखने की और उपयुक्त व्यावसायिक नीतियाँ (वैश्विक स्थान और इन बैंकों द्वारा लक्षित उत्पाद के संदर्भ में) स्थापित करने की ज़रूरत है, जो इन बैंकों की दक्षता तथा उनके वैश्विक समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाने में मदद करेगी।
- निम्नलिखित के संबंध में निरंतर सुधार किये जाने चाहिये,
  - उत्पाद नवीनता,
  - प्रौद्योगिकियों में निवेश,
  - बेहतर बैक-एंड प्रक्रियाएँ,
  - टर्नअराउंड समय में कमी

बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने "जमाकर्त्ता प्रथम: 5 लाख रुपए तक गारंटीकृत समयबद्ध जमा बीमा भुगतान" पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 1 लाख से अधिक जमाकर्त्ताओं (जो बैंकों में के समक्ष उत्पन्न वित्तीय संकट के कारण अपने धन का उपयोग नहीं कर सके) को 1,300 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था।

- जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation-DICGC) अधिनियम के तहत 76 लाख करोड़ रुपए की जमा राशि का बीमा किया गया था, जो लगभग 98% बैंक खातों को पूर्ण कवरेज प्रदान करता है।
- इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) विधेयक, 2021 को मंज़ूरी दी थी।

जमा बीमा: यदि कोई बैंक वित्तीय रूप से विफल हो जाता है और उसके पास जमाकर्त्ताओं को भुगतान करने के लिये पैसे नहीं होते हैं तथा उसे परिसमापन के लिये जाना पड़ता है, तो यह बीमा बैंक जमा को होने वाले नुकसान के खिलाफ एक सुरक्षा कवर प्रदान करता है।

क्रेडिट गारंटी: यह वह गारंटी है जो प्राय: लेनदार को उस स्थिति में एक विशिष्ट उपाय प्रदान करती है जब उसका देनदार अपना कर्ज़ वापस नहीं करता है।

प्रमुख बिंदु

- जमा बीमा हेतु सीमा:
  - वर्तमान में एक जमाकर्त्ता के पास बीमा कवर के रूप में प्रति खाता अधिकतम 5 लाख रुपए का दावा है। इस राशि को 'जमा बीमा' कहा जाता है।
    - जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) द्वारा प्रति जमाकर्त्ता को 5 लाख रुपए का कवर प्रदान किया जाता है।
  - जिन जमाकर्त्ताओं के खाते में 5 लाख रुपए से अधिक हैं, उनके पास बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में धन की वसूली के लिये कोई कानूनी सहारा नहीं है।
  - बीमा के लिये प्रीमियम प्रत्येक 100 रुपए जमा हेतु 10 पैसे से बढ़ाकर 12 पैसे कर दिया गया है और यह सीमा 15 पैसे तक बढाई गई है।
    - इस बीमा के प्रीमियम का भुगतान बैंकों द्वारा DICGC को किया जाता है और जमाकर्त्ताओं को नहीं दिया जाता है।
    - बीमित बैंक पिछले छमाही के अंत में अपनी जमा राशि के आधार पर, प्रत्येक वित्तीय छमाही की शुरुआत से दो महीने के भीतर अर्ध-वार्षिक रूप से निगम को अग्रिम बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं।

नोट :

- कवरेज:
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, भारत में शाखाओं वाले विदेशी बैंकों और सहकारी बैंकों सहित बैंकों को DICGC के साथ जमा बीमा कवर लेना अनिवार्य है।
- कवर की गई जमा राशियों के प्रकार:
  - DICGC निम्नलिखित प्रकार की जमाराशियों को छोड़कर सभी बैंक जमाओं, जैसे बचत, सावधि, चालू, आवर्ती आदि का बीमा करता है:
    - विदेशी सरकारों की जमाराशियाँ।
    - केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशियाँ।
    - अंतर-बैंक जमा।
    - राज्य भूमि विकास बैंकों की राज्य सहकारी बैंकों में जमाराशियाँ।
    - भारत के बाहर प्राप्त कोई भी जमा राशि।
    - कोई भी राशि जिसे आरबीआई की पिछली मंज़ूरी के साथ निगम द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई है।
- जमा बीमा की आवश्यकता:
  - पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC) बैंक, यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक जैसे हाल के मामलों में जमाकर्त्ताओं को बैंकों में अपने फंड तक तत्काल पहुँच प्राप्त करने में परेशानी के चलते जमा बीमा के विषय पर ध्यान आकर्षित किया था।

DICGC

- DICGC के बारे में:
  - यह वर्ष 1978 में संसद द्वारा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट, 1961 के पारित होने के बाद जमा बीमा निगम (Deposit Insurance Corporation- DIC) तथा क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Credit Guarantee Corporation of India- CGCI) के विलय के बाद अस्तित्व में आया।
  - यह भारत में बैंकों के लिये जमा बीमा और ऋण गारंटी के रूप में कार्य करता है।
  - यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- फंड:
  - निगम निम्नलिखित निधियों का रख-रखाव करता है:
    - जमा बीमा कोष
    - क्रेडिट गारंटी फंड
    - सामान्य निधि
  - पहले दो को क्रमश: बीमा प्रीमियम और प्राप्त गारंटी शुल्क द्वारा वित्तपोषित किया जाता है तथा संबंधित दावों के निपटान के लिये उपयोग किया जाता है।
  - सामान्य निधि का उपयोग निगम की स्थापना और प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिये किया जाता है।

काला धन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने संसद में कहा है कि वर्ष 2015 के दौरान एकमुश्त तीन महीने की अनुपालन विंडो के तहत कर और जुर्माना के रूप में 2,476 करोड़ रुपए एकत्र किये गए हैं।

- यह भी कहा गया है कि पिछले पाँच वर्षों में विदेशी खातों में कितना काला धन पड़ा है, इसका कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है।
- पनामा और पैराडाइज़ पेपर लीक में 930 भारत से जुड़ी संस्थाओं के 20,353 करोड़ रुपए के अघोषित क्रेडिट का पता चला है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- काला धन:
  - आर्थिक सिद्धांत में काले धन की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है, काले धन हेतु कई अलग-अलग शब्द जैसे समानांतर अर्थव्यवस्था, काला धन, काला आय, बेहिसाब अर्थव्यवस्था, अवैध अर्थव्यवस्था और अनियमित अर्थव्यवस्था सभी का कमोबेश समान रूप से उपयोग किया जा रहा है।
  - काले धन की सबसे सरल परिभाषा संभवत: वह धन हो सकती है जो कर अधिकारियों से छिपा हो।
  - वित्त मंत्रालय द्वारा किये गए एक गुप्त अध्ययन के अनुसार वर्ष 2014 में निष्कर्ष निकाला गया कि लगभग 90% बेहिसाब धन भारत के बाहर के बजाय इसके भीतर पड़ा था।
- काले धन का स्रोत:
  - यह दो व्यापक श्रेणियों से आ सकता है:
    - अवैध गतिविधि:
    - अवैध गतिविधि के माध्यम से अर्जित धन स्पष्ट रूप से कर अधिकारियों को सूचित नहीं किया जाता है और इसलिये यह काला धन होता है।
    - कानूनी लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई गतिविधि:
    - दूसरी श्रेणी में कानूनी गतिविधि से होने वाली आय शामिल है जिसकी सूचना कर अधिकारियों को नहीं दी जाती है।

काले धन के स्रोतों के उदाहरण

- मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम:
  - ऑफशोर बैंकों द्वारा जारी किये गए अंतर्राष्ट्रीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग काला धन बनाने के लिये किया जाता है।
- प्रच्छन्न स्वामित्व:
  - अपराधी तेज़ी से वैध व्यवसायों के मालिक बनना चाहते हैं। इनका प्रयोग लाभ लेने या अपने काले धन को सफेद करने के लिये किया जा सकता है।
- मिश्रित बिक्री:
  - अवैध धन के स्रोतों को वैध स्रोतों के साथ मिलाना एक लोकप्रिय तरीका है क्योंकि इसका पता लगाना मुश्किल है, खासकर अगर कानूनी व्यवसाय में एक बड़ा घटक नकद मुद्रा है।
- स्मर्फिंग:
  - इस प्रकार का लेन-देन आमतौर पर एक निश्चित सीमा से ऊपर के लेनदेन की निगरानी करने वाले अधिकारियों द्वारा नोटिस से बचने के लिये किया जाता है।
- व्यापार मूल्य का गलत निर्धारण:
  - परंपरागत रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के लिये निर्यात और आयात किये गए सामान की कीमत या तो कम या अधिक होती थी।
  - आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organization for Economic Cooperation and Development-OECD) का कहना है कि वर्तमान तकनीक के माध्यम से बिल/चालान को संशोधित करना या फिर गलत बिल निर्मित करना आसान है।
- बेनामी संस्थाओं को धन हस्तांतरण:
  - बेनामी लेन-देन (Benami Transaction) में, एक संपत्ति को एक व्यक्ति द्वारा हस्तांतरित या धारित किया जाता है और ऐसी संपत्ति के लिये प्रतिफल का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

प्रभाव:

- राजस्व की हानि:
  - काला धन कर के एक हिस्से को समाप्त कर देता है और इस प्रकार सरकार का घाटा बढ़ जाता है।

नोट :

- सरकार को इस घाटे को करों में वृद्धि, सब्सिडी में कमी और उधार में वृद्धि करके संतुलित करना होता है।
- उधार लेने से ब्याज के बोझ के कारण सरकार के ऋण में और वृद्धि होती है। अगर सरकार घाटे को संतुलित करने में असमर्थ है, तो उसे खर्च कम करना होगा, जो कि विकास को प्रभावित करता है।

◆ धन संचलन:
- आमतौर पर लोग काले धन को सोने के तौर पर, अचल संपत्ति और अन्य गुप्त तरीकों के रूप में रखते हैं।
- ऐसा पैसा मुख्य अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बनता है और इसलिये आमतौर पर प्रचलन से बाहर रहता है।
- काला धन अमीरों के बीच संचालित होता रहता है और उनके लिये अधिक अवसर पैदा करता है।

◆ उच्च मुद्रास्फीति:
- अर्थव्यवस्था में बेहिसाब काला धन होने से मुद्रास्फीति की स्थिति अधिक देखी जाती है, जो गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है।
- यह अमीर और गरीब के बीच असमानता को भी बढ़ाता है।

- सरकार द्वारा की गई पहलें:

◆ विधायी प्रयास:
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018
- केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017
- बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016
- काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कर अधिरोपण अधिनियम 2015
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002
- गोल्ड एमनेस्टी स्कीम: यह आय कर के मामलों में काले धन का दोहन करने के लिये स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण योजना के समान है।

◆ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
- दोहरा कराधान अपवंचन समझौता (DTAA)
- भारत दोहरे कराधान से बचाव के लिये सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से दोहरा कराधान अपवंचन समझौते/कर सूचना विनिमय समझौतों/बहुपक्षीय सम्मेलनों के तहत विदेशी सरकारों के साथ सक्रिय रूप से वार्ता कर रहा है।
- सूचना का स्वचालित आदान-प्रदान:
- भारत वित्तीय सूचना के सक्रिय साझाकरण के लिये 'ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इनफार्मेशन' नाम से एक बहुपक्षीय व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में अग्रणी रहा है, जो कर चोरी से निपटने के वैश्विक प्रयासों में सहायता करेगा।
- सामान्य रिपोर्टिंग मानक पर आधारित 'ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इनफार्मेशन' व्यवस्था वर्ष 2017 से शुरू है, जिससे भारत अन्य देशों में भारतीय निवासियों के वित्तीय खाते की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका का विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम:
- भारत ने इस अधिनियम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सूचना साझा करने हेतु समझौता किया है।
- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF):
- भारत FATF का सदस्य है।

आगे की राह:

- देश में सार्वजनिक खरीद, विदेशी अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली रिश्वत की रोकथाम, नागरिक शिकायत निवारण, सूचना प्रदाता (व्हिसलब्लोअर) सुरक्षा, यूआईडी आधार से संबंधित उपयुक्त विधायी ढाँचे की आवश्यकता है।
- अवैध धन से निपटने वाली संस्थाओं की स्थापना और उनका सुदृढ़ीकरण: सूचना के आदान-प्रदान के लिये आपराधिक जाँच प्रकोष्ठ निदेशालय, मॉरीशस और सिंगापुर में आयकर विदेशी इकाइयाँ (ITOUs), CBDT के तहत विदेशी कर, कर अनुसंधान एवं जाँच प्रभाग को मज़बूत करने में बहुत उपयोगी रहे हैं।

नोट :

- चुनाव सुधार: काले धन के उपयोग के लिये चुनाव सबसे बड़े चैनलों में से एक है, ऐसे में चुनावों में धन-बल को कम करने के लिये उचित सुधार की आवश्यकता है।
- कार्मिक प्रशिक्षण: विशिष्ट क्षेत्रों में प्रभावी कार्रवाई के लिये कर्मियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (Financial Intelligence Unit-India) अपने कर्मचारियों को धनशोधन रोधी, आतंकवादी वित्तपोषण और संबंधित आर्थिक मुद्दों पर प्रशिक्षण के अवसर प्रदान कर उनके कौशल को नियमित रूप से उन्नत करने हेतु सक्रिय प्रयास करती है।
- बैंक लेनदेन को प्रोत्साहित करना: काले धन के खतरे को रोकने के लिये उद्योग निकाय 'फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री' ने बैंकिंग चैनलों के माध्यम से लेनदेन को प्रोत्साहित करने और कृषि आय पर कराधान के लिये एक उपयुक्त ढाँचे का सुझाव दिया है।
  - इसके अलावा इसने अचल संपत्ति क्षेत्र में सुधार और कर चोरी को ट्रैक करने के लिये आईटी बुनियादी ढाँचे के निर्माण का भी सुझाव दिया है।

दृष्टि The Vision

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

बारबाडोस: दुनिया का सबसे नया गणराज्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बारबाडोस (Barbados) ने आधिकारिक तौर पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) को अपने राष्ट्र के प्रमुख पद से हटा दिया है और देश के ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 वर्षों बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है।

- कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 55 वर्षों बाद ब्रिटेन से अलग होकर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव से मुक्त हो पाया।
- हालाँकि बारबाडोस 54 राष्ट्रमंडल देशों में से एक बना रहेगा।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - बारबाडोस (Barbados):
    - अवस्थिति: यह दक्षिण-पूर्वी कैरेबियन सागर में एक छोटा सा द्वीप देश है।
    - पड़ोसी देश: इसके पड़ोसी देशों में उत्तर में सेंट लूसिया, पश्चिम में सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस तथा दक्षिण में त्रिनिदाद एवं टोबैगो शामिल हैं।
    - राजधानी: ब्रिज़टाउन (Bridgetown)
    - स्वतंत्रता: 30 नवंबर, 1966 को बारबाडोस ने स्वतंत्रता प्राप्त की।
    - नेतृत्व:
    - डेम सैंड्रा प्रुनेला मेसन (Dame Sandra Prunella Mason) बारबाडोस की वर्तमान राष्ट्रपति हैं।
    - मिया अमोर मोटली (Mia Amor Mottley) बारबाडोस की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं।
    - कैरेबियन समुदाय (Caribbean Community- CARICOM) का हिस्सा: बारबाडोस कैरिबियन समुदाय (CARICOM) का हिस्सा है, जिसका गठन 1973 में किया गया था।
  - बारबाडोस का इतिहास:
    - बारबाडोस पहली बार 1625 में एक ब्रिटिश उपनिवेश बना। यह 400 से अधिक वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहा, व्यापार, वाणिज्य और शोषण जैसी गतिविधियों को ब्रिटिश वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद ने सदियों से बढ़ावा दिया।
  - कैरेबियन इतिहास कुछ सबसे संस्थागत और अदृश्य भयावहता (दासता, गिरमिटिया मज़दूर, लोकतंत्र की कमी) का गढ़ था।
- भारत और बारबाडोस संबंध:
  - साझा मंच: भारत और बारबाडोस घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं और संयुक्त राष्ट्र (UN), राष्ट्रमंडल व गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सक्रिय रूप से वार्ताओं में हिस्सा लेते हैं।
    - बारबाडोस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का भी हस्ताक्षरकर्त्ता है और उसने जनवरी 2021 में इसकी पुष्टि की है।
  - वायुसेवा समझौता: भारत और बारबाडोस ने वर्ष 2015 में नागरिकों हेतु यात्रा व्यवस्था और दोनों देशों के बीच सीधे हवाई संपर्क एवं चार्टर्ड उड़ानों के संचालन के लिये वायुसेवा समझौते पर हस्ताक्षर किये।
    - भारत और बारबाडोस के बीच पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श (Foreign Office Consultations- FOC) का आयोजन वर्ष 2015 में ब्रिजटाउन, बारबाडोस में किया गया था।
  - UNSC रिफॉर्म्स: वर्ष 2007 में बारबाडोस द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर G-4 प्रस्ताव का समर्थन किया।
    - बारबाडोस द्वारा वर्ष 2011-12 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिये भारत की उम्मीदवारी के पक्ष में मतदान किया गया तथा सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट हेतु भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।

नोट :

- द्विपक्षीय व्यापार:
  - निर्यात (12.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर, वर्ष 2019-20): भारतीय निर्यात में वाहन, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, लोहा और इस्पात, जैविक रसायन आदि शामिल हैं।
  - आयात (1.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर, वर्ष 2019-20): भारतीय आयात में विद्युत मशीनरी, ऑप्टिकल फोटोग्राफी, सिनेमैटोग्राफिक उपकरण शामिल हैं।
- खेल और संस्कृति:
  - दोनों देशों के मध्य क्रिकेट के ज़रिये मज़बूत संबंध होने के कारण पूर्व और वर्तमान समय के कई बारबेडियन क्रिकेटर भारतीय खेल प्रशंसकों में काफी प्रसिद्ध हैं।
  - कई बारबेडियन क्रिकेटर इंडियन प्रीमियर लीग टीमों के सदस्य हैं।
- भारतीय समुदाय:
  - भारतीय मूल के लगभग 2500 लोग बारबाडोस में निवास करते हैं और उनमें से अधिकांश ने वहाँ की राष्ट्रीयता प्राप्त कर ली है।

राष्ट्रमंडल:

- यह उन देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जो ज़्यादातर ब्रिटिश साम्राज्य और उस पर निर्भर क्षेत्र थे।
- इसकी स्थापना वर्ष 1949 में लंदन घोषणापत्र द्वारा की गई थी।
- महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राष्ट्रमंडल की प्रमुख हैं।
- वर्तमान में 54 देश इसके सदस्य हैं। यह सदस्यता स्वतंत्र और समान स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है।
  - यह 2.5 अरब लोगों का आश्रय स्थल है, इसमें उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ और विकासशील देश दोनों शामिल हैं।
- वर्ष 2009 में राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला अंतिम देश रवांडा था।
- राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक को राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की द्विवार्षिक शिखर बैठक कहा जाता है।

ग्लोबल गेटवे प्लान: ईयू

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूरोपीय आयोग ने ग्लोबल गेटवे (Global Gateway) नामक एक योजना की घोषणा की है, जो वर्ष 2027 तक दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढाँचे में निवेश हेतु 300 अरब यूरो (EURO 300 billion) जुटाने से संबंधित है।

- हालाँकि योजना में चीन का जिक्र नहीं है, लेकिन इसे चीन की बेल्ट एंड रोड रणनीति (China's Belt and Road strategy) की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- ग्लोबल गेटवे प्लान के बारे में:
  - विकासात्मक आयाम: ग्लोबल गेटवे, यूरोपीय संघ, यूरोप देशों के दृष्टिकोण के साथ तत्काल ज़रूरतों के लिये प्रतिक्रिया की पेशकश करेगा जिसमें शामिल है:
    - टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल, जलवायु, ऊर्जा और परिवहन बुनियादी ढाँचे का विकास करना।
    - दुनिया भर में स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान प्रणालियों को मज़बूत करना।
  - अनुदान: परियोजना के वित्तपोषण के लिये यूरोपीय संघ अपने यूरोपीय कोष का उपयोग सतत् विकास प्लस हेतु करेगा।
    - इसके तहत 40 अरब यूरो उपलब्ध कराए जाते हैं और बाहरी सहायता कार्यक्रमों से 18 अरब यूरो तक के अनुदान की पेशकश की जाएगी।
    - लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये योजना को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और निजी क्षेत्र से वित्तपोषण की आवश्यकता होगी।
    - ऋण संकट के जोखिम को सीमित करने हेतु उचित और अनुकूल शर्तों के तहत वित्तपोषण किया जाएगा।

नोट :

- B3W प्रोजेक्ट की शाखा: EU रणनीति बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (Build Back Better World- B3W) पहल की एक शाखा है।
  - B3W जून 2021 में सबसे अमीर ग्रुप ऑफ सेवन (G-7) लोकतंत्रों द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचा निवेश पहल है।
  - G7 (Group of Seven) देशों ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road initiative- BRI) परियोजना का मुकाबला करने के लिये 47वें के G7 शिखर सम्मेलन में 'बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड' (Build Back Better World- B3W) पहल का प्रस्ताव रखा।

- चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में:
  - परिचय: इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। BRI पहल चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्त्वाकांक्षी आधारभूत ढाँचा विकास एवं संपर्क परियोजना है जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल एवं जलमार्गों के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है।
    - यह कनेक्टिविटी पर केंद्रित चीन की एक रणनीति है, जिसके माध्यम से सड़कों, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को ज़मीन एवं समुद्र के माध्यम से एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका से जोड़ने की परिकल्पना की गई है।
    - वर्ष 2013 से 2020 के मध्य तक चीन का कुल निवेश लगभग 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
    - चीन का तर्क है कि वह संयुक्त परियोजनाओं को लाभ पहुँचाने वाले ऋण प्रदान करते हुए अपने भागीदारों की संप्रभुता का सम्मान करता है, जबकि आलोचकों का कहना है कि बीजिंग की संविदात्मक शर्तें मानव, श्रम और पर्यावरण अधिकारों का हनन करती हैं।
  - BRI की आलोचना: निम्नलिखित कारणों से पश्चिमी दुनिया द्वारा BRI परियोजना की काफी आलोचना की गई है:
    - चीन की ऋण जाल नीति: बीआरआई को चीन की ऋण जाल नीति के एक भाग के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें चीन जान-बूझकर किसी अन्य देश को कर्जदार बनाने तथा आर्थिक या राजनीतिक रियायतें प्राप्त करने के इरादे से अत्यधिक ऋण देता है।
    - पश्चिमी देश इसे चीन के लिये गरीब देशों को प्रभावित करने के एक उपकरण के रूप में देखते हैं।
    - वे उभरती अर्थव्यवस्थाओं को बहुत अधिक कर्ज लेने के लिये उकसाने हेतु चीन की आलोचना करते हैं और आरोप लगाते हैं कि चीन की निविदा प्रक्रिया भ्रष्टाचार से ग्रस्त है।
    - नया उपनिवेशवाद: उन्होंने इस पहल को नए उपनिवेशवाद या 21वीं सदी की 'मार्शल योजना' के रूप में नामित किया है।
    - उत्पाद की दोहरी प्रकृति: साथ ही चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना का निर्माण जैसी परियोजनाएँ न केवल प्रकृति में वाणिज्यिक हैं बल्कि रणनीतिक प्रभाव वाली भी हैं।
  - भारत का पक्ष
    - भारत ने बार-बार स्पष्ट किया है कि वह 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' में शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रमुख घटक 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा' (CPEC)- 'पाक अधिकृत कश्मीर' (PoK) से होकर गुज़रता है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है।
    - इसके अलावा चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिये भारत ने 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और 'सागर विज़न' शुरू किया है तथा भारत स्वयं 'एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर' (AAGC) एवं 'फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक' पहल जैसी बहुपक्षीय परियोजनाओं का हिस्सा है।

G20 'ट्रोइका' में शामिल हुआ भारत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत G20 'ट्रोइका' में शामिल हो गया है और इसके साथ ही भारत ने अगले वर्ष के लिये 'G20' की प्रेसीडेंसी संभालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- 'ट्रोइका' के विषय में:
  - यह G20 के भीतर एक शीर्ष समूह को संदर्भित करता है जिसमें वर्तमान, पिछला और आगामी अध्यक्ष देश यानी इंडोनेशिया, इटली और भारत शामिल हैं।
  - ट्रोइका सदस्य के रूप में भारत G20 के एजेंडे की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर काम करेगा।
    - भारत 1 दिसंबर, 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और वर्ष 2023 में भारत में पहली बार G20 लीडर्स समिट का आयोजन किया जाएगा।
    - इटली ने 30-31 अक्तूबर, 2021 के दौरान G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जहाँ भारत ने तालिबान द्वारा अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान के भविष्य के मुद्दे को उठाया था।
    - इंडोनेशिया ने 1 दिसंबर, 2021 से G20 की अध्यक्षता संभाली और आने वाले महीनों में इंडोनेशिया 30-31 अक्तूबर, 2022 को निर्धारित G20 लीडर्स समिट से पहले G20 के सदस्यों के बीच विभिन्न स्तरों पर चर्चा हेतु सम्मेलन आयोजित करेगा।
    - अगले वर्ष का शिखर सम्मेलन "रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांगर" के समग्र विषय के साथ आयोजित किया जाएगा।

जी20:

- परिचय:
  - G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है।
    - G20 समूह का स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है।
  - G20 समूह दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक साथ लाता है। यह वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% तथा विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।
- सदस्य:
  - G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- समूहीकरण का अधिदेश:
  - G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि वैश्विक समृद्धि अन्योन्याश्रित है और आर्थिक अवसर एवं चुनौतियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं।
  - भविष्य की बेहतर तैयारी के लिये G20 देश एक साथ आए हैं।
  - समूह का प्राथमिक जनादेश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिये है, जिसमें दुनिया भर में भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकने हेतु विशेष ज़ोर दिया गया है।
  - यह वैश्विक आर्थिक एजेंडा को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - वर्ष 1999-2008 से केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और वित्त मंत्रियों के एक समूह से लेकर राज्यों के प्रमुखों तक के मंच का समर्थन किया गया।
- भारत और G20:
  - भारत ने G20 के संस्थापक सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण मुद्दों और दुनिया भर में सबसे कमज़ोर लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के लिये इस मंच का उपयोग किया है।
  - वर्ष 2022 में वैश्विक आर्थिक एजेंडा मंच की अध्यक्षता भारत द्वारा की जानी है, यह भारत के लिये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ावा देने हेतु एक चुनौती के साथ-साथ एक अवसर भी है।
  - लेकिन बेरोज़गारी दर में वृद्धि और अपने क्षेत्रों में गरीबी के कारण इसके लिये प्रभावी ढंग से नेतृत्व करना मुश्किल है।

नोट :

श्रीलंका संकट पर चार सूत्री रणनीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने के लिये चार सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है।

- इस वर्ष की शुरुआत में श्रीलंका ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्यह्रास और तेज़ी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच आर्थिक आपातकाल की घोषणा की थी।

प्रमुख बिंदु

- चार सूत्री रणनीति:
  - लाइन ऑफ क्रेडिट: भारत द्वारा भोजन, दवाओं और ईंधन की खरीद के लिये 'लाइन ऑफ क्रेडिट' सुविधा प्रस्तुत की गई है।
    - 'लाइन ऑफ क्रेडिट' एक क्रेडिट सुविधा है, जो किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा सरकार, व्यवसाय या व्यक्तिगत ग्राहक को दी जाती है, यह ग्राहक को अधिकतम ऋण राशि प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
  - करेंसी स्वैप: श्रीलंका के भुगतान संतुलन के मुद्दों से निपटने के लिये एक 'मुद्रा स्वैप समझौता' भी किया गया है।
    - 'स्वैप' शब्द का अर्थ है 'विनिमय'। करेंसी स्वैप अथवा मुद्रा विनिमय का आशय दो देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान-प्रदान हेतु किये गए समझौते या अनुबंध से है।
  - आधुनिकीकरण परियोजना: 'ट्रिंको तेल फार्म' की प्रारंभिक आधुनिकीकरण परियोजना, जिसे भारत कई वर्षों से अपना रहा है।
    - त्रिंकोमाली हार्बर, दुनिया के सबसे गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा विकसित किया गया था।
    - त्रिंकोमाली में तेल के बुनियादी अवसंरचना को विकसित करने संबंधी परियोजनाएँ वर्ष 2017 से लंबित हैं।
  - भारतीय निवेश: विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय निवेश को सुगम बनाने हेतु श्रीलंका की प्रतिबद्धता।
- भारत-श्रीलंका संबंधों में हाल के मुद्दे:
  - मछुआरे की हत्या:
    - श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की हत्या दोनों देशों के बीच एक पुराना मुद्दा है।
    - वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में कुल 284 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया तथा कुल 53 भारतीय नौकाओं को श्रीलंकाई अधिकारियों ने ज़ब्त कर लिया।
  - ईस्ट कोस्ट टर्मिनल परियोजना:
    - इस वर्ष (2021) श्रीलंका ने ईस्ट कोस्ट टर्मिनल परियोजना के लिये भारत और जापान के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन को रद्द कर दिया।
    - भारत ने इस कदम का विरोध किया, हालाँकि बाद में वह अडानी समूह द्वारा विकसित किये जा रहे वेस्ट कोस्ट टर्मिनल के लिये सहमत हो गया।
  - चीन का प्रभाव
    - श्रीलंका में चीन के तेज़ी से बढ़ते आर्थिक पदचिह्न और परिणाम के रूप में राजनीतिक दबदबा भारत-श्रीलंका संबंधों को तनावपूर्ण बना रहा है।
    - चीन पहले से ही श्रीलंका में सबसे बड़ा निवेशक है, जो कि वर्ष 2010-2019 के दौरान कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का लगभग 23.6% था, जबकि भारत का हिस्सा केवल 10.4 फीसदी है।
    - चीन श्रीलंकाई सामानों के लिये सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक है और श्रीलंका के विदेशी ऋण के 10% हेतु उत्तरदायी है।
  - श्रीलंका का 13वाँ संविधान संशोधन:
    - यह एक संयुक्त श्रीलंका के भीतर समानता, न्याय, शांति और सम्मान के लिये तमिल लोगों की उचित मांग को पूरा करने हेतु प्रांतीय परिषदों को आवश्यक शक्तियों के हस्तांतरण की परिकल्पना करता है।

नोट :

भारत-श्रीलंका संबंध

- पृष्ठभूमि: भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास 2,500 वर्षों से भी अधिक पुराना है, दोनों देशों ने बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषायी संबंधों की विरासत का निर्माण किया है।
- आतंकवाद के खिलाफ समर्थन: गृहयुद्ध के दौरान भारत ने आतंकवादी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये श्रीलंका सरकार का समर्थन किया।
- पुनर्वास सहायता: भारतीय आवास परियोजना (Indian Housing Project) भारत सरकार की श्रीलंका को विकासात्मक सहायता की प्रमुख परियोजना है। इसकी आरंभिक प्रतिबद्धता गृहयुद्ध से प्रभावित लोगों के साथ-साथ बागान क्षेत्रों में संपदा/एस्टेट श्रमिकों के लिये 50,000 घरों का निर्माण करना है।
- कोविड-19 के दौरान सहायता: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विदेशी भंडार को बढ़ावा देने और देश में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये श्रीलंका को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय (Currency Swap) सुविधा का विस्तार करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे, जब वह कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित था। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को भी कोविड-19 के टीके की आपूर्ति की है।
- संयुक्त अभ्यास: भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास (मित्र शक्ति) तथा नौसैनिक अभ्यास- स्लीनेक्स (SLINEX) आयोजित करते हैं।
- समूहों के बीच भागीदारी: श्रीलंका भी बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल) और सार्क जैसे समूहों का सदस्य है जिसमें भारत प्रमुख भूमिका निभाता है।

आगे की राह:

- भारत और श्रीलंका के बीच एक ज़मीनी स्तर पर विश्वास की कमी है, फिर भी दोनों देश आपसी संबंधों को खराब करने के पक्ष में नहीं है।
- हालाँकि एक बड़े देश के रूप में भारत पर श्रीलंका को साथ ले चलने की ज़िम्मेदारी है। भारत को धैर्य रखने की ज़रूरत है और किसी भी तनाव पर प्रतिक्रिया करने से बचना चाहिये तथा श्रीलंका (विशेष रूप से उच्चतम स्तर पर) को और अधिक नियमित रूप से तथा बारीकी से इस कार्य में संलग्न करना चाहिये।
- कोलंबो के घरेलू मामलों में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से दूर रहते हुए भारत को अपनी जन-केंद्रित विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
- श्रीलंका के साथ 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का संपोषण भारत के लिये हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है।

रूस-यूक्रेन संघर्ष

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों में कहा गया है कि रूस-यूक्रेन सीमा पर तनाव इस क्षेत्र में एक बड़ा सुरक्षा संकट पैदा कर सकता है।

- यूक्रेन का कहना है कि रूस ने सीमा पर करीब 90,000 सैनिक तैनात किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि
  - यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध साझा करते हैं।
    - रूस और यूक्रेन में कई समूहों के लिये देशों की साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा है जिसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया गया है।
  - सोवियत संघ के हिस्से के रूप में, यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था और रणनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से काफी महत्त्वपूर्ण था।

नोट :

- संघर्ष के कारण
  - शक्ति संतुलन: जब से यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ है, रूस और पश्चिम दोनों ने इस क्षेत्र में सत्ता संतुलन को अपने पक्ष में रखने के लिये लगातार संघर्ष किया है।
  - पश्चिमी देशों के लिये बफर ज़ोन: अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिये यूक्रेन रूस और पश्चिम के बीच एक महत्त्वपूर्ण बफर ज़ोन है।
    - रूस के साथ तनाव बढ़ने से अमेरिका और यूरोपीय संघ यूक्रेन को रूसी नियंत्रण से दूर रखने के लिये दृढ़ संकल्पित हैं।
  - 'काला सागर' में रूस की रुचि: काला सागर क्षेत्र का अद्वितीय भूगोल रूस को कई भू-राजनीतिक लाभ प्रदान करता है।
    - सबसे पहले यह पूरे क्षेत्र के लिये एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।
    - काला सागर तक पहुँच सभी तटीय एवं पड़ोसी राज्यों के लिये महत्त्वपूर्ण है।
    - दूसरे, यह क्षेत्र माल एवं ऊर्जा के लिये एक महत्त्वपूर्ण पारगमन गलियारा है।
  - यूक्रेन में विरोध प्रदर्शन:
    - यूरोमैदान आंदोलन: यूरोमैदान (यूरोपीय स्क्वायर) यूक्रेन में प्रदर्शनों और नागरिक अशांति की एक लहर थी, जो नवंबर 2013 में कीव (यूक्रेन) में 'नेज़ालेज़्नोस्ती' मैदान ('स्वतंत्रता स्क्वायर') में सार्वजनिक विरोध के साथ शुरू हुई थी।
    - रूस और यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के साथ यूरोपीय संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर को निलंबित करने के यूक्रेनी सरकार के फैसले के साथ विरोध तेज़ हो गया था।
    - अलगाववादी आंदोलन: पूर्वी यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र (डोनेट्स्क और लुहान्स्क क्षेत्र) वर्ष 2014 से रूसी समर्थक अलगाववादी आंदोलन का सामना कर रहा है।
    - यूक्रेन सरकार के अनुसार, आंदोलन को रूसी सरकार द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया जाता है और रूसी अर्द्धसैनिक बल यूक्रेन सरकार के खिलाफ अलगाववादियों की संख्या 15% से 80% के बीच है।
  - क्रीमिया पर आक्रमण:
    - रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को जब्त कर लिया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी यूरोपीय देश ने किसी अन्य देश के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया।
    - यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप (Crimean Peninsula) पर कब्ज़ा, क्रीमिया में रूसी सैन्य हस्तक्षेप के बाद हुआ। यह वर्ष 2014 की यूक्रेनी क्रांति के बाद हुआ जो दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में व्यापक अशांति का हिस्सा था।
    - क्रीमिया के आक्रमण और उसके बाद के विलय ने रूस को इस क्षेत्र में समुद्रतटीय लाभ दिया है।
  - यूक्रेन की नाटो सदस्यता: यूक्रेन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) से गठबंधन में अपने देश की सदस्यता में तेज़ी लाने का आग्रह किया है।
    - रूस ने इस तरह के एक कदम को "रेड लाइन" घोषित कर दिया है और अमेरिका के नेतृत्त्व वाले सैन्य गठबंधनों तक इसकी पहुँच के परिणामों के बारे में चिंतित है।
    - काला सागर बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन से घिरा है। ये सभी नाटो देश हैं।
    - नाटो देशों और रूस के बीच इस टकराव के कारण काला सागर सामरिक महत्त्व का क्षेत्र है और एक संभावित समुद्री फ्लैशपॉइंट है।
- मिन्स्क (Minsk) समझौते:
  - Minsk I: यूक्रेन और रूसी समर्थित अलगाववादियों ने सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी में 12-सूत्रीय युद्धविराम समझौते पर सहमति व्यक्त की।
    - इसके प्रावधानों में कैदी का आदान-प्रदान, मानवीय सहायता की डिलीवरी और भारी हथियारों की वापसी शामिल थी।
    - दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन के बाद यह समझौता शीघ्र टूट गया।
  - Minsk II: वर्ष 2015 में फ्राँस और जर्मनी की मध्यस्थता के तहत 'मिन्स्क II' शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद एक खुला संघर्ष टल गया था।
    - इसे विद्रोही क्षेत्रों में लड़ाई को समाप्त करने और सीमा को यूक्रेन के राष्ट्रीय सैनिकों को सौंपने के लिये डिज़ाइन किया गया था।

नोट :

- इस पर रूस, यूक्रेन के प्रतिनिधियों, सुरक्षा और यूरोप में सहयोग के लिये संगठन (Organisation for Security and Cooperation in Europe- OSCE) दो रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे।
- OSCE विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा-उन्मुख अंतर सरकारी संगठन है। इसके जनादेश(Mandate) में हथियार नियंत्रण, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव जैसे मुद्दे शामिल हैं।

- वर्तमान स्थिति:
  - रूस अमेरिका से आश्वासन मांग रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाए। हालाँकि अमेरिका ऐसा कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं है।
    - इसने देशों के मध्य गतिरोध की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिस कारण हज़ारों रूसी सैनिक यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिये तैयार हैं।
  - पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों में राहत और अन्य रियायतें प्राप्त करने के लिये रूस यूक्रेन की सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है।
  - रूस के खिलाफ अमेरिका या यूरोपीय संघ द्वारा किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई विश्व के समक्ष एक बड़ा संकट उत्पन्न कर देगी और अब तक इसमें शामिल किसी भी पक्ष द्वारा इसपर विचार या बातचीत नहीं की गई है।
- भारत का रुख:
  - पश्चिमी शक्तियों द्वारा क्रीमिया में रूस के हस्तक्षेप को लेकर भारत निष्पक्ष बना हुआ है।
  - नवंबर 2020 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) में यूक्रेन द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया, जिसमें क्रीमिया में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा की गई थी, जबकि इस मुद्दे पर पुराने सहयोगी रूस द्वारा समर्थन किया गया था।

काला सागर

- काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है।
- यह दक्षिण, पूर्व और उत्तर में क्रमश: पोंटिक, काकेशस और क्रीमियन की पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
- काला सागर भी कर्च जलडमरूमध्य द्वारा आज़ोव सागर से जुड़ा हुआ है।
- तुर्की जलडमरूमध्य प्रणाली- डारडेनेल्स, बोस्फोरस और मरमारा सागर- भूमध्यसागर तथा काला सागर के बीच एक ट्रांज़ीशन ज़ोन के रूप में कार्य करती है
- काला सागर के सीमावर्ती देशों में- रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हैं।
- काला सागर के जल में ऑक्सीजन की भारी कमी है।

आगे की राह

- स्थिति का एक व्यावहारिक समाधान मिन्स्क शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना है। अत: इसके लिये अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को दोनों पक्षों को बातचीत फिर से शुरू करने तथा सीमा पर सापेक्ष शांति बहाल करने के लिये मिन्स्क समझौते के अनुसार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु प्रेरित करना चाहिये।

भारत-रूस शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए। दोनों देशों के मध्य हुए बैठक में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए। यह बैठक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह दोनों देशों के विदेश मंत्रयों और रक्षा मंत्रियों के बीच पहली 2+2 (2+2 Meeting) बैठक थी।

- अप्रैल 2021 भारत और रूस के बीच एक आम सहमति विकसित करने के लिये दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक दूसरे की चिंताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- पहली भारत-रूस 2+2 वार्ता: यह दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के मध्य पहली 2+2 बैठक है।
  - 'चतुर्भुज सुरक्षा संवाद' (Quadrilateral Security Dialogue) अर्थात् क्वाड के सदस्य देशों- अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 प्रारूप बैठकों का आयोजित किया गया है।
- कलाश्निकोव राइफल्स पर समझौता: दोनों पक्षों के मध्य अमेठी, उत्तर प्रदेश में एक संयुक्त उद्यम के तहत लगभग 600,000 एके-203 (AK-203) राइफल्स के निर्माण के लिये दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया गया।
- सैन्य सहयोग के लिये समझौता: दोनों देशों द्वारा अगले दशक वर्ष 2021 से 2031 तक के एक सैन्य प्रौद्योगिकी सहयोग के लिये एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया।
  - भारत ने सिर्फ एक खरीदार के रूप में रूस का रक्षा विकास और उत्पादन भागीदार बनने के अपने लक्ष्य को रेखांकित किया।
  - दोनों पक्ष अब सैन्यअभ्यासों के प्रारूप का विस्तार करने पर विचार कर रहे हैं ताकि उन्हें और अधिक प्रगाढ़ किया जा सके और साथ ही मध्य एशिया में भारत-रूस सहयोग के विस्तार पर भी विचार किया जा सकें।
- रसद समझौते के पारस्परिक आदान-प्रदान को आगे बढ़ाना: रक्षा बिक्री से परे, रसद समझौते का पारस्परिक आदान-प्रदान (Reciprocal Exchange of Logistics Agreement- RELOS) नौसेना से सैन्य सहयोग समझौता ज्ञापन निष्कर्ष के उन्नत चरणों में हैं।
- सैन्य प्रोटोकॉल: दोनों देशों द्वारा सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग ((IRIGC-M&MTC) पर 20वें भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किया गया।
  - 'IRIGC-M&MTC' पिछले दो दशकों से एक अच्छी तरह से स्थापित तंत्र है, जो रक्षा सहयोग के लिये पारस्परिक रूप से सहमत एजेंडे पर चर्चा करने और लागू करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।
- एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम डील: भारत ने ज़ोर देकर कहा कि वह एक "स्वतंत्र विदेश नीति" का पालन करता है, जो अमेरिका के काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act- CAATSA) की ओर इशारा करता है।
  - इसे S-400 वायु रक्षा मिसाइल (S-400 Air Defence Missile) प्रणालियों की आपूर्ति के संदर्भ में संदर्भित किया जाता है.
- भू-राजनीतिक हॉटस्पॉट पर चर्चा: अफगानिस्तान, मध्य पूर्व की स्थिति के साथ मध्य एशिया का व्यापक प्रभाव है।
  - समुद्री सुरक्षा और इसकी हिफाजत पर दोनों देशों द्वारा साझा चिंता व्यक्त की गई।
  - बैठक में चीन के आक्रामक रुख का मुद्दा भी उठाया गया।
  - दोनों देशों द्वारा मध्य एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में अधिक से अधिक जुड़ाव का प्रस्ताव रखा गया।

भारत के लिये रूस का महत्त्व

- चीन को संतुलित करना: पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी आक्रमण ने भारत-चीन संबंधों को एक मोड़ पर ला दिया, लेकिन यह भी प्रदर्शित किया कि रूस चीन के साथ तनाव को कम करने में योगदान देने में सक्षम है।
  - लद्दाख के विवादित क्षेत्र में गलवान घाटी में घातक झड़पों के बाद रूस ने भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की।
- आर्थिक जुड़ाव के उभरते नए क्षेत्र: हथियारों, हाइड्रोकार्बन, परमाणु ऊर्जा और हीरे जैसे सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा आर्थिक जुड़ाव के नए क्षेत्रों के उभरने की संभावना है। इनमें खनन, कृषि-औद्योगिक और उच्च प्रौद्योगिकी, जिसमें रोबोटिक्स, नैनोटेक तथा बायोटेक शामिल हैं।
  - रूस के सुदूर पूर्व और आर्कटिक में भारत के पदचिन्हों का विस्तार होना तय है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा मिल सकता है।
- आतंकवाद का मुकाबला: भारत और रूस अफगानिस्तान के बीच की खाई को पाटने के लिये काम कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का आह्वान कर रहे हैं।
- बहुपक्षीय मंचों का समर्थन: इसके अतिरिक्त रूस एक सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की स्थायी सदस्यता के लिये भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है।

नोट :

- रूस का सैन्य निर्यात: रूस भारत के लिये सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में से एक रहा है। यहाँ तक कि वर्ष 2011 से 2015 की तुलना में पिछले पाँच वर्ष की अवधि में भारत को हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 50% से अधिक गिर गई।
  - वैश्विक हथियारों के व्यापार की निगरानी करने वाले 'स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट' के अनुसार, पिछले 20 वर्षों में भारत ने रूस से 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार और सैन्य सामग्री आयात की है।

आगे की राह:

- समय पर रख-रखाव सहायता प्रदान करने के लिये रूस: भारतीय सेना के साथ सेवा में रूसी हार्डवेयर की बड़ी सूची के लिये पुर्जों की समय पर आपूर्ति और समर्थन भारत के संदर्भ में एक प्रमुख मुद्दा रहा है।
  - इसे संबोधित करने के लिये रूस ने वर्ष 2019 में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी समझौते के बाद अपनी कंपनियों को भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति देते हुए विधायी परिवर्तन किये हैं।
  - इस समझौते को समयबद्ध तरीके से लागू करने की ज़रूरत है।
- एक दूसरे के महत्त्व को स्वीकार करना: रूस आने वाले दशकों तक भारत के लिये एक प्रमुख रक्षा भागीदार बना रहेगा।
  - दूसरी ओर रूस और चीन वर्तमान में एक अर्द्ध-गठबंधन एलायंस में हैं। रूस बार-बार दोहराता है कि वह खुद को किसी के कनिष्ठ भागीदार के रूप में नहीं देखता है। इसलिये रूस चाहता है कि भारत उसके लिये एक संतुलक का काम करे।
- संयुक्त सैन्य उत्पादन: दोनों देश इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वे तीसरे देशों को रूसी मूल के उपकरण और सेवाओं के निर्यात के लिये भारत को उत्पादन आधार के रूप में उपयोग करने में कैसे सहयोग कर सकते हैं।

SCO- क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना (RATS)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने एक वर्ष की अवधि (28 अक्तूबर, 2021 से) के लिये शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS-SCO) की अध्यक्षता ग्रहण की है।

- इसके अनुसरण में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) ने भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (DSCI) के सहयोग से समकालीन खतरे के माहौल में साइबरस्पेस की सुरक्षा पर एक सेमिनार का आयोजन किया है।

प्रमुख बिंदु:

- SCO-क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना
  - SCO-RATS शंघाई सहयोग संगठन का एक स्थायी निकाय है और इसका उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है।
  - SCO-RATS का मुख्य कार्य समन्वय और सूचना साझा करना है।
  - एक सदस्य के रूप में भारत ने SCO-RATS की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।
  - भारत की स्थायी सदस्यता इसे अपने परिप्रेक्ष्य के लिये सदस्यों के बीच अधिक समझ को सक्षम बनाएगी।
- शंघाई सहयोग संगठन (SCO):
  - शंघाई सहयोग संगठन (SCO) को विशाल यूरेशियाई क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिरता बनाए रखने के लिये एक बहुपक्षीय संघ के रूप में स्थापित किया गया था।
  - यह उभरती चुनौतियों एवं खतरों का मुकाबला करने और व्यापार बढ़ाने के साथ-साथ सांस्कृतिक तथा मानवीय सहयोग के लिये सेनाओं के शामिल होने की परिकल्पना करता है। इसकी स्थापना 15 जून, 2001 को शंघाई में हुई थी।
  - वर्ष 2001 में SCO की स्थापना से पूर्व कज़ाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान 'शंघाई-5' नामक संगठन के सदस्य थे।

नोट :

- वर्ष 1996 में 'शंघाई-5' का गठन विसैन्यीकरण वार्ता की शृंखलाओं के माध्यम से हुआ था, चीन के साथ ये वार्ताएँ चार पूर्व सोवियत गणराज्यों द्वारा सीमाओं पर स्थिरता के लिये की गई थीं।

- वर्ष 2001 में उज़्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद 'शंघाई-5' को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) नाम दिया गया।
- SCO चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किये गए थे और यह वर्ष 2003 में लागू हुआ।
- SCO की आधिकारिक भाषाएँ रूसी और चीनी हैं।
- SCO के दो स्थायी निकाय हैं:
  - बीजिंग में स्थित SCO सचिवालय,
  - ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) की कार्यकारी समिति।
- SCO की अध्यक्षता सदस्य देशों द्वारा रोटेशन के आधार पर एक वर्ष के लिये की जाती है।
- वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला।
- वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कज़ाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं।

भारत और शंघाई सहयोग संगठन

- भारत के लिये लाभ:
  - SCO की सदस्यता मिलने के साथ ही अब भारत को एक बड़ा वैश्विक मंच मिल गया है। SCO यूरेशिया का एक ऐसा राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका केंद्र मध्य एशिया और इसका पड़ोस है। ऐसे में इस संगठन की सदस्यता भारत के लिये विभिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध करवाने वाली सिद्ध हो सकती है।
  - क्षेत्रवाद को अपनाना: सार्क तथा बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल (BBIN) पहल के साथ भागीदारी में कमी को देखते हुए SCO उन कुछ क्षेत्रीय संरचनाओं में से एक है जिनमें भारत भी हिस्सेदारी रखता है।
    - इससे भी महत्त्वपूर्ण है तीन प्रमुख क्षेत्रों- ऊर्जा, व्यापार, परिवहन लिंक के निर्माण में सहयोग करना तथा पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटना।
  - मध्य एशिया से संपर्क: 'शंघाई सहयोग संगठन' भारत को मध्य एशियाई देशों तक अपनी पहुँच बढ़ाने (व्यापार और रणनीतिक संबंधों के मामले में) हेतु एक सुविधाजनक चैनल प्रदान करता है।
    - SCO भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति' (Connect Central Asia Policy) को आगे बढ़ाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच का कार्य कर सकता है।
    - गौरतलब है कि मध्य एशिया के साथ आर्थिक संपर्क बढ़ाने की भारतीय नीति की नींव वर्ष 2012 की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी' (Connect Central Asia Policy) पर आधारित है, जिसमें 4'C'- वाणिज्य (Commerce), संपर्क (Connectivity), कांसुलर (Consular) और समुदाय (Community) पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - 'SECURE' (सुरक्षा) के मूलभूत आयाम: 'शंघाई सहयोग संगठन' के रणनीतिक महत्त्व को स्वीकार करते हुए, भारतीय प्रधानमंत्री ने 'SECURE' (सुरक्षा) को यूरेशिया के मूलभूत आयाम के रूप में संदर्भित किया था। 'SECURE' शब्द का पूर्ण रूप है:
    - S- नागरिकों की सुरक्षा,
    - E- आर्थिक विकास,
    - C- क्षेत्रीय संपर्क,
    - U- लोगों के बीच एकजुटता,
    - R- संप्रभुता और अखंडता का सम्मान
    - E- पर्यावरण संरक्षण
  - पाकिस्तान और चीन से निपटना: शंघाई सहयोग संगठन भारत को एक ऐसा मंच प्रदान करता है, जहाँ वह क्षेत्रीय मुद्दों पर चीन और पाकिस्तान के साथ रचनात्मक चर्चा में शामिल हो सकता है तथा अपने सुरक्षा हितों को उनके समक्ष रख सकता है।

नोट :

- भारत के समक्ष मौजूद चुनौतियाँ
  - प्रत्यक्ष स्थलीय संपर्क की बाधाएँ: पाकिस्तान द्वारा भारत और अफगानिस्तान (तथा इसके आगे भी) के बीच भू-संपर्क की अनुमति न देना, भारत के लिये यूरेशिया के साथ अपने विस्तारित संबंधों को मज़बूत करने में सबसे बड़ी बाधा रहा है।
    - कनेक्टिविटी के अभाव ने हाइड्रोकार्बन समृद्ध- यूरेशिया और भारत के बीच ऊर्जा संबंधों के विकास में भी बाधा डाली है।
  - रूस-चीन संबंधों में सुधार: 'शंघाई सहयोग संगठन' में भारत को शामिल करने के लिये रूस के प्रमुख कारकों में से एक चीन की शक्ति को संतुलित करना था।
  - 'बेल्ट एंड रोड' इनिशिएटिव को लेकर मतभेद: जहाँ एक ओर भारत ने 'बेल्ट एंड रोड' (BRI) इनिशिएटिव का विरोध किया है, वहीं शंघाई सहयोग संगठन के अन्य सभी सदस्यों ने चीनी परियोजना को स्वीकार कर लिया है।
  - भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता: 'शंघाई सहयोग संगठन' के सदस्यों ने अतीत में चिंता व्यक्त की है कि भारत एवं पाकिस्तान के प्रतिकूल संबंधों का प्रभाव संगठन पर पड़ सकता है और यह आशंका हाल के दिनों में और अधिक बढ़ गई है।

आगे की राह:

- मध्य एशिया के साथ संपर्क में सुधार: इस संदर्भ में यूरेशिया में एक मज़बूत पहुँच स्थापित करने के लिये चाबहार बंदरगाह के खुलने और अश्गाबात समझौते में भारत के शामिल होने का लाभ उठाया जाना चाहिये।
  - इसके अलावा 'अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे' (INSTC) के संचालन पर भी विशेष ध्यान देना होगा।
- चीन के साथ संबंधों में सुधार: 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति में एशियाई नेतृत्व को मज़बूती प्रदान करने के लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि भारत और चीन द्वारा आपसी मतभेदों को शांति के साथ दूर करने के लिये एक व्यवस्थित प्रणाली को विकसित किया जाए।
- सैन्य सहयोग में वृद्धि: हाल के वर्षों में क्षेत्र में आतंकवाद संबंधी गतिविधियों में वृद्धि को देखते हुए यह बहुत ही आवश्यक हो गया है कि SCO द्वारा एक 'सहकारी और टिकाऊ सुरक्षा ढाँचे' का विकास किया जाए, साथ ही क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना को और अधिक प्रभावी बनाए जाने का भी प्रयास किया जाना चाहिये।

बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन

चर्चा में क्यों ?

पिछले कुछ हफ्तों में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के हिस्से के रूप में बंदरगाह शहर की मेगा विकास योजनाओं के खिलाफ ग्वादर, बलूचिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

- प्रदर्शनकारियों ने बंदरगाह के विकास में स्थानीय लोगों के हाशिये पर जाने की ओर ध्यान आकर्षित करने की मांग की है।
- पाकिस्तान का दावा है कि भारत इन विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करता रहा है।

प्रमुख बिंदु

- बलूचिस्तान:
  - बलूचिस्तान पाकिस्तान के चार प्रांतों में से एक है।
  - यह सबसे कम आबादी वाला प्रांत है, भले ही यह क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा प्रांत है।
  - यह जातीय बलूच लोग यहाँ के निवासी हैं जो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान में भी पाये जाते हैं, हालाँकि बलूच आबादी बलूचिस्तान में पाई जाती है।
  - बलूचिस्तान प्राकृतिक गैस और तेल से समृद्ध है और पाकिस्तान के सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है।
- बलूचिस्तान में विद्रोह:
  - भारतीय उपमहाद्वीप से अंग्रेजों की वापसी के दौरान, बलूचिस्तान साम्राज्य को भारत में शामिल होने, पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की पेशकश की गई थी।

नोट :

- बलूचिस्तान के राजा ने स्वतंत्र रहना चुना और यह लगभग एक वर्ष तक स्वतंत्र रहा।
- वर्ष 1948 में पाकिस्तान सरकार ने सैन्य और कूटनीति के संयोजन के साथ इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और इसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया।
- पाकिस्तान सेना और आतंकवादी समूहों द्वारा किये गए क्षेत्र में विकास और मानवाधिकारों के उल्लंघन की कमी के कारण, बलूचिस्तान में यह विद्रोह वर्ष 1948 से सक्रिय है।
- पाकिस्तान का दावा है कि भारत इन विद्रोही लड़ाकों को हथियारों और खुफिया जानकारी के माध्यम से समर्थन प्रदान करता रहा है।

- बलूचिस्तान पर भारत का रुख:
  - भारत ने लंबे समय से पाकिस्तान या किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का राजनीतिक रुख बनाए रखा है।
  - वर्षों से पाकिस्तान द्वारा बार-बार कश्मीर मुद्दे को उठाने के बावजूद, भारत ने बलूचिस्तान पर चुप्पी बनाए रखी थी।
  - हालाँकि, वर्ष 2016 में पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के तत्काल बाद बलूचिस्तान पर भारत की टिप्पणी आई, क्योंकि यह समारोह कश्मीर की स्वतंत्रता हेतु समर्पित था।
  - भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में अपने स्वतंत्रता भाषण में बलूच लोगों के अत्याचारों का ज़िक्र किया था।

'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा' और भारत की चिंताएँ

- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा
  - 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा' पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है।
  - इसका उद्देश्य चीन के पश्चिमी भाग (शिनजियांग प्रांत) को पाकिस्तान के उत्तरी भागों में खुंजेराब दर्रे के माध्यम से बलूचिस्तान, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से जोड़ना है।
  - इसका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्गों, रेलवे और पाइपलाइनों के नेटवर्क के साथ पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
  - यह ग्वादर पोर्ट से चीन के लिये मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे चीन हिंद महासागर तक पहुँच सकेगा।
  - CPEC 'बेल्ट एंड रोड' (BRI) इनिशिएटिव का एक हिस्सा है।
    - वर्ष 2013 में शुरू किए गए BRI का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि तथा समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है।
- भारत के लिये चिंता:
  - संप्रभुता का मुद्दा: चीन द्वारा पाकिस्तान के लिये विकसित किये जा रहे कुछ प्रस्तावित बुनियादी ढाँचे में से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के विवादित क्षेत्र रहे हैं।
    - भारत इसे अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है।
  - ग्वादर बंदरगाह का दोहरा उद्देश्य: भारत ग्वादर को लेकर चिंतित रहा है, जो चीन को अरब सागर और हिंद महासागर तक रणनीतिक पहुँच प्रदान करता है।
    - इसे न केवल एक व्यापार गोदाम के रूप में बल्कि चीनी नौसेना द्वारा उपयोग के लिये दोहरे उद्देश्य वाले बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है।
    - यह स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सिद्धांत का हिस्सा है, जिसके तहत चीन हिंद महासागर और उसके दक्षिण में ग्वादर (पाकिस्तान), चटगाँव (बांग्लादेश, क्याक फ्रू (म्याँमार) और हंबनटोटा (श्रीलंका) में अत्याधुनिक विशाल आधुनिक बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है।
    - स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत के लिये एक रणनीतिक खतरा है, क्योंकि इसका उद्देश्य हिंद महासागर में चीनी प्रभुत्व स्थापित करने हेतु भारत को घेरना है।

नोट :

चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंध की समाप्ति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री ने संसद में जवाब दिया है कि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का भारत की चाबहार बंदरगाह परियोजना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और बंदरगाह अच्छी तरह से कार्य कर रहा है।

- सामरिक चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिये भारत ने अमेरिका से अलग अपवाद वाला दृष्टिकोण अपनाया है।

प्रमुख बिंदु

- चाबहार बंदरगाह के बारे में:
  - यह ईरान के सिस्तान प्रांत में हिंद महासागर में स्थित है।
  - चाबहार बंदरगाह को मध्य एशियाई देशों के साथ भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा व्यापार के सुनहरे अवसरों का प्रवेश द्वार माना जाता है।
  - बंदरगाह, जो भारत के पश्चिमी तट से आसानी से पहुँचा जा सकता है, को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के काउंटर के रूप में देखा जा रहा है जिसे चीन के निवेश के साथ विकसित किया जा रहा है।
- भारत के लिये चाबहार बंदरगाह का महत्त्व:
  - वैकल्पिक मार्ग: चाबहार बंदरगाह सभी को वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग का विकल्प प्रदान करता है, इस प्रकार व्यापार के संबंध में पाकिस्तान के महत्त्व को कम करता है।
  - सामरिक आवश्यकताएँ: यह ओमान की खाड़ी पर स्थित है और पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से केवल 72 किमी दूर है जिसे चीन द्वारा विकसित किया गया है।
    - वन बेल्ट वन रोड (One Belt One Road- OBOR) परियोजना के तहत चीन अपने आक्रामक रूप से स्वयं के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को आगे बढ़ा रहा है।
  - कनेक्टिविटी: भविष्य में चाबहार परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (International North South Transport Corridor) रूस तथा यूरेशिया के साथ भारतीय संपर्क/कनेक्टिविटी का अनुकूलन कर एक दूसरे के पूरक होंगे।
    - साथ ही यह भारत को अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों तक सीधी पहुँच प्रदान करता है
- अमेरिकी प्रतिबंधों में अपवाद के कारण:
  - अफगानिस्तान के हित में: अमेरिका स्वीकार करता है कि चाबहार बंदरगाह परियोजना न केवल भारत या ईरान के रणनीतिक हित में है बल्कि अफगानिस्तान के रणनीतिक हित में भी है।
    - अफगानिस्तान एक भू-आबद्ध देश है जो व्यापार के लिये पाकिस्तान पर निर्भर है। इसका सारा व्यापार बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी बंदरगाहों से होता है।
    - पाकिस्तान अक्सर अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार के लिये भारत को पारगमन से इनकार करता है।
    - यह परियोजना अफगानिस्तान को एक रणनीतिक विकल्प प्रदान करती है और इसे भूमि से घिरे होने के बावजूद मदद करती है।
  - पाकिस्तान को बायपास करना: यदि भविष्य में अमेरिका और ईरान के बीच के मसले सुलझ जाते हैं तो चाबहार बंदरगाह अमेरिका को पाकिस्तान को बायपास करने में सक्षम बनाएगा।
    - पाकिस्तान अभी भी उन सभी प्रशासनिक मार्गों को नियंत्रित करता है जिनके द्वारा अफगानिस्तान को आपूर्ति की जा सकती है।
    - इसके कारण अमेरिका हमेशा से ही आतंकवादियों, विशेषकर अफगान तालिबानों पर कार्रवाई करने से हिचकिचाता रहा है। चाबहार बंदरगाह अमेरिका को ऐसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विकल्प देता है।

नोट :

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) पर अपना समर्थन दोहराया है।

- भारत ने UNCLOS,1982 में विशेष रूप से परिलक्षित अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के आधार पर नेविगेशन और ओवरफ्लाइट तथा अबाधित वाणिज्य की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया है।
- भारत, UNCLOS का एक समर्थक देश है।

प्रमुख बिंदु:

- सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) 1982 एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो समुद्री और समुद्री गतिविधियों के लिये कानूनी ढाँचा स्थापित करता है।
- इसे समुद्र के नियम के रूप में भी जाना जाता है यह समुद्री क्षेत्रों को पाँच मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है अर्थात्- आंतरिक जल, प्रादेशिक सागर, सन्निहित क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और हाई सीज़।
- यह तटीय देशों और महासागरों को नेविगेट करने वालों द्वारा अपतटीय शासन के लिये मज़बूती प्रदान करता है।
- यह न केवल तटीय देशों के अपतटीय क्षेत्रों का ज़ोन है बल्कि पाँच संकेंद्रित क्षेत्रों में देशों के अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के लिये विशिष्ट मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।
- जबकि UNCLOS पर दक्षिण चीन सागर में लगभग सभी तटीय देशों द्वारा हस्ताक्षर और पुष्टि की गई है किंतु इसकी व्याख्या अभी भी बहुत विवादित है।
  - पूर्वी चीन सागर में भी समुद्री विवाद है।

समुद्री क्षेत्र

- आधार रेखा:
  - यह तटीय देश द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त तट के साथ कम परिक्षेत्र की जल रेखा है।
- आंतरिक जल:
  - आंतरिक जल वे जल होते हैं जो आधार रेखा के भू-भाग पर स्थित होते हैं और जिससे प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है।
  - प्रत्येक तटीय देश की अपने भूमि क्षेत्र की तरह अपने आंतरिक जल पर पूर्ण संप्रभुता होती है। आंतरिक जल के उदाहरणों में खाड़ी, बंदरगाह, इनलेट, नदियाँ और यहाँ तक कि समुद्र से जुड़ी झीलें भी शामिल हैं।
  - आंतरिक जल से इनोसेंट पैसेज के गुज़रने का कोई अधिकार नहीं है।
  - इनोसेंट पैसेज का तात्पर्य उन जल से गुज़रना है जो शांति और सुरक्षा के प्रतिकूल नहीं हैं। हालाँकि, राष्ट्रों को इसे निलंबित करने का अधिकार है।
- प्रादेशिक सागर:
  - प्रादेशिक समुद्र अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील (NM) तक विस्तृत होता है।
    - एक नॉटिकल मील पृथ्वी की परिधि पर आधारित होता है और अक्षांश के एक मिनट के बराबर होता है। यह भूमि मापित मील (1 समुद्री मील = 1.1508 भूमि मील या 1.85 किमी) से थोड़ा अधिक है।
- सन्निहित क्षेत्र (Contiguous Zone):
  - सन्निहित क्षेत्र का विस्तार आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक विस्तृत होता है।
  - तटीय देशों को अपने क्षेत्र के भीतर राजकोषीय, आव्रजन, स्वच्छता और सीमा शुल्क कानूनों के उल्लंघन को रोकने तथा दंडित करने का अधिकार होता है।
  - इसमें संबंधित देश को अपनी सीमा में न्यायिकारिता का अधिकार होता है। लेकिन यह हवाई और अंतरिक्ष क्षेत्र पर लागू नहीं होता है।

नोट :

- अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone-EEZ):
  - EEZ आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है।
- हाई सीज़ (High Seas):
  - EEZ से अलग समुद्र की सतह और जल स्तंभ को 'हाई सीज़' कहा जाता है।
  - इसे "सभी मानव जाति की साझा विरासत" के रूप में माना जाता है और यह किसी भी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे है।
  - देश इन क्षेत्रों में गतिविधियों का संचालन तब तक कर सकते हैं जब तक कि वे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये हों, जैसे कि पारगमन, समुद्री विज्ञान और पानी के नीचे की खोज।

संरक्षणवाद बनाम वैश्वीकरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री (EAM) द्वारा ज़ोर देकर कहा गया है कि कोविड -19 महामारी ने अनियंत्रित वैश्वीकरण (Unchecked Globalization) के बजाय भारत की क्षमताओं और अधिक घरेलू उत्पादन की आवश्यकता को बढ़ाया है।

- उन्होंने आगे कहा कि तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिये, राष्ट्रों को आंतरिक रूप से अधिक स्टार्ट-अप, आपूर्ति श्रृंखला और रोज़गार सृजित करने की ज़रूरत है।
- विदेश मंत्री के इस भाषण ने संरक्षणवाद बनाम वैश्वीकरण के बीच एक बहस छेड़ दी है।

प्रमुख बिंदु

- वैश्वीकरण:
  - परिचय: वैश्वीकरण एक सीमारहित दुनिया की परिकल्पना करता है या एक ग्लोबल विलेज के रूप में दुनिया की स्थापना का प्रयास करता है।
  - आधुनिक वैश्वीकरण की उत्पत्ति: वर्तमान वैश्वीकरण वर्ष 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के साथ शुरू हुआ था।
  - संचालित कारक: वैश्वीकरण दो प्रणालियों लोकतंत्र और पूंजीवाद, जो शीत युद्ध के अंत में अस्तित्त्व में आया।
  - वैश्वीकरण के आयाम: इसका श्रेय सीमाओं के पार माल, लोगों, पूंजी, सूचना और ऊर्जा के त्वरित प्रवाह को दिया जा सकता है, जो अक्सर तकनीकी विकास द्वारा सक्षम होता है।
  - वैश्वीकरण का प्रकटीकरण: टैरिफ के बिना व्यापार, आसान या बिना वीज़ा के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, कुछ बाधाओं के साथ पूंजी प्रवाह, सीमा पार पाइपलाइन और ऊर्जा ग्रिड और वास्तविक समय में निर्बाध वैश्विक संचार ऐसे लक्ष्य प्रतीत होते हैं जिनकी ओर दुनिया आगे बढ़ रही थी।
- वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क:
  - वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँच: वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप व्यापार और जीवन स्तर में वृद्धि हुई है।
    - यह घरेलू उत्पाद, पूंजी और श्रम बाज़ारों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की व्यापार एवं निवेश रणनीतियाँ अपनाने वाले देशों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाता है।
  - सामाजिक न्याय का वाहक: समर्थकों का मानना है कि वैश्वीकरण, मुक्त व्यापार का प्रतिनिधित्त्व करता है जो वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, रोज़गार का सृजन करता है, कंपनियों को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाता है और उपभोक्ताओं के लिये कीमतें कम करता है।
  - सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ाता है: सीमा-पार दूरियों को कम करके, वैश्वीकरण ने अंत:पारीय-सांस्कृतिक समझ और साझाकरण को बढ़ाया है।

नोट :

- प्रौद्योगिकी और मूल्यों को साझा करना: यह विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के माध्यम से गरीब देशों को आर्थिक रूप से विकसित होने तथा समृद्ध होने का मौका भी प्रदान करता है।

- वैश्वीकरण के विपक्ष में तर्क:
  - वैश्विक समस्याओं का उदय: वैश्वीकरण की आलोचना वैश्विक असमानताओं को बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रसार और सीमा पार संगठित अपराध तथा बीमारी के तेज़ी से प्रसार के कारण की जाती है।
  - राष्ट्रवाद की प्रतिक्रिया: वैश्वीकरण के आर्थिक पहलू के बावजूद, इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि हुई है।
  - सांस्कृतिक एकरूपता की ओर बढ़ना: वैश्वीकरण लोगों के व्यवहार अभिसरण को बढ़ावा मिलता है जिससे अधिक सांस्कृतिक एकरूपता हो सकती है।
    - इससे बहुमूल्य सांस्कृतिक प्रथाओं और भाषाओं की विलुप्ति का खतरा है।
    - साथ ही, एक देश के दूसरे देश पर सांस्कृतिक आक्रमण के खतरे भी हैं।

नि-वैश्वीकरण या संरक्षणवाद

- अर्थ:
  - संरक्षणवाद सरकारी नीतियों को संदर्भित करता है जो घरेलू उद्योगों की सहायता के लिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है।
  - टैरिफ, आयात कोटा, उत्पाद मानक और सब्सिडी कुछ प्राथमिक नीति उपकरण हैं जिनका उपयोग सरकार संरक्षणवादी नीतियों को लागू करने में कर सकती है।
- वैश्विक क्षेत्र में संरक्षणवाद:
  - वर्ष 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट (GFC) के बाद से वैश्वीकरण में स्थिरता शुरू हो गई।
  - यह ब्रेक्जिट और अमेरिका की 'अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी' में परिलक्षित होता है।
  - इसके अलावा व्यापार युद्ध तथा विश्व व्यापार संगठन की वार्ता को बाधित करना वैश्वीकरण के पीछे हटने की एक और मान्यता है।
  - ये रुझान वैश्वीकरण विरोधी या संरक्षणवाद की भावना का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण और बढ़ सकता है।
- भारत में संरक्षणवाद
  - पिछले कुछ वर्षों में, कई देशों ने संरक्षणवादी बनने के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था की आलोचना की है। इसे निम्नलिखित उदाहरणों में दर्शाया जा सकता है:
    - भारत सरकार द्वारा अमेरिका के साथ एक लघु व्यापार समझौते के लिये शर्तों पर सहमत होने में विफल रहने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को आयात के लिये नहीं खोलना।
    - भारत 15 देशों की 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी' से बाहर हो गया था।
    - महामारी की शुरुआत के बाद, मई 2020 में शुरू की गई 'आत्मनिर्भर भारत पहल' को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संरक्षणवादी कदम के रूप में भी माना जाता था।

आगे की राह:

- डी-ब्यूरोक्रेटाइज़ेशन: भारत को ऐसी नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है, जो अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करें, कृषि जैसे कुछ क्षेत्रों को नौकरशाही से मुक्त करें और श्रम कानूनों को कम जटिल बनाएँ ।
  - कच्चे माल की खरीद से लेकर तैयार उत्पादों के आउटलेट तक एक समग्र और आसानी से सुलभ पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
- जन-केंद्रित नीतियाँ: रोज़गार को गति प्रदान करने का एकमात्र तरीका स्थानीय क्षेत्र में मूल्यवर्द्धन को बढ़ाना है। विकास को गति देने के लिये ऐसी जन-केंद्रित और क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों के निर्माण की आवश्यकता है।

नोट :

- वैकल्पिक वैश्विक गठबंधन: भारत को अब क्षेत्रीय गठबंधनों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसे व्यापार के मामले में समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोगात्मक गठबंधन की कोशिश करनी चाहिये, ताकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन के आधिपत्य का मुकाबला करने हेतु एक विकल्प का तलाशा जा सके।
- अनुसंधान एवं विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना: लागत-प्रतिस्पर्द्धी और गुणवत्ता प्रतिस्पर्द्धी बनने के लिये निर्माण क्षमता तथा नीति ढाँचे को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
- उत्पादन में वृद्धि करना: घरेलू उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ निर्यात बढ़ाने और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये और अधिक स्वायत्तता पर ज़ोर देना आवश्यक है। भारत को अब अगले 20 वर्ष के लिये योजना बनाने की ज़रूरत है।

दृष्टि The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सितारों में लिथियम की प्रचुरता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ विकसित तारों में लिथियम की प्रचुरता के पीछे के रहस्य का पता लगाया है।

- विकसित सितारों में लिथियम की उपस्थिति हमेशा वैज्ञानिकों के लिये एक रहस्य रही है, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित मॉडल के मुताबिक, इस तत्त्व को तारे के गर्म प्लाज़्मा से नष्ट हो जाना चाहिये था।
- लिथियम पृथ्वी पर मौजूद एक दुर्लभ तत्व है और रिचार्जेबल बैटरी का एक प्रमुख घटक है।

प्रमुख बिंदु

- शोध के लिये नमूने: इस शोध में 'रेड जाइंट' (अपने जीवनकाल की अंतिम अवस्था में मौजूद तारे) में लिथियम की उपस्थिति की जाँच करना शामिल था, इससे पता चला है कि सूर्य जैसे 'रेड जाइंट' तारों में से केवल 1% में लिथियम-समृद्ध सतह मौजूद थी।
- अनुसंधान पद्धति: इस अनुसंधान (जिसे 'GALAH' कहा जाता है- एक आम ऑस्ट्रेलियाई पक्षी के नाम पर) के तहत लिथियम बहुतायत सहित विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुणों से समृद्ध लगभग 500,000 सितारों के संग्रह का अध्ययन किया गया।
- शोध के निष्कर्ष: लिथियम उत्पादन की मौजूदगी के संबंध में वैज्ञानिकों ने पहली बार पुष्टि की है कि सभी लिथियम युक्त सितारों के मूल में हीलियम जल रहा है।
  - उन्होंने अनुमान लगाया कि लिथियम उत्पादन हिंसक हीलियम-कोर फ्लैश से जुड़ा हुआ है।
  - शोध के अनुसार, यह दो स्थिर हीलियम समस्थानिकों के बीच टकराव से जुड़ी परमाणु प्रतिक्रियाओं का एक सरल और संक्षिप्त अनुक्रम है, जिसके कारण एक स्थिर लिथियम समस्थानिक बन गया।
  - सर्वेक्षण से पता चला कि सभी सूर्य जैसे कम द्रव्यमान वाले सितारों में लिथियम युक्त जाइंट की दुर्लभ उपस्थिति है।

लिथियम:

- लिथियम के गुण:
  - यह एक रासायनिक तत्त्व है जिसका प्रतीक Li है
  - यह एक नरम तथा चांदी के समान सफेद धातु है।
  - मानक परिस्थितियों में यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्त्व है।
  - यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील है, अत: इसे खनिज तेल के रूप में संगृहीत किया जाना चाहिये।
  - लिथियम नया 'सफेद सोना' (White Gold) बन गया है क्योंकि उच्च-क्षमता वाली रिचार्जेबल बैटरी में उपयोग के कारण इसकी मांग बढ़ रही है।
  - उभरती वैश्विक लिथियम मांग और बढ़ती कीमतों ने तथाकथित 'लिथियम ट्रायंगल' जिसमें अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली के कुछ हिस्से शामिल हैं, के प्रति रुचि बढ़ा दी है।
- अनुप्रयोग:
  - थर्मोन्यूक्लियर अभिक्रियाओं में।
  - लिथियम धातु का अनुप्रयोग उपयोगी मिश्रित धातुओं को बनाने में किया जाता है। उदाहरण के लिये मोटर इंजनों में सफेद धातु की बियरिंग बनाने में, एल्युमीनियम के साथ विमान के पुर्जे बनाने तथा मैग्नीशियम के साथ आर्मपिट प्लेट बनाने में।
  - विद्युत-रासायनिक सेल के निर्माण में तथा इलेक्ट्रिक वाहनों, लैपटॉप आदि के निर्माण में लिथियम एक महत्त्वपूर्ण घटक है।

नोट :

- सर्वाधिक लिथियम भंडार वाले देश:
  - चिली> ऑस्ट्रेलिया> अर्जेंटीना
- भारत में लिथियम:
  - परमाणु खनिज निदेशालय (भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के तहत) के शोधकर्त्ताओं ने हालिया सर्वेक्षणों में दक्षिणी कर्नाटक के मांड्या ज़िले में भूमि के एक छोटे से हिस्से में 14,100 टन के लिथियम भंडार की उपस्थिति का अनुमान लगाया है।
    - साथ ही यह भारत की पहली लीथियम भंडार साइट भी है।
- भारत में अन्य संभावित साइट:
  - राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश में मौजूद प्रमुख अभ्रक बेल्ट।
  - ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मौजूद पैगमाटाइट (आग्नेय चट्टानें) बेल्ट।
  - राजस्थान में सांभर और पचपदरा तथा गुजरात के कच्छ के रण का खारा/लवणीय जलकुंड।
- संबंधित सरकारी पहलें:
  - भारत ने सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी 'खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड' के माध्यम से अर्जेंटीना (जहाँ विश्व में धातु का तीसरा सबसे बड़ा भंडार मौजूद है) में संयुक्त रूप से लिथियम की खोज करने के लिये अर्जेंटीना की एक कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
    - खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड का प्राथमिक कार्य विदेशों में विशिष्ट खनिज संपदा जैसे- लिथियम और कोबाल्ट आदि का अन्वेषण करना है।

परमाणु ऊर्जा और जलवायु

चर्चा में क्यों ?

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट (GCP) द्वारा प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार, वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021 में 4.9% के स्तर तक बढ़ सकता है। यह अध्ययन जलवायु संकट से निपटने के लिये दुनिया के प्रयासों पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

- 40% की हिस्सेदारी के साथ ऊर्जा क्षेत्र ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक बना हुआ है। इस संदर्भ में परमाणु ऊर्जा को एक गैर-प्रदूषणकारी विकल्प के रूप में देखा जाता है।
- हालाँकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये परमाणु ऊर्जा को जीवाश्म ईंधन में बदलने की राय पर वैज्ञानिक समुदाय विभाजित है।

प्रमुख बिंदु

- परमाणु ऊर्जा के लाभ:
  - गैर-बाधित बिजली आपूर्ति: पवन एवं सौर जैसी अक्षय ऊर्जा की एक समस्या यह है कि वे केवल तभी बिजली पैदा करते हैं जब हवा चल रही हो या सूरज चमक रहा हो।
    - जबकि परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा का एक नियमित स्रोत है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक वर्ष या उससे अधिक समय तक बिना किसी रुकावट या रखरखाव के संचालित हो सकते हैं, जिससे यह ऊर्जा का अधिक विश्वसनीय स्रोत बन जाता है।
  - संचालन की कम लागत: परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कोयले या गैस की तुलना में अधिक मितव्ययी होते हैं।
    - यह अनुमान लगाया गया है कि रेडियोधर्मी ईंधन के प्रबंधन और परमाणु संयंत्रों के निपटान जैसी लागतों में भी एक कोयला संयंत्र के 33% से 50% और गैस संयुक्त चक्र संयंत्र के 20% से 25% के बीच खर्च होता है।
  - पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करना: वर्ष 2015 में पेरिस समझौते को अपनाने के साथ सभी देशों के लिये यह आवश्यक है कि वे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करें और सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित रखें।
    - जलवायु संबंधी वादों को पूरा करने में परमाणु ऊर्जा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

नोट :

- परमाणु ऊर्जा से संबंधित समस्याएँ:
  - परमाणु ऊर्जा उत्सर्जन-मुक्त नहीं है: बिजली उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर या परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पूरे जीवन चक्र को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है परमाणु ऊर्जा भी CO_2 उत्सर्जन करती है।
    - उदाहरण के लिये 'संयुक्त राष्ट्र के इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज' (IPCC) द्वारा वर्ष 2014 में जारी एक रिपोर्ट में प्रति किलोवाट-घंटे (kWh) के बराबर CO_2 के 3.7 से 110 ग्राम तक का अनुमान लगाया गया था।
    - इसके अलावा कड़े सुरक्षा नियमों के कारण नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माण के दौरान पिछले दशकों में निर्मित संयंत्र की तुलना में अधिक CO_2 उत्पन्न करते हैं।
  - अन्य नवीकरणीय विकल्पों की तुलना में खराब: यदि एक परमाणु संयंत्र के पूरे जीवन चक्र को गणना में शामिल किया जाता है, तो परमाणु ऊर्जा निश्चित रूप से कोयले या प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन से बेहतर है।
    - हालाँकि अक्षय ऊर्जा की तुलना में तस्वीर काफी अलग है।
    - कई आँकड़ों के अनुसार, परमाणु ऊर्जा फोटोवोल्टिक सौर पैनल सिस्टम, पवन और जल विद्युत की तुलना में कई गुना अधिक प्रति किलोवाट-घंटे CO_2 छोड़ती है।
  - उच्च प्रारंभिक लागत: परमाणु ऊर्जा संयंत्र पवन या सौर ऊर्जा से लगभग चार गुना महँगे होते हैं और निर्माण में पाँच गुना अधिक समय लेते हैं।
    - इसके अलावा परमाणु ऊर्जा उपलब्ध होने में बहुत अधिक समय लगता है (पहुँचने में लगने वाला समय)।
    - इस प्रकार परमाणु ऊर्जा को जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देने योग्य प्रभाव डालने के लिये उच्च इनपुट की आवश्यकता होती है।
  - परमाणु ऊर्जा पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: परमाणु ऊर्जा भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुई है।
    - वैश्विक तापमान के बढ़ने के दौरान कई परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को पहले ही अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है या ग्रिड को बंद करना पड़ा है।
    - इसके अलावा परमाणु ऊर्जा संयंत्र अपने रिएक्टरों को ठंडा करने के लिये आस-पास के जलस्रोतों पर निर्भर हैं और कई नदियों के सूखने के साथ पानी के स्रोत समाप्त हो गए हैं।
  - परमाणु दुर्घटना का खतरा: परमाणु विरोधी प्रचारक हाल के समय की तीन प्रमुख परमाणु मंदी, वर्ष 1979 में थ्री माइल आइलैंड, वर्ष 1986 में चर्नोबिल और हाल ही में 2011 में फुकुशिमा का प्रचार करेंगे।
    - इन परमाणु संयंत्रों के लिये सभी सुरक्षा उपायों के बावजूद विभिन्न कारकों के कारण वे ठंडे बस्ते में डाल दिये गए, जो कि पर्यावरण और स्थानीय निवासियों के लिये विनाशकारी थे तथा जिन्हें प्रभावित क्षेत्रों से पलायन करना पड़ा था।
  - न्यूक्लियर वेस्ट: न्यूक्लियर पावर का एक साइड इफेक्ट उसके द्वारा पैदा किये जाने वाले न्यूक्लियर वेस्ट की मात्रा है।
    - परमाणु अपशिष्ट का जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, उदाहरण के लिए कैंसर के विकास का कारण बन सकता है, या जानवरों और पौधों की कई पीढ़ियों के लिये आनुवंशिक समस्याएँ पैदा कर सकता है।

भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थिति:

- भारत ने बिजली उत्पादन के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा के दोहन की संभावना का पता लगाने के लिये सक्रिय रूप से कदम बढ़ाया है।
- इस दिशा में 1950 के दशक में होमी भाभा द्वारा त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया गया था।
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 को भारतीय परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग करने की अच्छी क्षमता वाले दो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्त्वों यूरेनियम और थोरियम के उपयोग के निर्धारित उद्देश्यों के साथ तैयार और कार्यान्वित किया गया था।

आगे की राह:

- अत्यधिक लागत, पर्यावरणीय परिणाम और सार्वजनिक समर्थन की कमी आदि परमाणु ऊर्जा के खिलाफ तर्क प्रस्तुत किये गए।
  - हालाँकि परमाणु ऊर्जा के अपने लाभ भी हैं।
  - इसलिये देशों को जहाँ भी संभव हो अक्षय ऊर्जा के मिश्रण के उपयोग पर विचार करना चाहिये।
- थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा को यथाशीघ्र व्यवहार्य बनाया जाना चाहिये।

नोट :

फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी

चर्चा में क्यों ?

तीन वर्षों की विलंबता के बाद, वर्ष 2022 से यात्री देश के चार हवाई अड्डों (वाराणसी, पुणे, कोलकाता और विजयवाड़ा) पर अपने बोर्डिंग पास के रूप में 'फेस स्कैन' (Face Scan) का उपयोग कर सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- फेशियल रिकॉग्निशन (Facial Recognition):
  - यह एक बायोमेट्रिक तकनीक है जो किसी व्यक्ति की पहचान और व्यक्तियों के बीच अंतर करने के लिये चेहरे की विशिष्ट विशेषताओं का उपयोग करती है।
    - लगभग छह दशकों में स्किन पैटर्न को पहचानने से लेकर चेहरे की 3D आकृति को बनाने तक यह प्रणाली कई मायनों में विकसित हुई है।
  - ऑटोमेटेड फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम (Automated Facial Recognition System- AFRS) व्यक्तियों के चेहरों की छवियों और वीडियो के व्यापक डेटाबेस के आधार पर कार्य करती है। इसमें मौजूद डेटाबेस में उपलब्ध छवियों से मिलान करके व्यक्ति की पहचान की जाती है।
  - सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त अज्ञात व्यक्ति के चेहरे के पैटर्न की तुलना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की सहायता से डेटाबेस में उपलब्ध पैटर्न से की जाती है।
- कार्यप्रणाली:
  - प्रारंभिक स्तर पर फेस रिकॉग्निशन प्रणाली में कैमरे द्वारा चेहरे और उसकी विशेषताओं को कैप्चर किया जाता है। पुन: विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर उन विशेषताओं का पुनर्निर्माण किया जाता है।
  - चेहरे और उनकी विशेषताओं को एक साथ एक डेटाबेस में संगृहीत किया जाता है तथा इसे किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इसका उपयोग बैंकिग सेवा, सुरक्षा उद्देश्यों की पूर्ति इत्यादि में किया जा सकता है।
- आवश्यकता:
  - प्रमाणीकरण:
    - इसे प्रमाणिकता एवं पहचान के लिये उपयोग में लाया जाता है एवं इसकी सफलता दर लगभग 75% है।
  - फोर्स मल्टीप्लायर:
    - भारत में प्रति एक लाख नागरिकों पर 144 पुलिसकर्मी हैं। अत: फेस रिकॉग्निशन प्रणाली यहाँ बल गुणक (Force Multiplier) के रूप में कार्य कर सकती है क्योंकि इसे न तो अधिक कार्यबल की आवश्यकता है और न ही नियमित उन्नयन की।
    - यह तकनीक वर्तमान जनशक्ति/कार्यबल के साथ मिलकर एक गेम चेंजर के रूप में कार्य कर सकती है।
- चुनौतियाँ:
  - अवसंरचनात्मक लागत:
    - कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकियों का क्रियान्वयन महँगा होता है।
    - संगृहीत सूचनाओं की मात्रा बहुत बड़ी होती है और इसके लिये विशाल नेटवर्क एवं डेटाभंडारण सुविधा की आवश्यकता होती हैं जो वर्तमान में भारत के पास उपलब्ध नहीं है।
  - गोपनीयता का उल्लंघन:
    - हालाँकि सरकार डेटा गोपनीयता व्यवस्था जैसे कानूनी ढाँचे के माध्यम से गोपनीयता के मुद्दे को संबोधित करने की योजना बना रही है, लेकिन इस प्रकार की तकनीक के उपयोग से प्राप्त होने वाले उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, यह आपसी हितों में टकराव उत्पन्न कर सकता है।

नोट :

- विश्वसनीयता और प्रामाणिकता:
  - चूँकि एकत्र किये गए डेटा का उपयोग आपराधिक मुकदमे के दौरान न्यायालय में किया जा सकता है, इसलिये मानकों और प्रक्रिया के साथ-साथ डेटा की विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।
- डेटा सुरक्षा कानून की अनुपस्थिति:
  - डेटा सुरक्षा कानूनों (Data Protection Laws) की अनुपस्थिति में FRT सिस्टम, जो उपयोगकर्त्ता द्वारा डेटा के संग्रह और भंडारण में आवश्यक सुरक्षा उपायों के लिये अनिवार्य होगा, भी चिंता का विषय है।
- अंतर्निहित चुनौतियाँ:
  - समय के साथ चेहरे में परिवर्तन भी हो सकता है, यह भी चिंता का विषय है।

आगे की राह:

- वर्तमान डिजिटल युग में डेटा एक मूल्यवान संसाधन है जिसे अनियंत्रित या स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता। इस संदर्भ में भारत को एक मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था स्थापित करनी चाहिये।
- अब समय आ गया है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 में आवश्यक परिवर्तन जाएँ। इन परिवर्तनों को सुनिश्चित करने हेतु इसमें आवश्यक सुधारों की आवश्यकता है। यह उपयोगकर्त्ता के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ उपयोगकर्त्ता की गोपनीयता पर भी ज़ोर देता है। इन अधिकारों को लागू करने हेतु एक गोपनीयता आयोग की स्थापना की जानी चाहिये।
- सरकार को सूचना के अधिकार को मज़बूत बनाने के साथ ही नागरिकों की निजता का भी सम्मान करना होगा। इसके अतिरिक्त पिछले दो से तीन वर्षों में हुए तकनीकी विकास को देखते हुए यह संबोधित करने की भी आवश्यकता है ये कानून तकनीकी विकास की सीमा को भी निर्धारित करते हैं।

गगनयान मिशन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री ने जानकारी साझा की है कि चालक दल युक्त गगनयान मिशन (Gaganyaan Mission) को वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा।

- देश का पहला अंतरिक्ष स्टेशन 2030 तक स्थापित होने की संभावना है।

प्रमुख बिंदु

- गगनयान मिशन के बारे में:
  - गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) का एक मिशन है।
  - इस मिशन के तहत:
    - तीन अंतरिक्ष अभियानों को कक्षा में भेजा जाएगा।
    - इन तीन अभियानों में से 2 मानवरहित होंगे, जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा।
  - मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है, में एक महिला सहित तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे।
  - यह मिशन 5-7 दिनों की अवधि में पृथ्वी से 300-400 किमी. की ऊँचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा।
  - उस लॉन्च के साथ भारत अमेरिका, चीन और रूस राष्ट्रों के क्लब में शामिल हो जाएगा।
- पेलोड:
  - पेलोड में शामिल होंगे:
    - क्रू मॉड्यूल- मानव को ले जाने वाला अंतरिक्षयान।
    - सर्विस मॉड्यूल- दो तरल प्रणोदक इंजनों द्वारा संचालित।

नोट :

- यह आपातकालीन निकास और आपातकालीन मिशन अबोर्ट व्यवस्था से लैस होगा।

- प्रमोचन:
  - गगनयान के प्रमोचन हेतु तीन चरणों वाले GSLV Mk III का उपयोग किया जाएगा जो भारी उपग्रहों के प्रमोचन में सक्षम है। उल्लेखनीय है कि GSLV Mk III को प्रमोचन वाहन मार्क-3 (Launch Vehicle Mark-3 or LVM 3) भी कहा जाता है।
    - गगनयान के प्रमुख मिशन जैसे क्रू एस्केप सिस्टम प्रदर्शन के लिये टेस्ट वेहिकल फ्लाइट (Test Vehicle Flight) और गगनयान (G1) का पहला मानव रहित मिशन अगले वर्ष (2022) की दूसरी छमाही की शुरुआत के दौरान भेजने हेतु निर्धारित अवधि है।
    - इसके बाद वर्ष 2022 के अंत में दूसरा मानव रहित मिशन 'व्योममित्र' को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा, जो इसरो द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष यात्री मानव रोबोट है और अंतत: वर्ष 2023 में चालक दल युक्त गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा ।

- महत्त्व:
  - यह देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाने तथा युवाओं को प्रेरित करने में मदद करेगा।
    - गगनयान मिशन में विभिन्न एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, उद्योगों और विभागों को शामिल किया जाएगा।
  - यह औद्योगिक विकास में सुधार करने में मदद करेगा।
    - हाल ही में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने हेतु किये जा रहे सुधारों के क्रम में एक नए संगठन IN-SPACe के गठन की घोषणा की है।
  - यह सामाजिक लाभों के लिये प्रौद्योगिकी के विकास में मदद करेगा।
  - यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
    - कई देशों के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station-ISS) पर्याप्त नहीं हो सकता है क्योंकि क्षेत्रीय पारिस्थितिक तंत्र को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है, अत: गगनयान मिशन क्षेत्रीय ज़रूरतों- खाद्य, जल एवं ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा।

- भारत की अन्य आगामी परियोजनाएँ:
  - चंद्रयान- 3 मिशन: भारत ने एक नए चंद्र मिशन चंद्रयान-3 की योजना बनाई है जिसे वर्ष 2021 में लॉन्च किये जाने की संभावना है।
  - एल-1 आदित्य सोलर (2022-23 के लिये): यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान है। यह एस्ट्रोसैट के बाद इसरो का दूसरा अंतरिक्ष-आधारित खगोल विज्ञान मिशन होगा, जिसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था।
  - शुक्रयान मिशन (Shukrayaan Mission): इसरो शुक्र ग्रह हेतु भी एक मिशन की योजना बना रहा है, जिसे अस्थायी रूप से शुक्रयान नाम दिया गया है।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2021 के अंत तक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) को कक्षा में प्रक्षेपित किया जाना है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह 'नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन' (NASA) का सबसे शक्तिशाली इन्फ्रारेड टेलीस्कोप है।
  - इसे हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी भी माना जाता है और यह अपनी खोजों का विस्तार करेगा।
    - इसे वर्ष 1990 में पृथ्वी की निम्न कक्षा में लॉन्च किया गया, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 1.4 मिलियन से अधिक अवलोकन किये हैं, जिसमें 'इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स' पर नज़र रखना, बृहस्पति से टकराने वाले धूमकेतु को कैप्चर करना और प्लूटो के चारों ओर उपग्रहों की खोज करना शामिल है।

नोट :

- हबल ने आकाशगंगाओं के विलय पर कब्जा कर लिया है, सुपरमैसिव ब्लैक होल की जाँच की है और हमें हमारे ब्रह्मांड के इतिहास को समझने में मदद की है।

- यह नासा (NASA), यूरोपियन स्पेस एजेंसी (European Space Agency-ESA) और कनाडाई स्पेस एजेंसी (Canadian Space Agency-CSA) के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन है।
- जेम्स वेब नवीन और अप्रत्याशित खोजों को उजागर करेगा तथा मानव की ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा उसमें मानव के स्थान को समझने में मदद करेगा।
- टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट/बहिर्ग्रह (Exoplanet) के एक विस्तृत विविधतापूर्ण वायुमंडल का अध्ययन करेगा।
- यह पृथ्वी के समान वायुमंडल की भी खोज करेगा और जीवन के निर्माण खंडों को खोजने की उम्मीद में, मीथेन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जटिल कार्बनिक अणुओं जैसे प्रमुख पदार्थों से संबंधित खोज करेगा।

- प्रक्षेपण:
  - इसे दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 ESA रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा।
    - एरियन 5 को सबसे विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल्स में से एक माना जाता है।
- लक्ष्य:
  - बिग बैंग के बाद बनने वाली पहली आकाशगंगा की खोज करना।
  - यह निर्धारित करने के लिये कि आकाशगंगाएँ अपने के गठन से अब तक कैसे विकसित हुईं।
  - प्रथम चरण से लेकर ग्रह प्रणालियों के निर्माण तक तारों के निर्माण का निरीक्षण करना।
  - ग्रह प्रणालियों के भौतिक और रासायनिक गुणों को मापने तथा ऐसी प्रणालियों में जीवन की संभावना की जाँच करने के लिये।
- जेम्स वेब बनाम हबल स्पेस टेलीस्कोप :
  - तरंगदैर्ध्य:
    - जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (जिसे JWST या वेब भी कहा जाता है) मुख्य रूप से इन्फ्रारेड रेंज में निरीक्षण के साथ 0.6 से 28 माइक्रोन तक कवरेज प्रदान करेगा।
    - हबल के उपकरण मुख्य रूप से स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी और दृश्य भाग में देखते हैं। यह इन्फ्रारेड में 0.8 से 2.5 माइक्रोन तक केवल एक छोटी सी सीमा का निरीक्षण कर सकता है।
    - विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम का अवरक्त क्षेत्र लगभग 0.7 से लेकर 100 माइक्रोन तक की तरंगदैर्ध्य को कवर करता है।
  - आकार:
    - वेब के प्राथमिक दर्पण का व्यास 6.5 मीटर है जबकि हबल के दर्पण का व्यास 2.4 मीटर है जो वेब की तुलना में बहुत छोटा है।
    - इसलिये हबल के कैमरे की तुलना में वेब का दृश्य क्षेत्र अधिक होगा।
    - वेब में एक बड़ा सन शील्ड भी लगा होता है।
  - दूरी:
    - वेब के निकट और मध्य-अवरक्त उपकरण पहली गठित आकाशगंगाओं, एक्सोप्लैनेट तथा सितारों के जन्म का अध्ययन करने में मदद करेंगे।
    - हबल "टोडलर गैलेक्सी" के बराबर देख सकता है जबकि वेब टेलीस्कोप "बेबी गैलेक्सी " को देखने में सक्षम होगा।
- अन्य प्रमुख इन्फ्रारेड टेलीस्कोप:
  - हर्शेल स्पेस ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप: यह एक इन्फ्रारेड टेलीस्कोप है जिसे वर्ष 2009 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था।
    - यह वेब की तरह सूर्य की परिक्रमा भी करता है वेब और हर्शेल के बीच प्राथमिक तरंगदैर्ध्य रेंज का अंतर है। वेब 0.6 से 28 माइक्रोन जबकि हर्शेल 60 से 500 माइक्रोन को कवर करता है।
    - हर्शल का दर्पण वेब के दर्पण से छोटा होता है। इसका व्यास 3.5 मीटर है जबकि वेब के प्राथमिक दर्पण का व्यास 6.5 मीटर है।

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना

चर्चा में क्यों ?

सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (Centre for Science and Environment- CSE) द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2008 में शुरू की गई प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना (Perform, Achieve and Trade-PAT) प्रभावी नहीं है।

- PAT योजना भारतीय उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने और ग्रीनहाउस गैस को कम करने के लिये शुरू की गई थी।
- रिपोर्ट में योजना की अक्षमता को गैर-पारदर्शिता, अधूरे लक्ष्यों और समय-सीमा कि उपेक्षा के लिये ज़िम्मेदार ठहराया गया है।

सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट (CSE)

- CSE नई दिल्ली में स्थित एक जनहित अनुसंधान (Public Interest Research) और एडवोकेसी ऑर्गेनाइज़ेशन (Advocacy Organisation) है।
- यह टिकाऊ और न्यायसंगत विकास की आवश्यकता हेतु शोध एवं लॉबीज़ (Lobbies) को बढ़ावा देता है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना के बारे में:
  - PAT ऊर्जा गहन उद्योगों की ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु लागत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये एक बाज़ार आधारित तंत्र है।
  - ऊर्जा दक्षता के राष्ट्रीय मिशन के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency- BEE) द्वारा PAT के लिये वर्ष 2011 में भारत में ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (Energy Savings Certificates- ESCerts)) प्रस्तुत किये गए थे।
    - NMEEE वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC) के तहत आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक है।
- ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ESCerts):
  - यह बड़े ऊर्जा-गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में तीव्रता लाने के साथ-साथ उन्हें प्रोत्साहन देने हेतु एक बाजार-आधारित तंत्र है।
  - अंडर अचीवर्स (Under Achievers) द्वारा ESCerts की खरीद दो पावर एक्सचेंजों - इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) के माध्यम से की जाती है।
  - इस योजना में भाग लेने वाले उद्योगों को नामित खरीदार (Designated Shoppers) कहा जाता है।
- कवर किये गए क्षेत्र:
  - PAT में शामिल 13 ऊर्जा-गहन क्षेत्र: थर्मल पावर प्लांट (TPP), सीमेंट, एल्युमीनियम, लोहा और इस्पात, लुगदी तथा कागज़, उर्वरक, क्लोर-क्षार, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, वितरण कंपनियाँ, रेलवे, कपड़ा एवं वाणिज्यिक भवन (होटल व हवाई अड्डे)।
- ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु अन्य पहलें:
  - मानक और लेबलिंग
  - ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC)
  - मांग पक्ष प्रबंधन
  - साथी पोर्टल

नोट :

आगे की राह:

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन शमन के संबंध में वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु ऊर्जा उत्सर्जन से संबंधित उपबंधों को सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिये।

पश्चिमी घाट पर कस्तूरीरंगन समिति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा केंद्र सरकार को सूचित किया गया है कि वह पश्चिमी घाट पर गठित कस्तूरीरंगन समिति (Kasturirangan Committee report) की रिपोर्ट के पक्ष में नहीं है।

- कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट ने पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल के 37 प्रतिशत को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Area- ESA) घोषित करने का प्रस्ताव दिया है।
- कर्नाटक सरकार की राय है कि पश्चिमी घाट को ESA घोषित करने से इस क्षेत्र के लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

प्रमुख बिंदु

- पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के बारे में:
  - यह संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर स्थित क्षेत्र होता है।
  - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change- MoEFCC) द्वारा ESAs को अधिसूचित किया जाता है।
  - इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।
- कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में:
  - शामिल क्षेत्र: कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट में लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने का प्रस्ताव किया गया है।
    - इसमें से 20,668 वर्ग किमी क्षेत्र कर्नाटक राज्य में आता है, जिसमें 1,576 गाँव शामिल हैं।
    - इस क्षेत्र में शामिल ज़्यादातर स्थलों की सीमा, कानूनी रूप से सीमांकित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, बाघ अभयारण्यों और वन प्रभागों की सीमाएँ हैं इसलिये उन्हें पहले से ही उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।
  - वांछित और प्रतिबंधित गतिविधियाँ: रिपोर्ट में खनन, उत्खनन, रेड कैटेगरी उद्योगों (Red Category Industries) की स्थापना और ताप विद्युत परियोजनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है।
    - यह भी कहा गया है कि इन गतिविधियों के लिये अनुमति दिये जाने से पहले जंगल और वन्यजीवों पर ढाँचागत परियोजनाओं के प्रभाव का अध्ययन किया जाना चाहिये।
  - यूनेस्को टैग: रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पश्चिमी घाट के यूनेस्को हेरिटेज टैग (UNESCO Heritage tag) में शामिल होने से इसकी विशाल प्राकृतिक संपदा को वैश्विक और घरेलू स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है।
    - 39 स्थल पश्चिमी घाट में स्थित हैं जो (केरल 19), कर्नाटक (10), तमिलनाडु (6) और महाराष्ट्र (4) राज्यों में विस्तारित हैं।
  - राज्य सरकारों की भूमिका: राज्य सरकारों को इस विकास को देखना चाहिये और क्षेत्र के संसाधनों और अवसरों के संरक्षण, बचाव और महत्त्व के लिये एक योजना तैयार करनी चाहिये।

कस्तूरीरंगन समिति द्वारा प्रस्तावित ESA

- कर्नाटक सरकार का विरोध:
  - विकासात्मक प्रगति में बाधा: कर्नाटक में व्यापक वन क्षेत्र है और सरकार ने पश्चिमी घाट की जैव विविधता की रक्षा का ध्यान रखा है।
    - राज्य सरकार का मानना है कि रिपोर्ट के लागू होने से क्षेत्र में विकास गतिविधियाँ ठप हो जाएँगी।

नोट :

- जन-केंद्रित विकास मॉडल: उपग्रह आधारित चित्रों के आधार पर कस्तूरीरंगन रिपोर्ट तैयार की गई है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग है।
  - क्षेत्र के लोगों ने कृषि और बागवानी गतिविधियों को पर्यावरण अनुकूल तरीके से अपनाया है।
  - वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है।

आगे की राह:

- निवारक दृष्टिकोण: जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए जो सभी लोगों की आजीविका को प्रभावित करेगा और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा सकता है ऐसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण विवेकपूर्ण तरीके से ही किया जाना चाहिये।
  - यह पुनर्स्थापन/पुनरुद्धार के लिये धन/संसाधनों को खर्च करने की तुलना में आपदाओं की संभावना वाली स्थिति की तुलना में कम खर्चीला होगा।
  - इस प्रकार कार्यान्वयन में और देरी से देश के सबसे बेशकीमती प्राकृतिक संसाधन का क्षरण ही होगा।
- सभी हितधारकों के साथ जुड़ाव: वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित एक उचित विश्लेषण के बाद संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिये विभिन्न हितधारकों के बीच आम सहमति की तत्काल आवश्यकता है।
  - वन भूमि, उत्पादों और सेवाओं पर खतरों तथा मांगों के बारे में समग्र दृष्टिकोण, शामिल अधिकारियों के लिये स्पष्ट रूप से बताए गए उद्देश्यों के साथ इनसे निपटने हेतु रणनीति तैयार होनी चाहिये।

चक्रवात प्रबंधन ढाँचा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चक्रवात जवाद (Cyclone Jawad) भारत के पूर्वी तट विशेषकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य के तट से टकराया है।

- हालाँकि चक्रवात कमज़ोर था जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत का चक्रवात प्रबंधन दृष्टिकोण काफी हद तक निकासी (Evacuation) पर आधारित था।
- इस प्रकार भारत के चक्रवात प्रबंधन में शमन और तैयारी के उपायों (Mitigation and Preparedness measures) को शामिल करना चाहिये। शमन का अर्थ है आपदा के प्रभाव को सीमित करने के लिये आपदा आने के पहले किये गए उपाय।

प्रमुख बिंदु

- चक्रवात के बारे में: चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसके आस-पास तेज़ी से इसके केंद्र की ओर वायु परिसंचरण होते हैं। उत्तरी गोलार्द्ध में हवा की दिशा वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त होती है।
  - आमतौर चक्रवात पर विनाशकारी तूफान और खराब मौसम के साथ उत्पन्न होते हैं।
  - साइक्लोन शब्द ग्रीक शब्द साइक्लोस से लिया गया है जिसका अर्थ है साँप की कुंडलियाँ (Coils of a Snake)।
    - यह शब्द हेनरी पेडिंगटन (Henry Peddington) द्वारा दिया गया था क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान समुद्र के कुंडलित नागों की तरह दिखाई देते हैं।
- चक्रवात का वर्गीकरण: चक्रवात दो प्रकार के होते हैं:
  - उष्णकटिबंधीय चक्रवात: उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में विकसित होते हैं।
    - वे उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जल पर विकसित होने वाले बड़े पैमाने पर मौसम प्रणाली हैं, जहाँ वे सतही हवा परिसंचरण में व्यवस्थित हो जाते हैं।
    - विश्व मौसम विज्ञान संगठन 'उष्णकटिबंधीय चक्रवात' शब्द का उपयोग मौसम प्रणालियों को कवर करने के लिये करता है जिसमें पवनें 'गैल फोर्स' (न्यूनतम 63 किमी प्रति घंटे) से अधिक होती हैं।
  - अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात: इन्हें शीतोष्ण चक्रवात या मध्य अक्षांश चक्रवात या वताग्री चक्रवात या लहर चक्रवात भी कहा जाता है।
    - अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात समशीतोष्ण क्षेत्रों और उच्च अक्षांश क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, हालाँकि वे ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पत्ति के कारण जाने जाते हैं।

नोट :

भारत के चक्रवात प्रबंधन के लिये केस स्टडी:

- चक्रवात फैनील और फानी: भारत ने हाल के दिनों में कुछ प्रमुख चक्रवातों जैसे- चक्रवात फीलिन (2012), फानी (2019) आदि के दौरान तीव्र बचाव कार्रवाई के लिये विश्व स्तर पर पहचान स्थापित की है।
  - वर्ष 1999 के 'सुपर साइक्लोन' के बाद ओडिशा सरकार ने विभिन्न चक्रवात शमन उपाय अपनाए थे।
    - उदाहरण के लिये इन दोनों घटनाओं से दस लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया गया था।
  - रिपोर्ट में सीमित या कम मानव मृत्यु के लिये निकासी (Evacuations) को प्राथमिक कारण माना जाता था।
  - हालाँकि, निकासी के अलावा अन्य प्रतिक्रिया पहलुओं जैसे फसल क्षति को कम करने के उपाय, त्वरित सहायता, पर्याप्त राहत और क्षतिग्रस्त घरों के लिये चक्रवात के बाद सहायता का समय पर वितरण आदिपर कम ध्यान दिया गया है।
- चक्रवात जवाद: निकासी के अलावा अन्य प्रमुख आपदा प्रतिक्रिया कार्यों पर बहुत कम ध्यान दिया गया है।
  - चक्रवात जवाद से वर्तमान खतरा ऐसे समय में आया है जब अधिकांश क्षेत्रों में फसल कटाई के करीब है।
  - चक्रवात के कारण समय से पूर्व फसल कटाई और विक्रय में समस्या हो रही है।

चक्रवात शमन और तैयारी के उपाय

- जोखिम मानचित्रण: चक्रवातों के लिये जोखिम मानचित्रण, विभिन्न तीव्रताओं या अवधियों की घटनाओं की आवृत्ति/संभावना को दर्शाने वाले मानचित्र पर चक्रवात जोखिम मूल्यांकन के परिणामों का प्रतिनिधित्त्व करता है।
- भूमि उपयोग योजना: भूमि उपयोग को विनियमित करने और भवन संहिताओं को लागू करने के लिये नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिये।
  - मानव बस्तियों के बजाय संवेदनशील क्षेत्रों को पार्कों, चरागाहों या बाढ़ के मोड़ हेतु रखा जाना चाहिये।
- अभियांत्रिक संरचनाएँ: सामान्यत: अच्छी विनिर्माण प्रक्रियाओं के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:
  - स्टिल्टों पर या मिट्टी के टीले पर भवनों का निर्माण करना।
  - इमारतें वायु और जल प्रतिरोधी होनी चाहिये।
  - खाद्य सामग्री का भंडारण करने वाले भवनों को हवा और पानी से बचाना चाहिये।
- चक्रवात आश्रयगृह: लगातार चक्रवातों की चपेट में रहने वाले क्षेत्रों हेतु चक्रवात आश्रयगृह आवश्यक हैं।
  - चक्रवात आश्रयगृहों के निर्माण के लिये पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है, इसलिये यह आमतौर पर सरकार या बाहरी दाताओं के समर्थन से जुड़ा होता है।
  - चक्रवात आश्रयगृहों के निर्माण के लिये भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए सबसे उपयुक्त स्थलों का चयन किया जाना चाहिये।
- बाढ़ प्रबंधन: चक्रवाती तूफान के कारण बाढ़ आएगी। तूफानी लहरों से तटीय इलाकों में पानी भर जाएगा।
  - नदियों के किनारे तटबंध, तटों पर समुद्र की दीवारें बाढ़ के मैदानों से पानी को दूर रख सकती हैं।
  - जलाशयों, चेक डैम और वैकल्पिक जल निकासी चैनलों/मार्गों के निर्माण के माध्यम से जल प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है।
- मैन्ग्रोव वृक्षारोपण: मैन्ग्रोव तटीय क्षेत्र को तूफानी लहरों और चक्रवातों के साथ आने वाली हवा से बचाते हैं।
  - समुदायों को मैन्ग्रोव वृक्षारोपण में भाग लेना चाहिये जो स्थानीय अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों या स्वयं समुदाय द्वारा आयोजित किया जा सकता है।
  - मैन्ग्रोव कटाव-नियंत्रण और तटीय संरक्षण में भी मदद करते हैं।
- जन जागरूकता पैदा करना: शिक्षा के माध्यम से जन जागरूकता कई लोगों की जान बचाने की कुंजी है। यह साबित हो चुका है कि जन-जीवन और आजीविका को सबसे अधिक नुकसान सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण हुआ है।
- एंड टू एंड वार्निंग सिस्टम: एंड टू एंड अर्ली वार्निंग की आवश्यकता है जो सभी स्तरों पर लोगों को त्वरित और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाएगी।
  - समुदाय को चेतावनी प्रणाली, चेतावनी संकेतों और उन स्रोतों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिये जहाँ उन्हें चक्रवातों की प्रारंभिक चेतावनी मिल सकती है।

नोट :

- सामुदायिक भागीदारी: चूँकि स्थानीय लोग अपने क्षेत्र, स्थान, संस्कृति और रीति-रिवाजों की ताकत तथा कमज़ोरियों के बारे में सबसे अच्छी तरह जानते हैं, कुछ शमन उपायों को समुदाय द्वारा स्वयं विकसित किया जाना चाहिये।
  - इन सामुदायिक शमन गतिविधियों को सरकार और अन्य नागरिक समाज संगठनों के समर्थन से प्राप्त किया जा सकता है।

भारत में चक्रवात प्रबंधन के लिये सरकारी पहलें:

- राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना:
  - भारत ने चक्रवात के प्रभावों को कम करने के लिये संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपाय करने के लिये इस परियोजना की शुरुआत की।
  - परियोजना का उद्देश्य कमज़ोर स्थानीय समुदायों को चक्रवातों और अन्य जल-मौसम संबंधी आपदाओं के प्रभाव से बचाना है।
  - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के गठन के बाद परियोजना का प्रबंधन सितंबर, 2006 में NDMA को स्थानांतरित कर दिया गया था।
- एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM) परियोजना:
  - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने एकीकृत तटीय प्रबंधन हेतु पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन ढाँचे (ESMF) के मसौदे का अनावरण किया है।
  - मसौदा योजना यह तय करेगी कि तटीय राज्यों के लिये दिशा-निर्देशों को निर्धारित करके मंज़ूरी हेतु संभावित बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा।
- तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ): समुद्र, खाड़ी, क्रीक, नदियों और बैकवाटर के तटीय क्षेत्र जो उच्च ज्वार रेखा (HTL) से 500 मीटर तक ज्वार से प्रभावित होते हैं तथा निम्न ज्वार रेखा (LTL) और उच्च ज्वार रेखा के बीच की भूमि को वर्ष 1991 में तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के रूप में घोषित किया गया।
  - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किये गए हैं।
- चक्रवातों की रंग कोडिंग:
  - यह एक मौसम चेतावनी है जो भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा लोगों को प्राकृतिक खतरों से पहले सतर्क करने के लिये जारी की जाती है।
  - इसमें IMD द्वारा हरे, पीले, नारंगी और लाल चार रंग का उपयोग किया जाता है।

केन-बेतवा इंटर-लिंकिंग परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन-बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना के वित्तपोषण और कार्यान्वयन को मंज़ूरी दी है।

- इस परियोजना में केन नदी से बेतवा नदी में जल स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है, ये दोनों ही यमुना की सहायक नदियाँ हैं। यह परियोजना आठ वर्षों में पूरी होगी।

प्रमुख बिंदु

- परिचय: यह नदियों को आपस में जोड़ने के लिये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली परियोजना है। केन-बेतवा लिंक नहर 221 किमी. लंबी होगी, जिसमें 2 किमी. लंबी सुरंग भी शामिल है।

केन और बेतवा नदी:

- केन और बेतवा नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं।
- केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में यमुना नदी में मिलती है तथा बेतवा नदी से यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में मिलती है।

नोट :

- राजघाट, पारीछा और माताटीला बाँध बेतवा नदी पर निर्मित हैं।
- केन नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से होकर गुज़रती है।
- पृष्ठभूमि: केन को बेतवा से जोड़ने के विचार को अगस्त 2005 में एक बड़ा झटका तब लगा, जब केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिये एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
  - वर्ष 2008 में, केंद्र ने KBLP को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। बाद में इसे सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिये प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था।
  - इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिये वर्ष 2021 में ही जल शक्ति मंत्रालय और दोनों राज्यों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किये गए थे।
- कार्यान्वयन एजेंसी:
  - परियोजना को लागू करने के लिये केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (KBLPA) नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) की स्थापना की जाएगी।
  - अलग-अलग लिंक परियोजनाओं के लिये SPV स्थापित करने की शक्तियाँ राष्ट्रीय नदी अन्तराबंधन प्राधिकरण (National Interlinking of Rivers Authority- NIRA) में निहित हैं।
- परियोजना के चरण: परियोजना के दो चरण हैं, जिसमें मुख्य रूप से चार घटक शामिल हैं।
  - चरण- I में एक घटक शामिल होगा- दौधन बाँध परिसर और इसकी सहायक इकाइयाँ जिसमें निम्न स्तरीय सुरंग, उच्च स्तरीय सुरंग, केन-बेतवा लिंक नहर और बिजली घर शामिल हैं।
  - चरण- II में तीन घटक शामिल होंगे- 'लोअर और बाँध', बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोठा बैराज।
- लाभ: यह परियोजना बुंदेलखंड में है, जो एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है तथा इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 ज़िलों में है।
  - जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना से जल की कमी वाले इस क्षेत्र को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा।
  - इसके अलावा, यह नदी परियोजनाओं को जोड़ने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जल की कमी देश के विकास में अवरोधक न बने।
  - जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई, लगभग 62 लाख लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति और 103 मेगावाट जलविद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है।
- संबंधित चुनौतियाँ:
  - पन्ना टाइगर रिज़र्व का जलमग्न होना: राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के अनुसार, दौधन बाँध के जलाशय से 9000 हेक्टेयर का क्षेत्र जलमग्न होगा जिसमें से 5803 हेक्टेयर क्षेत्र पन्ना टाइगर रिज़र्व (Panna Tiger Reserve- PTR) के अंतर्गत आता है।
    - इसे कम करने के लिये तीन वन्यजीव अभयारण्यों (WLS), अर्थात् नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य, मध्यप्रदेश के रानी दुर्गावती और उत्तरप्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को PTR के साथ एकीकृत करने की योजना है।
  - विभिन्न मंज़ूरियों की आवश्यकता: परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार की मंज़ूरी प्राप्त करना आवश्यक है, जैसे:
    - केंद्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी-आर्थिक मंज़ूरी।
    - वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं पर्यावरण संबंधी मंज़ूरी।
    - जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आदिवासी आबादी के पुन:स्थापन और पुनर्वास की योजना को मंज़ूरी।

भारत में रिवर इंटर-लिंकिंग का इतिहास:

- औपनिवेशिक अवधारणा
  - यह विचार पहली बार ब्रिटिश राज के दौरान रखा गया था, जब एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन (Sir Arthur Thomas Cotton) ने नौवहन उद्देश्यों के लिये गंगा और कावेरी को जोड़ने का सुझाव दिया था।

नोट :

- अंग्रेज़ों द्वारा शुरू की गई परियोजनाएँ:
  - अतीत में कई रिवर इंटर-लिंकिंग परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। उदाहरण के लिये पेरियार परियोजना, जिसके तहत पेरियार बेसिन से वैगई बेसिन में पानी के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई थी, को वर्ष 1895 में चालू किया गया था।
    - अन्य परियोजनाएँ जैसे परम्बिकुलम अलियार, कुरनूल कडप्पा नहर, तेलुगु गंगा परियोजना, और रावी-ब्यास-सतलज भी शुरू की गईं हैं।
- राष्ट्रीय जल ग्रिड:
  - 1970 के दशक में, एक नदी के अधिशेष जल को जल संकट वाले क्षेत्र में स्थानांतरित करने का विचार तत्कालीन केंद्रीय सिंचाई मंत्री 'डॉ के. एल. राव' ने रखा था।
  - उन्होंने जल से समृद्ध क्षेत्रों से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी स्थानांतरित करने के लिये एक राष्ट्रीय जल ग्रिड के निर्माण का सुझाव दिया था।
- माला नहर:
  - बाद में कैप्टन 'दिनशॉ जे दस्तूर' ने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पानी के पुनर्वितरण के लिये 'गारलैंड नहर' का प्रस्ताव रखा था। हालाँकि, सरकार ने इन दोनों विचारों को आगे नहीं बढ़ाया।
- राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना:
  - अगस्त 1980 में सिंचाई मंत्रालय ने जल संसाधन विकास के लिये एक 'राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना' तैयार की, जिसमें अंतर-बेसिन जल अंतरण की परिकल्पना की गई थी।
  - 'राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना' में दो घटक शामिल थे: हिमालयी नदियों का विकास और प्रायद्वीपीय नदियों का विकास।
  - राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के आधार पर 'राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी' (NWDA) ने 30 नदी लिंकों की पहचान की- 16 प्रायद्वीपीय घटक के तहत और 14 हिमालयी घटक के तहत।
  - केन-बेतवा लिंक परियोजना प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 परियोजनाओं में से एक है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा: संयुक्त राष्ट्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया।

- यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र के बीच नियमित तथा बेहतर सहयोग सुनिश्चित करने में मदद करेगा, जिससे वैश्विक ऊर्जा विकास को लाभ होगा।
- इससे पहले, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा आयोजित की गई थी, जहाँ कुल 108 देशों ने विधानसभा में भाग लिया, जिसमें 74 सदस्य देश, 34 पर्यवेक्षक, 23 भागीदार संगठन तथा 33 विशेष आमंत्रित संगठन शामिल थे।

संयुक्त राष्ट्र महासभा

- परिचय
  - 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार-विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है।
  - महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व है, जो इसे सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बनाता है।
  - महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा एक वर्ष के कार्यकाल के लिये चुना जाता है।
- बैठक:
  - प्रतिवर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में किया जाता है और इसमें सामान्य बहस होती है तथा कई राष्ट्र प्रमुखता से भाग लेते हैं।

नोट :

- महासभा में महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने जैसे कि शांति एवं सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश तथा बजटीय मामलों के लिये दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
- अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- ISA के बारे में:
  - 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' संधि-आधारित एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका प्राथमिक कार्य वित्तपोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना है।
  - 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन', 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (One Sun One World One Grid - OSOWOG) को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है, जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिये स्थानांतरित करना है।
- लॉन्च:
  - यह एक भारतीय पहल है जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्राँस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर, 2015 को फ्राँस (पेरिस) में यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन (COP-21) में 121 सौर संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित हैं।
- सदस्य:
  - अमेरिका के शामिल होने के बाद कुल 101 सदस्य।
- मुख्यालय:
  - इसका मुख्यालय भारत में स्थित है और इसका अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है।
- उद्देश्य:
  - इसका उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के विस्तार हेतु प्रमुख चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करना है।
- नए ISA कार्यक्रम:
  - सौर पीवी पैनलों और बैटरी उपयोग अपशिष्ट एवं सौर हाइड्रोजन कार्यक्रम के प्रबंधन पर नए ISA कार्यक्रम शुरू किये गए हैं।
    - नई हाइड्रोजन पहल का उद्देश्य सौर बिजली के उपयोग को वर्तमान (USD 5 प्रति किलोग्राम) की तुलना में अधिक किफायती दर पर हाइड्रोजन के उत्पादन में सक्षम बनाना है तथा इसके तहत इसे USD 2 प्रति किलोग्राम तक लाना है।
- भारत की कुछ सौर ऊर्जा पहलें:
  - राष्ट्रीय सौर मिशन (जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक हिस्सा): भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने हेतु देश भर में सौर ऊर्जा के प्रसार की लिये पारिस्थितिक तंत्र का विकास करना।
  - INDC लक्ष्य: इसके तहत वर्ष 2022 तक 100 GW ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की अभिकल्पना की गई है।
    - यह गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने और वर्ष 2005 के स्तर से अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33% से 35% तक कम करने हेतु भारत के 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (INDCs) लक्ष्य के अनुरूप है।
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG):
  - सरकारी योजनाएँ: सोलर पार्क योजना, कैनाल बैंक और कैनाल टॉप योजना, बंडलिंग योजना, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना आदि।
  - पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट: 'नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड- रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (NTPC-REL) ने देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
    - ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण अक्षय ऊर्जा (जैसे सौर, पवन) का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा होता है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है।

नोट :

सौर ऊर्जा

- परिचय:
  - यह सूर्य से निकलने वाला विकिरण है जो ताप पैदा करने, रासायनिक प्रतिक्रिया करने या बिजली पैदा करने में सक्षम है।
  - पृथ्वी पर होने वाली सौर ऊर्जा की कुल मात्रा विश्व की वर्तमान और प्रत्याशित ऊर्जा आवश्यकताओं से बहुत अधिक है। यदि उपयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है, तो इस अत्यधिक विसरित स्रोत में भविष्य की सभी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है।
- महत्त्व:
  - सौर ऊर्जा की उपलब्धता पूरे दिन बनी रहती है विशेष रूप से उस समय भी जब विद्युत ऊर्जा की मांग सर्वाधिक होती है।
  - सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले उपकरणों की अवधि अधिक होती है और उनके रखरखाव की भी कम आवश्यकता होती है।
  - कम चलने वाली लागत और ग्रिड टाई-अप कैपिटल रिटर्न (नेट मीटरिंग)।
  - पारंपरिक ताप विद्युत उत्पादन (कोयले द्वारा) के विपरीत सौर ऊर्जा से प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती है तथा स्वच्छ विद्युत ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है।
  - देश के लगभग सभी हिस्सों में मुफ्त सौर ऊर्जा की प्रचुरता है।
  - सौर ऊर्जा के उपयोग में विद्युत के तार एवं ट्रांसमिशन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है।

जल में रेडियोधर्मी प्रदूषण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जल में रेडियोधर्मी प्रदूषण और इससे जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों को दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - रेडियोधर्मिता कुछ तत्त्वों के अस्थिर नाभिक से कणों या तरंगों के स्वत:स्फूर्त उत्सर्जन की घटना है। रेडियोधर्मी उत्सर्जन तीन प्रकार के होते हैं: अल्फा, बीटा और गामा।
    - अल्फा कण धनावेशित हीलियम (He) परमाणु हैं, बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हैं और गामा किरणें उदासीन विद्युतचुंबकीय विकिरण हैं।
  - रेडियोधर्मी तत्त्व प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की क्रस्ट में पाए जाते हैं। यूरेनियम, थोरियम और एक्टिनियम तीन 'NORM' (स्वाभाविक रूप से होने वाली रेडियोधर्मी सामग्री) शृंखला हैं जो जल संसाधनों को संदूषित करते हैं।
  - सभी प्रकार के जल में थोड़ी मात्रा में विकिरण पाया जाता है लेकिन विकिरण की विस्तारित मात्रा मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होती है। पीने के पानी में रेडियोधर्मिता को सकल अल्फा परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
  - रेडियोधर्मिता को बेकुरल (SI इकाई) या क्यूरी में मापा जाता है। यूनिट सीवर्ट मानव ऊतकों द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा को मापता है।
- स्रोत:
  - प्राकृतिक:
    - जलीय प्रणाली में रेडियोटॉक्सिक तत्त्व: रेडियम, NORM शृंखला में पाए जाने वाले समूह का एक तत्त्व है जो जलीय प्रणालियों में पाए जाने वाले रेडियोटॉक्सिक तत्त्वों में से एक है जो निम्नलिखित माध्यमों से भूजल में प्रवेश कर सकता है-

(i) एक्वीफर रॉक विघटन (ii) ^{238}U और ^{232}Th के क्षय, या (iii) अवशोषण की प्रक्रिया द्वारा।

- रेडियम एक रेडियोन्यूक्लाइड है जो पर्यावरण में यूरेनियम (U) और थोरियम (Th) के क्षय से निर्मित होता है।
- मैग्मा (Magma): कभी-कभी पर्यावरण में मैग्मा से रेडियोधर्मी गैसें भी उत्सर्जित होती हैं।
- मृदा तलछट: मिट्टी के तलछट से जलभृत तक NORM का रिसाव भूजल संदूषण का कारण बनता है।

नोट :

- मानवजनित:
  - कॉस्मोजेनिक रेडियोन्यूक्लाइड्स का वायुमंडलीय जमाव:
  - कॉस्मोजेनिक रेडियोन्यूक्लाइड्स का वायुमंडलीय जमाव (सूखा और आर्द्र दोनों) सतह के पानी में रेडियोधर्मी नाभिक जोड़ते है।
  - कॉस्मोजेनिक रेडियोन्यूक्लाइड रेडियोधर्मी एक समस्थानिक हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं जो पृथ्वी प्रणाली के भीतर वितरित हैं।
  - परमाणु रिएक्टर और हथियार:
  - परमाणु रिएक्टर और परमाणु हथियार का प्रयोग मानव प्रेरित रेडियोन्यूक्लाइड निर्वहन के प्रमुख स्रोत हैं। परमाणु रिएक्टर रेडियो आइसोटोप (कोबाल्ट-60, इरिडियम-192 आदि) का उत्पादन करते हैं जो रेडियोथेरेपी तथा कई औद्योगिक उपकरणों में गामा विकिरण के स्रोत के रूप में बाहर निकलते हैं।
  - तटीय क्षेत्रों में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र परमाणु कचरे को छोड़ कर समुद्री जल में रेडियोलॉजिकल संदूषक उत्सर्जित करते हैं। इन बिजलीघरों में पानी को शीतलक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जो दूषित भी हो जाते हैं।
  - रेडियोधर्मी कचरे का डंपिंग:
  - परमाणु हथियारों, एक्स-रे, एमआरआई और अन्य चिकित्सा उपकरणों में रेडियोधर्मी तत्त्वों के प्रयोग से मनुष्य के संपर्क में आने का कारण बनता है। इन रेडियोधर्मी कचरे को सतही जल निकायों में डालने से जल प्रदूषण होता है।
  - ट्रोंटियम-90, सीज़ियम-137 आदि कई अनावश्यक रेडियोआइसोटोपिक भी कचरे के साथ-साथ परमाणु रिएक्टरों से बनते हैं।
  - खनन:
  - यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियोधर्मी तत्त्वों की खनन गतिविधियाँ भी सतह और भूजल को प्रदूषित करती हैं।
  - परमाणु दुर्घटनाएँ:
  - प्राय: परमाणु पनडुब्बियाँ समुद्री वातावरण में रेडियोधर्मी संदूषण का कारण बनती हैं।
  - पनडुब्बी दुर्घटनाओं के कारण रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है।
  - कोलोराडो में रॉकी फ्लैट्स प्लांट, फुकुशिमा और चेर्नोबिल परमाणु आपदा ऐसी परमाणु दुर्घटनाओं के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं।
- स्वास्थ्य प्रभाव
  - विकिरण सिंड्रोम:
    - मानव ऊतक प्रदूषित पानी और खाद्य पदार्थों के माध्यम से विकिरण को अवशोषित करते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। विकिरण की उच्च मात्रा विकिरण सिंड्रोम या त्वचीय विकिरण चोट का कारण बन सकती है।
  - मानव शरीर क्रिया में विकार:
    - विकिरण के संपर्क में आने से मानव शरीर में विभिन्न विकार होते हैं, जिनमें कैंसर, ल्यूकेमिया, आनुवंशिक उत्परिवर्तन, मोतियाबिंद आदि शामिल हैं।
  - उत्परिवर्तन और संरचनात्मक परिवर्तन:
    - आनुवंशिक प्रभाव, आयनकारी विकिरण रोगाणु कोशिकाओं (पुरुष शुक्राणु कोशिकाओं और महिला अंडाणु कोशिकाओं) में उत्परिवर्तन को प्रेरित करता है, जिसके परिणामस्वरूप रोगाणु कोशिकाओं के डीएनए में संरचनात्मक परिवर्तन होता है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है।
    - वंशानुगत विकारों से असामयिक मृत्यु और गंभीर मानसिक बीमारी हो सकती है।

आगे की राह:

- मौजूदा समय में सुरक्षित जल आपूर्ति के लिये रेडियोधर्मी प्रदूषकों के उचित विश्लेषण एवं निगरानी की भी आवश्यकता है। रोकथाम और एहतियाती उपाय जल संसाधनों में रेडियोधर्मी संदूषण के मानवजनित स्रोतों को भी रोक सकते हैं।
- रेडियोधर्मी दूषित पानी के उपचार के लिये विभिन्न उपचार विधियाँ जैसे वातन, रिवर्स ऑस्मोसिस, आयन एक्सचेंज और ग्रेन्युल कार्बन अवशोषण प्रभावी उपचारात्मक उपाय हैं।

नोट :

भारत में वन्यजीव संरक्षण

चर्चा में क्यों ?

हालिया आँकड़ों के अनुसार वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) और राज्य वन तथा पुलिस अधिकारियों ने पिछले तीन वर्षों (2018-2020) के दौरान भारत में जंगली जानवरों की हत्या या अवैध तस्करी के लगभग 2054 मामले दर्ज़ किये गए है।

- इसे नियंत्रित करने के लिये WCCB ने राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय के साथ कई प्रजातियों के विशिष्ट प्रवर्तन अभियान चलाए हैं।
- WCCB देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिये पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक बहु-अनुशासनात्मक निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

प्रमुख बिंदु:

- अवैध वन्यजीव व्यापार का प्रभाव:
  - अवैध वन्यजीव व्यापार से उत्पन्न मांगों के कारण प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं।
  - इसके अवैध व्यापार के कारण वन्यजीव संसाधनों का अत्यधिक दोहन पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा करता है।
  - अवैध व्यापार संघ के हिस्से के रूप में अवैध वन्यजीव व्यापार देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करता है और इस तरह सामाजिक असुरक्षा पैदा करता है।
  - जंगली पौधे जो फसलों के लिये आनुवंशिक भिन्नता प्रदान करते हैं (कई दवाओं के लिये प्राकृतिक स्रोत) अवैध व्यापार के कारण संकट में हैं।
- विभिन्न प्रजाति-विशिष्ट प्रवर्तन संचालन:
  - ऑपरेशन सेव कुर्मा: जीवित कछुओं और कछुओं के अवैध शिकार, परिवहन तथा अवैध व्यापार पर ध्यान केंद्रित करना।
  - ऑपरेशन टर्टशील्ड: इसे जीवित कछुओं के अवैध व्यापार से निपटने के लिये लिया गया था।
  - ऑपरेशन लेसनो: वन्यजीवों की कम ज्ञात प्रजातियों में अवैध वन्यजीव व्यापार की ओर प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान आकर्षित करना।
  - ऑपरेशन क्लीन आर्ट: नेवला हेयर ब्रश में अवैध वन्यजीव व्यापार की ओर प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान आकर्षित करने के लिये।
  - ऑपरेशन सॉफ्टगोल्ड: शाहतोश शॉल (चिरू ऊन से बने) अवैध व्यापार से निपटने के लिये और इस व्यापार में लगे बुनकरों तथा व्यापारियों के बीच ज़ागरूकता फैलाने के लिये।
  - ऑपरेशन बीरबिल: जंगली बिल्ली और जंगली पक्षी प्रजातियों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिये।
  - ऑपरेशन वाइल्डनेट: इसका उद्देश्य देश के भीतर प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इंटरनेट पर बढ़ते अवैध वन्यजीव व्यापार पर ध्यान केंद्रित करना था।
  - ऑपरेशन फ्रीफ्लाई: जीवित पक्षियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिये।
  - ऑपरेशन वेटमार्क: देश भर के 'वैट मार्केट्स' में जंगली जानवरों के माँस की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करना।
- वन्यजीव संरक्षण के लिये भारत का घरेलू कानूनी ढाँचा:
  - वन्य जीवों के लिये संवैधानिक प्रावधान:
    - 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 से वन और वन्य पशुओं तथा पक्षियों का संरक्षण राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था।
    - संविधान के अनुच्छेद 51 A (G) में कहा गया है कि वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा।
    - राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48 ए में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के जंगलों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

नोट :

- कानूनी ढाँचा:
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
  - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
  - जैव विविधता अधिनियम, 2002
- वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के साथ भारत का सहयोग:
  - वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES)
  - वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS)
  - जैविक विविधता पर अभिसमय (CBD)
  - विश्व विरासत अभिसमय
  - रामसर अभिसमय
  - वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क (TRAFFIC)
  - वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम (UNFF)
  - अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC)
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)
  - ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF)

बुक्सा टाइगर रिज़र्व: पश्चिम बंगाल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बुक्सा टाइगर रिज़र्व में 23 वर्षों में पहली बार एक रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया।

- ऐतिहासिक रूप से बाघ बुक्सा टाइगर रिज़र्व की दक्षिणतम सीमा सहित पूरे रिज़र्व में पाए जाते हैं। हालाँकि वर्तमान में बुक्सा टाइगर रिज़र्व में बाघों का घनत्त्व कम है।

प्रमुख बिंदु:

- बुक्सा टाइगर रिज़र्व:
  - बुक्सा टाइगर रिज़र्व पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले के अलीपुरद्वार उप-मंडल में स्थित है। इसे वर्ष 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिज़र्व के रूप में स्थापित किया गया था।
    - इसे जनवरी 1992 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
  - बुक्सा टाइगर रिज़र्व की उत्तरी सीमा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है। सिंचुला पहाड़ी शृंखला बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी किनारे पर स्थित है तथा पूर्वी सीमा असम राज्य को स्पर्श करती है।
  - टाइगर रिज़र्व में बहने वाली मुख्य नदियाँ- संकोश, रैदक, जयंती, चुर्निया, तुरतुरी, फशखवा, दीमा और नोनानी हैं।
- टाइगर कॉरिडोर:
  - बुक्सा टाइगर रिज़र्व की कॉरिडोर कनेक्टिविटी की सीमाएँ उत्तर में भूटान के जंगलों को, पूर्व में कोचुगाँव के जंगलों और मानस टाइगर रिज़र्व तथा पश्चिम में जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान को स्पर्श करती है। महत्त्वपूर्ण कॉरिडोर लिंक निम्नलिखित हैं:
    - बुक्सा-टीटी (टोरसा के माध्यम से): यह बुक्सा टाइगर रिज़र्व के रंगमती रिज़र्व वन क्षेत्र को टिटी रिज़र्व फॉरेस्ट से जोड़ता है।
    - बुक्सा-टिटी (बीच और भरनाबाड़ी टी एस्टेट के माध्यम से): यह भरनाबाड़ी टी एस्टेट और 'बीच टी एस्टेट' से गुजरते हुए 'दलसिंगपारा टी एस्टेट' के दक्षिण में स्थित बुक्सा-टाइगर रिज़र्व के भरनाबाड़ी रिज़र्व फॉरेस्ट और टिटी रिज़र्व फॉरेस्ट को जोड़ता है।

नोट :

- निमाती-चिलपटा (बुक्सा-चिलपटा): यह बुक्सा टाइगर रिज़र्व की निमाती रेंज और चिलपटा रिज़र्व फॉरेस्ट के बीच हाथियों की आवाजाही को सुगम बनाता है, जिससे बुक्सा टाइगर रिज़र्व और जलदापारा वन्यजीव अभयारण्य (पश्चिम बंगाल) के बीच हाथियों की आवाजाही सुलभ हो सके।
- संकोश (संकोश) में बुक्सा-रिपू: यह गलियारा एक सन्निहित जंगल है जो पश्चिम बंगाल के बुक्सा टाइगर रिज़र्व को कोचुगाँव वन प्रभाग, असम के रिपु रिज़र्व फॉरेस्ट से जोड़ता है।

- उल्लिखित गलियारे उत्तर-पूर्व और ब्रह्मपुत्र घाटी बाघ परिदृश्य का हिस्सा हैं, जो विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों जैसे बुक्सा, मानस टाइगर रिज़र्व (असम), भूटान में फिप्सू वन्यजीव अभयारण्य और जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की उपस्थिति से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

- वनस्पति:
  - मोटे तौर पर रिज़र्व के वनों को 'आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- जंतु वर्ग:
  - रिज़र्व में पाई जाने वाली कुछ महत्त्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं- इंडियन टाइगर (पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस), लेपर्ड (पैंथेरा पार्डस), क्लाउडेड लेपर्ड (नियोफेलिस नेबुलोसा), हॉग बेजर (आर्कटोनिक्स कोलारिस), जंगल कैट (फेलिस चौस) आदि।
- पश्चिम बंगाल में अन्य संरक्षित क्षेत्र:
  - गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान
  - सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान
  - नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान
  - सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान
  - जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान

बाघ

- बाघ संरक्षण की स्थिति:
  - भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची- I
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) रेड लिस्ट: लुप्तप्राय
  - वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट- I
- भारत की बाघ संरक्षण स्थिति:
  - भारत वैश्विक स्तर पर बाघों की 70% से अधिक आबादी का घर है।
  - भारत के 18 राज्यों में कुल 51 बाघ अभयारण्य हैं और वर्ष 2018 की अंतिम बाघ गणना में इनकी आबादी में वृद्धि देखी गई।
  - भारत ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा (St. Petersburg Declaration) से चार वर्ष पहले बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया।
  - भारत की बाघ संरक्षण रणनीति में स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया गया है।
- भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाएँ:
  - प्रोजेक्ट टाइगर 1973: यह वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करती है।
    - हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को भारत में 53वें टाइगर रिज़र्व के रूप में नामित किया है।
  - राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA): यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो 2006 में संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत गठित है।

नोट :

जलवायु परिवर्तन और संक्रामक रोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट' (Science of the Total Environment) जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के विभिन्न कारक कुल संक्रामक रोगों के 9-18% मामलों के लिये ज़िम्मेदार है।

- मानवजनित गतिविधियों से प्रेरित जलवायु परिवर्तन पिछले कई वर्षों में सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ को चुनौती दे सकता है, विशेष रूप से भारत जैसे देश में जो विश्व में जलवायु-संवेदनशील देशों की सूची में उच्च स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:
  - बच्चों में भेद्यता: विश्व स्तर पर यह अनुमान लगाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे अधिक बीमारी का भार बच्चों को उठाना पड़ता है, जिसमें सबसे गरीब लोग अनुपातहीन रूप से प्रभावित होते हैं।
  - बच्चों से जुड़ा उच्च ज़ोखिम शारीरिक भेद्यता के संयोजन से संबंधित के होता है।
  - प्रभावित करने वाले कारक: तापमान, आर्द्रता, वर्षा, सौर विकिरण और हवा की गति जैसे जलवायु पैरामीटर महत्त्वपूर्ण रूप से संक्रामक, पेट और आँत से जुड़ी बीमारियाँ (गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल), श्वसन रोगों, वेक्टर जनित रोगों और त्वचा रोगों से जुड़े हुए है।
  - प्रभाव: सामाजिक-आर्थिक स्थिति और चाइल्ड एंथ्रोपोमेट्री (मानव शरीर के माप और अनुपात का अध्ययन) ने स्टंटिंग, वेस्टिंग तथा कम वज़न की स्थिति से पीड़ित बच्चों के उच्च अनुपात के साथ जलवायु-रोग संबंध को संशोधित किया है।
- जलवायु परिवर्तन और संक्रामक रोग लिंकेज का उदाहरण:
  - मलेरिया सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये बड़ी चिंता का विषय है और लंबे समय तक जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील वेक्टर जनित रोग होने की संभावना है।
    - अत्यधिक स्थानिक क्षेत्रों में मलेरिया मौसमी रूप से भिन्न होता है उदाहरण के लिये भारत में मलेरिया और जलवायु घटनाओं के बीच की कड़ी का अध्ययन लंबे समय से किया जा रहा है।
    - पिछली शताब्दी की शुरुआत में नहर से सिंचित पंजाब क्षेत्र समय-समय पर मलेरिया महामारी से प्रभावित हुआ।
    - अत्यधिक मानसून वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों की पहचान एक प्रमुख प्रभाव के रूप में की गई थी, जो मच्छरों के प्रजनन और अस्तित्त्व को बढ़ाती है।
    - हाल के विश्लेषणों से पता चला है कि अल नीनो घटना के बाद वर्ष में मलेरिया महामारी का जोखिम लगभग पाँच गुना बढ़ जाता है।

आगे की राह:

- संक्रामक रोग संचरण पैटर्न में परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख संभावित परिणाम है। इस प्रकार अंतर्निहित जटिल कारण संबंधों के बारे में अधिक जानने की आवश्यकता है और इस जानकारी को अधिक पूर्ण, बेहतर मान्य, एकीकृत, मॉडल का उपयोग करके भविष्य के प्रभावों की भविष्यवाणी पर लागू करने की आवश्यकता है।
- सरकार और नीति निर्माताओं को बाल स्वास्थ्य के लिये प्रभावी उपायों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान समस्याएँ भविष्य में जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के तहत पहले से ही कुपोषित बाल चिकित्सा आबादी में कई माध्यमों से बीमारी का बोझ बढ़ा सकती है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने आदेश में संशोधन की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के आवास में सभी ट्रांसमिशन केबल को भूमिगत रखा जाए।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- भूमिका:
  - इस वर्ष 2021 की शुरुआत में लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard) और लेसर फ्लोरिकन (Lesser Florican) की घटती संख्या की जाँच करने के लिये, सर्वोच्च न्यायालय की एक बेंच ने निर्देश दिया कि राजस्थान तथा गुजरात में पक्षियों के आवास के साथ-साथ जहाँ भी संभव हो, ओवरहेड विद्युत लाइनों को भूमिगत रखा जाए।
- उठाई गई चिंताएँ:
  - भारत में विद्युत क्षेत्र के लिये निहितार्थ:
    - राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र देश की कुल सौर और पवन ऊर्जा क्षमता का एक बड़ा हिस्सा है।
    - विद्युत लाइनों को भूमिगत करने से अक्षय ऊर्जा उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के कारण को नुकसान होगा।
    - उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिये ऊर्जा संक्रमण आवश्यक है तथा भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन में संक्रमण एवं उत्सर्जन में कमी के लिये संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के तहत वर्ष 2015 में पेरिस मेंहस्ताक्षरित समझौते सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की हैं।
    - भारत ने वर्ष 2022 तक 175 GW और वर्ष 2030 तक 450 GW की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता (बड़े हाइड्रो को छोड़कर) प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
  - अक्षय ऊर्जा के अप्रयुक्त रहने की संभावना:
    - अब तक इस क्षेत्र में लगभग 263 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता का केवल 3% का ही दोहन किया गया है।
    - यदि शेष क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है तो भविष्य में अप्रयुक्त अक्षय ऊर्जा के विकल्प के रूप में 93,000 मेगावाट अतिरिक्त कोयला आधारित क्षमता की आवश्यकता होगी, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)

परिचय:

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB), राजस्थान का राज्य पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है।
- यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है, जो चरागाह पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करती है।
- इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है।
- विद्युत लाइनों से टकराव/इलेक्ट्रोक्यूशन, शिकार (अभी भी पाकिस्तान में प्रचलित), आवास का नुकसान और व्यापक कृषि विस्तार आदि के परिणामस्वरूप यह पक्षी खतरे में है।

सुरक्षा की स्थिति:

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
- वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट-1
- प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS): परिशिष्ट-I
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:- अनुसूची 1

GIB की सुरक्षा के लिये किये गए उपाय:

- प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम:
  - इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के वन्यजीव आवास का एकीकृत विकास (IDWH) के तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत रखा गया है।

नोट :

- नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान:
  - वर्तमान में इसे संरक्षण एजेंसियों (Conservation Agencies) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- संरक्षण प्रजनन सुविधा:
  - जून 2019 में MoEFCC, राजस्थान सरकार और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वार जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में एक संरक्षण प्रजनन सुविधा स्थापित की है।
  - कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की एक आबादी में वृद्धि करना है जिसके लिये चूजों को जंगल में छोड़ा जाना है।
- प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड:
  - राजस्थान सरकार ने इस प्रजाति के प्रजनन बाड़ों के निर्माण और उनके आवासों पर मानव दबाव को कम करने के लिये एवं बुनियादी ढाँचे के विकास के उद्देश्य से 'प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 'लॉन्च किया है।
- पर्यावरण अनुकूल उपाय:
  - ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित वन्यजीवों पर पॉवर ट्रांसमिशन लाइनों (Power Transmission Lines) और अन्य पॉवर ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (Power Transmission Infrastructures) के प्रभावों को कम करने के लिये पर्यावरण के अनुकूल उपायों का सुझाव देने हेतुटास्क फोर्स का गठन।

नोट :

इतिहास

पाइका विद्रोह: 1817

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा है कि पाइका विद्रोह (Paika Rebellion) को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता।

- यह भी सुझाव दिया गया है कि इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक में केस स्टडी के रूप में शामिल किया जाए।
- वर्ष 2017 में पहली बार ओडिशा राज्य मंत्रिमंडल ने पाइका विद्रोह को पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में घोषित करने हेतु केंद्र से औपचारिक रूप से आग्रह करने का प्रस्ताव पारित किया था।
- वर्ष 2018 में सरकार ने पाइका विद्रोह की याद में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया।

प्रमुख बिंदु

- पाइका विद्रोह के बारे में:
  - पाइका (उच्चारण 'पाइको', शाब्दिक रूप से 'पैदल सैनिक') को 16वीं शताब्दी के बाद से ओडिशा में राजाओं द्वारा विभिन्न सामाजिक समूहों से वंशानुगत कर-मुक्त भूमि (निश-कर जागीर) और उपाधियों के बदले सैन्य सेवाएँ प्रदान करने के लिये भर्ती किया गया वर्ग था।
  - जब अंग्रेज़ यहाँ पहुँचे तो उस समय ओडिशा के गजपति शासक मुकुंद देव द्वितीय किसान मिलिशिया (Peasant Militias) थे।
- ब्रिटिश दमनकारी नीति:
  - अंग्रेज़ों के नए औपनिवेशिक प्रतिष्ठान और भू-राजस्व बंदोबस्त लागू होने से पाइको ने अपनी संपदा खो दी।
    - ओडिशा में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद ब्रिटिश द्वारा पाइको के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाई गई। उन्होंने समाज में अपनी पारंपरिक स्थिति खो दी और उनकी ज़मीन छीन ली गई।
  - अर्थव्यवस्था और राजस्व प्रणालियों में निरंतर हस्तक्षेप से किसानों का शोषण और उत्पीड़न हुआ, अंतत: अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया।
    - 'खुर्दा' में पाइको के विद्रोह से पहले और बाद में पारालाखेमुंडी (1799-1814), घुमुसर (1835-36) एवं अंगुल (1846-47); कालाहांडी में कोंधों का विद्रोह (1855); तथा 1856-57 का सबारा में विद्रोह हुए।
    - इन विद्रोहों का नेतृत्व संपत्ति वाले ऐसे वर्गों ने किया था जिनकी स्थिति औपनिवेशिक हस्तक्षेपों से कमज़ोर हो गई थी।
- पाइका विद्रोह:
  - वर्ष 1817 का पाइका विद्रोह वर्ष 1857 के पहले सिपाही विद्रोह से लगभग 40 वर्ष पूर्व हुआ था।
  - बक्शी जगबंधु विद्याधर महापात्र भरमारबार राय, मुकुंद देव द्वितीय के सर्वोच्च सैन्य जनरल और रोडंगा एस्टेट के पूर्व धारक ने कोंधों के विद्रोह में शामिल होकर पाइका की एक सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने 2 अप्रैल, 1817 को अंग्रेज़ों का सामना किया।
    - पाइको को राजाओं, ज़मींदारों, ग्राम प्रधानों और साधारण किसानों का समर्थन प्राप्त था। यह विद्रोह शीघ्र ही प्रांत के विभिन्न भागों में फैल गया।
  - इस घटना में बानापुर में सरकारी भवनों में आग लगा दी गई, पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई और ब्रिटिश खजाने को लूट लिया गया।
  - आगामी कुछ महीनों तक विद्रोह जारी रहा, लेकिन अंतत: ब्रिटिश सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। विद्याधर को वर्ष 1825 में जेल में डाल दिया गया था और चार वर्ष बाद जेल में रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

नोट :

छत्रपति शिवाजी महाराज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी।

- इस वर्ष की शुरुआत में गोवा सरकार ने मराठा राजा के राज्याभिषेक दिवस (6 जून) की वर्षगांठ के अवसर पर छत्रपति शिवाजी पर एक लघु फिल्म जारी की।

प्रमुख बिंदु

- जन्म:
  - उनका जन्म 19 फरवरी, 1630 को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में पुणे ज़िले के शिवनेरी किले में हुआ था।
  - उनका जन्म एक मराठा सेनापति शाहजी भोंसले के घर हुआ था, जिनके अधिकार में बीजापुर सल्तनत के तहत पुणे और सुपे की जागीरें थीं तथा उनकी माता जीजाबाई, एक धर्मपरायण महिला थीं, जिनके धार्मिक गुणों का उन पर गहरा प्रभाव था।
- आरंभिक जीवन:
  - इन्होंने वर्ष 1645 में पहली बार अपने सैन्य उत्साह का प्रदर्शन किया, जब किशोर उम्र में ही इन्होंने बीजापुर के अधीन तोरण किले (Torna Fort) पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त कर लिया।
  - इन्होंने कोंडाना किले (Kondana Fort) पर भी अधिकार किया। ये दोनों किले बीजापुर के आदिल शाह के अधीन थे।

महत्त्वपूर्ण युद्ध:

- प्रतापगढ़ का युद्ध, 1659 यह युद्ध मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिलशाही सेनापति अफज़ल खान की सेनाओं के बीच महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले में लड़ा गया था।
- पवन खिंड का युद्ध, 1660यह युद्ध मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे और आदिलशाही के सिद्दी मसूद के बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास (विशालगढ़ किले के आसपास) एक पहाड़ी दर्रे पर लड़ा गया।

सूरत का युद्ध, 1664	यह युद्ध गुजरात के सूरत शहर के पास छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल कप्तान इनायत खान के बीच लड़ा गया।
पुरंदर का युद्ध, 1665	यह युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया।
सिंहगढ़ का युद्ध, 1670	यह युद्ध महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास सिंहगढ़ के किले पर मराठा शासक शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे और जय सिंह प्रथम के अधीन गढ़वाले उदयभान राठौड़, जो मुगल सेना प्रमुख थे, के बीच लड़ा गया।
कल्याण का युद्ध, 1682-83	इस युद्ध में मुगल साम्राज्य के बहादुर खान ने मराठा सेना को हराकर कल्याण पर अधिकार कर लिया।
संगमनेर की युद्ध, 1679	यह युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया। यह आखिरी युद्ध थी जिसमें मराठा राजा शिवाजी लड़े थे।

मुगलों के साथ संघर्ष:

- मराठों ने अहमदनगर के पास और वर्ष 1657 में जुन्नार में मुगल क्षेत्र पर छापा मारा।
- औरंगज़ेब ने नसीरी खान को भेजकर छापेमारी का जवाब दिया, जिसने अहमदनगर में शिवाजी की सेना को हराया था।
- शिवाजी ने वर्ष 1659 में पुणे में शाइस्ता खान (औरंगज़ेब के मामा) और बीजापुर सेना की एक बड़ी सेना को हराया।
- शिवाजी ने वर्ष 1664 में सूरत के मुगल व्यापारिक बंदरगाह को अपने कब्ज़े में ले लिया।
- जून 1665 में शिवाजी और राजा जय सिंह प्रथम (औरंगजेब का प्रतिनिधित्व) के बीच पुरंदर की संधि (Treaty of Purandar) पर हस्ताक्षर किये गए।

नोट :

- इस संधि के अनुसार, मराठों को कई किले मुगलों को देने पड़े और शिवाजी, औरंगज़ेब से आगरा में मिलने के लिये सहमत हुए। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को भी आगरा भेजने के लिये तैयार हो गए।

शिवाजी की गिरफ्तारी:

- जब शिवाजी वर्ष 1666 में आगरा में मुगल सम्राट से मिलने गए, तो मराठा योद्धा को लगा कि औरंगज़ेब ने उनका अपमान किया है जिससे वे दरबार से बाहर आ गए।
- जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर बंदी बना लिया गया। शिवाजी और उनके पुत्र का आगरा से भागने की कहानी आज भी प्रामाणिक नहीं है।
- इसके बाद वर्ष 1670 तक मराठों और मुगलों के बीच शांति बनी रही।
- मुगलों द्वारा संभाजी को दी गई बरार की जागीर उनसे वापस ले ली गई थी।
- इसके जवाब में शिवाजी ने चार महीने की छोटी सी अवधि में मुगलों के कई क्षेत्रों पर हमला कर उन्हें वापस ले लिया।
- शिवाजी ने अपनी सैन्य रणनीति के माध्यम से दक्कन और पश्चिमी भारत में भूमि का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया।

दी गई उपाधि:

- शिवाजी को 6 जून, 1674 को रायगढ़ में मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया।
- इन्होंने छत्रपति, शाककार्ता, क्षत्रिय कुलवंत और हैंदव धर्मोधारक की उपाधि धारण की थी।
- शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य समय के साथ बड़ा होता गया और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रमुख भारतीय शक्ति बन गया।

मृत्यु:

- इनकी 3 अप्रैल, 1680 को मृत्यु हो गई।

शिवाजी के अधीन प्रशासन

- केंद्रीय प्रशासन:
  - इसकी स्थापना शिवाजी द्वारा प्रशासन की सुदृढ़ व्यवस्था के लिये की गई थी जो प्रशासन की दक्कन शैली से काफी प्रेरित थी।
  - अधिकांश प्रशासनिक सुधार अहमदनगर में मलिक अंबर (Malik Amber) के सुधारों से प्रेरित थे।
  - राजा राज्य का सर्वोच्च प्रमुख होता था जिसे 'अष्टप्रधान' के नाम से जाना जाने वाले आठ मंत्रियों के एक समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी।
  - पेशवा, जिसे मुख्य प्रधान के रूप में भी जाना जाता है, मूल रूप से राजा शिवाजी की सलाहकार परिषद का नेतृत्व करता था।
- राजस्व प्रशासन:
  - शिवाजी ने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया और इसे रैयतवारी प्रणाली से बदल दिया तथा वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की स्थिति में परिवर्तन किया, जिन्हें देशमुख, देशपांडे, पाटिल एवं कुलकर्णी के नाम से जाना जाता था।
  - शिवाजी उन मीरासदारों (Mirasdar) का कड़ाई से पर्यवेक्षण करते थे जिनके पास भूमि पर वंशानुगत अधिकार थे।
  - राजस्व प्रणाली मलिक अंबर की काठी प्रणाली (Kathi System) से प्रेरित थी, जिसमें भूमि के प्रत्येक टुकड़े को रॉड या काठी द्वारा मापा जाता था।
  - चौथ और सरदेशमुखी आय के अन्य स्रोत थे।
    - चौथ कुल राजस्व का 1/4 भाग था जिसे गैर-मराठा क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के बदले में वसूला जाता था।
    - यह आय का 10 प्रतिशत होता था जो अतिरिक्त कर के रूप में होता था।
- सैन्य प्रशासन:
  - शिवाजी ने एक अनुशासित और कुशल सेना का गठन किया।
  - सामान्य सैनिकों को नकद में भुगतान किया जाता था, लेकिन प्रमुख और सैन्य कमांडर को जागीर अनुदान (सरंजम या मोकासा) के माध्यम से भुगतान किया जाता था।
  - मराठा सेना में इन्फैंट्री सैनिक, घुड़सवार, नौसेना आदि शामिल थीं।

नोट :

रायगढ़ किला

- इस किले को पहले रायरी कहा जाता था, 12वीं शताब्दी में यह मराठा वंश शिर्के का गढ़ था।
- ब्रिटिश राजपत्र में कहा गया है कि इस किले को आरभिक यूरोपियों द्वारा पूर्व के जिब्राल्टर के रूप में जाना जाता था।
- वर्ष 1656 में, छत्रपति शिवाजी ने इसे जावली के मोरे से प्राप्त कर लिया, जो आदिलशाही सल्तनत के अधीन था।
- वर्ष 1662 में, शिवाजी ने औपचारिक रूप से किले का नाम बदलकर रायगढ़ कर दिया और इसमें कई संरचनाएं जोड़ीं।
- 1664 तक, किला शिवाजी की सरकार के गढ़ के रूप में उभरा था।
- किले ने न केवल शिवाजी को आदिलशाही वंश की सर्वोच्चता को चुनौती देने में मदद की बल्कि अपनी शक्ति के विस्तार के लिये कोंकण की ओर मार्ग भी खोल दिया।
- जैसे ही शिवाजी के नेतृत्त्व में मराठों ने मुगलों के खिलाफ अपने संघर्ष में ताकत हासिल की उनके द्वारा एक संप्रभु, स्वतंत्र राज्य की घोषणा की गई।

65वाँ महापरिनिर्वाण दिवस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी।

प्रमुख बिंदु

- महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में:
  - परिनिर्वाण जिसे बौद्ध धर्म के लक्ष्यों के साथ-साथ एक प्रमुख सिद्धांत भी माना जाता है, यह एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद मुक्ति अथवा मोक्ष है।
    - बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सुत्त (Mahaparinibbana Sutta) के अनुसार, 80 वर्ष की आयु में हुई भगवान बुद्ध की मृत्यु को मूल महापरिनिर्वाण माना जाता है।
  - यह 6 दिसंबर को डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा दिये गए सामाजिक योगदान और उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिये मनाया जाता है। बौद्ध नेता के रूप में डॉ. अंबेडकर की सामाजिक स्थिति के कारण उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है।
- बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर:
  - जन्म: 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रांत (अब मध्य प्रदेश) के महू में।
  - संक्षिप्त परिचय:
    - डॉ. अंबेडकर एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, बहु-भाषाविद और तुलनात्मक धर्म दर्शन के विद्वान थे।
    - वर्ष 1916 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने।
    - उन्हें भारतीय संविधान के जनक (Father of the Indian Constitution) के रूप में जाना जाता है। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून/विधि मंत्री थे।
  - संबंधित जानकारी:
    - वर्ष 1920 में उन्होंने एक पाक्षिक (15 दिन की अवधि में छपने वाला) समाचार पत्र 'मूकनायक' (Mooknayak) की शुरुआत की जिसने एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव रखी।
    - उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1923) की स्थापना की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु समर्पित थी।
    - वर्ष 1925 में बॉम्बे प्रेसीडेंसी समिति द्वारा उन्हें साइमन कमीशन में काम करने के लिये नियुक्त किया गया था।

नोट :

- हिंदुओं के प्रतिगामी रिवाज़ों को चुनौती देने के लिये मार्च 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह (Mahad Satyagraha) का नेतृत्त्व किया।
- वर्ष 1930 के कालाराम मंदिर आंदोलन में अंबेडकर ने कालाराम मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि दलितों को इस मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इसने भारत में दलित आंदोलन शुरू करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों (Round-Table Conferences) में भाग लिया।
- वर्ष 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते (Poona Pact) पर हस्ताक्षर किये, जिसके परिणामस्वरूप वंचित वर्गों के लिये अलग निर्वाचक मंडल (सांप्रदायिक पंचाट) के विचार को त्याग दिया गया।
- हालाँकि दलित वर्गों के लिये आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 तथा केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% कर दी गई।
- वर्ष 1936 में वह बॉम्बे विधानसभा के विधायक (MLA) चुने गए।
- 29 अगस्त, 1947 को उन्हें संविधान निर्मात्री समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने के प्रधानमंत्री नेहरू के आमंत्रण को स्वीकार किया।
- उन्होंने हिंदू कोड बिल (जिसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार लाना था) पर मतभेदों के चलते वर्ष 1951 में मंत्रिमंडल से त्याग-पत्र दे दिया।
- वर्ष 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया।
- 6 दिसंबर, 1956 को उनका निधन हो गया।
- वर्ष 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
- चैत्य भूमि भीमराव अंबेडकर का एक स्मारक है जो मुंबई के दादर में स्थित है।
- महत्त्वपूर्ण कृतियाँ: समाचार पत्र मूकनायक (1920), एनिहिलेशन ऑफ कास्ट (1936), द अनटचेबल्स (1948), बुद्धा ऑर कार्ल मार्क्स (1956), बुद्धा एंड हिज़ धम्म (1956) इत्यादि।

◆ उद्धरण::

- "लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है। यह मुख्य रूप से जुड़े रहने का एक तरीका है, संयुग्मित संचार अनुभव का। यह अनिवार्य रूप से साथी पुरुषों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का दृष्टिकोण है।"
- मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है।"
- "मनुष्य नश्वर है। उसी तरह विचार भी नश्वर हैं। एक विचार को प्रचार-प्रसार की ज़रूरत होती है जैसे एक पौधे को पानी की ज़रूरत होती है। अन्यथा दोनों मुरझा जाएँगे और मर जाएँगे "

भारत-पाक युद्ध: 1971

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) ने 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' (भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ) के हिस्से के रूप में 'आज़ादी की विजय शृंखला और संस्कृतियों का महासंगम' कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है।

- 'आज़ादी की विजय शृंखला और संस्कृतियों का महासंगम' कार्यक्रम के तहत भारत-पाकिस्तान वर्ष 1971 युद्ध के वीरों को पूरे देश में 75 स्थानों पर सम्मानित किया जा रहा है।
- संस्कृतियों का महासंगम नई दिल्ली में एक विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित करेगा, जिसमें देश भर के उम्मीदवार सांस्कृतिक आदान-प्रदान में भाग लेंगे।

प्रमुख बिंदु

- भारत-पाकिस्तान युद्ध 1971 की समयरेखा:
  - राजनीतिक असंतुलन: 1950 के दशक में पाकिस्तान की केंद्रीय सत्ता पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था। पाकिस्तान पर सैन्य-नौकरशाही का राज था जो पूरे देश (पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान) पर बेहद अलोकतांत्रिक ढंग से शासन कर रहे थे।

नोट :

- शासन की इस प्रणाली में बंगालवासियों का कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था किंतु वर्ष 1970 के आम चुनावों के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान के इस प्रभुत्व को चुनौती दी गई थी।

- अवामी लीग की विजय: वर्ष 1970 के आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुज़ीबुर रहमान की अवामी लीग को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था, जो प्रधानमंत्री बनने के लिये पर्याप्त था।
  - हालाँकि पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के किसी नेता को देश पर शासन करने देने के लिये तैयार नहीं था।
- सांस्कृतिक अंतर: तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान (वर्तमान पाकिस्तान) ने 'याहया खान' के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) के लोगों का सांस्कृतिक रूप से दमन करने की कोशिश की। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान पर भाषा पहनावा-ओढ़ावा इत्यादि को लेकर तानाशाही रवैया अपनाना शुरू किया। ज्ञातव्य है कि पूर्वी पाकिस्तान बंगाल से काटकर बनाया गया था अत: यहाँ की भाषा मुख्यत: बंगाली थी जबकि, पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा मुख्यत: उर्दू थी।
  - राजनीतिक वार्ता विफल होने के बाद जनरल याहया खान के नेतृत्त्व में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया।
- ऑपरेशन सर्चलाइट: 26 मार्च, 1971 को पश्चिम पाकिस्तान ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू की।
  - इसके परिणामस्वरूप लाखों बांग्लादेशी भारत भागकर भारत आ गए। मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में क्योंकि ये राज्य बांग्लादेश के सबसे करीबी राज्य हैं।
  - विशेष रूप से पश्चिम बंगाल पर शरणार्थियों का बोझ बढ़ने लगा और राज्य ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी सरकार से भोजन और आश्रय के लिये सहायता की अपील की।
- इंडो-बांग्ला सहयोग: बांग्लादेश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली 'मुक्तिवाहिनी सेना' एवं भारतीय सैनिकों की बहादुरी से पाकिस्तानी सेना को मुँह की खानी पड़ी। ज्ञातव्य है कि मुक्तिवाहिनी सेना में बांग्लादेश के सैनिक, अर्द्ध-सैनिक और नागरिक भी शामिल थे। ये मुख्यत: गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे।
- पाकिस्तानी सेना की हार: 16 दिसंबर, 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तानी सेना बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाज़ी ने 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर' पर हस्ताक्षर किये।
  - द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और बांग्लादेश मुक्ति सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत के हस्तक्षेप से मात्र 13 दिनों के इस छोटे से युद्ध से एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ।
  - भारतीय हस्तक्षेप ने 13 दिनों में युद्ध को समाप्त कर दिया और इस प्रकार एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ।

- भारत के लिये भारत-पाकिस्तान युद्ध का महत्त्व:
  - एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध का खतरा: भविष्य में कभी भी पाकिस्तान से युद्ध होने पर भारत को दोनों मोर्चों से युद्ध का खतरा था। पूर्वी पाकिस्तान के विद्रोह से भारत को इस खतरे को समाप्त करने का बहाना मिल गया।
    - यद्यपि वर्ष 1965 में पूर्वी मोर्चा काफी हद तक निष्क्रिय रहा, लेकिन इसने पर्याप्त सैन्य संसाधनों को अपने पास रोक लिया था जो पश्चिमी मोर्चे पर अधिक प्रभावशाली हो सकता है।
  - गुटनिरपेक्षता की नीति में बदलाव: भारत-पाकिस्तान युद्ध अगस्त 1971 में भारत-सोवियत संधि पर हस्ताक्षर से पहले हुआ था, जिसने भारत को कूटनीतिक रूप से बढ़ावा दिया था।
    - इस जीत ने विदेशी राजनीति में भारत की व्यापक भूमिका सुनिश्चित की।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने महसूस किया कि शक्ति संतुलन दक्षिण एशिया में भारत में स्थानांतरित हो गया है।

1857 का विद्रोह

चर्चा में क्यों ?

1857 के विद्रोह में शहीदों के सम्मान में अंबाला में हरियाणा सरकार द्वारा एक स्मारक-संग्रहालय बनाया जा रहा है।

नोट :

- अंबाला में युद्ध स्मारक बनाने का उद्देश्य उन गुमनाम नायकों की वीरता को अमर करना है, जिन्हें स्वतंत्रता के प्रथम विद्रोह (अंग्रेजों के खिलाफ) की पटकथा लिखने का श्रेय कभी नहीं मिला।
- यह अंबाला में विद्रोह की घटनाओं पर विशेष ज़ोर देने के साथ स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान को भी उजागर करेगा।

प्रमुख बिंदु

- 1857 के विद्रोह के बारे में:
  - यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी।
  - यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने हासिल कर ली।
  - विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है: सिपाही विद्रोह (ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा), भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह (भारतीय इतिहासकारों द्वारा), 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध (विनायक दामोदर सावरकर द्वारा)।

हरियाणा में विद्रोह

- विद्रोह का केंद्र: इतिहासकार केसी यादव के अनुसार, 1857 का विद्रोह वास्तव में अंबाला में शुरू हुआ था, न कि मेरठ में जैसा कि लोकप्रिय माना जाता है।
  - उन्होंने 'हरियाणा में 1857 का विद्रोह' नामक अपनी पुस्तक में अपने निष्कर्षों का दस्तावेज़ीकरण किया था।
- महत्त्वपूर्ण नेता: राव तुला राम (अहिरवाल), गफ्फूर अली और हरसुख राय (पलवल), धनु सिंह (फरीदाबाद), नाहर सिंह (बल्लभगढ़) आदि हरियाणा में विद्रोह के महत्त्वपूर्ण नेता थे।
- प्रमुख युद्ध: कई युद्ध राज्यों के शासकों द्वारा लड़ी गईं और किसानों द्वारा भी कभी-कभी ब्रिटिश सेना को पराजित किया गया।
  - कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण युद्ध सिरसा, सोनीपत, रोहतक और हिसार में लड़ें गए।
  - सिरसा में चौरमार (Chormar) का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था।
- विद्रोह के कारण:
  - राजनीतिक कारण:
    - अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति: 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनैतिक कारण अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति और व्यपगत का सिद्धांत था।
    - बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिससे अन्य सत्तारुढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हो गया।
    - व्यपगत के सिद्धांत को लागू करके डलहौज़ी ने सतारा (1848 ईस्वी), जैतपुर, और संबलपुर (1849 ईस्वी), बघाट (1850 ईस्वी), उदयपुर (1852 ईस्वी), झाँसी (1853 ईस्वी) तथा नागपुर (1854 ईस्वी) राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया।
  - सामाजिक और धार्मिक कारण:
    - भारत में तेज़ी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था।
    - सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा-पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिये खतरा माना गया।
    - शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ-साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को सीधे चुनौती दे रहे थे।
  - आर्थिक कारण:
    - ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और ज़मींदार भूमि पर भारी-भरकम लगान और कर/राजस्व वसूली के सख्त तौर-तरीकों के कारण किसानों की पीढ़ियों पुरानी ज़मीने हाथ से निकलती जा रही थी।
    - बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे और वे अपने परिवार, गाँव को छोड़कर आए थे, इसलिये किसानों की शिकायतों ने उन्हें भी प्रभावित किया।
    - इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ जिसने विशेष रूप से भारत के कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया।

नोट :

- भारतीय हस्तकला उद्योगों को ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ी।

- सैन्य कारण:
  - भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों की संख्या 87 प्रतिशत थी, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था।
  - एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था।
  - उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी।
  - वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून (सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, 1856) जारी किया, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है।
- तात्कालिक कारण
  - 1857 का विद्रोह अंतत: चर्बी वाले कारतूसों की घटना को लेकर शुरू हुआ।
  - एक अफवाह यह फैल गई कि नई 'एनफील्ड' राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है।
  - सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुँह से खोलना पड़ता था।
  - ऐसे में हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया।

विद्रोह के केंद्र, नेतृत्व और दमन

विद्रोह के स्थान	भारतीय नेता	ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया
दिल्ली	बहादुर शाह द्वितीय	जॉन निकोलसन
लखनऊ	बेगम हजरत महल	हेनरी लारेंस
कानपुर	नाना साहेब	सर कोलिन कैंपबेल
झाँसी और ग्वालियर	लक्ष्मी बाई और तात्या टोपे	जनरल ह्यूग रोज
बरेली	खान बहादुर खान	सर कोलिन कैंपबेल
इलाहाबाद और बनारस	मौलवी लियाकत अली	कर्नल ऑनसेल
बिहार	कुँवर सिंह	विलियम टेलर

विद्रोह की असफलता के कारण

- सीमित प्रभाव: विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था।
  - बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर तथा राजपूताना इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए।
  - दक्षिणी प्रांतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया।
- प्रभावी नेतृत्व का अभाव: विद्रोहियों के बीच एक प्रभावी नेता का अभाव था। हालाँकि नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे, लेकिन वे समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके।
- सीमित संसाधन: सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन तथा संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेज़ों के अधीन थे। इसलिये विद्रोहियों के पास हथियारों और धन की कमी थी।
- मध्य वर्ग की भागीदारी नहीं: अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, बंगाल के अमीर व्यापारियों और ज़मींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की।

विद्रोह का परिणाम

- कंपनी शासन का अंत: वर्ष 1857 का विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी।
  - इलाहाबाद के एक दरबार में 'लॉर्ड कैनिंग' ने घोषणा की कि भारतीय प्रशासन अब महारानी विक्टोरिया यानी 'ब्रिटिश संसद' के अधीन था।
- धार्मिक सहिष्णुता: अंग्रेज़ों ने यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म एवं सामाजिक रीति-रिवाज़ों और परंपराओं का सम्मान करेंगे।

नोट :

- प्रशासनिक परिवर्तन: भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद से स्थानांतरित किया गया।
  - भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी।
  - व्यपगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था।
  - अपनी रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई थी।
- सैन्य पुनर्गठन: सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया लेकिन शस्त्रागार ब्रिटिश शासन के हाथों में रहा। बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिये यह योजना बनाई गई थी।

गुरु तेग बहादुर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस मनाया गया।

प्रमुख बिंदु

- गुरु तेग बहादुर (1621-1675):
  - गुरु तेग बहादुर नौवें सिख गुरु थे, जिन्हें अक्सर सिखों द्वारा 'मानवता के रक्षक' (श्रीष्ट-दी-चादर) के रूप में याद किया जाता था।
  - गुरु तेग बहादुर एक महान शिक्षक के अलावा एक उत्कृष्ट योद्धा, विचारक और कवि भी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक, ईश्वर, मन और शरीर की प्रकृति के विषय में विस्तृत वर्णन किया।
  - उनके लेखन को पवित्र ग्रंथ 'गुरु ग्रंथ साहिब' (Guru Granth Sahib) में 116 काव्यात्मक भजनों के रूप में रखा गया है।
  - ये एक उत्साही यात्री भी थे और उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में उपदेश केंद्र स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - इन्होंने ऐसे ही एक मिशन के दौरान पंजाब में चाक-नानकी शहर की स्थापना की, जो बाद में पंजाब के आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया।
  - गुरु तेग बहादुर को वर्ष 1675 में दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगज़ेब के आदेश के बाद मार दिया गया।
- सिख धर्म
  - पंजाबी भाषा में 'सिख' शब्द का अर्थ है 'शिष्य'। सिख भगवान के शिष्य हैं, जो दस सिख गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं का पालन करते हैं।
  - सिख एक ईश्वर (एक ओंकार) में विश्वास करते हैं। सिख अपने पंथ को गुरुमत (गुरु का मार्ग- The Way of the Guru) कहते हैं।
  - सिख परंपरा के अनुसार, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक (1469-1539) द्वारा की गई थी और बाद में नौ अन्य गुरुओं ने इसका नेतृत्व किया।
  - सिख धर्म का विकास भक्ति आंदोलन और वैष्णव हिंदू धर्म से प्रभावित था।
  - इस्लामिक युग में सिखों के उत्पीड़न ने खालसा की स्थापना को प्रेरित किया जो अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का पंथ है।
  - गुरु गोविंद सिंह ने खालसा (जिसका अर्थ है 'शुद्ध') पंथ की स्थापना की जो सैनिक-संतों का विशिष्ट समूह था।
  - खालसा (Khalsa) प्रतिबद्धता, समर्पण और सामाजिक विवेक के सर्वोच्च सिख गुणों को उजागर करता है तथा ये पंथ की पाँच निर्धारित भौतिक वस्तुओं को धारण करते हैं, जो हैं:
  - केश (बिना कटे बाल), कंघा (लकड़ी की कंघी), कड़ा (एक लोहे का कंगन), कच्छा (सूती जांघिया) और कृपाण (एक लोहे का खंजर)।
  - यह उपदेश देता है कि विभिन्न नस्ल, धर्म या लिंग के लोग भगवान की नज़र में समान हैं।

नोट :

- सिख साहित्य:
  - आदि ग्रंथ को सिखों द्वारा शाश्वत गुरु का दर्जा दिया गया है और इसी कारण इसे 'गुरु ग्रंथ साहिब' के नाम से जाना जाता है।
  - दशम ग्रंथ के साहित्यिक कार्य और रचनाओं को लेकर सिख धर्म के अंदर कुछ संदेह और विवाद है।

सिख धर्म के दस गुरु

• गुरु नानक देव (1469-1539)	• ये सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। • इन्होंने 'गुरु का लंगर' की शुरुआत की। • वह बाबर के समकालीन थे। • गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर को शुरू किया गया था।
• गुरु अंगद (1504-1552)	• इन्होंने गुरुमुखी नामक नई लिपि का आविष्कार किया और 'गुरु का लंगर' प्रथा को लोकप्रिय बनाया।
• गुरु अमर दास (1479-1574)	• इन्होंने आनंद कारज विवाह (Anand Karaj Marriage) समारोह की शुरुआत की। • इन्होंने सिखों के बीच सती और पर्दा व्यवस्था जैसी प्रथाओं को समाप्त कर दिया। • ये अकबर के समकालीन थे।
• गुरु राम दास (1534-1581)	• इन्होंने वर्ष 1577 में अकबर द्वारा दी गई ज़मीन पर अमृतसर की स्थापना की। • इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) का निर्माण शुरू किया।
• गुरु अर्जुन देव (1563-1606)	• इन्होंने वर्ष 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। • इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा किया। • वे शाहिदीन-दे-सरताज (Shaheeden-de-Sartaj) के रूप में प्रचलित थे। • इन्हें जहाँगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में मार दिया।
• गुरु हरगोबिंद (1594-1644)	• इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया। इन्हें "सैनिक संत" (Soldier Saint) के रूप में जाना जाता है। • इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर शहर को मज़बूत किया। • इन्होंने जहाँगीर और शाहजहाँ के खिलाफ युद्ध छेड़ा।
• गुरु हर राय (1630-1661)	• ये शांतिप्रिय व्यक्ति थे और इन्होंने अपना अधिकांश जीवन औरंगज़ेब के साथ शांति बनाए रखने तथा मिशनरी काम करने में समर्पित कर दिया।

नोट :

• गुरु हरकिशन (1656-1664)	• ये अन्य सभी गुरुओं में सबसे कम आयु के गुरु थे और इन्हें 5 वर्ष की आयु में गुरु की उपाधि दी गई थी। • इनके खिलाफ औरंगज़ेब द्वारा इस्लाम विरोधी कार्य के लिये सम्मन जारी किया गया था।
• गुरु तेग बहादुर (1621-1675)	• इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की।
• गुरु गोबिंद सिंह (1666-1708)	• इन्होंने वर्ष 1699 में 'खालसा' नामक योद्धा समुदाय की स्थापना की।

- इन्होंने एक नया संस्कार "पाहुल" (Pahul) शुरू किया।
- वह बहादुर शाह के साथ एक कुलीन के रूप में शामिल हुए।
- ये मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे और इन्होंने 'गुरु ग्रंथ साहिब' को सिखों के गुरु के रूप में नामित किया।

सी. राजगोपालाचारी

प्रमुख बिंदु

हाल ही में 'सी. राजगोपालाचारी' की 143वीं जयंती मनाई गई।

- उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान तथा प्रशासनिक एवं बौद्धिक कौशल के लिये याद किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
  - राजाजी के नाम से मशहूर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर, 1878 को हुआ था।
  - उन्होंने मद्रास (अब चेन्नई) में प्रेसीडेंसी कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और वर्ष 1900 में 'सेलम' में अपनी प्रैक्टिस शुरू की।
  - वर्ष 1916 में 'उन्होंने तमिल साइंटिफिक टर्म्स सोसाइटी' का गठन किया, यह एक ऐसा संगठन जिसने रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, खगोल विज्ञान और जीव विज्ञान के वैज्ञानिक शब्दों का सरल तमिल शब्दों में अनुवाद किया।
  - वह वर्ष 1917 में सलेम की नगर पालिका के अध्यक्ष बने और वहाँ दो वर्ष तक सेवा की।
  - वर्ष 1955 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
  - 25 दिसंबर, 1972 को उनका निधन हो गया।

राजनीतिक जीवन

- स्वतंत्रता से पूर्व:
  - वह भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस में शामिल हुए और वहाँ उन्होंने कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया।
  - वर्ष 1917 में उन्होंने देशद्रोह के आरोपों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्त्ता- पी. वरदराजुलु नायडू का बचाव किया।
  - उन्हें वर्ष 1937 में मद्रास प्रेसीडेंसी के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था।
  - वर्ष 1939 में राजगोपालाचारी ने अस्पृश्यता और जातिगत पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिये एक कदम उठाया और मद्रास मंदिर प्रवेश प्राधिकरण और क्षतिपूर्ति अधिनियम जारी किया।
    - मद्रास मंदिर प्रवेश प्राधिकरण के बाद दलितों को मंदिरों के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी गई।
  - विभाजन के समय उन्हें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था।
  - वर्ष 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की अनुपस्थिति के दौरान अंतिम ब्रिटिश वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी को अस्थायी रूप से पद संभालने के लिये चुना गया था।
    - इसलिये वह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे।

नोट :

- स्वतंत्रता के पश्चात:
  - राजगोपालाचारी ने अप्रैल 1952 में मद्रास के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला।
  - मद्रास के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने शिक्षा प्रणाली में सुधार और समाज में बदलाव लाने में सक्रिय रूप से भाग लिया।
    - उन्होंने तमिल स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य भाषा भी बनाया।
    - उनके इस कदम से उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद राजगोपालाचारी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
  - वह सामाजिक रूढ़िवादी थे लेकिन मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था का समर्थन करते थे।
    - वह वर्ण व्यवस्था को समाज में पुन: लाना चाहते थे।
    - वह समाज के लिये धर्म के महत्त्व में विश्वास करते थे।
  - वर्ष 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु के बाद राजगोपालाचारी को गृह मंत्री बनाया गया था।
  - वर्ष 1959 में, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की।
- स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:
  - असहयोग आंदोलन:वह महात्मा गांधी से पहली बार वर्ष 1919 में मद्रास (अब चेन्नई) में मिले और गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया।
    - वर्ष 1920 में उन्हें वेल्लोर में दो साल की जेल भी हुई थी।
    - जेल से रिहा होने के बाद, उन्होंने गांधी के हिंदू-मुस्लिम सद्भाव और अस्पृश्यता के उन्मूलन के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिये अपना आश्रम खोला।
    - वे खादी के भी समर्थक थे।
  - वायकोम सत्याग्रह: वे अस्पृश्यता के खिलाफ वायकोम सत्याग्रह आंदोलन (Vaikom Satyagraha Movement) में भी शामिल थे।
  - दांडी मार्च: वर्ष 1930 में जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिये दांडी मार्च का नेतृत्व किया, तो राजगोपालाचारी ने मद्रास प्रेसीडेंसी दांडी मार्च के समर्थन में वेदारण्यम में एक मार्च निकाला।
    - वह गांधी के अखबार यंग इंडिया के संपादक भी बने।
  - भारत छोड़ो आंदोलन: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, राजगोपालाचारी ने गांधी का विरोध किया।
    - उनका विचार था कि अंग्रेज अंतत: देश छोड़ने ही वाले थे तो एक और सत्याग्रह शुरू करना एक अच्छा निर्णय नहीं था।
- साहित्यिक योगदान:
  - इस पुस्तक ने 1958 में तमिल भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता।
    - उन्होंने रामायण का तमिल अनुवाद लिखा, जिसे बाद में चक्रवर्ती थिरुमगन के रूप में प्रकाशित किया गया।

नोट :

सामाजिक न्याय

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना

चर्चा में क्यों ?

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) पेंशन योजना के तहत लगभग 46 लाख असंगठित श्रमिकों (Unorganised Workers) का पंजीकरण किया गया है।

असंगठित श्रमिक (Unorganised Worker)

- असंगठित श्रमिकों में प्रमुख रूप से रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर्स, मिड डे मील श्रमिक, हेड लोडर, ईंट भट्ठा श्रमिक, मोची, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, घर से काम करने वाले श्रमिक, स्व-कर्मचारी, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, ऑडियो-वीडियो श्रमिक या इसी तरह के अन्य व्यवसायों में कार्यरत लोगों को शामिल किया जाता है।
- देश में ऐसे वर्गों में शामिल असंगठित श्रमिकों की संख्या 45 करोड़ अनुमानित हैं।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - PM-SYM श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और भारतीय जीवन बीमा निगम तथा सामुदायिक सेवा केंद्रों (CSC) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
    - जीवन बीमा निगम (LIC) पेंशन फंड मैनेजर (Pension Fund Manager) होगी और पेंशन भुगतान के लिये उत्तरदायी होगी।
- पात्रता:
  - एक असंगठित श्रमिक (UW) होना चाहिये।
  - मासिक आय 15000 रुपए या उससे कम।
  - प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच।
  - मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता और आधार नंबर होना चाहिये।
  - नई पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लाभ के अंतर्गत कवर न किया गया हो।
  - आयकर दाता नहीं होना चाहिये।
- प्रमुख विशेषताएँ:
  - न्यूनतम निश्चित पेंशन (Minimum Assured Pension):
    - PM-SYM के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3,000 रुपए की निश्चित पेंशन मिलेगी।
  - परिवार को पेंशन (Family Pension):
    - यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता (subscriber) की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50 प्रतिशत राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवनसाथी (Spouse) को मिलेगी।
    - यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले) हो जाती है तो लाभार्थी का जीवनसाथी योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है।

नोट :

- अंशदान:
  - अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता/जनधन खाता से 'ऑटो डेबिट' (auto-debit) सुविधा के माध्यम से किया जाएगा।
  - PM-SYM 50:50 के अनुपात के आधार पर एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें निर्धारित आयु विशेष अंशदान (Age-Specific Contribution) लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और जमा राशि के अनुसार बराबर का अंशदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
- असंगठित क्षेत्र के लिये अन्य सरकारी योजनाएँ:
  - श्रम सुधार
  - प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (PMRPY)
  - पीएम स्वनिधि: स्ट्रीट वेंडर्स हेतु माइक्रो क्रेडिट स्कीम
  - आत्मनिर्भर भारत अभियान
  - दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
  - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)
  - एक राष्ट्र एक राशन कार्ड
  - आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना
  - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
  - भारत के अनौपचारिक मज़दूर वर्ग को विश्व बैंक का समर्थन

विश्व असमानता रिपोर्ट 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी 'विश्व असमानता रिपोर्ट 2022' के अनुसार, भारत अब दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है।

- यह रिपोर्ट 'वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब' द्वारा जारी की गई है, जिसका उद्देश्य वैश्विक असमानता गतिशीलता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है।
- यह रिपोर्ट वैश्विक असमानताओं को ट्रैक करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयासों का सबसे अपडेटेड संश्लेषण प्रस्तुत करती है।

प्रमुख बिंदु

- प्रमुख निष्कर्ष
  - संपत्ति का वितरण
    - दुनिया की सबसे गरीब आधी आबादी के पास 'मुश्किल से कोई संपत्ति है' (कुल संपत्ति का मात्र 2%), जबकि दुनिया की सबसे अमीर 10% आबादी के पास कुल संपत्ति का 76% हिस्सा मौजूद है।
    - मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA) दुनिया के सबसे असमान क्षेत्र हैं, जबकि यूरोप में असमानता का स्तर सबसे कम है।
  - लैंगिक असमानता
    - श्रम/कार्य से होने वाली कुल आय (श्रम आय) में महिलाओं की हिस्सेदारी वर्ष 1990 में लगभग 30% थी, जो अब बढ़कर 35% तक पहुँच गई है।
    - रिपोर्ट के मुताबिक, विभिन्न देशों के भीतर मौजूद असमानता, विभिन्न देशों के बीच देशों के बीच मौजूद असमानता से अधिक हैं।
    - मौजूदा समय में देशों के भीतर शीर्ष 10% और निचले 50% व्यक्तियों की औसत आय के बीच का अंतर लगभग दोगुना हो गया है।
  - अमीर देश गरीब सरकारें:
    - पिछले 40 वर्षों में कई देश काफी अमीर हो गए हैं, लेकिन उनकी सरकारें काफी गरीब हो गई हैं।

नोट :

- वर्तमान में सरकारों की कम संपत्ति का भविष्य में असमानता से निपटने के लिये राज्य की क्षमताओं के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन जैसी 21वीं सदी की प्रमुख चुनौतियों के लिये महत्त्वपूर्ण निहितार्थ हैं।

- असमानता पर कोविड संकट का प्रभाव:
  - कोविड-19 महामारी और उसके बाद आए आर्थिक संकट ने सभी वैश्विक स्तर पर सभी देशों को प्रभावित किया, लेकिन इसके कारण सभी देश अलग-अलग स्तर पर प्रभवित हुए हैं।
  - यूरोप, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की (-6% और -7.6% के बीच) जबकि पूर्वी एशिया (जहाँ महामारी की शुरुआत हुई) वर्ष 2019 के स्तर पर अपनी वर्ष 2020 की आय को स्थिर करने में सफल रही।

- भारत-विशिष्ट निष्कर्ष
  - संपत्ति का वितरण
    - भारत एक गरीब और अत्यधिक असमान देश है।
    - शीर्ष 1% आबादी के पास वर्ष 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का पाँचवाँ मौजूद था और नीचे के आधे हिस्से के पास मात्र 13% हिस्सा था।
    - भारत द्वारा अपनाए गए आर्थिक सुधारों और उदारीकरण ने अधिकतर शीर्ष 1% को लाभान्वित किया है।
  - औसत घरेलू संपत्ति
    - भारत में औसत घरेलू संपत्ति 983,010 रुपए है। यह देखा गया है कि 1980 के दशक के मध्य से लागू की गई उदारीकरण नीतियों ने 'दुनिया में देखी गई आय एवं धन असमानता में सबसे चरम वृद्धि में योगदान दिया है।
  - लैंगिक असमानता
    - महिला श्रम आय का हिस्सा 18% के बराबर है, जो एशिया में औसत [21%, चीन को छोड़कर] से काफी कम है और यह दुनिया में सबसे कम में से एक है।
  - कार्बन इनिक्वेलिटी
    - भारत एक न्यून कार्बन उत्सर्जक है। ग्रीनहाउस गैस की प्रति व्यक्ति औसत खपत सिर्फ 2-CO_2e के बराबर है।
    - "कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य" या "CO_2e" एक सामान्य इकाई में विभिन्न ग्रीनहाउस गैसों का वर्णन करने के लिये एक शब्द है।
    - ये स्तर आमतौर पर उप-सहारा अफ्रीकी देशों में कार्बन पदचिह्नों के तुलनीय हैं।
    - भारत में आबादी के निचले 50% में मौजूद एक व्यक्ति, यूरोपीय संघ में निचले 50% में मौजूद व्यक्ति की तुलना में 5 गुना कम और अमेरिका में निचले 50% की तुलना में 10 गुना कम उत्सर्जन करता है।
  - निजी संपत्ति में वृद्धि:
    - चीन और भारत जैसे विकासशील देशों में निजी संपत्ति में वृद्धि हुई है।
    - चीन में हाल के दशकों में निजी संपत्ति में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। इस समय के दौरान भारत में देखी गई निजी संपत्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि (1980 के स्तर 290% से बढ़कर 2020 में 560%) हुई है।

- सुझाव:
  - रिपोर्ट में करोड़पतियों पर मामूली प्रगतिशील संपत्ति कर लगाने का सुझाव दिया गया है।
  - बड़ी मात्रा में धन संकेंद्रण के मद्देनज़र प्रगतिशील कर सरकारों के लिये महत्त्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं।

- संबंधित रिपोर्ट:
  - इंडिया इनइक्वेलिटी रिपोर्ट 2021:
    - हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया (Oxfam India) द्वारा जारी "इंडिया इनइक्वेलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज़ अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी" (India Inequality Report 2021: India's Unequal Healthcare Story) शीर्षक वाली रिपोर्ट से पता चलता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ व्याप्त हैं और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) की अनुपस्थिति के कारण हाशिये पर रहने वाले समुदायों के स्वास्थ्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

नोट :

- बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI):
  - नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के अनुसार, भारत में प्रत्येक चार में से एक व्यक्ति बहुआयामी गरीब था।

"वर्ल्ड इनिक्वेलिटी लैब' (World Inequality Lab)

- परिचय:
  - यह दुनिया भर में असमानता के अध्ययन पर केंद्रित एक शोध प्रयोगशाला है। वर्ल्ड इनिक्वेलिटी लैब (WIL) 'विश्व असमानता रिपोर्ट' (World Inequality Report) को जारी करता है, जो वैश्विक असमानता की गतिशीलता पर सबसे व्यापक सार्वजनिक डेटाबेस है।
  - यह साक्ष्य-आधारित शोध के माध्यम से दुनिया भर में असमानता की गतिशीलता को समझने में मदद करने हेतु प्रतिबद्ध सामाजिक वैज्ञानिकों को एक मंच प्रदान करता है।
- मिशन:
  - विश्व असमानता डेटाबेस का विस्तार
  - वर्किंग पेपर्स, रिपोर्ट्स और मेथडोलॉजिकल हैंडबुक्स का प्रकाशन
  - अकादमिक परिक्षेत्र और सार्वजनिक संवाद में प्रसार

विश्व मानवाधिकार दिवस

चर्चा में क्यों

विश्व भर में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है।

- इस वर्ष की शुरुआत में जारी 'फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021' की रिपोर्ट में भारत का दर्जा 'स्वतंत्र' से घटाकर 'आंशिक रूप से स्वतंत्र' कर दिया गया था।

प्रमुख बिंदु

- मानवाधिकार दिवस
  - परिचय:
    - 10 दिसंबर को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) को अपनाया था।
    - मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) के तहत मानवीय दृष्टिकोण और राज्य तथा व्यक्ति के बीच संबंध को लेकर कुछ सामान्य बुनियादी मूल्यों का एक सेट स्थापित किया है।
  - वर्ष 2021 की थीम::
    - "समानता - असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना" ("EQUALITY–Reducing inequalities, advancing human rights")।
  - उद्देश्य:
    - समानता, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और मानव गरिमा की सुरक्षा को बढ़ावा देना। प्रत्येक व्यक्ति जाति, रंग, धर्म, लिंग, भाषा या सामाजिक स्थिति के भिन्न होने के बावजूद मानवाधिकारों का हकदार है।
- मानवाधिकार:
  - सरल शब्दों में कहें तो मानवाधिकारों का आशय ऐसे अधिकारों से है जो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किये बिना सभी को प्राप्त होते हैं।
  - मानवाधिकारों में मुख्यत: जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि शामिल हैं।

नोट :

- मानवाधिकारों के संबंध में नेल्सन मंडेला ने कहा था, 'लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है।'

- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अभिसमय और निकाय:
  - मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR):
    - इसके अंतर्गत अधिकारों और स्वतंत्रताओं से संबंधित कुल 30 अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और गोपनीयता जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं।
    - भारत ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) के प्रारूपण में सक्रिय भूमिका निभाई थी।
    - यह किसी भी प्रकार की संधि नहीं है, अत: यह प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी देश के लिये कानूनी दायित्त्व निर्धारित नहीं करता है।
    - मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR), इंटरनेशनल कान्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कान्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट तथा इसके दो वैकल्पिक प्रोटोकॉल्स को संयुक्त रूप से 'अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक' (International Bill of Human Rights) के रूप में जाना जाता है।
  - अन्य अभिसमय:
    - इसमें शामिल हैं:
    - कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ़ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड (वर्ष 1948)
    - इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेसियल डिस्क्रिमिनेशन (वर्ष 1965)
    - कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्सट विमेन (वर्ष 1979)
    - बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (वर्ष 1989)
    - विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (वर्ष 2006)
    - ध्यातव्य है कि भारत इन सभी कन्वेंशन्स का हिस्सा है।
  - मानवाधिकार परिषद:
    - मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है जो कि मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण की दिशा में कार्य करती है। यह संयुक्त राष्ट्र के 47 सदस्य देशों से मिलकर बनी है, जिनका चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है।
    - सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (UPR) प्रकिया को मानवाधिकार परिषद का सबसे अनूठा प्रयास माना जाता है। इस अनूठे तंत्र के अंतर्गत प्रत्येक चार वर्ष में एक बार संयुक्त राष्ट्र के सभी 192 सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा की जाती है।
    - मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय (OHCHR) मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
  - एमनेस्टी इंटरनेशनल :
    - यह मानवाधिकारों की वकालत करने वाले कुछ स्वयंसेवकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।.

भारत में मानवाधिकार

- संवैधानिक प्रावधान:
  - मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) में उल्लिखित लगभग सभी अधिकारों को भारतीय संविधान में दो हिस्सों (मौलिक अधिकार और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत) में शामिल किया गया है।
    - मौलिक अधिकार: संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है।
    - राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत: संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोज़गार चयन का अधिकार, बेरोज़गारी के विरुद्ध सुरक्षा, समान काम तथा समान वेतन का अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार तथा मुफ्त कानूनी सलाह का अधिकार आदि शामिल हैं।

नोट :

- सांविधिक प्रावधान:
  - मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की बात कही गई है, जो कि संविधान में प्रदान किये गए मौलिक अधिकारों के संरक्षण और उससे संबंधित मुद्दों के लिये राज्य मानवाधिकार आयोगों और मानवाधिकार न्यायालयों का मार्गदर्शन करेगा।
- संबंधित पहलें:
  - गरीबों के लिये:
    - जन धन योजना
    - रुपे कार्ड
    - उज्ज्वला गैस कनेक्शन
    - पीएम-केयर फॉर चिल्ड्रन' योजना
  - दिव्यांगजनों के लिये:
    - दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता योजना
    - सुगम्य भारत अभियान: दिव्यांगजनों के लिये सुगम वातावरण का निर्माण
    - दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना
  - प्रवासियों के लिये:
    - एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड

मानव अधिकारों का उल्लंघन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित आँकड़े राज्यसभा में सार्वजनिक किये।

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों में (31 अक्तूबर 2021 तक) प्रतिवर्ष दर्ज किये गए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में से लगभग 40% उत्तर प्रदेश से संबंधित थे।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - मानवाधिकारों का उल्लंघन विचार और आंदोलन की स्वतंत्रता की अस्वीकृति है जिस पर सभी मनुष्यों का कानूनी रूप से अधिकार है।
  - जबकि व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, नेतृत्वकर्त्ता या सरकार अक्सर हाशिये पर रहने वाले व्यक्तियों को कम आँकती है।
  - यह हाशिये पर रहने वाले व्यक्तियों को गरीबी और उत्पीड़न के चक्र में डाल देता है। जो व्यक्ति जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि सभी मानव जीवन समान मूल्य के नहीं हैं, वे इस चक्र को बनाए रखते हैं।
- उदाहरण:
  - लोगों को उनके घरों से ज़बरन बेदखल करना (पर्याप्त आवास का अधिकार)।
  - दूषित जल (स्वास्थ्य का अधिकार)
  - मानवीय जीवन के लिये पर्याप्त न्यूनतम मज़दूरी सुनिश्चित करने में विफलता (काम का अधिकार)
  - देश में सभी क्षेत्रों और समुदायों में भुखमरी को रोकने में विफलता (भूख से मुक्ति)।
- मानवाधिकार उल्लंघन के प्रकार:
  - प्रत्यक्ष या जानबूझकर:
    - उल्लंघन या तो राज्य द्वारा जानबूझकर किया जा सकता है और या राज्य द्वारा उल्लंघन को रोकने में विफल रहने के परिणामस्वरूप हो सकता है।

नोट :

- जब कोई राज्य मानवाधिकारों के उल्लंघन में संलग्न होता है, तो पुलिस, न्यायाधीश, अभियोजक, सरकारी अधिकारी और अन्य जैसे विभिन्न अभिनेता शामिल हो सकते हैं।
- उल्लंघन प्रकृति में शारीरिक रूप से हिंसक हो सकता है, जैसे कि पुलिस की बर्बरता, जबकि निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार जैसे अधिकारों का भी उल्लंघन किया जा सकता है, जहाँ कोई शारीरिक हिंसा शामिल नहीं है।

◆ अधिकारों की रक्षा करने में राज्य की विफलता:

- यह तब होता है जब किसी समाज के भीतर व्यक्तियों या समूहों के बीच संघर्ष होता है।
- यदि राज्य कमज़ोर लोगों और समूहों में हस्तक्षेप करने एवं उनकी रक्षा करने के लिये कुछ नहीं करता है, तो यह प्रतिक्रिया उल्लंघन मानी जाएगी।
- अमेरिका में राज्य श्वेत अमेरिकियों की रक्षा करने में विफल रहा जब देश भर में अक्सर लिंचिंग होती रही।

● भारत में वर्तमान परिदृश्य:

◆ कुल उल्लंघन:

- भारत में NHRC द्वारा दर्ज़ अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की कुल संख्या 2018-19 में 89,584 से घटकर 2019-20 में 76,628 और 2020-21 में 74,968 हो गई।
- 2021-22 में 31 अक्तूबर (2021) तक 64,170 मामले दर्ज़ किये गए।

◆ जाति-आधारित भेदभाव और हिंसा:

- पिछले वर्ष जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, 2009 से 2018 तक दलितों के खिलाफ अपराधों में 6% की वृद्धि हुई, जिसमें 3.91 लाख से अधिक घटनाएँ देखी गई।

◆ सांप्रदायिक और जातीय हिंसा:

- कई लोगों पर गोरक्षा समूहों द्वारा हमला किया गया था और प्रभावित लोगों में से कई अल्पसंख्यक समूह के थे।
- अफ्रीकी देशों के लोगों को भारत में नस्लवाद और भेदभाव का सामना करना पड़ा।

◆ संघ की स्वतंत्रता:

- सरकार द्वारा कई नागरिक समाज संगठनों के पंजीकरण को निरस्त कर दिया गया, जो विशेष रूप से उन्हें विदेशी धन प्राप्त करने से रोकते थे, भले ही संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) ने दावा किया कि यह कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं थी।

◆ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:

- कई लोगों को सरकार की नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त करने के लिये राजद्रोह कानून के तहत गिरफ्तार किया गया और कई भारतीयों को फेसबुक पर टिप्पणी करने पर गिरफ्तार किया गया था।.

◆ महिला के विरुद्ध हिंसा:

- हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey- NFHS) 5, की रिपोर्ट राज्य में महिलाओं के खिलाफ घरेलू और यौन हिंसा के बढ़ते मामलों की ओर इशारा करती है।
- कर्नाटक में घरेलू हिंसा के मामलों में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, जबकि NFHS-4 में यहाँ घरेलू हिंसा के 20.6% मामले दर्ज किये गए थे और NFHS-5 में यह आँकड़ा 44.4% हो गया है।

◆ बच्चों से संबंधित अधिकार:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) के आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2020 में भारत में बच्चों के खिलाफ कुल 1,28,531 अपराध दर्ज़ किये गए थे, जिसका अर्थ है कि महामारी के दौरान हर दिन औसतन 350 ऐसे मामले दर्ज़ किये गए थे।

आगे की राह

● दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा के लिये एक स्थायी, व्यावहारिक और प्रभावी तरीका अपनाना जो स्थानीय मूल्यों तथा संस्कृति को भी बरकरार रखने में भी सक्षम हो।

नोट :

- मनुष्य को आपसी मतभेदों की पहचानना चाहिये तथा एक-दूसरे को समझते हुए इन्हें पहचानकर परिवर्तन करने की प्रयास करना चाहिये।
- छोटी-छोटी पहलों की शुरुआत करना, जैसे- बलात्कार, हिंसा और भेदभाव के शिकार लोगों की स्थितियों को समझते हुए दोषपूर्ण संस्कृति से बाहर निकालना। इस प्रकार का विस्तृत दृष्टिकोण इन परिस्थितियों के प्रति अधिक प्रभावशाली साबित हो सकता है।
  - इन सबके बाद ही मानवाधिकारों के उल्लंघन के उदाहरण मानवीय दया एवं सहानभूति की मिसाल विकसित कर सकते हैं।

मैं भी डिजिटल 3.0' अभियान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि' योजना के तहत 'मैं भी डिजिटल 3.0' अभियान शुरू किया।

प्रमुख बिंदु

- मैं भी डिजिटल 3.0
  - यह स्ट्रीट वेंडर्स के लिये डिजिटल ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग (DOaT) हेतु एक विशेष अभियान है।
  - इसका उद्देश्य उन स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल रूप से शामिल करना है, जिन्हें पहले ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्रदान किया जा चुका है।
  - इसके तहत ऋण देने वाली संस्थाओं (LIs) को संवितरण के समय एक स्थायी क्यूआर कोड और 'एकीकृत भुगतान इंटरफेस' (UPI) आईडी जारी करने और डिजिटल लेनदेन के संचालन में लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया गया है।
  - इस योजना के कार्यान्वयन के लिये एक एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स सीधे प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिये आवेदन कर सकते हैं।
- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि
  - परिचय:
    - इसे आत्मानिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन- II के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।
    - इसे 1 जून, 2020 से लागू किया गया है, ताकि स्ट्रीट वेंडरों को उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिये किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जा सके, जो कोविड -19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। इसे 700 करोड़ रुपए के स्वीकृत बजट के साथ लागू किया गया था।
  - उद्देश्य
    - 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित करना, जो 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग कर रहे थे, जिनमें आसपास के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी शामिल थे।
    - 1,200 रुपए प्रति वर्ष की राशि तक कैश-बैक प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना।।
    - 31 जनवरी, 2021 तक, पीएम स्वनिधि योजना के तहत 13.82 लाख लाभार्थियों को 1,363.88 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किये गये हैं।
  - विशेषताएँ:
    - विक्रेता 10,00 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जो एक वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है।
    - ऋण को समय पर/जल्दी चुकता करने पर, त्रैमासिक आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 7% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी जमा की जाएगी।
    - ऋण की शीघ्र अदायगी पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। विक्रेता ऋण की समय पर/शीघ्र अदायगी पर बढ़ी हुई ऋण सीमा की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

नोट :

- चुनौतियाँ:
  - कई बैंक 100 और रु. 500. रुपए के बीच के आवेदन स्टांप पेपर पर मांग रहे हैं।
  - बैंकों द्वारा पैन कार्ड मांगने और यहाँ तक कि आवेदकों के CIBIL या क्रेडिट स्कोर की जाँच करने अथवा राज्य के अधिकारियों द्वारा मतदाता पहचान पत्र मांगने के भी मामले सामने आए हैं, जबकि प्राय: प्रवासी विक्रेता अपने साथ ये दस्तावेज़ नहीं रखते हैं।
  - CIBIL स्कोर किसी के क्रेडिट इतिहास का मूल्यांकन है और ऋण के लिये उनकी पात्रता निर्धारित करता है।
  - पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न की शिकायतें भी सामने आई हैं।

स्ट्रीट वेंडर्स के लिये अन्य पहलें:

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
- जन-धन योजना।
- भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।

आगे की राह:

- PM SVANidhi योजना स्थायी होनी चाहिये: इसे 'अल्ट्रा-सूक्ष्म उद्योगों' (स्ट्रीट वेंडर्स) के लिये एक स्थायी विकास योजना के रूप में फिर से तैयार किया जाना चाहिये। यह उन्हें स्थायी आधार पर ऋण प्राप्त करने की अनुमति देगा।
- निगरानी समितियों में अखिल भारतीय विक्रेता प्रतिनिधियों को शामिल करना: पीएम स्वनिधि योजना दिशा-निर्देशों की धारा 19 (इसकी प्रगति का आकलन करने के लिये केंद्रीय, राज्य और स्थानीय निगरानी समितियों की स्थापना) को संशोधित किया जाना चाहिये ताकि वेंडर यूनियनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सके। ये योजना की अवधारणा में शामिल थे, इसलिये इसके कार्यान्वयन में भी शामिल किया जाना चाहिये।
- स्थानीय प्रशासन का स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के अनुसार काम करना: स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014 में विभिन्न ज़िलों में टीवीसी (टाउन वेंडिंग कमेटी) के गठन की परिकल्पना की गई है ताकि सरकार द्वारा पहचाने गए सभी स्ट्रीट वेंडर्स को मानदंडों के अधीन वेंडिंग ज़ोन में समायोजित किया जा सके।
  - विक्रेताओं की व्यापक बेदखली और उत्पीड़न से बचने के लिये योजना के साथ-साथ संबंधित प्रक्रियाओं जैसे कि वेंडिंग ज़ोन घोषित करना, राज्य के नियमों, योजनाओं और उप-नियमों का मसौदा तैयार करने को भी इस अधिनियम के तहत शामिल किया जाना चाहिये।

व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों ?

इंडियन लीडरशिप फोरम अगेंस्ट ट्रैफिकिंग' (ILFAT) ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) मसौदा विधेयक 2021 की कमियों की पहचान संबंधी पत्र लिखा है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्तावित किये जानेकी उम्मीद है।

प्रमुख बिंदु

- विधेयक से संबंधित मुद्दें:
  - विधेयक पीड़ितों को पुनर्वास की सुविधा प्रदान करता है, जबकि यह आश्रय गृहों (Shelter Homes) से परे राहत का विस्तार नहीं करता है।
    - एक समुदाय आधारित पुनर्वास मॉडल की मांग है जो स्वास्थ्य सेवाएँ, कानूनी सहायता, कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच और आय के अवसर प्रदान करता है जो "पीड़ितों का उनके समुदाय तथा परिवार में फिर से एकीकरण" सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

- संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों के अनुसार, यह विधेयक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के अनुरूप नहीं था।
- यह विधेयक सेक्स वर्क और प्रवासन को तस्करी की तरह ही उल्लिखित करता है लेकिन इनकी स्थितियाँ कुछ अलग होती है।
- अवैध व्यापार को मानव अधिकार के पूरक के बजाय आपराधिक कानून के नजरिए से संबोधित करने तथा पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण के लिये विधेयक की आलोचना की गई थी।
- पुलिस द्वारा "बचाव के नाम पर छापे मारने को बढ़ावा देने के साथ-साथ पुनर्वास के नाम पर पीड़ितों के संस्थागतकरण के लिये भी इसकी आलोचना की गई थी।
- विधेयक में बताया गया था कि कुछ अस्पष्ट प्रावधानों से उन गतिविधियों का व्यापक अपराधीकरण हो जाएगा जो अनिवार्य रूप से तस्करी से संबंधित नहीं हैं।

- नए विधेयक में प्रावधान:
  - इसका विस्तार देश के भीतर और साथ ही भारत के बाहर निवास करने वाले सभी नागरिकों तक है।
    - भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज़ या विमान पर व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी हो या भारतीय नागरिकों को कहीं भी ले जा रहा हो,
    - एक विदेशी नागरिक या एक राज्य विहीन व्यक्ति जिसका इस अधिनियम के तहत अपराध किये जाने के समय भारत में उसका निवास स्थान हो और
    - यह कानून सीमा-पार प्रभाव वाले व्यक्तियों की तस्करी के प्रत्येक अपराध पर लागू होगा।
    - यह विधेयक सीमा पार प्रभाव के साथ व्यक्तियों की तस्करी के प्रत्येक अपराध पर कानून लागू होगा।
  - विधेयक में शामिल पीड़ित:
    - यह पीड़ितों के रूप में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से आगे बढ़कर अब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी शामिल करता है जो तस्करी का शिकार हो सकते हैं।
    - यह पीड़ित के रूप में परिभाषित करने के लिये पीड़ित को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता जैसे प्रावधान को भी समाप्त करता है।
  - 'शोषण' को परिभाषित करता है:
    - वेश्यावृत्ति शोषण या अश्लील साहित्य सहित यौन शोषण के अन्य रूप, शारीरिक शोषण से संबंधित कोई भी कार्य, जबरन श्रम या सेवाएँ, दासता या दासता के समान व्यवहार, जबरन अंग प्रत्यावर्तन, अवैध नैदानिक दवा परीक्षण या अवैध जैव-चिकित्सा अनुसंधान आदि को भी शामिल करता है।
  - अपराधी के रूप में सरकारी अधिकारी:
    - अपराधी के रूप में सरकारी अपराधियों में रक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ या प्राधिकार की स्थिति में कोई भी शामिल होगा।
  - दंड/जुर्माना:
    - तस्करी के अधिकतर मामलों में कम-से-कम सात वर्ष की सज़ा का प्रावधान है जिसे 10 वर्षों तक की कैद और 5 लाख रुपए के जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है।
    - एक से अधिक बच्चों की तस्करी के मामले में वर्तमान में आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है।
  - धन शोधन अधिनियम से समानता:
    - इस तरह की आय के माध्यम से खरीदी गई संपत्ति के साथ-साथ तस्करी के लिये उपयोग की जाने वाली संपत्ति को अब धन शोधन अधिनियम के समान प्रावधानों के साथ ज़ब्त किया जा सकता है।
  - जाँच एजेंसी:
    - राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency- NIA) मानव तस्करी की रोकथाम और उससे निपटने हेतु उत्तरदायी राष्ट्रीय जाँच तथा समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
  - राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी समिति:
    - एक बार कानून बन जाने के बाद केंद्र इस कानून के प्रावधानों के समग्र प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये एक राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी समिति को अधिसूचित और स्थापित करेगा।

नोट :

- इस समिति में विभिन्न मंत्रालयों का प्रतिनिधित्त्व होगा, जिसमें गृह सचिव अध्यक्ष और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव सह-अध्यक्ष के रूप में होंगे।
- राज्य एवं ज़िला स्तर पर मानव तस्करी-रोधी समितियों का भी गठन किया जाएगा।

- महत्त्व:
  - विधेयक ट्रांसजेंडर समुदाय (Transgender Community) और किसी भी अन्य व्यक्ति को शामिल करता है जो स्वचालित रूप से अंगों की अवैध विक्री जैसी गतिविधियों को अपने दायरे में लाएगा।
  - साथ ही ज़बरन मज़दूरी जैसे मामले, जिसमें लोग नौकरी के लालच में दूसरे देशों में चले जाते हैं, जहाँ उनके पासपोर्ट और दस्तावेज़ छीनकर उन्हें काम पर लगाया जाता है, भी इस नए कानून के दायरे में आएँगे।

भारत में मानव तस्करी की स्थिति

- डेटा विश्लेषण:
  - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में देश में कुल 6,616, वर्ष 2018 में 5,788 और वर्ष 2017 में 5,900 मामले दर्ज किये गए।
  - दुनिया भर में मानव तस्करी के शिकार लोगों में लगभग एक-तिहाई बच्चे हैं, भारत में बच्चों के लिये यह स्थिति अधिक चिंताजनक है।
    - NCRB 2018 के आँकड़ों के अनुसार, सभी तस्करी पीड़ितों में से 51% बच्चे थे, जिनमें से 80% से अधिक लड़कियाँ थीं।
    - हाल ही में भारत में कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ बच्चों को गोद लेने, रोज़गार या आजीविका और आश्रय की आड़ में तस्करी के बढ़ते जोखिम के मामले प्रकाश में आये हैं।
- भारत में मानव तस्करी को प्रतिबंधित करने वाले कानून:
  - भारत के संविधान में अनुच्छेद 23 (1) मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है।
  - अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (ITPA) व्यावसायिक यौन शोषण के लिये तस्करी को दंडित करता है।
  - भारत बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976, बाल श्रम (निषेध और उन्मूलन) अधिनियम 1986 और किशोर न्याय अधिनियम के माध्यम से बंधुआ तथा जबरन श्रम पर भी प्रतिबंध लगाता है।
  - भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (A) और 372, क्रमशः नाबालिगों के अपहरण तथा वेश्यावृत्ति पर रोक लगाती है।
  - इसके अलावा कारखाना अधिनियम, 1948 ने श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी।
- अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, प्रोटोकॉल और अभियान:
  - अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (पलेर्मो कन्वेंशन) के एक भाग के रूप में वर्ष 2000 में व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने तथा दंडित करने के लिये प्रोटोकॉल।
  - भूमि, समुद्र और वायु द्वारा प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल।
  - मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948)।
  - ब्लू हार्ट अभियान।
  - सतत् विकास लक्ष्य।

आगे की राह:

- प्रवर्तन एजेंसियों के लिये दोहरेपन या भ्रम से बचने हेतु विधेयक को किशोर न्याय अधिनियम और अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के मौजूदा प्रावधानों के साथ बेहतर ढंग से लागू किया जाना चाहिये।
- चूँकि अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन स्पष्ट और सुसंगत नियमों पर निर्भर है, इसलिये केंद्र सरकार के लिये राज्यों द्वारा उपयोग हेतु मॉडल नियम तैयार करना उपयोगी होगा।

नोट :

स्माइल योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए यह सूचित किया कि मंत्रालय द्वारा "स्माइल- आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन" (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise-SMILE) नामक योजना तैयार की गई है।

- इसमें केंद्रीय क्षेत्रक की 'भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिये योजना' नामक एक उपयोजना भी शामिल है।
- वर्तमान में यह पायलट प्रोजेक्ट 7 शहरों दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, नागपुर और पटना में चल रहा है।

प्रमुख बिंदु

- स्माइल योजना के बारे में:
  - भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिये मौजूदा योजनाओं के विलय के बाद यह एक नई योजना है।
  - यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों के उपयोग के लिये भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिये पुनर्वास सुनिश्चित करती है।
    - मौजूदा आश्रय गृहों की अनुपलब्धता के मामले में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नए समर्पित आश्रय गृह स्थापित किये जाएँगे।
- मुख्य केंद्र:
  - इस योजना के केंद्र में बड़े पैमाने पर पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, बुनियादी दस्तावेज़, शिक्षा, कौशल विकास आदि हैं।
  - अनुमान है कि इस योजना के तहत लगभग 60,000 सबसे गरीब व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लाभान्वित किया जाएगा।
- क्रियान्वयन:
  - इसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों/स्थानीय शहरी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों (CBOs), संस्थानों और अन्य के सहयोग से लागू किया जाएगा।
- भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिये योजना:
  - यह भिक्षावृत्ति में संग्लन व्यक्तियों के जीवनस्तर में सुधार के लिये एक व्यापक योजना होगी।
  - इस योजना को चुनिंदा शहरों में पायलट आधार पर लागू किया गया है जहाँ भिखारियों की संख्या अधिक है।
  - वर्ष 2019-20 के दौरान मंत्रालय ने भिखारियों के कौशल विकास कार्यक्रमों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (NISD) को 1 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC) को 70 लाख रुपए की राशि जारी की गई।
- भारत में भिक्षावृत्ति की स्थिति:
  - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में भिखारियों की कुल संख्या 4,13,670 (2,21,673 पुरुष और 1,91,997 महिलाएँ) है और पिछली जनगणना के बाद से इस संख्या में वृद्धि हुई है।
  - पश्चिम बंगाल इस सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद क्रमश: दूसरे और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान आता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, लक्षद्वीप में भिखारियों की संख्या केवल दो है।
  - केंद्रशासित प्रदेशों में नई दिल्ली में सबसे अधिक 2,187 भिखारी थे, उसके बाद चंडीगढ़ में इनकी संख्या 121 थी।
  - पूर्वोत्तर राज्यों में असम 22,116 भिखारियों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, जबकि मिज़ोरम 53 भिखारियों के साथ निचले स्थान पर है।
  - हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम के तहत विभिन्न राज्यों में भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी से हटाने के लिये एक याचिका पर विचार करने हेतु सहमत हुआ है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC)

- NBCFDC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्त्वावधान में भारत सरकार का उपक्रम है।

नोट :

- इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत 13 जनवरी, 1992 को एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों को लाभ पहुँचाने हेतु आर्थिक एवं विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा कौशल विकास व स्वरोज़गार उपक्रमों में इन वर्गों के गरीबों की सहायता करना है।

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (NISD)

- NISD एक स्वायत्त निकाय है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR), दिल्ली सरकार के साथ 1860 के सोसायटी अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत है।
- यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक केंद्रीय सलाहकार निकाय है।
- यह सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है।
- संस्थान वर्तमान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, भिक्षावृत्ति रोकथाम, ट्रांसजेंडर और अन्य सामाजिक रक्षा संबंधी मुद्दों के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है।
- संस्थान का अधिदेश प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रलेखन के माध्यम से भारत सरकार के सामाजिक रक्षा कार्यक्रमों हेतु जानकारी प्रदान करना है।

दृष्टि The Vision

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

ग्रेटर टिपरालैंड: त्रिपुरा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में त्रिपुरा में कई आदिवासी संगठनों ने क्षेत्र में स्वदेशी समुदायों के लिये एक अलग राज्य ग्रेटर टिपरालैंड की मांग के लिये हाथ मिलाया है।

- टिपरा (TIPRA) मोथा (टिपरा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस) और IPFT (इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा) ने इस उद्देश्य के लिये एक राजनीतिक दलों का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु:

- मांग:
  - पार्टियाँ उत्तर-पूर्वी राज्य के स्थानीय समुदायों के लिये 'ग्रेटर टिपरालैंड' के रूप में एक अलग राज्य की मांग कर रही हैं।
  - वे चाहते हैं कि केंद्र संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अलग राज्य बनाए।
    - त्रिपुरा में 19 अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों में त्रिपुरी (तिप्रा और टिपरास) सबसे बड़ी है।
    - 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में कम-से-कम 5.92 लाख त्रिपुरी हैं, इसके बाद ब्रू या रियांग (1.88 लाख) और जमातिया (83,000) हैं।

अनुच्छेद 2 और 3:

- अनुच्छेद 2: संसद कानून बनाकर नए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की स्थापना ऐसे नियमों और शर्तों पर कर सकती है, जो वह ठीक समझे।
  - हालाँकि संसद कानून पारित करके एक नया केंद्रशासित प्रदेश नहीं बना सकती है, यह कार्य केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है।
  - सिक्किम जैसे राज्य (पहले भारत के भीतर नहीं) अनुच्छेद 2 के तहत देश का हिस्सा बनाया गया है।
- अनुच्छेद 3: इसके तहत संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।
- तात्कालिक कारण:
  - राजनीति में विकास मंथन के पीछे के दो प्रमुख कारण टिपरा मोथा के उदय और वर्ष 2023 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
  - त्रिपुरा 13वीं शताब्दी के अंत से वर्ष 1949 में भारत सरकार के साथ विलय पर हस्ताक्षर करने तक माणिक्य वंश द्वारा शासित एक राज्य था।
  - यह मांग राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव के संबंध में स्वदेशी समुदायों की चिंता से उपजी है जिसने उन्हें अल्पसंख्यक बना दिया है।
  - यह वर्ष 1947 से वर्ष 1971 के मध्य तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से बंगालियों के विस्थापन के कारण हुआ।
  - त्रिपुरा में आदिवासियों की जनसंख्या वर्ष 1881 के 63.77% से घटकर वर्ष 2011 तक 31.80% हो गई थी।
  - बीच के दशकों में जातीय संघर्ष और उग्रवाद ने राज्य को जकड़ लिया जो बांग्लादेश के साथ लगभग 860 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है।.
  - संयुक्त मंच ने यह भी बताया है कि स्वदेशी लोगों को न केवल अल्पसंख्यक में बदल दिया गया है, बल्कि माणिक्य वंश के अंतिम राजा बीर बिक्रम किशोर देबबर्मन द्वारा उनके लिये आरक्षित भूमि से भी उन्हें बेदखल कर दिया गया है।

नोट :

- इस मुद्दे के समाधान के लिये पहल:
  - त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त ज़िला परिषद:
    - त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त ज़िला परिषद (TTAADC) का गठन वर्ष 1985 में संविधान की छठी अनुसूची के तहत आदिवासी समुदायों के अधिकारों एवं सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और विकास सुनिश्चित करने के लिये किया गया था।
    - 'ग्रेटर टिपरालैंड' एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना करता है जिसमें संपूर्ण TTAADC क्षेत्र एक अलग राज्य होगा। यह त्रिपुरा के बाहर रहने वाले लोगों और अन्य आदिवासी समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिये समर्पित निकायों का भी प्रस्ताव करता है।
    - TTAADC, जिसके पास विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ हैं, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग दो-तिहाई हिस्से को कवर करता है।
    - परिषद में 30 सदस्य होते हैं जिनमें से 28 निर्वाचित होते हैं जबकि दो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं।
  - आरक्षण:
    - साथ ही राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 20 अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित हैं।

उत्तर पूर्व की अन्य मांगें

- ग्रेटर नगालिम (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और म्याँमार के हिस्से)
- बोडोलैंड (असम)
- जनजातीय स्वायत्तता मेघालय

आगे की राह:

- राजनीतिक विचारों के बजाय आर्थिक और सामाजिक व्यवहार्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- निरंकुश मांगों की जाँच के लिये कुछ स्पष्ट मानदंड और सुरक्षा उपाय होने चाहिये।
- धर्म, जाति, भाषा या बोली के बजाय विकास, विकेंद्रीकरण और शासन जैसी लोकतांत्रिक चिंताओं को नए राज्य की मांगों को स्वीकार करने के लिये वैध आधार देना बेहतर है।
- इसके अलावा विकास और शासन की कमी जैसी मूलभूत समस्याओं जैसे- सत्ता का संकेंद्रण, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता आदि का समाधान किया जाना चाहिये।

Log4Shell' सुभेद्यता

चर्चा में क्यों

हाल ही में व्यापक रूप से उपयोग किये जाने वाले ओपन-सोर्स लॉगिंग सॉफ्टवेयर 'Apache Log4J' में 'Log4Shell' नामक एक गंभीर सुभेद्यता का पता चला है और इस सुभेद्यता का उपयोग साइबर हमलावरों द्वारा भारत सहित दुनिया भर के संगठनों के कंप्यूटरों को लक्षित करने के लिये किया जा रहा है।

- सुभेद्यता एक ओपन-सोर्स लॉगिंग लाइब्रेरी पर आधारित है, जिसका उपयोग उद्यमों और यहाँ तक कि सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रयोग किया जाता है।

सुभेद्यता (Vulnerability)

- कंप्यूटर सुरक्षा में 'सुभेद्यता' का आशय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में मौजूद कमज़ोरी से है, जिसका उपयोग एक कंप्यूटर सिस्टम के भीतर विशेषाधिकार सीमाओं को पार करने (अर्थात् अनधिकृत कार्यों को करने) के लिये एक साइबर हमलावर द्वारा उपयोग किया जासकता है।
- सुभेद्यता का उपयोग करने हेतु एक साइबर हमलावर के पास कम-से-कम एक ऐसा उपकरण या तकनीक होनी चाहिये, जो सिस्टम की कमज़ोरी से जुड़ सके और उसका लाभ उठा सके।

नोट :

एप्लीकेशन लॉगिंग

- एप्लीकेशन लॉगिंग का आशय 'एप्लीकेशन ईवेंट' की एकत्रण की प्रक्रिया से है। यह आईटी सिस्टम के भीतर अन्य इवेंट लॉग से भिन्न होता है जिसमें एक एप्लीकेशन इवेंट लॉग द्वारा एकत्र की गई जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम के बजाय प्रत्येक व्यक्तिगत एप्लीकेशन द्वारा निर्धारित की जाती है।
- वे विभिन्न बुनियादी ढाँचे के घटकों में से प्रत्येक पर हमारे एप्लीकेशन किस प्रकार चल रहे हैं, इसकी दृश्यता प्रदान करने में मदद करते हैं।लॉग डेटा में 'मेमोरी एक्सेप्शन' या हार्ड डिस्क त्रुटियों जैसी जानकारी होती है।

प्रमुख बिंदु

- नाम
  - इस सुभेद्यता को सामान्य तौर पर Log4Shell और आधिकारिक तौर पर 'CVE-2021-44228' नाम दिया गया है।
  - 'CVE' नंबर दुनिया भर में खोजी गई प्रत्येक सुभेद्यता को दी गई अद्वितीय संख्या है।
  - इस सुभेद्यता का पता पहली बार उन वेबसाइटों पर लगाया गया था जो 'माइनक्राफ्ट' (Minecraft) नामक माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) के स्वामित्व वाले गेम सर्वर को होस्ट कर रहे थे।
- 'Log4j' लाइब्रेरी:
  - 'Log4j' गैर-लाभकारी अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के हिस्से के रूप में स्वयंसेवी प्रोग्रामर के एक समूह द्वारा बनाए रखा गया ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर है और यह एक प्रमुख जावा-लॉगिंग फ्रेमवर्क है।
  - 'Log4j' लाइब्रेरी प्रत्येक जावा-आधारित वेब सर्विस या एप्लीकेशन में अंतर्निहित है और एप्लीकेशन पर लॉग इन करने में सक्षम करने के लिये व्यापक संख्या में कंपनियों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है।
    - 'जावा' (Java) दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है।
  - यह सुभेद्यता 'Log4j 2' संस्करणों, जो दुनिया भर में उपयोग की जाने वाली एक बहुत ही कॉमन लॉगिंग लाइब्रेरी है, को प्रभावित करता है।
    - लॉगिंग, डेवलपर्स (Developers) को एक एप्लीकेशन की सभी गतिविधियों को देखने की अनुमति देता है।
  - एप्पल (Apple), माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft), गूगल (Google) जैसी सभी टेक कंपनियाँ इस ओपन-सोर्स लाइब्रेरी (Open-Source Library) पर भरोसा करती हैं, जैसा कि एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन सिस्को (CISCO), नेटएप (Netapp), क्लाउडफेयर (Cloudflare),
  - अमेज़न (Amazon) और अन्य पर करते हैं।
- गंभीर/सीवियर रेटिंग (Severe Rating):
  - Log4Shell को सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा इसे 10 की गंभीर/सीवियर रेटिंग दी गई है।
  - यह सुभेद्यता एक हैकर को सिस्टम पर नियंत्रण करने की अनुमति दे सकती है।
    - एक साइबर हमलावर उपभोक्ता द्वारा प्रिंट या किसी फाइल में लॉगिंग करने हेतु दी गई कमॉन्ड के समय लॉगिंग वाले सर्वर को हैक कर सकता है।
    - यह एक बुनियादी "प्रिंट" निर्देश को लीक-सम-सीक्रेटे-डेटा-आउट-ऑन-ओंट-द--इंटरनेट सिचुएशन (Leak-Some-Secret-Data-Out-Onto-The-Internet Situation) या डाउनलोड-एंड-रन-माय-मैलवेयर-एट-वन्स कमांड (Download-And-Run-My-Malware-At-Once Command) में परिवर्तित कर सकता है।
    - सरल शब्दों में कहें, तो कानूनी या सुरक्षा कारणों से किया गया एक लॉग मैलवेयर आरोपण घटना (Malware Implantation Event) में परिवर्तित हो सकता है।

नोट :

- रिमोट कोड निष्पादन (RCE):
  - एक पंक्ति के कोड का उपयोग करके भेद्यता का फायदा उठाया जा सकता है जो हमलावरों को पीड़ित के सिस्टम पर रिमोट कमांड निष्पादित करने की अनुमति देता है।
  - किसी भी जावा-आधारित वेब सर्वर को नियंत्रित करने और रिमोट कोड निष्पादन (Remote Code Execution-RCE) हमलों को अंजाम देने के लिये हमलावरों द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है।
  - RCE हमले में हमलावर लक्षित प्रणाली पर नियंत्रण कर लेते हैं और अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य कर सकते हैं।
  - कई रिपोर्टों के अनुसार, इस भेद्यता पर पहले से ही हैकर द्वारा परीक्षण किया जा रहा है, और यह उन्हें एक एप्लीकेशन तक पहुँच प्रदान करता है, जो संभावित रूप से उन्हें डिवाइस या सर्वर पर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर चलाने की अनुमति प्रदान करता है।
- Log4Shell भेद्यता का प्रभाव:
  - क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग: उनके द्वारा महसूस किये गए अधिकांश हमले पीड़ितों की कीमत पर क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के उपयोग पर केंद्रित प्रतीत होते हैं। हालाँकि मूल शोषण के नए रूपांतरण तेजी से पेश किये जा रहे हैं।
    - इस भेद्यता के सफल दोहन से संवेदनशील जानकारी का खुलासा हो सकता है, डेटा में वृद्धि या संशोधन हो सकता है, या सेवा से इनकार (DoS) हो सकता है।
  - वैश्विक: इससे ऑस्ट्रेलिया-न्यूज़ीलैंड (ANZ) क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था जिसमें 46% कॉर्पोरेट नेटवर्क एक प्रयास के शोषण का सामना कर रहे थे।
    - जबकि इस तरह के प्रयास का सामना करने वाले 36.4% संगठनों के साथ उत्तरी अमेरिका सबसे कम प्रभावित था।
  - भारत: भारत में लगभग 41% कॉर्पोरेट नेटवर्क पहले ही शोषण के प्रयास का सामना कर चुके हैं।
    - भारतीय कंपनियाँ अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में अधिक असुरक्षित नहीं हैं क्योंकि वे जावा-आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग करती हैं।
    - भारतीय कंपनियाँ अपनी कमज़ोर सुरक्षा स्थिति के कारण उच्च जोखिम में हैं, विशेष रूप से छोटी कंपनियाँ जिनके पास समस्या का पता लगाने और उसे जल्दी से ठीक करने के लिये जानकारी या संसाधन नहीं हो सकते हैं।

नोट :

चर्चा में

विश्व एड्स दिवस 2021

पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को 'विश्व एड्स दिवस' (World AIDS Day) मनाया जाता है। यह एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने और उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने इसके कारण अपनी जान गँवाई।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - इसकी शुरुआत वर्ष 1988 में 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (WHO) द्वारा की गई थी और यह 'एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम' (एड्स) के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पहला 'वैश्विक स्वास्थ्य दिवस' था।
    - एड्स, 'ह्यूमन इम्यूनो वायरस' (एचआईवी) के संक्रमण के कारण होने वाली एक महामारी है, जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है।
    - वर्ष 2020 के अंत में अनुमानित 37.7 मिलियन लोग एचआईवी से ग्रसित थे, जिनमें से दो-तिहाई (25.4 मिलियन) अफ्रीकी क्षेत्र में निवास करते हैं।
    - वर्ष 2020 में एचआईवी तथा उससे संबंधित कारणों की वजह से 6,80,000 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 1.5 मिलियन से अधिक लोग संक्रमित हुए।
- वर्ष 2021 की थीम: असमानता को समाप्त कर एड्स का अंत करें (End inequalities. End AIDS)।
  - डब्ल्यूएचओ और उसके सहयोगियों को आवश्यक एचआईवी सेवाओं तक पहुँच में बढ़ती असमानताओं को उज़ागर करने के साथ-साथ पीछे छूट गए लोगों तक पहुँचने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
  - डब्ल्यूएचओ वैश्विक नेतृत्वकर्त्ताओं और नागरिकों से एड्स को बढ़ावा देने वाली असमानताओं का सामना करने और उन लोगों तक पहुँचने के लिये सम्मेलन के आयोजन का आह्वान कर रहा है जो वर्तमान में आवश्यक एचआईवी सेवाएँ प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
- महत्त्व:
  - विश्व एड्स दिवस अंतर्राष्ट्रीय समुदायों तथा सरकारों को याद दिलाता है कि एचआईवी का अभी पूरी तरह से उन्मूलन किया जाना बाकी है। इस दिशा में अधिक धन जुटाने, जागरूकता बढ़ाने, पूर्वाग्रह को समाप्त करने और साथ ही लोगों को इस बारे में शिक्षित किया जाना महत्त्वपूर्ण है।
- यह दिवस दुनिया भर में एचआईवी ग्रसित लाखों लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का अवसर प्रदान करता है।

ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV)

- HIV का वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में सीडी4 (CD4) नामक श्वेत रक्त कोशिका (टी-सेल्स) पर हमला करता है। ये वे कोशिकाएँ होती हैं जो शरीर की अन्य कोशिकाओं में विसंगतियों और संक्रमण का पता लगाती हैं।
- शरीर में प्रवेश करने के बाद HIV की संख्या बढ़ती जाती है और कुछ ही समय में वह CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है एवं मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाता है। विदित हो कि एक बार जब यह वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो इसे पूर्णत: समाप्त करना काफी मुश्किल है।
- HIV से संक्रमित व्यक्ति की CD4 कोशिकाओं में काफी कमी आ जाती है। ज्ञातव्य है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इन कोशिकाओं की संख्या 500-1600 के बीच होती है, परंतु HIV से संक्रमित लोगों में CD4 कोशिकाओं की संख्या 200 से भी नीचे जा सकती है।

वर्ल्डवाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट

हाल ही में वर्ल्डवाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि तेल अवीव (इज़रायल की राजधानी) रहने के लिये दुनिया का सबसे महँगा शहर है।

नोट :

- यह रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit) द्वारा संकलित की गई है। यह विभिन्न शहरों में रहने के संकेतकों की लागत की तुलना करता है।

प्रमुख बिंदु

- सबसे महँगा शहर: इज़रायल का शहर तेल अवीव (Tel Aviv) पिछले वर्ष के शीर्ष देश पेरिस को पीछे छोड़कर पहली बार रैंकिंग में सबसे ऊपर है, जबकि पेरिस अब सिंगापुर के साथ दूसरे स्थान पर है।
  - पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, उसके बाद ज्यूरिख और हॉन्गकॉन्ग का स्थान है। इस सूची में न्यूयॉर्क छठे स्थान पर तथा जिनेवा सातवें स्थान पर है।
- रिपोर्ट की कार्यप्रणाली: सूचकांक को न्यूयॉर्क शहर में कीमतों के मुकाबले बेंचमार्क किया गया है, इसलिये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मज़बूत मुद्राओं वाले शहरों की रैंकिंग में उच्च दिखाई देने की संभावना है।
- परिणाम का दायरा: वर्ल्डवाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, 2021 द्वारा 173 वैश्विक शहरों में रहने की लागत को ट्रैक किया गया है और यह 200 से अधिक उत्पादों एवं सेवाओं की कीमतों का तुलनात्मक अध्ययन करता है।
- कोविड-19 का प्रभाव: आपूर्ति-शृंखला की रुकावटों और बदलती उपभोक्ता मांग ने कई बड़े शहरों में रहने की लागत को बढ़ा दिया है। इसके अलावा विगत पाँच वर्षों में सबसे तीव्र मुद्रास्फीति दर्ज की गई है।
- भारतीय परिदृश्य: सर्वेक्षण में भारत के अहमदाबाद (गुजरात) को शीर्ष दस सबसे सस्ते शहरों में सूचीबद्ध किया गया है।
  - सबसे सस्ते शहरों में दमिश्क (सीरिया की राजधानी) शीर्ष पर है। इसके बाद सबसे सस्ते शहरों की रैंकिंग में त्रिपोली (लीबिया), ताशकंद (उज़्बेकिस्तान), ट्यूनिस (ट्यूनीशिया) और अल्माटी (कज़ाखस्तान) का स्थान है।

द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU)

- द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (The Economist Intelligence Unit) द इकोनॉमिस्ट ग्रुप का शोध एवं विश्लेषण प्रभाग है, जो द इकोनॉमिस्ट अखबार की सिस्टर कंपनी है।
- EIU लोकतंत्र सूचकांक (Democracy Index) भी जारी करता है, जो 165 स्वतंत्र राज्यों और दो क्षेत्रों में दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है।
- EIU के लोकतंत्र सूचकांक (Democracy Index) में भारत 53वें स्थान पर है।

Kyhytysuka Sachicarum: नई समुद्री सरीसृप

हाल ही में शोधकर्त्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने क्यह्युटिसुका सचिकारुम (Kyhytysuka Sachicarum) नामक एक नए समुद्री सरीसृप की खोज की है।

प्रमुख बिंदु

- Kyhytysuka का आशय तेज़ काटने वाले उस जीव से है जिसे मध्य कोलंबिया के उस क्षेत्र की एक स्थानीय भाषा में यह नाम दिया गया है जहाँ इसके जीवाश्म पाए गए थे।
- इसका नाम प्राचीन मुइस्का संस्कृति (Muisca culture) का सम्मान करने के लिये रखा गया है जो वहाँ सहस्राब्दियों से मौजूद थी।
- इस संरक्षित जीवाश्म की खोपड़ी एक मीटर लंबी है, जो अंतिम जीवित 'इचथ्योसोर' (Ichthyosaur) में से एक है- प्राचीन जानवर जो जीवित स्वॉर्डफिश की तरह दिखते हैं।
  - 'इचथ्योसोर' (ichthyosaur):
    - वे जलीय सरीसृपों के विलुप्त समूह के सदस्य हैं, जिनमें से अधिकांश देखने में और व्यवहार में बहुत समान थे।
    - उनका भौगोलिक वितरण बहुत व्यापक था और उनके जीवाश्म लगभग पूरे मेसोज़ोइक युग में फैले हुए हैं।
    - वे प्रारंभ में एशिया के ट्राइसिक काल (Triassic Period) से संबंधित माने जाते हैं, जो लंबे शरीर वाले लहरदार तैराकों के रूप में जाने जाते थे, जबकि बाद की प्रजातियों में पाई गई कई विशेषताओं से भिन्न थे।

नोट :

- प्रारंभिक क्रिटेशियस अवधि के दौरान यह प्रजाति एक महत्त्वपूर्ण संक्रमणकाल से संबंधित है जब पृथ्वी अपेक्षाकृत ठंड की अवधि से बाहर आ रही थी, समुद्र का स्तर बढ़ रहा था और सुपरकॉन्टिनेंट पैंजिया (एक सुपरकॉन्टिनेंट जिसमें पृथ्वी पर लगभग सभी भूभाग शामिल थे) उत्तरी और दक्षिणी भूभाग में विभाजित हो रहा था।

कला संस्कृति विकास योजना

हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने "कला संस्कृति विकास योजना (KSVY)" के तहत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिये वित्तीय सहायता हेतु एक योजना शुरू की है।

- इस योजना के तहत देश के किसी भी हिस्से में स्थित बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रचार और विकास में लगे मठों सहित स्वैच्छिक बौद्ध तथा तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एक संगठन के लिये वित्तपोषण की राशि प्रतिवर्ष 30 लाख रुपए है।

प्रमुख बिंदु

- KSVY देश में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये संस्कृति मंत्रालय के तहत एक अंब्रेला योजना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
- मंत्रालय KSVY के तहत कई योजनाएँ लागू करता है, जहाँ कार्यक्रमों/गतिविधियों के आयोजन के लिये अनुदान स्वीकृत/अनुमोदित किया जाता है।
- कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता योजना।
- सांस्कृतिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता योजना।
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिये योजना, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है।

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस

प्रतिवर्ष 03 दिसंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस' मनाया जाता है।

- इससे पहले, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हवाई अड्डों पर दिव्यांगों के लिये पहुँच सुनिश्चित करने हेतु मसौदा मानदंड जारी किये गए थे।

दिव्यांगता

- दिव्यांगता का आशय प्राय: एक ऐसी स्थिति से है, जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट किसी विशेष व्यक्ति के सामान्य मानक की तुलना में कई कार्य करने में असमर्थ होता है।
- 'दिव्यांगता' शब्द का प्रयोग अक्सर व्यक्तिगत कामकाज को संदर्भित करने के लिये किया जाता है, जिसमें शारीरिक हानि, संवेदी हानि, संज्ञानात्मक हानि, बौद्धिक हानि, मानसिक बीमारी और विभिन्न प्रकार के जीर्ण रोग शामिल हैं।
- कुछ विशेषज्ञ 'दिव्यांगता' की इस परिभाषा को 'चिकित्सा मॉडल' पर आधारित मानते हैं।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
  - इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1992 में 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' के प्रस्ताव 47/3 द्वारा की गई थी।
  - वर्ष 2006 में 'कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी' (CRPD) को भी अपनाया गया था।
  - इसका उद्देश्य सतत् विकास हेतु वर्ष 2030 के एजेंडे के कार्यान्वयन के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के लिये समान अवसर प्रदान करने की दिशा में काम करना है।

नोट :

- परिचय:
  - यह दिवस समाज एवं विकास के प्रत्येक स्तर पर दिव्यांग लोगों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने पर ज़ोर देता है।
  - इसका उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं में दिव्यांग व्यक्तियों की स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है।
- दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित आँकड़े:
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, 01 बिलियन से अधिक लोगों के दिव्यांगता से प्रभावित होने का अनुमान है और भविष्य में जनसंख्या में वृद्धि और और गैर-संचारी रोगों के प्रसार के साथ और अधिक बढ़ सकता है।
  - बीते वर्ष (2020) जारी की गई विकलांगता पर 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय' की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की लगभग 2.2% आबादी किसी न किसी तरह की शारीरिक या मानसिक अक्षमता से प्रभावित है।
- 2021 के लिये थीम:
  - 'एक समावेशी, सुलभ और सतत् पोस्ट-कोविड विश्व की ओर दिव्यांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी'(Leadership and participation of persons with disabilities toward an inclusive, accessible and sustainable post-COVID-19 world)।
- संबंधित पहलें:
  - वैश्विक:
    - वर्ल्ड प्रोग्राम फॉर एक्शन (WPA): यह विकलांगता की रोकथाम, पुनर्वास और अवसरों की समानता को बढ़ावा देने हेतु एक वैश्विक रणनीति है, जो विकलांगता को सामाजिक जीवन तथा राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता पर भी बल देता है।
  - भारतीय:
    - अद्वितीय अक्षमता पहचान (UDID) पोर्टल
    - सुगम्य भारत अभियान
    - दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना
    - सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिये विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना (एडिप योजना)

संबंधित दिवस

- 4 जनवरी: विश्व ब्रेल दिवस
- 21 मार्च: विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस
- 2 अप्रैल: विश्व स्वलीनता (ऑटिज्म) जागरूकता दिवस
- 23 सितंबर: अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस
- 10 दिसंबर: मानवाधिकार दिवस

इस्सी सानेक : नई डायनासोर प्रजाति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने 214 मिलियन (पूर्व ट्राइसिक युग) वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है।

प्रमुख बिंदु

- खोज:
  - वर्ष 1994 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने पूर्वी ग्रीनलैंड में खुदाई के दौरान दो अच्छी तरह से संरक्षित डायनासोर खोपड़ी का पता लगाया था।

नोट :

- नमूनों में से एक मूल रूप से प्लेटोसॉरस (Plateosaurus) प्रजाति से संबंधित माना जाता था जो जर्मनी, फ्राँस और स्विट्ज़लैंड में पाया जाने वाला एक प्रसिद्ध लंबी गर्दन वाला डायनासोर था।
- शोधकर्त्ताओं ने निर्धारित किया है कि यह एक नई प्रजाति है, जिसे 'इस्सी सानेक' (Issi Saaneq) नाम दिया गया है।

- परिचय:
  - यह एक मध्यम आकार का, लंबी गर्दन वाला डायनासोर, सॉरोपोड्स का पूर्ववर्ती था जो अब तक का सबसे बड़ा भूमि पर पाया जाने वाला जानवर है।
    - इस्सी सानेक अब तक खोजे गए अन्य सभी सॉरोपोडोमोर्फ से अलग है, लेकिन ब्राज़ील में पाए जाने वाले डायनासोर से इनमें कुछ समानताएँ पाई जाती हैं, जैसे मैक्रोकोलम (Macrocollum) और उनायसॉरस, (Unaysaurus) जो लगभग 15 मिलियन वर्ष पुराने हैं।
    - यह उत्तर दिशा में 40 डिग्री से अधिक ऊँचाई पर पाएँ जाने वाला पहला सैरोपोडोमोर्फ था।
  - ग्रीनलैंड की इनुइट (Inuit) भाषा में नए डायनासोर का नाम का अर्थ है 'कोल्डबोन' (coldbone)।
    - इनुइट भाषा, जो एस्किमो भाषाओं का नॉर्थ-इस्टर्न डिवीजन है। यह भाषा उत्तरी अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में बोली जाती है।
- खोज का महत्त्व:
  - नई प्रजाति पृथ्वी के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण समय के दौरान रहती थी। यह शोधकर्त्ताओं को उस समय के अनुसार जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करेगा।
  - मुख्यत: ग्रीनलैंड के लिये यह एक अद्वितीय नई प्रजाति महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह शोधकर्त्ताओं को पूर्व-ट्रायसिक डायनासोर की पहुँच के बारे में और साथ ही साथ सॉरोपोड्स कैसे विकसित हुआ, इसके बारे में अधिक समझने में मदद करता है।
  - इस्सी सानेक की खोज प्लेटोसॉरिड सॉरोपोडोमोर्फ (Plateosaurid Sauropodomorphs) के विकास के बारे में ज्ञान को व्यापक बनाएगी।

भारतीय नौसेना दिवस

वर्ष 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना के जवाबी हमले को चिह्नित करने के लिये प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को 'भारतीय नौसेना दिवस' मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय
  - भारतीय नौसेना की स्थापना वर्ष 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी।
  - इस वर्ष, नौसेना ने वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की जीत की 50वीं वर्षगाँठ को 'स्वर्णिम विजय वर्ष' के थीम के साथ मनाने की योजना बनाई है।
- ऑपरेशन ट्राइडेंट
  - यह वर्ष 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना द्वारा किया गया जवाबी हमला था।
  - भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान पहली बार एंटी-शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी विध्वंसक जहाज़ 'पीएनएस खैबर' को नष्ट कर दिया था।
  - भारतीय नौसेना के तीन युद्धपोतों - INS निपत, INS निर्घाट और INS वीर ने हमले में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- भारतीय नौसेना
  - इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च कमांडर के रूप में भारत के राष्ट्रपति करते हैं।
  - भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है- 'शं नो वरुण:' अर्थात् 'जल के देवता वरुण हमारे लिये शुभ हों।'
  - भारतीय नौसेना के कुछ शुरुआती अभियानों में वर्ष 1961 में गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने में उसका योगदान शामिल है।

नोट :

- परमाणु शक्ति से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी- 'आईएनएस अरिहंत' और कई अन्य जहाज़ों के निर्माण के साथ नौसेना एक सराहनीय बल के रूप में विकसित हुई है।
- भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में एक विमानवाहक पोत- आईएनएस विक्रमादित्य है, जिसे वर्ष 2013 में कमीशन किया किया गया था और यह पूर्व में एक पूर्व रूसी जहाज़ था।
- यह पनडुब्बियों के तीन वर्गों का संचालन करती है: चक्र (इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाला आईएनएस चक्र है), सिंधुघोष और शिशुमार।
- INS विक्रांत नाम के स्वदेशी विमान वाहक ने हाल ही में (2021) समुद्री परीक्षण (परीक्षणों के अंतिम चरणों में से एक) शुरू किया है।
- मरीन कमांडो या मार्कोस भारतीय नौसेना की विशेष बल इकाई है, जिसे युद्ध, आतंकवाद विरोधी, विशेष अभियानों, बंधक बचाव और असममित युद्ध का संचालन करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है।
- यह 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों में प्रतिक्रिया देने वाला पहला संगठन था।

सैन्य अभ्यास 'एकुवेरिन'

हाल ही में भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'एकुवेरिन' के 11वें संस्करण का आयोजन मालदीव के कढधू द्वीप में शुरू किया गया है।

- इससे पहले भारत, मालदीव और श्रीलंका को शामिल करते हुए द्विवार्षिक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'दोस्ती' का 15वाँ संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- भारत और मालदीव वर्ष 2009 से अभ्यास 'एकुवेरिन' का आयोजन कर रहे हैं, मालदीव की भाषा में इसका अर्थ 'मित्र' है।
- 14 दिनों का संयुक्त अभ्यास भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत एक अर्द्ध-नगरीय क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देने के लिये दोनों देशों के बीच अंतर-संचालन को बढ़ाने पर केंद्रित है।
- इस वर्ष के अभ्यास में रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिये सांस्कृतिक और खेल गतिविधियाँ भी इसमें शामिल होंगी। हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती सुरक्षा गतिशीलता के बीच मालदीव के साथ भारत के संबंधों को मज़बूत करने में यह अभ्यास एक लंबा सफर तय करेगा।

माउंट सेमरू ज्वालामुखी

हाल ही में इंडोनेशिया स्थित माउंट सेमरू ज्वालामुखी (Semeru Volcano) में विस्फोट हुआ जिसमें कम-से-कम 14 लोगों की मृत्यु हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए।

- इसमें अंतिम बार दिसंबर, 2020 में विस्फोट हुआ था।

प्रमुख बिंदु

- सेमरू ज्वालामुखी के बारे में:
  - सेमरू- जिसे "द ग्रेट माउंटेन" के रूप में भी जाना जाता है जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है तथा सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है।
  - सेमरू ज्वालामुखी भी सूंडा प्लेट (यूरेशियन प्लेट का हिस्सा) के नीचे स्थित इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के उप-भाग के रूप में निर्मित द्वीपीय चाप (Island Arcs) का हिस्सा है।
    - यहाँ निर्मित खाई को सुंडा खाई के नाम से जाना है, जावा खाई (Java Trench) इसका प्रमुख खंड/भाग है।

नोट :

- इंडोनेशिया में ज्वालामुखी:
  - इंडोनेशिया में विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों की सर्वाधिक संख्या होने के साथ-साथ इसके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर (Pacific's Ring of Fire) में अवस्थित होने के कारण यहाँ भूकंपीय उथल-पुथल का खतरा भी बना रहता है।
- पैसिफिक रिंग ऑफ फायर:
  - रिंग ऑफ फायर, जिसे सर्कम-पैसिफिक बेल्ट (Circum-Pacific Belt) के रूप में भी जाना जाता है, सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार आने वाले भूकंपों के कारण प्रशांत महासागर में निर्मित एक मार्ग है।
  - इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। यह प्रशांत (Pacific), कोकोस (Cocos), भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई (Indian-Australian), नाज़का (Nazca), उत्तरी अमेरिकी (North American) और फिलीपीन प्लेट्स (Philippine Plates) सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के मध्य एक सीमा का निर्धारण करती है।
  - पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी यानी 450 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित हैं। पृथ्वी के 90% भूकंप इसके क्षेत्र में आते हैं, जिसमें पृथ्वी की सबसे हिंसक और नाटकीय भूकंपीय घटनाएँ शामिल हैं।
- इंडोनेशिया के अन्य प्रमुख ज्वालामुखी:
  - माउंट मेरापी
  - माउंट सिनाबंग

वैश्विक शस्त्र व्यापार रिपोर्ट: SIPRI

वैश्विक हथियारों के व्यापार पर नज़र रखने वाले 'स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट' (SIPRI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, तीन भारतीय कंपनियाँ वर्ष 2020 में संयुक्त हथियारों की बिक्री के मामले में दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल हैं।

- ये तीन भारतीय कंपनियाँ- 'हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड' (HAL), 'इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज़' और 'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड' (BEL) हैं।
  - वर्ष 2019 में भी हथियारों की बिक्री के मामले में इन तीनों को शीर्ष 100 में स्थान दिया गया था।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट

- यह एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण एवं निरस्त्रीकरण में अनुसंधान हेतु समर्पित है।
- वर्ष 1966 में स्टॉकहोम में स्थापित 'स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट' नीति निर्माताओं, शोधकर्त्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता को खुले स्रोतों के आधार पर डेटा, विश्लेषण तथा सिफारिशें प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु

- शीर्ष देश
  - दुनिया भर में शीर्ष 100 कंपनियों में संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियों की संख्या सबसे अधिक है। इस अवधि के दौरान अमेरिका के हथियारों की बिक्री 285 बिलियन अमरीकी डॉलर थी, जो कि वर्ष 2019 की तुलना में 1.9% की वृद्धि दर्शाता है।
  - वहीं चीन 13% के साथ दूसरे स्थान पर था, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम (7.1%) का स्थान है।
  - शीर्ष 100 कंपनियों में संयुक्त हथियारों की बिक्री के मामले में रूस और फ्राँस क्रमश: 5% और 4.7% के साथ चौथे और पाँचवें स्थान पर थे।
- भारतीय कंपनियाँ:
  - इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्री 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बिक्री के साथ 60वें स्थान पर हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.2% अधिक है।
  - HAL 2.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 42वें स्थान पर है, जो वर्ष 2019 की बिक्री से 1.5% अधिक है।
  - वर्ष 2019 की तुलना में हथियारों की बिक्री में 1.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ BEL 66वें स्थान पर है, जो 4% अधिक है।

नोट :

- वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर हथियारों की बिक्री में भारत की हिस्सेदारी 1.2% थी। 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उनकी कुल हथियारों की बिक्री वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 1.7% अधिक थी जो दुनिया की कुल शीर्ष 100 कंपनियों का 1.2% हिस्सा था।

- हथियारों की बिक्री में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के कारक:
  - घरेलू खरीद ने भारतीय कंपनियों को महामारी के नकारात्मक आर्थिक परिणामों से बचाने में मदद की है।
  - वर्ष 2020 में भारत सरकार ने घरेलू कंपनियों की सहायता करने और हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु 100 से अधिक विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।

विश्व मृदा दिवस

हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)- केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान (CCARI) ने 5 दिसंबर 2021 को 'विश्व मृदा दिवस' (WSD) मनाया।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2002 में 'इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉयल साइंसेज़' (IUSS) द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने WSD की औपचारिक स्थापना का समर्थन थाईलैंड के नेतृत्व में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने वाले वैश्विक मृदा भागीदारी मंच के रूप में किया है। ।
- 5 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा पहले आधिकारिक WSD के रूप में नामित किया गया था।
  - 5 दिसंबर का दिन इसलिये चुना गया क्योंकि यह थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज का आधिकारिक जन्मदिवस है। जिन्होंने आधिकारिक तौर पर इस आयोजन को मंज़ूरी दी थी।
- FAO, WSD के अवसर पर दो पुरस्कार प्रदान करता है:
  - राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार: एक वार्षिक पुरस्कार जो पिछले वर्ष में उल्लेखनीय और आकर्षक विश्व मृदा दिवस गतिविधियों या अभियानों का आयोजन करने वाले व्यक्तियों, समुदायों, संगठनों और देशों को सम्मानित करता है।
  - ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार: यह पुरस्कार FAO द्वारा प्रदान किया जाता है। यह एक वार्षिक पुरस्कार है, जिसे दुनिया के सबसे अधिक दबाव वाले पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिये समर्पित व्यक्तियों को दिया जाता है। यह उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है, जो अपने नेतृत्व और गतिविधियों द्वारा मृदा प्रबंधन को बढ़ावा तथा मृदा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे रहे हैं।
- मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु भारत की पहल:
  - मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
  - जैविक कृषि
  - परंपरागत कृषि विकास योजना
  - उर्वरक आत्मनिर्भरता
  - डिजिटल कृषि
  - कार्बन खेती
  - पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना

वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (VL-SRSAM) : DRDO

इस वर्ष फरवरी के बाद वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (VL-SRSAM) का लगातार दूसरी बार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया।

- इसे चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) से लॉन्च किया गया था।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- VL-SRSAM के बारे में:
  - यह एक त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे भारतीय नौसेना के लिये DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य समुद्री-स्किमिंग लक्ष्यों सहित निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को निष्क्रिय करना है।
  - इस मिसाइल में 50 से किमी. की दूरी की परिचालन सीमा है और टर्मिनल चरण में फाइबर ऑप्टिक घूर्णाक्षदर्शी/जाइरोस्कोप (Gyroscope) और सक्रिय रडार होमिंग के माध्यम से मिड्कोर्स जड़त्वीय निर्देशन की सुविधा है।
  - भविष्य के प्रक्षेपण हेतु आवश्यक नियंत्रक, कनस्तरीकृत उड़ान वाहन, हथियार नियंत्रण प्रणाली आदि के साथ वर्टिकल लॉन्चर यूनिट सहित सभी हथियार प्रणाली घटकों के एकीकृत ऑपेरशन को मान्य करने के लिये इस प्रणाली का शुभारंभ किया गया।
    - भारतीय नौसेना के जहाज़ों से मिसाइल के भविष्य के प्रक्षेपण के लिये इन प्रणालियों का सफल परीक्षण महत्त्वपूर्ण है।
  - यह हवाई खतरों के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाज़ों की रक्षा क्षमता को और बढ़ावा देगा। इसने भारतीय नौसैनिक जहाज़ों पर हथियार प्रणालियों के एकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त किया है।
- विकास
  - 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' की प्रमुख इकाइयों जैसे 'रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला' (DRDL) तथा अनुसंधान केंद्र इमारत (RCI) और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान आदि ने सिस्टम के विकास में योगदान दिया है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन:

- यह भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के साथ सशक्त बनाने के दृष्टिकोण के साथ रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास शाखा है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1958 में 'रक्षा विज्ञान संगठन' (DSO) के साथ भारतीय सेना के 'तकनीकी विकास प्रतिष्ठान' (TDE) और 'तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय' (DTDP) के संयोजन से की गई थी।

पैनेक्स-21

हाल ही में बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (बिम्सटेक) देशों के लिये बंगाल की खाड़ी पहल के सदस्य देशों के लिये पैनेक्स-21 नामक एक कर्टन रेज़र इवेंट आयोजित किया गया था।

- यह अभ्यास इस वर्ष (2021) के अंत में आयोजित कराने की योजना है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है।
  - इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्याँमार, श्रीलंका और थाईलैंड के विषय विशेषज्ञ और प्रतिनिधि भाग लेंगे।
  - भारतीय सशस्त्र बलों और विभिन्न नागरिक एजेंसियों द्वारा नियोजित मानवीय सहायता और आपदा राहत (HDR) उपकरणों को प्रदर्शित करने वाला एक स्थिर प्रदर्शन बहु-एजेंसी अभ्यास भी होगा।
- लक्ष्य:
  - प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिये संयुक्त योजना को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करना।
    - प्राकृतिक आपदाएँ अचानक आने वाले पारिस्थितिक व्यवधान या खतरे हैं जो प्रभावित समुदाय की समायोजन क्षमता को प्रभावित करती हैं और बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है।
    - प्राकृतिक आपदाओं को व्यापक रूप से भू-भौतिकीय सहित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे- भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट; जल विज्ञान जैसे बाढ़; मौसम विज्ञान जैसे तूफान; मौसम विज्ञान जैसे गर्मी और ठंडी लहरें तथा सूखा; एवं जैविक जैसे महामारी।

नोट :

- अभ्यास का महत्त्व:
  - अन्य प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ कोविड-19 महामारी ने नए सबक दिये हैं जिसमें आपदा न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन के लिये अभ्यास तथा प्रक्रियाओं में बदलाव शामिल है।
    - इन बदलावों और महामारी के बाद की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास किया जा रहा है।

बिम्सटेक (BIMSTEC)

- यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें सात देश शामिल हैं।
- इसके 7 सदस्यों में से 5 सदस्य- बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका दक्षिण एशिया से हैं तथा दो- म्याँमार और थाईलैंड दक्षिण-पूर्व एशिया से हैं।
- यह भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के चलते दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क-SAARC) के महत्त्वहीन हो जाने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने हेतु एक नया मंच प्रदान करता है।
- अंतर-क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान देने केंद्रित करने के साथ-साथ, बिम्सटेक ने दक्षेस यानी SAARC और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) के सदस्य देशों के साथ एक साझा मंच का निर्माण भी किया है।
- सचिवालय: ढाका, बांग्लादेश।

रामानुजन पुरस्कार

हाल ही में प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिये रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

- वह कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ हैं और उन्हें 'एफाइन बीजीय ज्यामिति' और 'कम्यूटेटिव बीजगणित' में उत्कृष्ट कार्य के लिये सम्मानित किया गया है।
- वह रामानुजन पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला हैं।
- इसके पूर्व 'ज़ारिस्की कैंसलेशन' समस्या, जो कि बीजगणितीय ज्यामिति में एक मूलभूत समस्या, को हल करने के लिये उन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का वर्ष 2014 युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया था।

प्रमुख बिंदु

- रामानुजन पुरस्कार
  - विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिये रामानुजन पुरस्कार वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
  - यह पुरस्कार, 'अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिज़िक्स' (ICTP) द्वारा भारत सरकार के 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग' (DST) तथा अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ (IMU) के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है।
    - सैद्धांतिक भौतिकी के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICTP): इसकी स्थापना वर्ष 1964 में नोबेल विजेता अब्दुस सलाम द्वारा की गई थी, यह विकासशील देशों के वैज्ञानिकों को निरंतर शिक्षा और कौशल प्रदान कर अपने जनादेश को पूरा करने का प्रयास करता है।
    - अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ (IMU): यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है, जिसका उद्देश्य गणित में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
    - यह अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद (International Science Council- ISC) का सदस्य है।
    - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग: इसने वर्ष 2014 से इस पुरस्कार के लिये फंड देने पर सहमति व्यक्त की है।
    - DST द्वारा इसका समर्थन गणित में प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में किया गया है जिन्होंने अदीर्घवृत्तीय कार्यों, निरंतर कार्य, अनंत शृंखला तथा संख्याओं के विश्लेषणात्मक सिद्धांत में शानदार योगदान दिया था।
- पात्रता और पुरस्कार:
  - यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को विकासशील देश के उस शोधकर्त्ता को प्रदान किया जाता है, जिसकी आयु पुरस्कार प्रदान किये जाने वाले वर्ष तक 45 वर्ष से कम हो और जिसने एक विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध किया है।

नोट :

- गणितीय विज्ञान की किसी भी शाखा में काम करने वाले शोधकर्त्ता इसके पात्र हैं।
- इसमें 15,000 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

श्रीनिवास रामानुजन

- रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर, 1887 को इरोड गाँव (चेन्नई से 400 किमी., जो तब मद्रास के नाम से जाना जाता था) में हुआ था।
- वर्ष 1913 में उन्होंने ब्रिटिश गणितज्ञ गॉडफ्रे एच. हार्डी के साथ पत्र-व्यवहार शुरू किया, जिसके बाद वे ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज़ चले गए।
- रामानुजन ने संख्याओं के विश्लेषणात्मक सिद्धांत में पर्याप्त योगदान दिया और दीर्घवृत्तीय कार्यों (Elliptic Functions) पर भी कार्य किया।
- उन्होंने पूर्ण संख्या, हाइपरज्यामितीय श्रेणी (Hypergeometric Series) और यूलर स्थिरांक (Euler's Constant) के विभाजन पर भी काम किया।
- उनके पत्र अंग्रेजी और यूरोपीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे और वर्ष 1918 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के लिये उनका चयन हुआ।
- भारत लौटने के बाद लंबी बीमारी के कारण 26 अप्रैल, 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
- भारत में प्रतिवर्ष महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती (22 दिसंबर) को राष्ट्रीय गणित दिवस (National Mathematics Day) के रूप में मनाया जाता है।

संपन्न परियोजना

चर्चा में क्यों ?

SAMPANN (सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन) परियोजना के माध्यम से एक लाख से अधिक लोगों को सीधे उनके बैंक खातों में पेंशन दी जा रही है।

प्रमुख बिंदु:

- संपन्न परियोजना:
  - इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। यह दूरसंचार विभाग के पेंशनभोगियों के लिये एक सहज ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली है।
  - यह पेंशनभोगियों के बैंक खातों में पेंशन का सीधा क्रेडिट प्रदान करता है।
  - यह संचार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक महत्वाकांक्षी परियोजना है।
  - इस प्रणाली ने विभाग को पेंशन मामलों के तेज़ी से निपटान, बेहतर समाधान/लेखापरीक्षा और लेखांकन को आसान बनाने में मदद की है।
  - इसके द्वारा 6 महीने की अल्प अवधि में ही भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2019 के करीब 76,000 मामलों को निपटाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - यह एक लचीली डिज़ाइन वाली प्रणाली है जो इसे लगातार बढ़ती आवश्यकताओं को समायोजित करने में सक्षम बनाती है।
- लाभ :
  - पेंशन मामलों का समय पर निपटारा।
  - ई-पेंशन भुगतान आदेश का प्रावधान जो भुगतान प्रक्रिया को आसान और परेशानी मुक्त बनाती है।
  - प्रत्येक पेंशनभोगी के लिये लॉग इन भुगतान हिस्ट्री जैसी महत्त्वपूर्ण जानकारी तक पहुँच को सक्षम बनाता है।
  - शिकायतों का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण और समय पर एसएमएस अलर्ट दिया जाना।

नोट :

अर्थ ब्लैक बॉक्स

ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक और कलाकार विश्व को उसके कार्यों के लिये जवाबदेह ठहराने हेतु पृथ्वी का एक ब्लैक बॉक्स (Earth's Black Box) बनाने जा रहे हैं।

- ब्लैक बॉक्स के बारे में:
  - इस बॉक्स का निर्माण दक्षिण तट से दूर एक ऑस्ट्रेलियाई द्वीप राज्य तस्मानिया में किया जाएगा।
  - इसे 3 इंच मोटे स्टील से बनाया जाएगा और सोलर पैनल से कवर किया जाएगा।
  - यह काफी हद तक एक प्लेन फाइट रिकॉर्डर(plane's flight recorder) की तरह कार्य करेगा, जो दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले एक विमान के अंतिम क्षणों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है।
  - अर्थ ब्लैक बॉक्स के अंदर स्टोरेज ड्राइव को लगभग 30 से 50 वर्षों तक सक्रिय रहने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
  - ब्लैक बॉक्स एक सिटी-बस के आकार का होगा और इसके अंदर स्टोरेज ड्राइव होंगे जो जलवायु परिवर्तन की तथा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर तथा औसत तापमान को रिकॉर्ड करेंगे।
- संगृहीत डेटा के प्रकार:
  - मोनोलिथ के अंदर दो अलग-अलग प्रकार के डेटा एकत्र और संग्रहीत किये जाएँगे।
    - यह भूमि और समुद्र के तापमान माप, प्रजातियों के विलुप्त होने, ऊर्जा की खपत, मानव आबादी, समुद्र के अम्लीकरण तथा वायुमंडलीय CO_2 स्तरों जैसे जलवायु-परिवर्तन से संबंधित डेटा एकत्र करेगा।
    - यह प्रासंगिक डेटा जैसे- समाचार पत्रों की सुर्खियाँ और ट्रेंडिंग कहानियाँ, प्रमुख समाचार तथा सोशल मीडिया पोस्ट को भी एकत्र करेगा।
- तस्मानिया के चुनाव का कारण:
  - तस्मानिया को इसके सापेक्ष भू-राजनीतिक और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिये चुना गया था, तथा मोनोलिथ को चक्रवातों, भूकंपों एवं इसकी ढलान वाली दीवारों के साथ, बर्बर हमलों सहित खतरों के खिलाफ लचीला होने के प्रति डिज़ाइन किया जाएगा।
- महत्त्व
  - ब्लैक बॉक्स वास्तव में एक बड़ी जलवायु परिवर्तन आपदा को रोकने में मदद करेगा।
    - जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने सबसे गंभीर खतरों में से एक है और आर्थिक एवं स्वास्थ्य असमानताओं को बढ़ा रहा है, प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ा रहा है तथा दुनिया की खाद्य आपूर्ति पर खतरा उत्पन्न कर रहा है।

नासा का IXPE मिशन

हाल ही में 'नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन' (NASA) ने 'इमेजिंग एक्स-रे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर' (IXPE) नाम से एक नया मिशन लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - IXPE वेधशाला नासा और इटालवी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त प्रयास है।
  - यह "ब्रह्मांड में सबसे चरम और रहस्यमय वस्तुओं-सुपरनोवा अवशेष, सुपरमैसिव ब्लैक होल" तथा दर्जनों अन्य उच्च-ऊर्जा वस्तुओं का अध्ययन करेगा।
  - इस मिशन की प्राथमिक अवधि दो वर्ष है और इसकी वेधशाला पृथ्वी की भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करते हुए 600 किलोमीटर की ऊँचाई पर स्थित होगी।
  - इसके द्वारा पहले वर्ष में लगभग 40 खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने की उम्मीद है।
  - यह अन्य एक्स-रे दूरबीनों जैसे चंद्रा एक्स-रे वेधशाला और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक्स-रे वेधशाला, एक्सएमएम-न्यूटन का पूरक होगा।

नोट :

- महत्त्व:
  - यह न्यूट्रॉन सितारों और सुपरमैसिव ब्लैक होल से ध्रुवीकृत एक्स-रे का निरीक्षण करने में मदद करेगा। इन एक्स-रे के ध्रुवीकरण को मापकर हम यह अध्ययन कर सकते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या है और प्रकाश स्रोत की ज्यामिति और आंतरिक कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं।
  - इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि ब्लैक होल घूर्णन कैसे करते हैं और अतीत में उनकी स्थिति क्या है।
  - यह पता लगाने में मदद करेगा कि पल्सर एक्स-रे में इतने चमकीले कैसे होते हैं।
  - यह सीखने में मदद करेगा कि आकाशगंगाओं के केंद्रों पर सुपरमैसिव ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र से निकाले गए ऊर्जावान कणों को कौन सी शक्तियाँ मिलती हैं।
- नासा के अन्य हालिया मिशन:
  - डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट (DART)।
  - मिशन लूसी (बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रह)।
  - नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट।
- सुपरनोवा (Supernova)
  - सुपरनोवा का अर्थ अंतरिक्ष में एक विशाल तारे के अंत के साथ किसी भयंकर और चमकीले विस्फोट से है।
- ब्लैक होल (Black Hole)
  - ब्लैकहोल्स अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि यहाँ पर प्रकाश का पारगमन तक नहीं हो पाता है। गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि पदार्थ एक छोटे से स्थान पर सिकुड़ जाता है।
  - गुरुत्वाकर्षण तरंगें तब बनती हैं जब दो ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और परस्पर विलीन हो जाती हैं।
- न्यूट्रॉन तारा (Neutron Stars)
  - न्यूट्रॉन तारों में उच्च द्रव्यमान तारों के संभावित अंत-बिंदुओं में से एक शामिल होता है।
    - एक बार जब तारे का कोर पूरी तरह से लोहे में जल जाता है तो ऊर्जा उत्पादन बंद हो जाता है और कोर तेज़ी से ढह जाता है, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन को एक साथ संपीडित कर न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो बनाते हैं।
    - न्यूट्रॉन अधोपतन दबाव द्वारा समर्थित एक तारे को 'न्यूट्रॉन स्टार' के रूप में जाना जाता है, जिसे पल्सर के रूप में जाना जाता है यदि इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके स्पिन अक्ष के साथ अनुकूल रूप से संरेखित हो।

नासा की नई संचार प्रणाली: LCRD

हाल ही में नासा (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) ने अपना नया 'लेज़र कम्युनिकेशंस रिले डिमॉन्स्ट्रेशन' (LCRD) लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

- लेज़र कम्युनिकेशंस रिले डिमॉन्स्ट्रेशन
  - यह नासा की एकमात्र लेज़र संचार प्रणाली है, जो भविष्य के ऑप्टिकल संचार मिशनों का मार्ग प्रशस्त करेगी।
  - वर्तमान में, नासा के अधिकांश अंतरिक्ष यान डेटा भेजने के लिये रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार का उपयोग करते हैं।
  - 'लेज़र कम्युनिकेशंस रिले डिमॉन्स्ट्रेशन' के पेलोड को अमेरिकी रक्षा विभाग के अंतरिक्ष परीक्षण कार्यक्रम सैटेलाइट-6 (STPSat-6) के माध्यम से लॉन्च किया गया है। यह भू-समकालिक कक्षा में होगा, जो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित है।
  - इसे 'कैलिफोर्निया' और 'हवाई' में LCRD मिशन के ग्राउंड स्टेशनों के इंजीनियरों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
  - यह टीम रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के माध्यम से टेस्ट डेटा भेजेगी और LCRD ऑप्टिकल सिग्नल का इस्तेमाल करके जवाब देगा।

नोट :

- विशेषताएँ
  - इसके दो ऑप्टिकल टर्मिनल हैं। एक उपयोगकर्त्ता अंतरिक्ष यान से डेटा प्राप्त करने के लिये और दूसरा ग्राउंड स्टेशनों पर डेटा संचारित करने के लिये।
  - मॉडेम डिजिटल डेटा को लेज़र सिग्नल में ट्रांसलेट करेगा। इसके बाद इसे प्रकाश के एन्कोडेड बीम के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा।
  - ये क्षमताएँ LCRD को नासा का पहला टू-वे, एंड-टू-एंड ऑप्टिकल रिले बनाती हैं।
- महत्त्व
  - लेज़र अवरक्त प्रकाश का उपयोग करता है और रेडियो तरंगों की तुलना में कम तरंग दैर्ध्य होता है। इससे कम समय में ज्यादा डाटा ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी।
    - इन्फ्रारेड लेज़र का उपयोग करते हुए, LCRD 1.2 गीगाबिट-प्रति-सेकंड (Gbps) की स्पीड से पृथ्वी पर डेटा भेजेगा। इस स्पीड से मूवी डाउनलोड होने में एक मिनट से भी कम समय लगेगा।
    - वर्तमान रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम के साथ मंगल ग्रह के एक पूर्ण मानचित्र को पृथ्वी पर वापस भेजने में लगभग नौ सप्ताह लगते हैं। लेज़रों के साथ, हम इसे लगभग नौ दिनों तक ओर बढ़ा सकते हैं।
  - ऑप्टिकल संचार रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम की तुलना में बैंडविड्थ को 10 से 100 गुना अधिक बढ़ाने में मदद करेगा।
  - ऑप्टिकल संचार बैंडविड्थ को रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम से 10 से 100 गुना अधिक बढ़ाने में मदद करेगा।
  - छोटे आकार का अर्थ है विज्ञान के उपकरणों के लिये अधिक जगह का उपलब्ध होना।
  - प्रेक्षपण यान का वज़न कम होने से लॉन्च कम खर्चीला होता है।
  - अंतरिक्ष यान में कम ऊर्जा आवश्यकता से इसकी बैटरियों में कम ऊर्जा संग्रहण करना होता है।
  - इस मिशन में रेडियो, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सप्लेमेंटिंग (Optical Communications Supplementing) जैसी अद्वितीय संचार क्षमताएँ होंगी।

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर

हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है।

- परियोजना के हिस्से के रूप में 23 इमारतों- पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, मुमुक्षु भवन, भोगशाला, शहर संग्रहालय, व्यूइंग गैलरी, फूड कोर्ट आदि का उद्घाटन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - वर्ष 1780 ईस्वी के बाद पहली बार इंदौर की मराठा रानी अहिल्याबाई होल्कर ने काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र का जीर्णोद्धार करवाया था।
  - इसकी नींव मार्च, 2019 में रखी गई थी। इस परियोजना की परिकल्पना तीर्थयात्रियों के लिये आसानी से सुलभ मार्ग स्थापित करने हेतु की गई थी, जिन्हें गंगा में डुबकी लगाने और मंदिर में पवित्र नदी का पानी चढ़ाने के लिये भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजरना पड़ता था।
  - परियोजना पर काम के दौरान 40 से अधिक प्राचीन मंदिरों को फिर से खोजा गया। उनकी मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं करते हुए उन्हें बहाल किया गया।
- महत्त्व:
  - यह प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा नदी के घाटों को जोड़ता है।
    - काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है।
    - मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो शिव मंदिरों में सबसे पवित्र है।
  - यह तीर्थयात्रियों और यात्रियों को चौड़ी, साफ-सुथरी सड़कें तथा गलियाँ, चमकदार स्ट्रीट लाइट के साथ बेहतर रोशनी एवं स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाएँ प्रदान करके पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

नोट :

आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना

Star marking (1-5) indicates the importance of topic for CSE

हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों के लिये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत 'आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना' की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - इस क्षेत्र के छोटे स्तर पर काम करने वाले हस्तशिल्पकारों का विकास करने के उद्देश्य से आय सृजन गतिविधियों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण/कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और क्षेत्र से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिये सावधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  - योजना शुरू करते समय आयोजित समारोह के दौरान कुल 17 हस्तशिल्पकारों को प्रति कारीगर 1 लाख रुपए की ऋण सहायता प्रदान की गई है।
    - क्रेडिट सुविधा संपार्श्विक-मुक्त (Collateral-Free) है तथा जो 6% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध है। यह ऋण 24 माह में चुकाने योग्य हो जाता है।
    - नियमित पुनर्भुगतान (Regular Repayment) हेतु, ब्याज दर पर 1% का इंसेंटिव प्रदान किया जाता है, जो कारीगरों को ऋण के सफल पुनर्भुगतान पर वापस कर दिया जाएगा।
- पात्रता:
  - पंजीकृत/अपंजीकृत कारीगर/व्यक्ति।
  - वैध योग्यता होना या किसी शिल्पकला का अभ्यास करना।
  - किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान से कोई मौजूदा ऋण नहीं।
  - बैंक खाता।
- लॉन्च:
  - उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (North Eastern Development Finance Corporation Ltd-NEDFi)।

NEDFi

- NEDFi उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है।
- 1995 में अपनी स्थापना के बाद से इसने एक महत्वपूर्ण रूप से 26 वर्ष से कार्यशील है।
- इन वर्षों में, निगम ने 7500 से अधिक परियोजनाओं को ऋण प्रदान किया है और पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों में अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों के माध्यम से कई विकास पहल की हैं।

सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) द्वारा विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो सिस्टम/प्रणाली (Supersonic Missile Assisted Torpedo System- SMART) को ओडिशा के व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिंदु

- सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो:
  - यह एंटी-सबमरीन वारफेयर संचालन हेतु 'लाइट एंटी-सबमरीन टॉरपीडो सिस्टम' की मिसाइल असिस्टेड रिलीज़ टॉरपीडो है। यह एक कनस्तर आधारित मिसाइल प्रणाली है।

नोट :

- यह प्रणाली अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित स्टैंड ऑफ टॉरपीडो डिलीवरी प्रणाली है।
- यह प्रणाली टॉरपीडो की पारंपरिक सीमा से कही अधिक एंटी-सबमरीन युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिये डिज़ाइन की गई है।

- कार्यप्रणाली:
  - जब एक युद्धपोत या ट्रक-आधारित तटीय बैटरी से लॉन्च किया जाता है तो स्मार्ट एक नियमित सुपरसोनिक मिसाइल की तरह उड़ान भरता है।
  - यह कम ऊँचाई पर हवा में अपनी अधिकांश उड़ान को युद्धपोत या एक हवाई पनडुब्बी लक्ष्य पहचान प्रणाली से दो-तरफा डेटा लिंक के साथ कवर करता है और अपने उड़ान पथ को बीच में सही करने के लिये शत्रु पनडुब्बी की सटीक स्थिति की सूचना प्राप्त करता है।
  - जैसे ही यह जलमग्न पनडुब्बी के काफी करीब पहुँचेगा, मिसाइल जल में टारपीडो प्रणाली को बाहर निकाल देगी और ऑटोमेटेड टारपीडो पनडुब्बी को बाहर निकालने के लिये अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर देगी।

    - टॉरपीडो एक सिगार के आकार का स्व-चालित जल के नीचे का हथियार है, जिसे पनडुब्बी, सतह के जहाज़ या हवाई जहाज़ से लॉन्च किया जाता है और सतह के जहाजों और पनडुब्बियों में विस्फोट के लिये डिज़ाइन किया गया है।
    - वरुणास्त्र पहला स्वदेशी हैवीवेट जहाज़ है, जिससे पनडुब्बी रोधी इलेक्ट्रिक टारपीडो लॉन्च किया गया है।

- महत्त्व:
  - यह भारतीय नौसेना की रणनीतिक क्षमता को और अधिक मज़बूती प्रदान करेगी।
  - यह पनडुब्बी रोधी युद्ध में स्टैंड ऑफ क्षमता की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि है।
    - वर्ष 2003 में स्वीकृत प्रोजेक्ट 28, वर्तमान में भारतीय नौसेना के साथ सेवारत पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों का एक वर्ग है। इसमें आईएनएस कमोर्ता, आईएनएस कदमत, आईएनएस किल्टन और आईएनएस कवरत्ती शामिल हैं।
    - प्रोजेक्ट 75 भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है जिसमें छह स्कॉर्पीन-क्लास अटैक पनडुब्बियों (कलवरी, खांदेरी, करंज, वेला, वागीर और वाग्शीर) का निर्माण शामिल है।
    - प्रोजेक्ट 75 इंडिया में अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 43,000 करोड़ रुपए है।

पिनाका एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organization- DRDO) द्वारा पिनाका एक्सटेंडेड रेंज (Pinaka Extended Range- Pinaka-ER) मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम (Multiple Launch Rocket System- MLRS) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

- इससे पहले, DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो सिस्टम (Supersonic Missile Assisted Torpedo System- SMART) को भी लॉन्च किया था।

प्रमुख बिंदु

- पिनाका एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम के बारे में:
  - पिनाका, एक मल्टी-बैरल रॉकेट-लॉन्चर (MBRL) प्रणाली है जिसका नाम शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है, जो 44 सेकंड की अवधि में 12 रॉकेटों का एक सैल्वो फायर (Salvo Fire) करने में सक्षम है।
  - नया संस्करण अपने पूर्व संस्करण की तुलना में अधिक शक्तिशाली एवं उन्नत तकनीक से युक्त है तथा वज़न में अपने पिछले संस्करण की तुलना में हल्का है।
  - एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम का नया परीक्षण 45 किमी तक की रेंज़/सीमा हासिल कर सकता है जो भारतीय सेना के लिये एक बड़ी उपलब्धि है।
    - सेना में में सेवारत मौजूदा पिनाका प्रणाली की रेंज 35-37 किमी. तक है।

नोट :

- महत्त्व:
  - पिनाका का नया संस्करण एक स्वदेशी भारतीय हथियार प्रणाली के साथ विकसित होने वाली विकास प्रक्रिया के कुछ उदाहरणों में से एक है।

पिनाका: पृष्ठभूमि और संस्करण

- पृष्ठभूमि
  - 'पिनाका' मल्टी-बैरल रॉकेट सिस्टम का विकास 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' (DRDO) द्वारा 1980 के दशक के अंत में शुरू किया गया था। इसे रूस के 'मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर' सिस्टम (जिसे 'ग्रैड' भी कहा जाता है) के विकल्प के रूप में विकसित किया गया था।
  - वर्ष 1990 के अंत में पिनाका मार्क-1 के सफल परीक्षणों के बाद, वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पहली बार युद्ध के मैदान में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। इसके बाद 2000 के दशक में सिस्टम के कई रेजिमेंट्स आए।
- संस्करण
  - रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पिनाका के Mk-II और गाइडेड वेरिएंट का भी विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसकी रेंज लगभग 60 किलोमीटर है, जबकि गाइडेड पिनाका सिस्टम की रेंज 75 किलोमीटर है और इसमें एकीकृत नेविगेशन, नियंत्रण तथा मार्गदर्शन प्रणाली भी मौजूद है।
    - गाइडेड पिनाका मिसाइल की नेविगेशन प्रणाली को 'भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम' (IRNSS) द्वारा भी सहायता प्राप्त होती है।
  - वर्ष 2020 में ओडिशा के तट से दूर चाँदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से पिनाका मार्क (एमके)-1 मिसाइल के एक उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।

The Vision

नोट :

विविध

सीमा सुरक्षा बल

प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को 'सीमा सुरक्षा बल' (BSF) का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के विशेष उद्देश्य के मद्देनज़र वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल (BSF) की स्थापना की गई थी। यह गृह मंत्रालय (MHA) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के पाँच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में से एक है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) के 2.65 लाख से अधिक रक्षा कर्मी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात हैं। सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों को नक्सल विरोधी अभियानों, भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा (LoC) पर तैनात किया गया है। इसके अंतर्गत एक एयर विंग, मरीन विंग, एक आर्टिलरी रेजिमेंट और कमांडो यूनिट शामिल है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा अपने अत्याधुनिक जहाज़ों के माध्यम से अरब सागर में सर क्रेक और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा की सुरक्षा की जाती है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल (BSF) आवश्यकता पड़ने पर प्राकृतिक आपदा के दौरान मानवीय जीवन को बचाने का कार्य भी करता है। साथ ही इसके प्रशिक्षित कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भी भेजा जाता है। अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं: केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB)।

सिरीवेनेला सीताराम शास्त्री

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध तेलुगू फिल्म गीतकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 'सिरीवेनेला सीताराम शास्त्री' के निधन पर दुख व्यक्त किया। 25 मई, 1955 को आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ले में जन्मे सीताराम शास्त्री सुप्रसिद्ध कवि और तेलुगू फिल्म जगत के प्रसिद्ध गीतकार थे, जिन्हें उनकी प्रतिभा के लिये कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, इनमें आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिये गए 11 'नंदी पुरस्कार' और चार फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल हैं। फिल्म जगत और साहित्य में उनके योगदान के लिये उन्हें 2019 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने गीतकार के तौर पर अपने फिल्मी कॅरियर की शुरुआत वर्ष 1984 की फिल्म 'जननी जन्मभूमि' के साथ की थी। इसके पश्चात् उन्होंने लगभग तीन दशक लंबे अपने कॅरियर में 3000 गानों में योगदान दिया।

नगालैंड स्थापना दिवस

1 दिसंबर, 2021 को नगालैंड का 59वाँ स्थापना दिवस मनाया गया। नगालैंड 1 दिसंबर, 1963 को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रुप में अस्तित्व में आया था। नगालैंड पूर्व में म्याँमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम तथा दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है। नगालैंड तथा म्याँमार के बीच सरामती पर्वत शृंखला प्राकृतिक सीमा बनाती है जो नगालैंड की सबसे ऊँची पहाड़ी भी है। राज्य की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा यहाँ की मुख्य खाद्य फसल धान है, इसके अलावा कुल कृषि के 70% भाग पर धान की खेती की जाती है। यहाँ खेती की स्लेश तथा बर्न प्रणाली प्रचलित है जिसे स्थानीय स्तर पर झूम खेती कहा जाता है। राज्य का दीमापुर ज़िला पूरे देश से रेल एवं हवाई यातायात से जुड़ा है। नगालैंड में प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह के पहले सप्ताह में 'हॉर्नबिल उत्सव' का आयोजन किया जाता है।

पेट्र फियाला

हाल ही में पेट्र फियाला को चेक गणराज्य का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वर्ष 2014 से 'कंज़र्वेटिव सिविक डेमोक्रेटिक पार्टी' का नेतृत्व कर रहे 57 वर्षीय पेट्र फियाला ने वर्ष 2012-13 में चेक गणराज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। पेट्र फियाला को कोरोना महामारी और उससे प्रेरित आर्थिक मंदी जैसी चुनौतियों का सामना करना है। चेक गणराज्य, मध्य यूरोप में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। इसकी सीमा ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड और स्लोवाकिया से लगती है।

चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल

मेघालय का प्रसिद्ध 'चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल' शिलांग में 25 नवंबर से 27 नवंबर, 2021 तक आयोजित किया गया। 'इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल' प्रतिवर्ष नवंबर माह में शिलांग, मेघालय में आयोजित किया जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान लाइव संगीत और अन्य गतिविधियाँ जैसे- पेजेंट, नृत्य प्रतियोगिताएँ, व्यंजन, कला एवं शिल्प आदि के माध्यम से अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कई स्टाल शामिल होते हैं।

नोट :

जापान जैसे देशों में चेरी ब्लॉसम बसंत में दिखाई देते हैं। चेरी ब्लॉसम जीनस 'प्रूनस' वृक्ष का फूल है, जिसे जापानी चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर-पूर्वी भारत मुख्यत: शिलांग में चेरी ब्लॉसम का वैज्ञानिक नाम 'प्रूनस सेरासोइड्स' (Prunus Cerasoides) है। इसे 'जंगली हिमालयी चेरी ब्लॉसम इन ऑटम' (Wild Himalayan Cherry and Blossoms in Autumn) के नाम से भी जाना जाता है। इसके फल खाने योग्य होते हैं, ब्लॉसम के मौसम में ये पेड़ हल्के गुलाबी और सफेद रंग के फूलों से भर जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, चेरी ब्लॉसम के पौधे जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं तथा यह देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ब्लॉसम देरी से आते हैं।

'जगन्ना विद्या दीवेना' योजना

आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में 'जगन्ना विद्या दीवेना' शिक्षा सहायता योजना की तीसरी किश्त के रूप में 686 करोड़ रुपए जारी किये हैं। योजना के मुताबिक, यह राशि 11.03 लाख छात्रों की 9.87 लाख माताओं के खातों में जमा की गई है। इस संबंध में घोषणा करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2019 से 'विद्या दीवेना योजना' के माध्यम से 21.48 लाख छात्रों को लाभान्वित किया है और अब तक कुल 6,259 करोड़ रुपए खर्च किये गए हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य राज्य में 100 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ-साथ 100 प्रतिशत स्नातक दर सुनिश्चित करना है। इस योजना को राज्य में गरीब छात्रों के लिये शिक्षा को सुलभ बनाने और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ डाले बिना छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये शुरू किया गया है। यह एक फीस प्रतिपूर्ति योजना है यानी इसके तहत छात्र शिक्षण संस्थानों को भुगतान करते हैं और इसके बदले सरकार छात्रों को भुगतान करती है। वहीं इस योजना के तहत पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। पूर्ण प्रतिपूर्ति में कॉलेज की फीस, छात्रावास की फीस, मेस की फीस शामिल है। यह योजना केवल कॉलेज फीस की प्रतिपूर्ति करती है।

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस

भारत में प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को 'राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर जागरूकता फैलाना और औद्योगिक अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 2-3 दिसंबर, 1984 की रात को भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गँवा दी थी। दरअसल 2 दिसंबर, 1984 की रात को अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (मौजूदा नाम-डाउ केमिकल्स) के प्लांट से 'मिथाइल आइसोसाइनाइट' (Methyl Isocyanate) गैस का रिसाव हुआ था, जिसने भोपाल शहर को एक विशाल गैस चैंबर में परिवर्तित कर दिया था। कम-से-कम 30 टन मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव के कारण तकरीबन 15,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और लाखों लोग इस भयावह त्रासदी से प्रभावित हुए थे। यही कारण है कि भोपाल गैस त्रासदी को विश्व में सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं में से एक माना जाता है। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के मुताबिक, वायु प्रदूषण के कारण प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर लगभग 7 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु होती है, जिनमें से तकरीबन 4 मिलियन लोगों की मौत घरेलू वायु प्रदूषण के कारण होती है।

चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम: उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में 'चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम' को वापस लेने की घोषणा की है। इस निर्णय के पश्चात् 'उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड' समाप्त हो जाएगा। दिसंबर 2019 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य विधानसभा में 'उत्तराखंड चारधाम तीर्थ प्रबंधन विधेयक' पेश किया था। जनवरी 2020 में यह अधिनियम बन गया, जिसके तहत 'उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड' का गठन किया गया। मुख्यमंत्री इस बोर्ड का अध्यक्ष होता है, जबकि राज्य के धार्मिक मामलों का मंत्री बोर्ड का उपाध्यक्ष होता है। इस बोर्ड के तहत कुल 53 मंदिर शामिल हैं, जिनमें चारधाम मंदिर- बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तथा इन मंदिरों के आसपास स्थित अन्य मंदिर हैं। इस बोर्ड का गठन मंदिरों के प्रबंधन के लिये एक सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में किया गया था, जिसे नीतियाँ बनाने, अधिनियम के प्रावधानों को निष्पादित करने, बजट तैयार करने और व्यय को मंज़ूरी देने संबंधी शक्तियाँ प्राप्त थीं। इस बोर्ड को दी गई विभिन्न शक्तियों के कारण इन मदिरों से संलग्न विभिन्न समुदायों द्वारा इस बोर्ड का विरोध किया जा रहा था, जिसके कारण सरकार ने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया है।

विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस

प्रतिवर्ष 02 दिसंबर को विश्व भर में राष्ट्रीय समुदायों के बीच कंप्यूटर साक्षरता को लेकर जागरूकता पैदा करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु 'विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस' मनाया जाता है। यह दिवस तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने पर ज़ोर देता है। इस दिवस का लक्ष्य

नोट :

बच्चों और महिलाओं को और अधिक सीखने तथा कंप्यूटर का अधिक-से-अधिक उपयोग करने में सक्षम बनाना है। ज्ञात हो कि मौजूदा आधुनिक युग में तेज़ी से बढ़ती तकनीक और डिजिटल क्रांति के कारण कंप्यूटर मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। कंप्यूटर का ज्ञान वर्तमान समय में काफी महत्त्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह बहुत सटीक, तीव्र है और कई कार्यों को एक साथ आसानी से पूरा करने में सक्षम है। इसके अलावा यह स्वयं में बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहीत कर सकता है और इंटरनेट का उपयोग करके विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करने में भी सहायता करता है। इस वर्ष 'विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस' का विषय 'मानव-केंद्रित रिकवरी के लिये साक्षरता: डिजिटल विभाजन को कम करना' है।

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस

समाज के सभी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 'अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस' का आयोजन किया जाता है। सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 को 'विकलांगजनों के लिये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' घोषित किया था। इसके पश्चात् 1983-92 के दशक को 'विकलांगजनों के लिये अंतर्राष्ट्रीय दशक' घोषित किया गया। वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को 'विश्व विकलांगता दिवस' के रूप में मनाने की शुरुआत की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, विश्व की 15.3% आबादी किसी-न-किसी प्रकार की अशक्तता से पीड़ित है। इस प्रकार यह विश्व का सबसे बड़ा 'अदृश्य अल्पसंख्यक समूह' है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या का मात्र 2.21% ही विकलांगता से पीड़ित है। इस दिवस को मनाने का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य अशक्त-जनों की अक्षमता के मुद्दों पर समाज में लोगों की जागरूकता, समझ और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त यह विकलांगजनों के आत्म-सम्मान, कल्याण और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी सहायता पर भी ज़ोर देता है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद

3 दिसंबर, 2021 को उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। 3 दिसंबर, 1884 को जन्मे डॉ. राजेंद्र प्रसाद एक स्वतंत्रता कार्यकर्त्ता, वकील, विद्वान और भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस का हिस्सा और बिहार तथा महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध नेता थे। जब भारत एक गणतंत्र बना, तो डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1950 से वर्ष 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे। वह देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा वे राष्ट्रपति के तौर पर दो पूर्ण कार्यकालों तक सेवा देने वाले एकमात्र राष्ट्रपति भी हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के एक कार्यकर्त्ता होने के नाते राजेंद्र प्रसाद को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भेज दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1962 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'भारत रत्न' से भी सम्मानित किया गया था। राजेंद्र प्रसाद का 78 वर्ष की आयु में 28 फरवरी, 1983 को निधन हो गया। पटना में राजेंद्र स्मृति संग्रहालय उन्हें समर्पित है।

नमदा शिल्प

सरकार ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर में पारंपरिक 'नमदा शिल्प' को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिये एक पायलट परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य के 'कालीन' निर्यात को 600 करोड़ रुपए से 6,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रयास करना है। 'नमदा परियोजना' से श्रीनगर, बारामूला, गांदरबल, बांदीपोरा, बडगाम और अनंतनाग सहित कश्मीर के छह ज़िलों के 30 नमदा समूहों के 2,250 लोगों को लाभ मिलेगा। 'नमदा' सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय फेल्टिंग तकनीक के माध्यम से भेड़ के ऊन से बना एक 'गलीचा' है। कच्चे माल की अनुपलब्धता, कुशल जनशक्ति और विपणन तकनीकों की कमी के कारण वर्ष 1998 से वर्ष 2008 के बीच इस शिल्प के निर्यात में लगभग 100 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

सेंट फ्राँसिस जेवियर

'सेंट फ्राँसिस जेवियर' की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को गोवा में 'सेंट फ्राँसिस जेवियर फीस्ट' का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन गोवा स्थित 'बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस' में किया जाता है, जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। 'सेंट फ्राँसिस जेवियर' आधुनिक समय के सबसे महान रोमन कैथोलिक मिशनरी थे, जिन्होंने भारत में ईसाई धर्म की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 'सेंट फ्राँसिस जेवियर' का जन्म 3 दिसंबर, 1552 को स्पेन में हुआ था। स्पेन में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वर्ष 1525 में 19 वर्ष की आयु में पेरिस की यात्रा की। वर्ष 1534 में पेरिस में उन्होंने लोयोला के सेंट इग्नाटियस के नेतृत्व में 'सोसाइटी ऑफ जीसस' या 'जेसुइट्स' के पहले सात सदस्यों में से एक के रूप में प्रतिज्ञा ली। पुर्तगाल के राजा 'जॉन-III' द्वारा सेंट जेवियर को ईस्ट इंडीज़ के लोगों के बीच प्रचार करने के लिये नियुक्त किया गया। इसी

नोट :

अभियान के हिस्से के तौर पर वे मई 1542 में गोवा आए. जहाँ उन्होंने पहले पाँच महीने बीमारों का उपचार करने और उनकी सेवा करने में बिताए। इसके पश्चात् वे जापान गए, वहाँ उन्होंने मिशनरी गतिविधियों को आगे बढाया। वे तकरीबन 10 वर्षों (मई 1542 से दिसंबर 1552) तक मिशनरी गतिविधियों में संलग्न रहे और उनके इस कार्य के लिये उन्हें 'अपोस्टल ऑफ इंडीज़' तथा 'अपोस्टल ऑफ जापान' के नाम से भी जाना जाता है।

अंजू बॉबी जॉर्ज

प्रसिद्ध भारतीय 'लॉन्ग जम्पर' अंजू बॉबी जॉर्ज को देश में खेल को बढ़ावा देने और लैंगिक समानता की वकालत करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय एथलीट निकाय 'वर्ल्ड एथलेटिक्स' द्वारा 'वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड' से सम्मानित किया गया है। 44 वर्षीय अंजू बॉबी जॉर्ज वर्ष 2003 के संस्करण में लंबी कूद में कांस्य के साथ विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय हैं। यह पुरस्कार उन महिलाओं को सम्मानित करने हेतु प्रदान किया जाता है, जिन्होंने अपने जीवनकाल में एथलेटिक्स को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस पुरस्कार को वर्ष 2019 में शुरू किया गया था और 'अंजू बॉबी जॉर्ज' इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की दूसरी प्राप्तकर्त्ता हैं, पहली बार यह पुरस्कार इथियोपिया के डबल ओलंपिक चैंपियन 'डेरार्टू तुलु' को प्रदान किया गया था। इससे पूर्व वर्ष 2014 से वर्ष 2018 के बीच वीमेन इन एथलेटिक अवार्ड" नामक एक पुरस्कार प्रदान किया जाता था, जिसका उद्देश्य खेल के सभी स्तरों पर महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने, उन्हें प्रोत्साहित और मज़बूत करने हेतु उत्कृष्ट उपलब्धियों एवं योगदान को मान्यता प्रदान करना था।

गीता गोपीनाथ

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री, भारतीय-अमेरिकी गीता गोपीनाथ जल्द ही संगठन की पहली उप-प्रबंध निदेशक का पद संभालेंगी। नई नियुक्ति में गीता गोपीनाथ निगरानी और संबंधित नीतियों का नेतृत्व करेंगी तथा अनुसंधान एवं प्रमुख प्रकाशनों की देख-रेख करेंगी। विदित हो कि गीता गोपीनाथ 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री और रघुराम राजन के बाद यह प्रतिष्ठित पद संभालने वाली दूसरी भारतीय थीं। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 11वीं मुख्य अर्थशास्त्री बनी थीं। 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् युद्ध प्रभावित देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिये विश्व बैंक के साथ की गई थी। इन दोनों संगठनों की स्थापना के लिये अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में आयोजित एक सम्मेलन में सहमति बनी। इसलिये इन्हें 'ब्रेटन वुड्स ट्विन्स' (Bretton Woods Twins) के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1945 में स्थापित IMF विश्व के 190 देशों द्वारा शासित है तथा यह अपने निर्णयों के लिये इन देशों के प्रति उत्तरदायी है। भारत 27 दिसंबर, 1945 को IMF में शामिल हुआ था। 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है।

एक्सोप्लेनेट 'GJ 367b'

हाल ही में वैज्ञानिकों के एक समूह ने सौरमंडल के बाहर मौजूद एक नए एक्सोप्लेनेट की खोज की है। यह एक्सोप्लेनेट 'वेला कांस्टेलेशन' में लगभग 31 प्रकाश-वर्ष दूर स्थित है और पृथ्वी के आकार से लगभग तीन-चौथाई बड़ा है। यह एक्सोप्लेनेट, जिसे 'GJ 367b' नाम दिया गया है, सूर्य के आधे आकार के एक 'रेड ड्वार्फ स्टार' की परिक्रमा करने में आठ घंटे से भी कम समय लेता है। 'GJ 367b' का व्यास लगभग 9,000 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का व्यास 12,700 किलोमीटर और मंगल का व्यास 6,800 किलोमीटर है। 'GJ 367b' का 86 प्रतिशत हिस्सा आयरन से बना है तथा इसकी आंतरिक संरचना 'बुध ग्रह' जैसी है, जो कि सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह है। हालाँकि वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि इस एक्सोप्लेनेट (GJ 367 b) पर जीवन की संभावना नहीं है, क्योंकि इसकी सतह पर गर्म पिघला हुआ लावा मौजूद है। हालाँकि इस प्रकार के अन्य छोटे एक्सोप्लेनेट्स का अध्ययन कर पृथ्वी से बाहर जीवन की खोज में एक बड़ी मदद मिल सकती है। विदित हो कि सौर मंडल से बाहर पाए जाने वाले ग्रह 'एक्सोप्लेनेट' (Exoplanet) कहलाते हैं, ये सौरमंडल में मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त उपस्थित ग्रह हैं। मेयर एवं क्युलेज़ द्वारा वर्ष 1995 में प्रथम एक्सोप्लेनेट '51 पेगासी बी' (51 Pegasi b) की खोज की गई थी।

महापरिनिर्वाण दिवस

'डॉ. भीमराव अंबेडकर' की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष 'महापरिनिर्वाण दिवस' के रूप में मनाया जाता है। 'परिनिर्वाण', जिसे बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है, एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद 'मुक्ति' अथवा 'मोक्ष'। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सुत्त (Mahaparinibbana Sutta) के अनुसार, 80 वर्ष की आयु में हुई भगवान बुद्ध की मृत्यु को मूल महापरिनिर्वाण माना जाता है। 'डॉ. भीमराव अंबेडकर' का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्यप्रांत (अब मध्य प्रदेश) के 'महू' में हुआ था। डॉ. अंबेडकर एक समाज सुधारक,

नोट :

न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, बहु-भाषाविद और तुलनात्मक धर्म दर्शन के विद्वान थे। उन्हें 'भारतीय संविधान के जनक' के रूप में जाना जाता है। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून/विधि मंत्री थे। वर्ष 1920 में उन्होंने एक पाक्षिक (15 दिन की अवधि में छपने वाला) समाचार पत्र 'मूकनायक' की शुरुआत की जिसने एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव रखी। इसके अलावा वर्ष 1923 में उन्होंने 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की। वर्ष 1925 में बॉम्बे प्रेसीडेंसी समिति द्वारा उन्हें साइमन कमीशन में काम करने के लिये नियुक्त किया गया। मार्च 1927 में उन्होंने 'महाड़ सत्याग्रह' (Mahad Satyagraha) का नेतृत्त्व किया। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। वर्ष 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। 6 दिसंबर, 1956 को उनका निधन हो गया।

विश्व मृदा दिवस

स्वस्थ मृदा के महत्त्व पर ध्यान केंद्रित करने और मृदा संसाधनों के स्थायी प्रबंधन हेतु जागरूकता फैलाने के लिये प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस (World Soil Day) मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिये इसकी थीम- 'मृदा लवलीकरण को रोकें, मृदा उत्पादकता को बढ़ावा दें' (Stop Soil Erosion, Save Our Future) है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने जून 2013 में विश्व मृदा दिवस का समर्थन किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सम्मेलन में इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया तथा दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 05 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस घोषित किया तथा 05 दिसंबर, 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस मनाया गया।

राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में 'ब्लॉकचैन पर राष्ट्रीय रणनीति' जारी की, जो प्रौद्योगिकी के उपयोग के 44 संभावित क्षेत्रों की पहचान करती है और विभिन्न क्षेत्रों में इसका लाभ उठाने के तरीके के बारे में बताती है। इस रणनीति के तहत तीन प्रकार के प्रतिभागियों के साथ एक 'राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क' (NBF) स्थापित करने का सुझाव दिया है- प्रौद्योगिकी के प्रति आश्वस्त उपयोगकर्त्ता (एप्लिकेशन डेवलपर्स), प्रदाता या प्रौद्योगिकी के ऑपरेटर (इन्फ्रास्ट्रक्चर और सेवाएँ, एक सेवा के रूप में ब्लॉकचेन) और पूर्ण प्रौद्योगिकी स्टैक बिल्डर (आईपी) क्रिएटर। इसके तहत शिक्षा, शासन, वित्त एवं बैंकिंग, स्वास्थ्य देखभाल, रसद, साइबर सुरक्षा, मीडिया, कानूनी, बिजली क्षेत्र आदि में ब्लॉकचेन मॉडल के अनुप्रयोग की पहचान की गई है।

एकुवेरिन सैन्य अभ्यास

भारत और मालदीव के बीच 'एकुवेरिन सैन्य अभ्यास' का 11वाँ संस्करण 6 दिसंबर से 19 दिसंबर (2021) के बीच मालदीव के 'कढधू द्वीप' में आयोजित किया जा रहा है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं को भूमि एवं समुद्र दोनों स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे को समझने, आतंकवाद एवं विद्रोहियों से निपटने हेतु कार्रवाई करने तथा सर्वोत्तम सैन्य कार्यप्रणालियों तथा अनुभवों को साझा करने के मामले में तालमेल एवं अंतर-संचालन में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान कड़े प्रशिक्षण के अलावा, रक्षा सहयोग तथा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिये सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियाँ भी आयोजित की जा रही हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती सुरक्षा चुनौतियों के बीच मालदीव के साथ भारत के संबंधों को और मज़बूत बनाने की दिशा में यह अभ्यास एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच 'एकुवेरिन' सैन्य अभ्यास का आयोजन वर्ष 2009 से किया जा रहा है। 'धिवेही' भाषा में 'एकुवेरिन' शब्द का अर्थ- मित्र होता है। भारत और मालदीव के बीच घनिष्ठ जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध है। एकुवेरिन सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मज़बूत करना है।

परियोजना 'RE-HAB'

पायलट परियोजना 'RE-HAB' (Reducing Elephant-Human Attacks using Bees) को हाल ही में असम में शुरू किया गया है, जो मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने के लिये जंगल और गाँवों की परिधि में मधुमक्खियों के बक्से स्थापित करने पर ज़ोर देती है। यह मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को विफल करने के लिये "मधुमक्खियों द्वारा निर्मित एक बाड़" बनाने से संबंधित कार्यक्रम है। मधुमक्खियों द्वारा निर्मित बाड़ के माध्यम से हाथियों को नुकसान पहुँचाए बिना उन्हें रोका जा सकेगा। यह खाई खोदने या बाड़ बनाने जैसे विभिन्न अन्य उपायों की तुलना में अत्यधिक लागत प्रभावी है। इस पहल के माध्यम से शहद उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होगी। यह परियोजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की एक पहल है। विदित हो कि यह यह KVIC के राष्ट्रीय शहद मिशन का एक उप-मिशन है। KVIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

नोट :

सशस्त्र सेना झंडा दिवस

प्रतिवर्ष 07 दिसंबर को भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 7 दिसंबर, 1949 को मनाया गया था। इस दिवस को भारतीय थल सैनिकों, नौ सैनिकों तथा वायु सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है। झंडा दिवस के अवसर पर सशस्त्र बल कर्मियों के कल्याण के लिये लोगों से धन जुटाया जाता है तथा इस धन का उपयोग सेवारत सैन्य कर्मियों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये किया जाता है।

विश्व सुनामी जागरूकता दिवस

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को 'विश्व सुनामी जागरूकता दिवस' का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य आम लोगों को सुनामी जैसी घातक आपदा के बारे में जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस घातक आपदा के कारण पिछली एक सदी में लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 'सुनामी' (Tsunami) शब्द की उत्पत्ति जापान से हुई है, जहाँ 'सु' (Tsu) शब्द का अर्थ है 'बंदरगाह' (Harbour) और 'नामी' (Nami) का अर्थ है 'लहर' (Waves) है। प्राय: तीव्र भूकंप के दौरान समुद्री प्लेट कई मीटर तक खिसक जाती है, फलस्वरूप समुद्री सतह पर ज़बरदस्त उथल-पुथल मचती है और इस कारण सागर की सतह पर जल बड़ी-बड़ी लहरों के रूप में उठता है। यद्यपि महासागरों में ये बहुत कम ऊँचाई की होती हैं, किंतु जैसे-जैसे ये किनारों की ओर बढ़ती हैं इनकी ऊँचाई और तीव्रता बढ़ती जाती है। यही तीव्र और ऊँची लहरें धरातल पर 'सुनामी' कहलाती हैं। वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सबसे घातक सुनामी के बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस

प्रतिवर्ष 07 दिसंबर को दुनिया भर में हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठनों के महत्त्व के विषय में लोगों को सूचित करने हेतु 'अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस' मनाया जाता है। 'अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस-2021' की थीम 'वैश्विक विमानन विकास हेतु उन्नत नवाचार' है। आईसीएओ परिषद 'अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस' के लिये प्रत्येक पाँच वर्ष की विशेष वर्षगाँठ थीम निर्धारित करती है और पूरे चार वर्ष के बीच की अवधि के लिये परिषद एक ही विषय को बरकरार रखती है। 7 दिसंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस' के रूप में मनाने की आधिकारिक मान्यता संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1996 में दी गई थी। हालाँकि इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1994 में 'अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन' की स्थापना की 50वीं वर्षगाँठ के अवसर पर की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1944 में राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन अभिसमय (शिकागो कन्वेंशन) के संचालन तथा प्रशासन के प्रबंधन हेतु की गई थी। इसका एक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना एवं विकास को बढ़ावा देना है ताकि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन की सुरक्षित तथा व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

सुनील अरोड़ा

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) सुनील अरोड़ा को 'इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस' में सलाहकार बोर्ड में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया गया है। 'इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस' वर्ष 1995 में स्वीडन में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है और दुनिया भर में स्थायी लोकतंत्र का समर्थन करने संबंधी एक मिशन है। इस संस्थान को सलाहकारों के 15 सदस्यीय बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। 'इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस' संस्थान में वर्तमान में 34 सदस्य देश शामिल हैं। सुनील अरोड़ा दिसंबर 2018 से अप्रैल 2021 तक देश के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्ष 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी, सुनील अरोड़ा ने पूर्व में केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के विभिन्न प्रमुख विभागों में कार्य किया है।

हॉर्नबिल महोत्सव

नगा विरासत की विशिष्टता और समृद्धि को संरक्षित करने, संरक्षित करने तथा पुनर्जीवित करने के लिये नगालैंड में प्रतिवर्ष 'हॉर्नबिल महोत्सव' का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव का नामकरण हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर किया गया है तथा इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। यह महोत्सव उस पक्षी (हॉर्नबिल) को समर्पित है, जो अपनी भव्यता और सतर्कता के गुणों के लिये जाना जाता है। हॉर्नबिल, अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है। यह भारतीय महाद्वीप और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे सुभेद्य (Vulnerable) श्रेणी में शामिल किया गया है।

नोट :

ज्ञानपीठ पुरस्कार

असमिया कवि नीलमणि फूकन जूनियर ने 56वाँ और कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो ने 57वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार- 'ज्ञानपीठ' लेखकों को 'साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान' के लिये दिया जाता है। 77 वर्षीय दामोदर मौजो गोवा में रहते हैं और इससे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीत चुके हैं। उन्हें उनके उपन्यासों जैसे कि 'कार्मेलिन' तथा 'सुनामी साइमन' और लघु कथाएँ- 'टेरेसा मैन एंड अदर स्टोरीज़ फ्रॉम गोवा' के लिये जाना जाता है। उनकी पुस्तकों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। वर्ष 1960 में गोवा की मुक्ति के बाद से कोंकण साहित्य का बेहतरीन विकास हुआ है। यह किसी कोंकणी लेखक को दिया गया दूसरा 'ज्ञानपीठ' पुरस्कार है, इससे पूर्व कोंकणी भाषा में पहला पुरस्कार वर्ष 2006 में 'रवींद्र केलेकर' को दिया गया था। वहीं 90 वर्षीय नीलमणि फूकन को 'साहित्य अकादमी' पुरस्कार और 'पद्मश्री' पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। गुवाहाटी में निवास करने वाले प्रसिद्ध कवि नीलमणि फूकन ने कई प्रसिद्ध पुस्तकों जैसे- 'गुलापी जमुर लग्न' और 'कोबीता' की रचना की है। फूकन ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे असमिया लेखक हैं। इनसे पहले पुरस्कार पाने वालों में बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य (1979) और ममोनी रईसम गोस्वामी (2000) शामिल हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित, एक साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी (नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स) द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के साथ ही इन्हीं भाषाओं में परस्पर साहित्यिक अनुवाद के लिये भी पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

सार्क चार्टर दिवस

प्रतिवर्ष 08 दिसंबर को 'दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन' (सार्क) के चार्टर को अपनाने के उपलक्ष्य में 'सार्क चार्टर दिवस' का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष क्षेत्रीय समूह की 37वीं वर्षगाँठ है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर,1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। चार्टर पर आठ दक्षिण एशियाई देशों- बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे। चार्टर में उल्लेख किया गया है कि सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और सामाजिक प्रगति तथा आर्थिक विकास के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिये सामूहिक रूप से कार्य करना है। सार्क सदस्यों का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में स्थिरता, शांति और प्रगति को बढ़ावा देना है। सार्क ने वर्ष 1985 से अब तक कुल 18 शिखर सम्मेलन आयोजित किये हैं। यह वर्तमान में विकास गतिविधि के सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो लोगों की आजीविका को प्रभावित करता है।

जनरल बिपिन रावत

देश के पहले 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' जनरल बिपिन रावत की हाल ही में तमिलनाडु के कुन्नूर में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। जनरल बिपिन रावत देश के पहले 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' थे, जिन्हें वर्ष 2019 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। जनरल बिपिन रावत का जन्म मार्च 1958 में हुआ था। जनरल बिपिन रावत 'राष्ट्रीय रक्षा अकादमी' और 'भारतीय सैन्य अकादमी' के पूर्व छात्र हैं, जिन्हें दिसंबर 1978 में भारतीय सेना की 'पाँचवीं बटालियन' और 'ग्यारहवीं गोरखा राइफल्स' में कमीशन किया गया था। बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज़ स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन से स्नातक थे। उन्होंने अमेरिका के फोर्ट लीवेनवर्थ में कमांड और जनरल स्टाफ कोर्स में भी हिस्सा लिया। जनरल रावत ने अपनी सेवा के दौरान, सैन्य संचालन निदेशालय में ब्रिगेड कमांडर, दक्षिणी कमान, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 के रूप में कार्य किया और कई अन्य महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वह संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का भी हिस्सा रहे थे और संयुक्त राष्ट्र के साथ सेवा करते हुए उन्हें दो बार 'फोर्स कमांडर कमेंडेशन' से सम्मानित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस

भ्रष्टाचार के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मुकाबला करने हेतु प्रतिवर्ष 09 दिसंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस' का आयोजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 31 अक्तूबर, 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कन्वेंशन को अपनाया था। इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भ्रष्टाचार को रोकने और कन्वेंशन के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रतिवर्ष 09 दिसंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस' के रूप में भी नामित किया था। कन्वेंशन दिसंबर 2005 में लागू हुआ। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने से रोज़गार सृजित करने, लैंगिक समानता की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति करने और स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक व्यापक पहुँच हासिल करने में मदद मिल सकती है। 'अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस-2021' का विषय है 'आपका अधिकार, आपकी भूमिका: भ्रष्टाचार को ना कहें।' इस थीम का उद्देश्य सभी हितधारकों जैसे- राज्य, सरकारी अधिकारी, सिविल सेवक, कानून प्रवर्तन अधिकारी, मीडिया प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, शिक्षा, जनता और युवाओं आदि को भ्रष्टाचार से निपटने में एक साथ लाना है।

नोट :

लेज़र कम्युनिकेशंस रिले डिमॉन्स्ट्रेशन

हाल ही में नासा ने फ्लोरिडा में केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से अपना नया 'लेज़र कम्युनिकेशंस रिले डिमॉन्स्ट्रेशन' (LCRD)- नासा की पहली लेज़र संचार प्रणाली- लॉन्च किया है। 'लेज़र कम्युनिकेशंस रिले डिमॉन्स्ट्रेशन' एजेंसी को अंतरिक्ष में ऑप्टिकल संचार का परीक्षण करने में मदद करेगा। वर्तमान में नासा के अधिकांश अंतरिक्ष यान डेटा भेजने के लिये रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार का उपयोग करते हैं। यह प्रणाली ऑप्टिकल संचार रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम की तुलना में बैंडविड्थ को 10 से 100 गुना अधिक बढ़ाने में मदद करेगी। 'लेज़र कम्युनिकेशंस रिले डिमॉन्स्ट्रेशन' में दो ऑप्टिकल टर्मिनल शामिल हैं- एक उपयोगकर्त्ता अंतरिक्ष यान से डेटा प्राप्त करने के लिये और दूसरा ग्राउंड स्टेशनों पर डेटा संचारित करने के लिये। मॉडेम डिजिटल डेटा को लेज़र सिग्नल में ट्रांसलेट करेगा। इसके बाद इसे प्रकाश के एन्कोडेड बीम के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। ज्ञात हो कि 'लेज़र कम्युनिकेशन' और 'रेडियो तरंगें' प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य का उपयोग करती हैं। लेज़र अवरक्त प्रकाश का उपयोग करता है और रेडियो तरंगों की तुलना में इनका तरंग दैर्ध्य कम होता है। इससे कम समय में अधिक डाटा ट्रांसफर करने में मदद मिलती है।

मानवाधिकार दिवस

विश्व भर में लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य एक आदर्श विश्व के निर्माण में मानवधिकारों के महत्त्व को रेखांकित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर, 1948 को पेरिस में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) को अपनाया था, जो कि मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ है। वर्ष 2021 के लिये इस दिवस की थीम 'इक्वलिटी, रीड्यूसिंग इनइक्वलिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स' है। यह थीम मानवाधिकारों की रक्षा के लिये समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों को बढ़ावा देती है। सरल शब्दों में कहें तो मानवाधिकारों का आशय ऐसे अधिकारों से है जो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किये बिना सभी को प्राप्त होते हैं। मानवाधिकारों में मुख्यत: जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि शामिल हैं।

'शी इज़ ए चेंजमेकर' कार्यक्रम

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने महिला राजनेताओं के लिये 'शी इज़ ए चेंजमेकर' कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों के लिये अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, जिसमें राजनीतिक कार्यकर्त्ता और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के पदाधिकारी शामिल हैं। 'शी इज़ ए चेंजमेकर' कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ज़मीनी स्तर की महिला राजनीतिक नेताओं के नेतृत्व और निर्णय लेने के कौशल एवं भाषण तथा लेखन कौशल सहित उनके संचार कौशल में सुधार करना है। 'शी इज़ ए चेंजमेकर' कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय राजनीति में महिलाओं को बराबरी का स्थान प्रदान करना और ऐसी महिलाओं की मदद करना है, जो राजनीति में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं।

प्रणब मुखर्जी

11 दिसंबर, 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के पूर्व नेता प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक बतौर राष्ट्रपति अपनी सेवाएँ दी थीं। इससे पूर्व उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर भी कार्य किया और अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने विदेश मामलों, रक्षा एवं वाणिज्य मंत्रालयों का भी कार्यभार संभाला। बंगाल के बीरभूम ज़िले में जन्मे प्रणब मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की और कानून की भी पढ़ाई की। राजनीति में आने से पहले उन्होंने विद्यानगर कॉलेज में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में और बंगाली पत्रिका 'देशेर डाक' के पत्रकार के रूप में भी काम किया। राष्ट्रीय राजनीति में मुखर्जी की शुरुआत वर्ष 1969 में हुई, जब वे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मार्गदर्शन में राज्यसभा के लिये चुने गए। प्रधानमंत्री 'पी.वी. नरसिम्हा राव' के कार्यकाल के दौरान उन्हें योजना आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया और बाद में वे विदेश मंत्री के रूप में भी नियुक्त किये गए। अपने समग्र राजनीतिक कार्यकाल के दौरान प्रणब मुखर्जी ने सूचना के अधिकार, रोज़गार के अधिकार, मेट्रो रेल और इसी तरह के कई अन्य घटनाक्रमों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नोट :

ओलाफ स्कोल्ज़

हाल ही में जर्मन राजनेता 'ओलाफ स्कोल्ज़' ने जर्मनी के नए चांसलर के रूप में शपथ ली है और इस प्रकार उन्होंने औपचारिक रूप से 16 वर्ष बाद 'एंजेला मर्केल' को प्रतिस्थापित कर दिया है। ओलाफ स्कोल्ज़ का जन्म वर्ष 1958 में उत्तरी जर्मनी में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात् उन्होंने कानून का अध्ययन किया और श्रम कानून में विशेषज्ञता हासिल की। ओलाफ स्कोल्ज़ ने वर्ष 2011 से वर्ष 2018 तक 'हैम्बर्ग' के पहले मेयर के रूप में कार्य किया और कई वर्षों तक जर्मन संसद- 'बुंडेस्टाग' के सदस्य रहे। इसके अलावा वे एंजेला मर्केल के नेतृत्त्व वाली गठबंधन सरकारों में 'श्रम मंत्री' और 'वित्त मंत्री' भी रहे। गौरतलब है कि जर्मनी के चांसलर को आधिकारिक तौर पर जर्मनी के संघीय गणराज्य का 'संघीय चांसलर' कहा जाता है। वह जर्मनी की संघीय सरकार का प्रमुख होता है। वह युद्ध के दौरान जर्मन सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ के रूप में भी कार्य करता है। वह संघीय मंत्रिमंडल का मुख्य कार्यकारी होता है और इसकी कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है।

भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली

मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, 'अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस' रैंक के अधिकारियों को आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक के दो अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और आठ पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारियों को उपायुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत आयुक्त के पास 'पुलिस अधिनियम, 1861', 'कैदी अधिनियम 1900', 'अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956', 'गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967', 'मोटर वाहन अधिनियम 1988', 'मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990' और 'आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1926' के तहत अधिकार होंगे। कुछ महानगरीय शहरों और शहरी क्षेत्रों में, जटिल कानून-व्यवस्था की स्थितियों, बढ़ती आबादी और तीव्र शहरीकरण को देखते हुए प्रशासन में सुधार के लिये 'दोहरी प्रणाली' प्रशासनिक प्रणाली लागू की जाती है, जिसे पुलिस आयुक्तालय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली के तहत भूमि विवाद सुलझाने में पुलिस की भूमिका अधिक होती है। हालाँकि अतिक्रमण और अन्य भूमि संबंधी समस्याओं को निपटने के लिये पुलिस की सहायता हेतु एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति की आवश्यकता होती है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' (ISA) को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका प्राथमिक कार्य वित्तपोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना है। पेरिस में वर्ष 2015 के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान भारत और फ्राँस द्वारा सह-स्थापित 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' वैश्विक जलवायु नेतृत्वकर्त्ता की भूमिका में भारत का महत्त्वपूर्ण प्रयास है। 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन', 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (OSOWOG) को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है, जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिये स्थानांतरित करना है।

ऐनी राइस

विश्व प्रसिद्ध गॉथिक उपन्यास 'इंटरव्यू विद द वैम्पायर' की लेखिका 'ऐनी राइस' का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 'ऐनी राइस' का जन्म वर्ष 1941 में 'न्यू ऑरलियन्स' (अमेरिका) में हुआ था और उनके कई उपन्यास इसी स्थान पर आधारित हैं। एक आयरिश कैथोलिक परिवार में पली-बढ़ीं राइस ने वर्ष 2008 के अपने संस्मरण- 'कॉल आउट ऑफ डार्कनेस: ए स्पिरिचुअल कन्फेशन' में अपनी उतार-चढ़ाव भरी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में लिखा। उनका पहला उपन्यास 'इंटरव्यू विद द वैम्पायर' वर्ष 1976 में प्रकाशित हुआ और उसी वर्ष 'बेस्टसेलर' बन गया। इस उपन्यास पर हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज और ब्रैड पिट को लेकर एक फिल्म भी बनाई गई थी। उन्होंने बाद में 'द वैम्पायर क्रॉनिकल्स' नामक एक शृंखला का निर्माण भी किया। इसके अलावा उनके एक अन्य उपन्यास 'क्वीन ऑफ द डेम्ड' पर वर्ष 2002 में भी एक फिल्म बनाई गई थी।

महाकवि सुब्रह्मण्य भारती

11 दिसंबर, 2021 को उप-राष्ट्रपति ने महान स्वतंत्रता सेनानी और महाकवि सुब्रह्मण्य भारती को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। माना जाता है कि तमिल कविता और गद्य में भारती के अभिनव योगदान ने 20वीं सदी में तमिल साहित्य में पुनर्जागरण को जन्म दिया। उन्होंने अंग्रेज़ी में भी व्यापक स्तर पर लिखा। सुब्रमण्यम भारती का जन्म 1882 में सी. सुब्रमण्यम के रूप में 'एट्टायपुरम' में हुआ था, जो कि वर्तमान तमिलनाडु के

नोट :

'थूथुकुडी' में स्थित है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी से प्राप्त की थी। वह मात्र 11 वर्ष के थे, जब एट्टायपुरम के तत्कालीन राजा ने उनकी कविता से प्रभावित होकर उन्हें 'भारती' की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है 'देवी सरस्वती का आशीर्वाद'। यद्यपि उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध कृतियाँ उनकी मातृभाषा तमिल में हैं, किंतु माना जाता है कि सुब्रमण्यम भारती को तीन विदेशी भाषाओं सहित 14 भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त थी। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध चिंता ज़ाहिर की और ब्राह्मणवाद की समाप्ति तथा धार्मिक सुधार की वकालत की। उन्हें अपने लेखन के कारण ब्रिटिश सरकार की कार्यवाही का सामना करना पड़ा और अपना अधिकांश जीवन निर्वासन में बिताया। बाद में वह पांडिचेरी (वर्तमान पुदुचेरी) चले गए, जो कि उस समय फ्राँसीसी शासन के अधीन था। वहाँ उन्होंने साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन और प्रकाशन किया। वर्ष 1921 में 38 वर्ष की अल्प आयु में उनका निधन हो गया।

अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस

प्रतिवर्ष विश्व भर में 11 दिसंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस' (International Mountain Day) मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पर्वतीय क्षेत्र के सतत् विकास के महत्त्व के बारे में जानने और पर्वतीय क्षेत्र के प्रति दायित्वों के लिये जागरूक करना है। यह दिवस पहाड़ों में सतत् विकास को प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम 'सतत् पर्वतीय पर्यटन' रखी गई है, जो पर्यावरणीय दृष्टि से सतत् एवं स्थायी पर्यटन के महत्त्व को रेखांकित करने और उसके समक्ष मौजूद चुनौतियों को संबोधित करने पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक, विश्व के तकरीबन 15 प्रतिशत लोग पर्वतों पर निवास करते हैं और विश्व के लगभग आधे जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट पर्वतों पर मौजूद हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह का तकरीबन 27 प्रतिशत भाग कवर करते हैं। पर्वत न केवल आम लोगों के दैनिक जीवन के लिये आवश्यक हैं, बल्कि सतत् विकास की दृष्टि से भी इनका काफी महत्त्व है।

रॉयल गोल्ड मेडल-2022

अहमदाबाद स्थित 'बालकृष्ण दोशी' को 'रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स' (RIBA) द्वारा 'रॉयल गोल्ड मेडल-2022' प्रदान किया जाएगा, जो कि वास्तुकला के लिये विश्व का सर्वोच्च सम्मान है। 94 वर्षीय बालकृष्ण दोशी को उनके सात दशकों लंबे कॅरियर के दौरान देश भर में 100 से अधिक परियोजनाओं को पूरा करने के लिये यह सम्मान दिया जा रहा है। गौरतलब है कि 'रॉयल गोल्ड मेडल' एक ऐसे व्यक्ति या समूह को प्रदान किया जाता है, जिनका वास्तुकला की उन्नति में महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। 'प्रित्ज़कर पुरस्कार' विजेता बालकृष्ण दोशी ने वास्तुकला शिक्षा को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और स्थानीय तकनीकों से समझौता किये बिना आधुनिकता के विचारों को नया रूप दिया है।

हरनाज़ कौर संधू

इजराइल के इलियट (Eilat) में आयोजित 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की मॉडल हरनाज कौर संधू को मिस यूनिवर्स चुना गया है। उल्लेखनीय है कि 21 वर्षों के बाद मिस यूनिवर्स का खिताब किसी भारतीय मॉडल ने जीता है। इससे पहले वर्ष 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था। 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की मिस इंडिया हरनाज़ कौर संधू के साथ मिस साउथ अफ्रीका और मिस पराग्वे टॉप-3 में शामिल थीं। भारत ने तीसरी बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। गौरतलब है कि सुष्मिता सेन वर्ष 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय मॉडल थीं।

गणतंत्र दिवस पर पाँच मध्य एशियाई देशों के प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित

आगामी गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2022) समारोह के लिये भारत ने पाँच मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। यह पहला अवसर है जब सभी पाँच मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधियों को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इससे पहले वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था और सभी ने समारोह में भाग लिया था। वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था लेकिन बाद में कोविड महामारी के कारण उन्हें यह यात्रा करनी पड़ी थी।

नोट :

पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज

डॉ वर्गीस कुरियन की जन्म शताब्दी के अवसर पर गुजरात के आणंद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पशुपालन और डेयरी विभाग ने स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी में 'पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज' का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का पहला संस्करण 12 सितंबर, 2019 को प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2.0 को पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के सामने आने वाली छह समस्याओं के समाधान के लिये नवीन और व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक हल को तलाशने के लिये लॉन्च किया गया है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज़ दिवस

प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को सार्वभौमिक हेल्थ कवरेज़ दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पूरे विश्व में कही भी प्रत्येक व्यक्ति को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने हेतु सभी देशों का आह्वान करने की संयुक्त राष्ट्र की सर्वसम्मत संकल्प की सबसे पहली वर्षगाँठ को चिह्नित करता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज़ में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नए सतत् विकास लक्ष्य अपनाने को शामिल किया गया है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज़ का अर्थ है देश के किसी भी भाग में बसे नागरिक की आय के स्तर, सामाजिक स्थिति, लिंग, जाति या धर्म के बिना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज़ का न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य वहनीय, उत्तरदायी, गुणवत्तापूर्ण एवं यथोचित स्वास्थ्य सेवाओं जिसमें रोकथाम, उपचार एवं पुनर्वास देखभाल शामिल हैं, के आश्वासन को सुनिश्चित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्वभर में कम-से-कम लगभग एक अरब लोग आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

सरदार वल्लभभाई पटेल

15 दिसंबर, 2021 को देश भर में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्तूबर, 1875 को गुजरात में हुआ था। उन्होंने लंदन जाकर कानून की शिक्षा प्राप्त की और वापस आकर भारत में वकालत करने लगे। वर्ष 1917 में वे महात्मा गांधी से मिले और गांधी से प्रेरित होकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। वर्ष 1920 में सरदार पटेल गुजरात प्रदेश कॉन्ग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और उन्होंने शराबबंदी, छुआछूत एवं जातिगत भेदभाव आदि के विरुद्ध दृढ़ता से कार्य किया। वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में एक प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्त्व किया, जिसकी सफलता के बाद उन्हें 'सरदार' की उपाधि प्रदान की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सरदार पटेल को तत्कालीन 562 रियासतों को स्वतंत्र भारत में शामिल करने का महत्त्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा किया, जिसके कारण उन्हें 'भारत का लौह पुरुष' भी कहा जाता है। 15 दिसंबर, 1950 को बॉम्बे में उनका निधन हो गया। उन्हें वर्ष 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम से गुजरात में 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' स्मारक बनाया गया है।

पर्सन ऑफ द ईयर- एलन मस्क

हाल ही में टाइम पत्रिका ने 'टेस्ला' और 'स्पेस-एक्स' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी 'एलन मस्क' को 'पर्सन ऑफ द ईयर' के रूप में नामित किया है। 'एलन मस्क' की सफलता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसी वर्ष अप्रैल माह में नासा ने उनकी रॉकेट कंपनी 'स्पेस-एक्स' को वर्ष 1972 के बाद पहली बार संयुक्त राज्य के अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर पहुँचाने के लिये एक विशेष अनुबंध दिया था। यद्यपि इलेक्ट्रिक वाहनों में इस वर्ष की पहली छमाही में अमेरिका में परिचालन में सभी वाहनों का सिर्फ 0.43 प्रतिशत शामिल था, किंतु 'टेस्ला' कंपनी की इस बाज़ार में लगभग दो-तिहाई हिस्सेदारी है। दक्षिण अफ्रीका के 'प्रिटोरिया' में जन्मे एलन मस्क पीएचडी उम्मीदवार के रूप में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शामिल होने के लिये अमेरिका गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने पीएचडी छोड़ दी। उन्होंने इंटरनेट मैपिंग सेवा 'ज़िप2' और ई-पेमेंट कंपनी 'पे-पाल' की स्थापना की, जिसे बाद में 'कॉम्पैक' और 'ईबे' को बेच दिया गया। पर्सन ऑफ द ईयर संयुक्त राज्य अमेरिका की समाचार पत्रिका और वेबसाइट 'टाइम' का एक वार्षिक अंक है जिसमें एक व्यक्ति, एक समूह, एक विचार, या एक वस्तु को नामित किया जाता है, जो एक पूरे वर्ष के दौरान सबसे अधिक सुर्खियों में रहता है।

अजय सिंह

अजय सिंह ने पुरुषों के 81 किलोग्राम वर्ग को जीतकर, 'राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप' का भारत का तीसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसी के साथ वह 'बर्मिंघम' में आगामी वर्ष आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिये सीधे क्वालीफाई करने वाले तीसरे भारतीय भारोत्तोलक बन गए। 'जेरेमी लालरिननुंगा' (67 किलोग्राम) और 'अचिंता शुली' (73 किलोग्राम) ने अपनी-अपनी प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतकर वर्ष 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिये पहले ही क्वालीफाई कर लिया है।

नोट :